Drishti IAS

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

अप्रैल भाग-2
2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

शासन व्यवस्था 4

- केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना 4
- पशु महामारी तैयारी पहल और "वन हेल्थ के लिये पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता" 4
- डिजिटल हेल्थ समिट 2023 7
- आपराधिक जाँच में आवाज़ के नमूने 9
- संविधान की नौवीं अनुसूची 10
- ULB चुनावों में महिला आरक्षण का नगालैंड का विरोध 11
- संगठन से समृद्धि: DAY-NRLM 13
- पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 14
- हृदय रोग हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट 15
- उड़ान 5.0 योजना 17
- लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 19
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 21
- VVPAT मशीनें 22
- खेल प्रशासन और मुद्दे 23
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बीमा दावा 26
- अंतर्राज्यीय जल विवाद 27
- सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023 29
- आभासी डिजिटल परिसंपत्ति का विनियमन 30
- मादक पदार्थों के उन्मूलन हेतु भारत के प्रयास 31
- CGTMSE योजना 33

भारतीय राजनीति 36

- न्यायेतर हत्याएँ 36
- असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद का समाधान 38
- राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्ति 41
- संज्ञेय अपराधों में FIR का प्रावधान 42
- दीमा हसाओ शांति समझौता: असम 43

भारतीय अर्थव्यवस्था 46

- विश्व व्यापार संगठन पैनल का भारत के खिलाफ फैसला 46
- अयस्कों के अवैध खनन से संबंधित मुद्दे 47
- भारत की निर्यात क्षमता 49
- सतत् पशुधन खेती हेतु तापीय दबाव का प्रबंधन 52
- यूरोपीय संघ ने क्रिप्टो विनियमन हेतु MiCA की शुरुआत की 53

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 56

- कार्बन मुक्त विद्युत उत्पादन के प्रति G7 की प्रतिबद्धता 56
- म्याँमार के वर्तमान मुद्दे 57
- रूस-भारत द्विपक्षीय व्यापार 58
- भारत-UAE खाद्य सुरक्षा साझेदारी 60
- यमन में शांति की उम्मीद 61
- भारत-थाईलैंड संबंध 62
- मध्य एशिया में चीन की पहुँच 64
- IMF और विश्व बैंक समूह की स्प्रिंग मीटिंग 2023 66
- सूडान संकट और ऑपरेशन कावेरी 67
- आर्मेनियाई नरसंहार 70
- भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन 73
- नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर 75

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 76

- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 76
- LockBit रैनसमवेयर 78
- परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्त्व अधिनियम 2010 79

जैव विविधता और पर्यावरण 83

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 83
- हीट वेव 85
- हाथियों का स्थानांतरण 87
- स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022: WMO 90
- भारत की चीता स्थानांतरण परियोजना 91
- सर्वोच्च न्यायालय ने ESZ आदेश में किया संशोधन 94

भूगोल 97

- कोयला खनन को लेकर छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन 97

भारतीय इतिहास 99

- डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन और विरासत 99

भारतीय विरासत और संस्कृति 100

- विश्व धरोहर दिवस 100
- वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 102

आंतरिक सुरक्षा 105

- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण 105
- नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा 106
- छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद 109

कृषि 112

- भारत में उर्वरक की खपत 112

भारतीय समाज 116

- भूदान-ग्रामदान आंदोलन 116

प्रिलिम्स फैक्ट 118

- विश्व चगास रोग दिवस 118
- ऑनलाइन मनी गेमिंग का विनियमन 118
- मैंग्रोव पिट्टा पक्षी 119
- भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र 119
- विद्युत चुंबकीय आयन साइक्लोट्रॉन तरंगें 120
- TeLEOS-2 उपग्रह 121
- जगदीश चंद्र बोस 122
- सौराष्ट्र-तमिल संगमम 123
- डिजिटल राजमार्ग 124
- ट्विटर की घृणास्पद आचरण नीति और डेडनेमिंग 125
- निंगालू ग्रहण 126
- ऑफ-बजट देयताएँ 127
- जल निकायों की पहली गणना 128
- जेनेटिक मार्कर और प्रीटर्म बर्थ 130
- स्टारशिप 130
- हक्की पिक्की जनजाति की विशेषताएँ: 131
- PSLV C55 तथा TeLEOS-2 उपग्रह 133
- भारत के लड़ाकू विमान 134
- लघु बचत योजनाएँ 136
- सुरक्षित शहर परियोजना 137
- मल्टीपल स्क्लेरोसिस 138
- थिरुनेल्ली मंदिर 139
- ओलिव रिडले कछुओं का सामूहिक नीडन 140

रैपिड फायर 142

नोट :

शासन व्यवस्था

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी CGHS लाभार्थियों के लिये केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना पैकेज दरों में संशोधन की घोषणा की है और वीडियो कॉल सुविधा प्रदान करके कर्मचारियों के लिये CGHS रेफरल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया है।

- केंद्र सरकार ने आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD)/इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (IPD) के लिये परामर्श शुल्क की CGHS दरों को 150 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है और साथ ही ICU शुल्क में संशोधन कर इसे 5,400 रुपए कर दिया गया है।

CGHS में किये गए हालिया परिवर्तनों के प्रभाव:

- **स्वास्थ्य सेवाओं की लागत:**
  - परामर्श शुल्क, ICU शुल्क और कमरे के किराये में वृद्धि सहित CGHS पैकेज दरों में संशोधन से लाभार्थियों के लिये स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि होने की संभावना है। जबकि संशोधित दरों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत को कवर करना है, इस कदम से कुछ लोगों के लिये स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठाना अधिक कठिन हो सकता है।
- **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच:**
  - वीडियो कॉल रेफरल प्रक्रिया से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार की उम्मीद है, खासकर उन लोगों के लिये जिन्हें वेलनेस सेंटर में व्यक्तिगत रूप से जाना मुश्किल है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि यह सरलीकृत प्रक्रिया लाभार्थियों के लिये विलंबता और असुविधा को कम करके CGHS की दक्षता में वृद्धि करेगी।

CGHS:

- **परिचय:**
  - CGHS एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा योजना है जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को लाभ प्रदान किया जाता है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1954 में सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- **प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ:**
  - कल्याण केंद्रों में OPD उपचार, जिसमें दवाएँ उपलब्ध कराना शामिल है।
  - CGHS से रेफरल के साथ पॉलीक्लिनिक, सरकारी अस्पतालों और CGHS नामांकित अस्पतालों में विशेषज्ञ परामर्श।
  - कैशलेस उपचार सुविधाओं के साथ सरकारी एवं नामांकित अस्पतालों में पेंशनभोगियों के लिये OPD और आंतरिक रोगी उपचार तथा पैनलबद्ध अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक केंद्रों में चिह्नित लाभार्थियों के लिये उपचार।
  - आपात स्थिति में सरकारी या निजी अस्पतालों में हुए उपचार खर्च की प्रतिपूर्ति।
  - अनुमति प्राप्त करने के बाद श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग और उपकरणों की खरीद के लिये किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति।
  - मातृत्त्व और बाल स्वास्थ्य सेवाएँ, परिवार कल्याण और चिकित्सा परामर्श।
  - आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध औषधि प्रणाली (आयुष) के तहत दवाओं का वितरण।
- **उपलब्धियाँ:**
  - वर्तमान में पूरे भारत के 79 शहरों में लगभग 42 लाख लाभार्थी CGHS द्वारा कवर किये गए हैं तथा सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिये और अधिक शहरों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सरकारी पहलें:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- आयुष्मान भारत
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
- पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)

पशु महामारी तैयारी पहल और "वन हेल्थ के लिये पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता"

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के खतरे को रोकने के लिये वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत पशु महामारी तैयारी पहल (Animal Pandemic Preparedness Initiative- APPI) शुरू की है।

- वन हेल्थ दृष्टिकोण पर्यावरण, पशु और मानव स्वास्थ्य की परस्पर निर्भरता पर प्रकाश डालता है।

नोट :

- मंत्रालय ने विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ (AHSSOH) परियोजना भी शुरू की है।

पशु महामारी तैयारी पहल:

- **परिचय:**
  - यह पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल वन हेल्थ रणनीति के अनुरूप है, जो ज़ूनोटिक रोगों के खतरे को दूर करने में बहुक्षेत्रीय सहयोग पर ज़ोर देती है।
  - यह पशु चिकित्सा सेवाओं और बुनियादी ढाँचे, रोग निगरानी क्षमताओं, शीघ्र पहचान एवं प्रतिक्रिया, पशु स्वास्थ्य पेशेवरों की क्षमता का निर्माण तथा सामुदायिक पहुँच के माध्यम से किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी।
- **APPI के स्तंभ:**
  - रोग निगरानी और नियंत्रण।
  - रोग मॉडल एल्गोरिद्म और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली।
  - प्रकोप जाँच और प्रतिक्रिया।
  - पारिस्थितिक तंत्र समन्वय।
  - टीका विकास और अनुसंधान तथा विकास।
  - आपदा प्रतिरोध का निर्माण।
  - अनुदान।
  - नियामक ढाँचा।
- **उद्देश्य:**
  - इस पहल का उद्देश्य ज़ूनोटिक रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिये भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना है, ताकि जानवरों तथा मनुष्यों दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके।

वन हेल्थ के लिये पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता (AHSSOH):

- इसका उद्देश्य वन हेल्थ दृष्टिकोण (One Health Approach) को ध्यान में रखकर बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
- परियोजना को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में पाँच साल की अवधि हेतु लागू किया जाएगा।
- इसमें भाग लेने वाले पाँच राज्यों के 151 ज़िलों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 75 ज़िला/क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने के साथ-साथ 300 पशु चिकित्सालयों/ औषधालयों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पशुधन रोग दबाव और पशुधन क्षेत्र का परिदृश्य (Scenario of Livestock Diseases Burden and Livestock Sector)

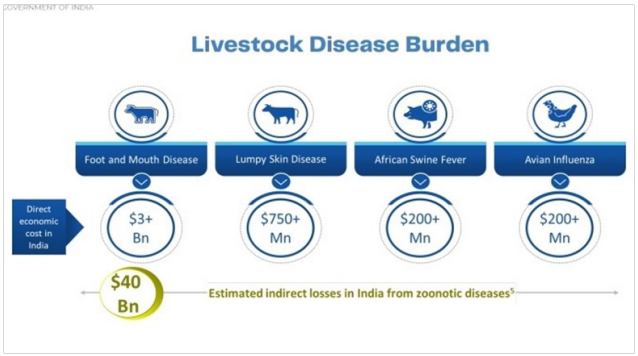

राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (National One Health Mission- NOHM):

- **वन हेल्थ:**
  - वन हेल्थ (One Health) के तहत स्वास्थ्य, उत्पादकता और संरक्षण चुनौतियों को हल करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों बीच समन्वय सुनिश्चित करना है, जो भारत के विविध वन्य जीवन, बड़ी पशुधन आबादी और उच्च मानव घनत्व के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - कोविड-19, गाँठदार त्वचा रोग और एवियन इन्फ्लूएंज़ा (Avian influenza-AI) जैसे हाल के रोग प्रकोपों से पता चलता है कि केवल मानवीय दृष्टिकोण से बीमारी को संबोधित करना पर्याप्त नहीं है। हमें पशुधन और वन्य जीवन पर भी विचार करने की आवश्यकता है।
- **परिचय:**
  - NOHM, प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) की 21वीं बैठक में अनुमोदित अंतर-मंत्रालयी प्रयास है।
  - NOHM को अन्य मंत्रालयों के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।

नोट :

वन हेल्थ ONE HEALTH

वन हेल्थ ट्राई पार्टी अलायन्स यानी FAO, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE)

WHO के बीच समझौते के आधार पर गतिविधियों का एक सेट प्रदान करता है जिसका उद्देश्य मानव-पशु-पौधे-पर्यावरण इंटरफेस से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करना है।

दृष्टिकोण

- जानवरों और लोगों में जूनोटिक रोग के प्रकोप को रोकना
- खाद्य सुरक्षा में सुधार
- MMR संक्रमण को कम करना और मानव तथा पशु स्वास्थ्य में सुधार करना
- वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार करना
- जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण

वन हेल्थ से संबंधित तथ्य

- मानव रोगों का कारण बनने वाले 60% रोगजनक, घरेलू पशुओं या वन्यजीवों से उत्पन्न होते हैं
- वैश्विक पशु उत्पादन में 20% की गिरावट पशु रोगों से जुड़ी हुई है
- जब मूल वन आवरण का 25% से अधिक नष्ट हो जाता है तो मनुष्यों और उनके पशुओं की वन्यजीवों से सामना करने की संभावना अधिक होती है

वन हेल्थ संयुक्त कार्य योजना

- खाद्य और कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा एक नई चतुष्पक्षी पहल
- यह योजना वर्ष 2022-2026 तक वैध है और इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य चुनौतियों को कम करना है।

राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (NOHM)

NOHM

- इसका उद्देश्य मानव और पशु दोनों क्षेत्रों की प्राथमिकता वाली बीमारियों के विरुद्ध समग्र महामारी की तैयारी और एकीकृत रोग नियंत्रण को प्राप्त करने के लिये समन्वय करना है

हाल ही में उठाए गए कदम

- पशु महामारी तैयार पहल (APPI)
- वन हेल्थ के लिये पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता (AHSSOH)

पूर्व में की गई पहलें

- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, 2004
- जूनोज से निपटने के लिये एक बहु-विषयक रोड मैप (2008)

घटक

Drishti IAS

नोट :

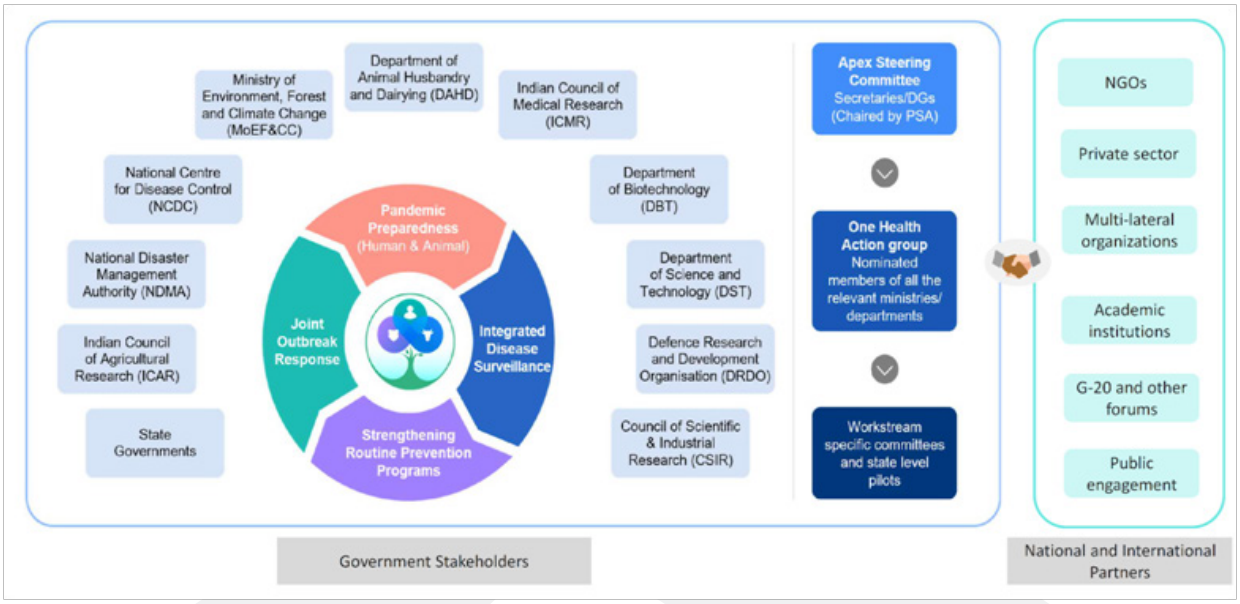

- **उद्देश्य:**
  - NOHM रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिये समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु मानव, पशु तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य की अन्योन्याश्रितता को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - इसका उद्देश्य मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की अन्योन्याश्रितता को उजागर करते हुए भारत में रोग नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु एक समन्वित तथा एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
- **घटक:**
  - ज़ूनोटिक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध हेतु निगरानी एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems) को मज़बूत करना।
  - वन हेल्थ क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
  - स्वास्थ्य पेशेवरों, पशु चिकित्सकों और शोधकर्त्ताओं की क्षमता निर्माण में सुधार।
  - वन हेल्थ के मुद्दों पर जन जागरूकता और सामुदायिक जुड़ाव बढ़ाना।
  - वन हेल्थ हस्तक्षेप और रणनीतियों हेतु दिशा-निर्देश एवं नीतियाँ विकसित करना।
  - वन हेल्थ डेटा रिपॉज़िटरी और सूचना प्रणाली की स्थापना।
  - वन हेल्थ चुनौतियों का समाधान करने हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं साझेदारी को सुगम बनाना।

डिजिटल हेल्थ समिट 2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गोवा में भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry- CII) द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किया गया।

- CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-आधारित और उद्योग-प्रबंधित संगठन है।

डिजिटल हेल्थ समिट 2023 की प्रमुख विशेषताएँ:

- इसने डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों के महत्त्व पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे वे 3D प्रिंटिंग, पॉइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक्स, रोबोट, जैव सूचना विज्ञान तथा जीनोमिक्स सहित घातीय चिकित्सा को सशक्त बना सकते हैं।
- इसका उद्देश्य अंतरसंचालनीयता, डेटा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिये एक डिजिटल पब्लिक गुड्स फ्रेमवर्क बनाना है।
- इसने उच्च गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा तक समान पहुँच के साथ "नागरिक केंद्रित" डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों की आवश्यकता पर बल दिया।
- साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डाला कि स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी चौथी औद्योगिक क्रांति का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है।

नोट :

डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल:

- **परिचय:**
  - डिजिटल स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा देखभाल वितरण की एक प्रणाली है जो गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल सेवाओं को सुलभ, सस्ती और टिकाऊ बनाने के लिये डिजिटल तकनीकों की एक श्रृंखला का उपयोग करती है।
  - डिजिटल स्वास्थ्य के व्यापक दायरे में मोबाइल स्वास्थ्य (mHealth), स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी (IT), पहनने योग्य उपकरण, टेलीहेल्थ और टेलीमेडिसिन और व्यक्तिगत चिकित्सा जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं।
  - विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) द्वारा वर्ष 2020 में अपनाई गई डिजिटल स्वास्थ्य पर WHO की वैश्विक रणनीति, नवाचार और डिजिटल स्वास्थ्य में नवीनतम विकास को शामिल करने के लिये एक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हेतु इन उपकरणों का उपयोग करना है।
- **प्रमुख अनुप्रयोग:**
  - प्वाइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक्स: प्वाइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक्स ("POCD") चिकित्सा उपकरण उद्योग में एक उभरती हुई प्रवृत्ति है और इसमें उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो रोगियों या स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकों द्वारा संसाधन सीमित समायोजन द्वारा सटीक निदान में सक्षम बनाती है।
    - हाल के दिनों में बायोसेंसर, पोर्टेबल एक्स रे, हैंडहेल्ड अल्ट्रासाउंड और स्मार्टफोन आधारित POCD जैसे कई एप्लीकेशन विकसित किये गए हैं।
  - चिकित्सा आभासी सहायक: आभासी स्वास्थ्य सहायक और चैटबॉट रोगियों तथा चिकित्सकों के बीच के अंतराल को भरते हैं तथा नियुक्ति निर्धारण, स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों जैसी सेवाओं के माध्यम से रोगियों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं।
  - स्व-निगरानी हेल्थकेयर डिवाइस: मॉनिटर और सेंसर अब पहनने योग्य उपकरणों में एकीकृत किये जा रहे हैं, जो इन्हें शरीर में विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों का पता लगाने की अनुमति देते हैं।
    - ये स्मार्ट डिवाइस वज़न, नींद के पैटर्न, आसन, आहार और व्यायाम को ट्रैक करने में सक्षम हैं।
  - ई-फार्मेसी: ई-फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी है जो इंटरनेट के माध्यम से कार्य करती है और मेल, कूरियर या डिलीवरी पर्सन के माध्यम से ऑर्डर का निपटान सुनिश्चित करती है।
- **डिजिटल हेल्थकेयर के लाभ:**
  - टेलीमेडिसिन ने स्वास्थ्य सेवा के विकेंद्रीकरण और दूरस्थ तथा उन्नत देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों के मरीज़ अब ऑनलाइन परामर्श और दवाओं की होम डिलीवरी के माध्यम से सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
  - डिजिटल उपकरण स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को स्वास्थ्य डेटा तक पहुँच प्रदान कर रोगी के स्वास्थ्य के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं।

भारत में डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित चुनौतियाँ:

- **परिचय:**
- भारत ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए तीव्र गति से डिजिटल स्वास्थ्य को अपनाया है। इस अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट ने टेलीमेडिसिन को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया और इस प्रकार भारत में दूरस्थ तथा रोगी-केंद्रित देखभाल की शुरुआत हुई।
- **चुनौतियाँ:**
  - स्पष्ट विनियमों की अनुपस्थिति: स्पष्ट विनियमों और दिशा-निर्देशों के अभाव में दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य संबंधी डिजिटल रिकॉर्ड का दुरुपयोग, डेटा चोरी तथा इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड का दुरुपयोग हो सकता है।
    - साथ ही डिजिटल बुनियादी ढाँचे एवं कुशल पेशेवरों की कमी भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के डिजिटलीकरण हेतु एक और बाधा है।
  - डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा: डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में रोगी का विश्वास बनाए रखने हेतु डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। सुरक्षा उपायों की कमी से डेटा का उल्लंघन हो सकता है तथा रोगी के डेटा से समझौता हो सकता है।
    - उदाहरण: हाल ही में AIIMS दिल्ली में रैनसमवेयर हमले की घटना हुई।
  - ई-फार्मेसी को वैधानिक समर्थन नहीं: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 भारत में दवाओं के आयात, निर्माण एवं वितरण को नियंत्रित करता है।
    - हालाँकि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 या फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत "ई-फार्मेसी" की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है।
- **डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी पहल:**
  - आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM),

नोट :

- ई-संजीवनी टेलीकंसल्टेशन सर्विस
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
- कोविन एप

डिजिटल स्वास्थ्य और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु WHO के उद्देश्य:

- अंतर-संचालनीयता और डेटा शेयरिंग के लिये मानकों के निर्धारण के माध्यम से डेटा, अनुसंधान एवं साक्ष्य सुनिश्चित करना तथा सूचित निर्णय लेने के लिये डिजिटल समाधानों के कार्यान्वयन का समर्थन करना।
- नई तकनीक द्वारा समर्थित अभ्यास में वैज्ञानिक समुदायों का उपयोग करके ज्ञान बढ़ाना और विशेषज्ञ दृष्टिकोण के बीच नैदानिक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों की चर्चा को सुविधाजनक बनाना।
- देश की ज़रूरतों के आधार पर नवाचारों की पहचान, प्रचार, सह-विकास और वृद्धि के लिये एक सक्रिय रणनीति अपनाना। इसके तहत किसी देश के नवाचारों के माध्यम से ज़रूरतों एवं आपूर्ति के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है।

आगे की राह

- AI पावर्ड हेल्थकेयर: बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण, जाँच करने के लिये स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता का तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है।
  - इस तकनीक में लागत कम करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा वितरण की सटीकता और गति में सुधार करने की क्षमता है।
- हेल्थकेयर में ब्लॉकचेन: ब्लॉकचेन तकनीक स्वास्थ्य डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता में सुधार करने के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाओं को कारगर बनाने में मदद कर सकती है।
  - ब्लॉकचेन सूचनाओं को संगृहीत और साझा करने के लिये एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीका प्रदान करता है, इससे त्रुटियों, धोखाधड़ी एवं प्रशासनिक लागतों को कम करने में मदद मिल सकती है।
- मोबाइल हेल्थ (mHealth): mHealth के अंतर्गत अप्रत्यक्ष तौर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये मोबाइल उपकरणों और एप्स का उपयोग करना शामिल है।
  - यह विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच वाले ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है। mHealth रोगियों को पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों का प्रबंधन करने और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अधिक आसानी से सामंजस्य स्थापित करने में भी मदद कर सकता है।

आपराधिक जाँच में आवाज़ के नमूने

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों में कथित संलिप्तता के संबंध में हाल ही में एक राजनेता को एक विशेष भाषण की पुष्टि हेतु अपनी आवाज़ के नमूने प्रस्तुत करने के लिये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के समक्ष उपस्थित होना पड़ा।

- आवाज़ के नमूने आपराधिक जाँच में महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं, जिससे जाँचकर्त्ताओं को सबूतों की पुष्टि करने एवं संदिग्धों की पहचान करने की अनुमति मिलती है।

आवाज़ के नमूने प्राप्त करने की प्रक्रिया:

- **प्रक्रिया:**
  - जाँच एजेंसियाँ किसी व्यक्ति की आवाज़ का नमूना लेने के लिये न्यायालय की अनुमति लेती हैं। आवाज़ का नमूना लेने का कार्य एक नियंत्रित और शोर-मुक्त वातावरण में किया जाता है।
  - नमूना रिकॉर्ड करने के लिये वॉयस रिकॉर्डर का उपयोग किया जाता है जिसमें संबद्ध व्यक्ति से उसके बयान के हिस्से के किसी विशिष्ट शब्द को बोलने के लिये कहा जाता है जो पहले से ही साक्ष्य का हिस्सा होता है।
- **तुलना की विधि:**
  - पाँच संदिग्ध लोगों और एक अज्ञात आवाज़ के नमूने की तुलना की जाती है; वक्ता की पहचान के साथ ही दोनों आवाज़ के नमूनों की पुष्टि हो जाती है।
  - आवाज़ रिकॉर्ड करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक अक्षरों का उपयोग किया जाता है जिसमें विषय के मूल कथन का केवल एक छोटा सा हिस्सा (विश्लेषण में आसानी हेतु) उच्चारित किया जाता है।
  - भारत में आवाज़ का नमूना लेने की प्रक्रिया:
    - भारतीय फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में आवाज़ के नमूने की सेमी-ऑटोमैटिक स्पेक्ट्रोग्राफिक पद्धति का उपयोग किया जाता है।
    - फोरेंसिक लैब जाँच एजेंसी को अंतिम रिपोर्ट सौंपती है, जिसमें बताया जाता है कि आवाज़ के नमूने के विश्लेषण के परिणाम सकारात्मक हैं अथवा नकारात्मक।
  - हालाँकि कुछ देशों में स्वचालित पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें आवाज़ के नमूनों को संभावित अनुपात में विकसित किया जाता है। इससे दक्षता बढ़ती है।
- **कमियाँ:**
  - यदि दवाओं के प्रभाव के कारण व्यक्ति की आवाज़ बदल जाती है या यदि व्यक्ति सर्दी से पीड़ित है तो परिणाम में अशुद्धि उत्पन्न हो सकती है।

नोट :

- इस नमूने की विश्वसनीयता विशेषज्ञ द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक और न्यायालय द्वारा इसका विश्लेषण करने के तरीके पर निर्भर करती है।

आवाज़ के नमूने एकत्र करने की वैधता:

- वर्ष 2013 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या आवाज़ के नमूने एकत्र करना आत्म-अभिशंसन के खिलाफ मौलिक अधिकार अथवा निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा या नहीं।
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 (1) DNA विश्लेषण अथवा शरीर की सामान्य जाँच के लिये नमूने एकत्र करने हेतु पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर एक चिकित्सक द्वारा आरोपी की जाँच या फिर "इस तरह के अन्य आवश्यक परीक्षण" की अनुमति देती है।
  - धारा 53 (1) में "ऐसे अन्य परीक्षण" वाक्यांश को आवाज़ के नमूनों के संग्रह को शामिल करने के समान है। हालाँकि आपराधिक प्रक्रिया कानूनों के तहत आवाज़ के नमूनों के परीक्षण के लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं है क्योंकि यह एक अपेक्षाकृत नया तकनीकी साधन है।
  - वर्ष 2013 के मामले में एक खंडित फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया कि इस उद्देश्य के लिये एक विशिष्ट कानून उपलब्ध नहीं है।
- तीन न्यायाधीशों की बेंच की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाँच के लिये आवाज़ का नमूना एकत्र करने से अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा।
  - इसने माना कि निजता के अधिकार को पूर्ण नहीं माना जा सकता है और इसे सार्वजनिक हित में बदला जाना चाहिये।
  - हाल ही में वर्ष 2022 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले में यह भी पाया गया कि आवाज़ के नमूने उंगलियों के निशान एवं लिखावट से मिलते-जुलते हैं तथा कानून के अनुसार अनुमति के साथ एकत्र किये जाते हैं और पहले से एकत्र किये गए सबूतों की तुलना करने के लिये उपयोग किये जाते हैं।

निजता का अधिकार:

- निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के एक ऐतिहासिक फैसले में निजता और उसके महत्त्व को बताया था कि निजता का अधिकार एक मौलिक एवं अविच्छेद्य अधिकार है तथा उस व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी और उसके द्वारा चुने गए विकल्पों को कवर करने वाले व्यक्ति को जोड़ता है।

पिछले मामले जहाँ आवाज़ के नमूने एकत्र किये गए:

- **भारत:**
  - आवश्यक वस्तु और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) के तहत एक विशेष अदालत ने फरवरी 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा दायर एक याचिका को अनुमति दी थी जिसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स मामले में 33 अभियुक्तों की आवाज़ के नमूने एकत्र करने की मांग की गई थी।
- **अन्य देश:**
  - यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने पहली बार 1950 के दशक में वॉयस आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस की तकनीक का इस्तेमाल किया था।

संविधान की नौवीं अनुसूची

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संविधान की नौवीं अनुसूची में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के उच्च कोटे की अनुमति देने वाले दो संशोधन विधेयकों को शामिल करने की मांग की।

क्या है विधेयक ?

- छत्तीसगढ़ में राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिये 76% कोटा हेतु दो संशोधन विधेयकों को मंज़ूरी दे दी है।
- राज्यपाल ने अभी तक इन विधेयकों को मंज़ूरी नहीं दी है।

विधेयकों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता:

- संविधान की नौवीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नौवीं अनुसूची में दो संशोधन विधेयकों को शामिल करने से वे कानूनी चुनौतियों से मुक्त हो जाएंगे।
- छत्तीसगढ़ सरकार का तर्क है कि नौवीं अनुसूची में संशोधित प्रावधानों को शामिल करना राज्य में पिछड़े और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- इससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 58% कोटा की अनुमति देने वाले एक सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता क्योंकि यह असंवैधानिक है।

नोट :

- हालाँकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को 76% आरक्षण प्रदान करने के लिये राज्य विधानसभा द्वारा दो संशोधन विधेयक पारित किये गए थे।

नौवीं अनुसूची:

- इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है जिसे संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था।
  - पहले संशोधन में अनुसूची में 13 कानूनों को जोड़ा गया था। बाद के विभिन्न संशोधनों सहित वर्तमान में संरक्षित कानूनों की संख्या 284 हो गई है।
- यह नए अनुच्छेद 31B के तहत बनाया गया था, जिसे अनुच्छेद 31A के साथ सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करने और ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने हेतु लाया गया था।
  - अनुच्छेद 31A कानून के 'उपबंधों' को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 31B विशिष्ट कानूनों या अधिनियमों को सुरक्षा प्रदान करता है।
  - जबकि अनुसूची के तहत संरक्षित अधिकांश कानून कृषि/भूमि के मुद्दों से संबंधित हैं, सूची में अन्य विषय भी शामिल हैं।
- अनुच्छेद 31B में एक पूर्वव्यापी संचालन भी है, जिसका अर्थ है कि यदि कानूनों को असंवैधानिक घोषित किये जाने के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, तो उन्हें उनकी स्थापना के बाद से अनुसूची में माना जाता है, अत: उन्हें वैध माना जाता है।
- इस तथ्य के बावजूद कि अनुच्छेद 31B न्यायिक समीक्षा के बाहर है, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कहा है कि नौवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कानून भी समीक्षा के अधीन होंगे यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

क्या नौवीं अनुसूची के कानून न्यायिक जाँच से पूरी तरह मुक्त हैं?

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में निर्णय को बरकरार रखा तथा "भारतीय संविधान की मूल संरचना" की एक नई अवधारणा पेश की और कहा कि, "संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन यह उन संशोधनों को संविधान के बुनियादी ढाँचे से हटा देगा जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं, न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के योग्य हैं"।
- वामन राव बनाम भारत संघ (1981): इस महत्त्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि "वे संशोधन जो 24 अप्रैल, 1973 (जिस पर केशवानंद भारती मामले में निर्णय दिया गया था) से पहले संविधान में किये गए थे, वैध और संवैधानिक हैं लेकिन जो निर्दिष्ट तिथि के बाद बनाए गए थे, उन्हें संवैधानिकता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
- आई आर कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007): यह माना गया था कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद लागू होने पर अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत हर कानून का परीक्षण किया जाना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त न्यायालय ने अपने पिछले निर्णयों को बरकरार रखा और घोषित किया कि किसी भी अधिनियम को चुनौती दी जा सकती है तथा यदि यह संविधान की मूल संरचना के अनुरूप नहीं है तो न्यायपालिका द्वारा जाँच के लिये खुला है।
  - इसके अलावा यह भी कहा गया कि यदि नौवीं अनुसूची के तहत किसी कानून की संवैधानिक वैधता को पहले बरकरार रखा गया है, तो भविष्य में इसे फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती है।

ULB चुनावों में महिला आरक्षण का नगालैंड का विरोध

चर्चा में क्यों?

शहरी स्थानीय निकाय (ULB) चुनावों में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण को लेकर नगालैंड में हालिया विवाद के कारण राज्य में विभिन्न हितधारकों के बीच बहस शुरू हो गई है।

- यह मुद्दा नगालैंड नगरपालिका अधिनियम, 2001 पर केंद्रित है जिसके तहत भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार ULB चुनावों में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण अनिवार्य है।

74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम:

- वर्ष 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यह 1 जून, 1993 को लागू हुआ।
  - इसमें भाग IX-A जोड़ा गया है और अनुच्छेद 243-P से लेकर 243-ZG तक प्रावधान शामिल हैं।
  - इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया। इसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।

ULB चुनावों में महिला आरक्षण का नगालैंड के विरोध का कारण:

- महिलाओं के लिये आरक्षण का विषय परंपरा के खिलाफ:
  - अधिकांश पारंपरिक आदिवासी और शहरी संगठन महिलाओं के लिये सीटों के 33% आरक्षण का विरोध करते हैं, उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 371A द्वारा नगालैंड को प्रदान किये गए विशेष प्रावधानों का उल्लंघन है।

नोट :

- अनुच्छेद 371A के अनुसार,नगालैंड विधानसभा की सहमति के बिना, संसद नगाओं के सामाजिक अथवा धार्मिक रीति-रिवाजों, कानूनी विवादों को हल करने के उनके प्रथागत कानूनों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों को पारित नहीं कर सकती है।

- नगालैंड के शीर्ष आदिवासी निकाय, नगा होहो का तर्क है कि महिलाएँ पारंपरिक रूप से निर्णय लेने वाली संस्थाओं का हिस्सा नहीं रही हैं।
- नगालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ ULB की सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित नहीं हैं।

- **प्रदर्शनकारियों की मांग:**
  - आदिवासी निकायों और नागरिक समाज संगठनों ने तब तक चुनावों का बहिष्कार करने की धमकी दी है जब तक कि नगरपालिका अधिनियम, 2001 में महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए "नगा लोगों की मांग की पूरी तरह से समीक्षा और पुनर्लेखन नहीं किया जाता है" ताकि यह अनुच्छेद 371A का उल्लंघन न करे।
- **नगालैंड में पिछला ULB चुनाव:**
  - नगालैंड में पहला और एकमात्र निकाय चुनाव 2004 में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण के बिना आयोजित किया गया था।
    - वर्ष 2006 में राज्य सरकार ने महिलाओं के लिये 33% आरक्षण को शामिल करने हेतु नगरपालिका अधिनियम 2001 में संशोधन किया, जिसका व्यापक विरोध हुआ और परिणामस्वरूप वर्ष 2009 में ULB चुनावों को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया था।
  - मार्च 2012 में चुनाव कराने के प्रयासों का भी व्यापक विरोध हुआ, साथ ही सितंबर 2012 में राज्य विधानसभा ने नगालैंड को महिलाओं हेतु आरक्षण से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 243T से छूट देने का प्रस्ताव पारित किया।
    - इस प्रस्ताव को वर्ष 2016 में रद्द कर दिया गया था और 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ नागरिक निकायों के चुनावों को एक महीने बाद अधिसूचित किया गया जिस कारण फिर से व्यापक अशांति देखी गई।
    - सरकार ने फरवरी 2017 में चुनावों को शून्य और निरस्त घोषित करने की प्रक्रिया की घोषणा की।

शहरी स्थानीय निकाय (ULB):

- **विषय:**
  - शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) छोटे स्थानीय निकाय हैं जो एक निर्दिष्ट आबादी वाले शहर या कस्बे को प्रशासित या नियंत्रित करते हैं।
  - ULBs के अधिकार क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए कार्यों की एक लंबी सूची है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याण, नियामक कार्य, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और विकास गतिविधियाँ आदि शामिल हैं।
- **संरचना:**
  - शहरी स्थानीय सरकार में आठ प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं।
    - नगर निगम:
  - नगर निगम आमतौर पर बड़े शहरों जैसे- बंगलूरू, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में हैं।
    - नगर पालिका:
  - छोटे शहरों में नगर पालिकाओं का प्रावधान है।
  - नगर पालिकाओं को अकसर अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे- नगर पालिका परिषद, नगर पालिका समिति, नगर पालिका बोर्ड आदि।
    - अधिसूचित क्षेत्र समिति:
  - तेज़ी से विकसित हो रहे कस्बों और मूलभूत सुविधाओं से वंचित कस्बों के लिये अधिसूचित क्षेत्र समितियों का गठन किया जाता है।
  - अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है।
    - नगर क्षेत्र समिति:
  - नगर क्षेत्र समिति की व्यवस्था छोटे शहरों में पाई जाती है।
  - इसे स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज रोड और कंज़र्वेंसी की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है।
    - छावनी बोर्ड:
  - यह आमतौर पर छावनी क्षेत्र में रहने वाली नागरिक आबादी के प्रशासन के लिये स्थापित किया जाता है।
  - इसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और नियंत्रित किया जाता है।
    - टाउनशिप:
  - टाउनशिप संयंत्र के आस-पास स्थापित कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये शहरी सरकार का दूसरा रूप है।
  - इसका कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है और यह केवल नौकरशाही संरचना का विस्तार है।
    - पोर्ट ट्रस्ट:
  - पोर्ट ट्रस्ट मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं।
  - यह पोर्ट (बंदरगाह) का प्रबंधन और देखभाल करता है।

नोट :

- यह उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधाएँ भी प्रदान करता है।
  - विशेष प्रयोजन एजेंसी:
- ये एजेंसियाँ नगर निगमों या नगरपालिकाओं से संबंधित निर्दिष्ट गतिविधियों या विशिष्ट कार्यों को पूरा करती हैं।

संगठन से समृद्धि: DAY-NRLM

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने "संगठन से समृद्धि- किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना (Sangathan Se Samridhhi– Leaving no Rural Woman Behind)" अभियान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups- SHG) के अंतर्गत सभी कमज़ोर और सीमांत ग्रामीण परिवारों को लाना है।

संगठन से समृद्धि अभियान:

- **परिचय:**
  - यह अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास के अंतर्गत लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों की 10 करोड़ महिलाओं को संगठित करना है।
  - इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत सभी कमज़ोर और सीमांत ग्रामीण परिवारों को लाना है, ताकि वे ऐसे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किये जा रहे लाभों को प्राप्त कर सकें।
  - यह अभियान 1.1 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने की विचार के साथ सभी राज्यों में चलाया जाएगा। इसके तहत प्रस्तावित कार्य इस प्रकार हैं:
    - ग्राम संगठनों की सामान्य बैठकें आयोजित करना।
    - स्वयं सहायता समूह चैंपियनों द्वारा अनुभव साझा करते हुए परिवारों को इसमें शामिल करने के लिये प्रेरित करना।
    - सामूहिक संसाधन व्यक्ति अभियान (Community Resource Persondrives) का आयोजन
    - स्वयं सहायता समूह बैंक खाते खोलना तथा अन्य हितधारकों द्वारा संवर्द्धित SHG का सामान्य डाटाबेस तैयार करना।
- **ऐसे अभियान की आवश्यकता:**
  - भारत की कुल आबादी का 65% ग्रामीण आबादी है और इन क्षेत्रों की महिलाओं को भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करने हेतु सभी संभव अवसर प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है।
  - जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएँ SHG का हिस्सा बनेंगी, तो इसका देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

महिला सशक्तीकरण में SHGs की भूमिका:

- **आर्थिक सशक्तीकरण:**
  - SHGs महिला उद्यमियों को उनके व्यवसायों को बनाए रखने हेतु सूक्ष्म ऋण प्रदान करते हैं, साथ ही उनके लिये अधिक अभिकर्तृत्त्व एवं निर्णय लेने के कौशल विकसित करने हेतु एक बेहतर वातावरण भी बनाते हैं।
    - इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च (IFMR) द्वारा वर्ष 2022 के एक अध्ययन के अनुसार, SHGs द्वारा सहायता प्राप्त महिलाओं की नियमित रूप से बचत करने की संभावना 10% अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप अगली पीढ़ी के लिये बेहतर भविष्य की दिशा में काम करते हुए आर्थिक सशक्तीकरण हुआ।
- **महिला उद्यमिता:**
  - SHGs महिला उद्यमियों हेतु उद्यमशीलता प्रशिक्षण, आजीविका संवर्द्धन एवं सामुदायिक विकास से लेकर अन्य सेवाएँ भी प्रदान करते हैं।
  - अकेले महाराष्ट्र में 527,000 SHGs हैं, जो भारत में महिलाओं के नेतृत्त्व वाली सभी छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों का 50% से अधिक हिस्सा है।
    - यह एक स्पष्ट संकेत है कि SHGs महिला उद्यमिता के समग्र विकास का नेतृत्त्व कर सकते हैं।
- **कौशल विकास:**
  - स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का कार्य भी करते हैं। महिलाएँ सिलाई, हस्तशिल्प या खेती की तकनीक जैसे नए कौशल सीख सकती हैं।
  - इससे न केवल उन्हें अपनी आय क्षमता में सुधार करने में मदद मिलती है बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान में भी वृद्धि होती है।
- **सामाजिक अधिकारिता:**
  - स्वयं सहायता समूह महिलाओं को एक साथ आने और अपने अनुभव साझा करने के लिये एक मंच प्रदान करते हैं। इससे महिलाओं में एकजुटता की भावना पैदा होती है तथा सामाजिक बाधाओं को तोड़ने में मदद मिलती है।
  - यह महिलाओं को घरेलू और सामुदायिक स्तर पर निर्णय लेने में भागीदार बनने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें एक पहचान मिलती है और उनका जीवन पर अधिक नियंत्रण होता है।

नोट :

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:

- **विषय:**
  - यह वर्ष 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है।
  - इसका उद्देश्य देश भर में ग्रामीण गरीब परिवारों के लिये अनेक प्रकार की आजीविकाओं को बढ़ावा देने और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को खत्म करना है।
- **कार्य पद्धति:**
  - इसमें स्वयं सहायता की भावना से सामुदायिक पेशेवरों के माध्यम से सामुदायिक संस्थानों के साथ कार्य करना शामिल है जो DAY-NRLM का एक अनूठा प्रस्ताव है।
  - यह आजीविका को प्रभावित करता है, जैसे:
    - ग्रामीण परिवारों को SHGs में संगठित करना।
    - प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना।
    - SHG सदस्यों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता करना।
    - अपने स्वयं के संस्थानों और बैंकों से वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना।
- **उप कार्यक्रम:**
  - महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना: इसका उद्देश्य ऐसे कृषि-पारिस्थितिक प्रथाओं को बढ़ावा देना है जो महिला किसानों की आय में वृद्धि करते हैं और उनकी इनपुट लागत और जोखिम को कम करते हैं।
  - स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP): इसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमों की स्थापना के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन करना है।
  - आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY): AGEY को अगस्त 2017 में शुरू किया गया था, जिसके तहत दूरदराज़ के ग्रामीण गाँवों को जोड़ने के लिये सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
  - दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY): इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्लेसमेंट से जुड़े कौशल प्रदान करना ताकि वे अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत उच्च मज़दूरी वाले रोज़गार प्राप्त कर सकें।
  - ग्रामीण स्वरोज़गार संस्थान (RSETIs): DAY-NRLM, 31 बैंकों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में ग्रामीण युवाओं को लाभकारी स्वरोज़गार स्थापित करने हेतु कुशल बनाने के लिये ग्रामीण स्वरोज़गार संस्थानों (RSETIs) को सहायता प्रदान कर रहा है।
- **परिणाम:**
  - जुलाई 2022 तक 8.35 करोड़ महिलाएँ NRLM से जुड़ी थीं और बैंकों के 5.9 लाख करोड़ रुपए जुड़े थे, जबकि NPA घटकर 2.5% रह गया है।
    - इस योजना में वर्ष 2014 तक 2.35 लाख घरों को शामिल किया गया था जिसमें 9.58% की गैर-निष्पादित संपत्ति (Non-Performing Assets- NPA) के साथ बैंकों द्वारा 80,000 करोड़ रुपए दिये गए थे।
  - मई 2021 तक भारत में 7,83,389 गाँवों में 75 मिलियन सदस्यों के साथ 6.9 मिलियन SHG हैं।
  - NRLM ने ग्रामीण परिवारों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं तक अधिक पहुँच हेतु सक्षम बनाया है।
    - इसने खाद्य सुरक्षा और स्कूलों में नामांकन में सुधार किया है, महिलाओं को खाद्यान्न उत्पादन हेतु भूमि तक पहुँच प्रदान की है तथा दहेज, बाल विवाह एवं लड़कियों के खिलाफ भेदभाव जैसे मुद्दों पर महिला समूहों पर प्रभाव डाला है।

पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 जारी किया है। यह नियम पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का स्थान लेगा, जिसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत जारी किया गया है

पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023:

- **पृष्ठभूमि:**
  - नवंबर 2022 तक संसद में पेश किये गए आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 और 2022 के बीच भारत में स्ट्रीट डॉग/ कुत्तों के काटने के 160 मिलियन मामले दर्ज किये गए।
  - जिससे कुत्ते के मालिक, कुत्ते के भोजन और देखभाल करने वालों के खिलाफ प्रतिशोध के कृत्यों के साथ-साथ शहरी निवासियों के बीच संघर्ष भी बढ़ गया है।
- **प्रावधान:**
  - नियमों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और आवारा पशुओं को होने वाली परेशानियों के उन्मूलन के लिये लोगों से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है।

नोट :

- सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि कुत्तों के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

- नियमों का उद्देश्य पशु जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रमों के माध्यम से आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करना है।
  - एबीसी कार्यक्रमों को चलाने की ज़िम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों और पंचायतों की है।
  - नगर निगमों को ABC और एंटी रेबीज़ कार्यक्रम को संयुक्त रूप से लागू करने की आवश्यकता है।
- यह एक क्षेत्र में कुत्तों को स्थानांतरित किये बिना मानव और आवारा कुत्तों के संघर्ष से निपटने के तरीके पर दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- यह पशु कल्याण सुनिश्चित करने, ABC कार्यक्रमों को चलाने में शामिल क्रूरता को संबोधित करने पर भी महत्त्व देता है।

रेबीज़

- **परिचय:**
  - रेबीज़ एक वैक्सीन द्वारा रोकथाम योग्य ज़ूनोटिक विषाणु जनित बीमारी है।
    - एशिया और अफ्रीका में 95% से अधिक मानव मौतें इसके कारण होती हैं और यह बीमारी अंटार्कटिक को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर देखी गई है।
- **कारण:**
  - यह राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA) वायरस के कारण होता है जो पागल जानवर (कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि) की लार में मौजूद होता है।
  - यह एक संक्रमित पशु के काटने के बाद अनिवार्य रूप से फैलता है जिससे घाव में लार और वायरस का प्रवेश होता है।
    - WHO के अनुसार, कुत्ते मानव रेबीज़ से होने वाली मौतों का मुख्य स्रोत हैं, जो मनुष्यों को रेबीज़ के सभी संचरणों में 99% तक योगदान देते हैं।
- **भारत में रेबीज़ की स्थिति:**
  - भारत रेबीज़ के लिये स्थानिक है एवं विश्व में रेबीज़ से होने वाली कुल मौतों में 36% मौतें भारत में देखी गई हैं।
  - WHO के अनुसार, भारत में रिपोर्ट किये गए रेबीज़ के लगभग 30-60% मामले और मौतों में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं, क्योंकि जानवर के काटने के कारण बच्चों में उत्पन्न होने वाले लक्षणों की पहचान करना मुश्किल है और इसकी रिपोर्ट भी नहीं की जाती है।
- **उपचार:**
  - रेबीज़ को पालतू जानवरों का टीकाकरण कर, वन्य जीवन से दूर रखकर तथा लक्षणों के शुरू होने से पहले संभावित जोखिम को चिकित्सा देखभाल प्रदान करके रोका जा सकता है
- **रेबीज़ नियंत्रण से संबंधित पहल:**
  - वैश्विक:
    - यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज़ फोरम: UAR फोरम विभिन्न संगठनों, मंत्रालयों एवं देशों के वैश्विक विशेषज्ञों को एक साथ लाता है ताकि वे वर्ष 2030 तक रेबीज़ के कारण होने वाली मृत्यु को शून्य तक लाने के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने हेतु विशिष्ट उद्देश्यों एवं गतिविधियों की दिशा में काम कर सकें।
  - भारत की पहल:
    - वर्ष 2030 तक कुत्तों से होने वाले रेबीज़ के उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan For Dog Mediated Rabies Elimination- NAPRE): NAPRE को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) द्वारा मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया था।
    - रेबीज़ के उन्मूलन हेतु इसका दृष्टिकोण विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं रेबीज़ नियंत्रण के वैश्विक गठबंधन (GARC) जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सिफारिशों पर आधारित है।

निष्कर्ष:

- भारत वन हेल्थ नेटवर्क बनाने के लिये उत्सुक है, यह न केवल रेबीज़ बल्कि पशु और मानव स्वास्थ्य तथा अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय एवं संचार के माध्यम से मानव-पशु-पर्यावरण इंटरफेस पर कई स्वास्थ्य जोखिमों की निगरानी तथा स्वास्थ्य प्रणाली को भी मज़बूत करेगा।

हृदय रोग हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कुछ विशेषज्ञों ने हृदय रोग को रोकने हेतु बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग टेस्ट का सुझाव दिया है।

स्क्रीनिंग टेस्ट:

- **परिचय:**
  - स्क्रीनिंग या शुरुआती पहचान का मुख्य लक्ष्य ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना है जिन्हें कोई बीमारी हो सकती है, साथ ही अतिरिक्त परीक्षण द्वारा इसकी पुष्टि करना है।

नोट :

- स्क्रीनिंग टेस्ट सामान्यत: सस्ते होते हैं और इन्हें बड़े पैमाने पर संचालित करना आसान होता है, जबकि पुष्टि परीक्षण संसाधन गहन होते हैं।

- स्क्रीनिंग का व्यापक लक्ष्य लक्षणों के प्रकट होने से पहले प्रारंभिक चरण में ही हृदय रोगों का पता लगाना है, ताकि भविष्य में दिल के दौरे या अचानक हृदय आघात के कारण मृत्यु के जोखिम को कम करने के लिये निवारक उपाय किये जा सकें।
- हृदय रोगों के लिये स्क्रीनिंग टेस्ट में रक्तचाप मापन, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ECG (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम) आदि शामिल हैं।
- ये परीक्षण हृदय रोग, अनियमित हृदय स्पंदन, हृदय की संरचना या कार्य संबंधी अनियमितताओं के जोखिम की पहचान करने में मदद कर सकते हैं।

- **आवश्यकता:**
  - इससे पहले कि हृदय रोग जीवन के लिये खतरा बन जाए इसके अंतर्निहित जोखिम कारकों या हृदय रोग के लक्षणों का पता लगाने के लिये स्क्रीनिंग टेस्ट आवश्यक है।
    - हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने वाली कोरोनरी धमनी के अचानक अवरुद्ध होने से दिल का दौरा पड़ सकता है, जो घातक भी हो सकता है।
  - स्क्रीनिंग टेस्ट की सहायता से उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, अनियमित धड़कन गति जैसे जोखिम कारकों की पहचान की जा सकती है, इससे हृदय रोग को अधिक गंभीर रूपों में विकसित होने से पहले ही जीवनशैली में बदलाव, दवा या अन्य सुरक्षात्मक उपायों की मदद से प्रबंधित किया जा सकता है।

बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग से संबंधित चुनौतियाँ:

- **प्रक्रियात्मक जोखिम की संभावना:**
  - स्क्रीनिंग टेस्ट जोखिमों के अंतर्गत प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ (परीक्षण कैसे किये जाते हैं) और गलत लेबलिंग शामिल हैं।
    - उदाहरण के लिये जब बिना लक्षण वाले युवा रोगियों में स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में स्ट्रेस ECG का उपयोग किया जाता है तब इससे प्राप्त कई परिणाम गलत होते हैं।
  - यह अनावश्यक चिंता का कारण बनता है और इसके निष्कर्षों/परिणामों की पुष्टि करने अथवा अस्वीकार करने के लिये और भी कई जाँच/ परीक्षण कराने पड़ सकते हैं।
- **अतिरिक्त जोखिम और लागत:**
  - स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी/रेडियोन्यूक्लाइड टेस्ट और सीटी एंज़ियोग्राफी जैसे परीक्षण ईसीजी की तुलना में हृदयघात के उच्च जोखिम वाले लोगों का सटीक पता लगा सकते हैं लेकिन गलत परिणामों से जुड़े जोखिम भी हो सकते हैं, जिसमें अनावश्यक परीक्षण और अतिरिक्त लागत शामिल हैं।
    - वर्ष 2022 में प्रकाशित एक डेनिश अध्ययन से पता चला है कि हृदयघात के उच्च जोखिम वाले लोगों को सीटी स्कैन सहित अतिरिक्त परीक्षणों से कोई लाभ नहीं हुआ।
- **परीक्षण तक पहुँच का अभाव:**
  - भारत में जनसंख्या का एक महत्त्वपूर्ण भाग (लगभग 25-30%) 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का है। हालाँकि भारत के अधिकांश ज़िला अस्पतालों और कुछ मेडिकल कॉलेजों में स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, रेडियोन्यूक्लाइड टेस्ट और सीटी एंज़ियोग्राफी जैसे इमेजिंग परीक्षणों तक पहुँच नहीं है।
    - इसके अतिरिक्त ये परीक्षण अपेक्षाकृत महँगे हैं, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में इनकी लागत 6,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होती है।
  - जनता के लिये इन परीक्षणों की पहुँच को ध्यान में रखना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढाँचा ही सकारात्मक परीक्षण परिणाम प्राप्त कर व्यक्तियों के इलाज में सक्षम है।

हृदय रोग से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- **विषय:**
  - हृदय रोग (CVDs) हृदय और रक्त वाहिकाओं के विकारों का एक समूह है तथा इसमें कोरोनरी हृदय रोग, प्रमस्तिष्कीय वाहिकी रोग, आमवाती हृदय रोग एवं अन्य स्थितियाँ शामिल हैं।
  - CVDs विश्व स्तर पर मौत का प्रमुख कारण है, WHO के अनुसार, वर्ष 2019 में अनुमानित 17.9 मिलियन लोगों की जान गई।
  - प्रति पाँच में से चार से अधिक मौतें दिल के दौरे और स्ट्रोक के कारण होती हैं तथा इनमें से एक-तिहाई मौतें 70 वर्ष से कम उम्र के मामले में लोगों में देखी जाती हैं।
  - भारत में हृदय रोग (CVD) संबंधी कुल वार्षिक आर्थिक व्यय लगभग 6 ट्रिलियन रुपए है।
- **भारतीय पहल:**
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक (NPCDCS) की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।
  - रोगियों को रियायती कीमतों पर कैंसर और हृदय रोग की दवाएँ तथा प्रत्यारोपण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 159 संस्थानों/अस्पतालों में सस्ती दवाएँ एवं उपचार के लिये विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) दीनदयाल आउटलेट खोले गए हैं।

नोट :

- जन औषधि स्टोर की स्थापना फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराने हेतु की जाती है।
- एसटी-एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन (STEMI) परियोजना: महाराष्ट्र सरकार ने हृदय रोग के तेज़ी से निदान को सक्षम बनाने हेतु वर्ष 2021 में NHM द्वारा मान्यता प्राप्त STEMI कार्यक्रम की शुरुआत की।
  - एसटी-एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन (STEMI) एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय की मांसपेशियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने वाली हृदय की प्रमुख धमनियों में से एक पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है।

आगे की राह

- स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, रेडियोन्यूक्लाइड टेस्ट और सीटी एंज़ियोग्राफी जैसे आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का उपयोग उन लोगों के एक छोटे समूह तक सीमित होना चाहिये जिन्हें इस्केमिक हृदय रोग का अधिक खतरा है।
- उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में तंबाकू के उपयोग, मोटापे, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया और प्रारंभिक हृदय रोग के पारिवारिक इतिहास जैसे ज्ञात जोखिम कारकों हेतु स्क्रीनिंग द्वारा पहचाना जा सकता है।
  - हालाँकि हृदय संबंधी मौतों को रोकने के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण सभी उम्र की आबादी के बीच स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना है।
- ज्ञात जोखिम कारकों हेतु सरल परीक्षण सस्ते व व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और ज़िला अस्पतालों में मानक कार्यकारी जाँच के दौरान किये जा सकते हैं।

उड़ान 5.0 योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना- उड़ान (UDAN 5.0) के पाँचवें चरण की शुरुआत की है।

उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना:

- **परिचय:**
  - इस योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये की गई थी।
  - यह राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 का एक हिस्सा है।
  - यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिये लागू है।
- **उद्देश्य:**
  - भारत के दूरस्थ और क्षेत्रीय क्षेत्रों के लिये हवाई संपर्क एवं यात्रा में सुधार करना।
  - दूर-दराज़ के क्षेत्रों का विकास तथा व्यापार-वाणिज्य में वृद्धि एवं पर्यटन का विस्तार करना।
  - आम लोगों को सस्ती दरों पर हवाई यात्रा करने में सक्षम बनाना।
  - विमानन क्षेत्र में रोज़गार सृजन।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - योजना के अनुसार, एयरलाइंस को सभी सीटों के 50% के लिये 2,500 रुपए प्रति उड़ान प्रति घंटे का मूल्य प्रतिबंध निर्धारित करना चाहिये।
  - इसे हासिल करने का माध्यम:
    - केंद्र और राज्य सरकारों एवं हवाई अड्डे के संचालकों से रियायतों के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन।
    - व्यवहार्यता अंतराल अनुदान (Viability Gap Funding- VGF)- संचालन की लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच अंतर को समाप्त करने हेतु एयरलाइंस को प्रदान किया जाने वाला सरकारी अनुदान।
  - योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्षेत्रीय कनेक्टिविटी अनुदान (Regional Connectivity Fund- RCF) की व्यवस्था की गई थी।
  - भागीदार राज्य सरकारें (केंद्रशासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा जहाँ योगदान 10% होगा) इस अनुदान में 20% हिस्सा देंगी।
- **योजना के पूर्व चरण:**
  - चरण 1 को वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में अनुपयोगी और असेवित हवाईअड्डे को शुरू करना था।
  - चरण 2 को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के अधिक दूरस्थ और दुर्गम हिस्सों में हवाई संपर्क का विस्तार करना था।
  - चरण 3 को नवंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें देश के पहाड़ी और दूरदराज़ के क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
  - उड़ान योजना का चरण 4 दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था, जिसमें द्वीपों और देश के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- **उड़ान 5.0 के प्रमुख बिंदु:**
  - यह श्रेणी-2 (20-80 सीट) और श्रेणी-3 (>80 सीट) एयरक्राफ्ट पर केंद्रित है।

नोट :

- इसमें यान की उड़ान के आरंभ और गंतव्य के बीच की दूरी पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- प्रदान किये जाने वाले VGF को प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले दोनों क्षेत्रों के लिये 600 किमी. की दूरी तक निर्धारित किया जाएगा; पहले यह दूरी 500 किमी. थी।
- इसमें कोई पूर्व निर्धारित मार्ग निर्धारण नहीं किया जाएगा; एयरलाइंस द्वारा प्रस्तावित केवल नेटवर्क और व्यक्तिगत रूट प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
- एक ही मार्ग को एक ही एयरलाइन को एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा, चाहे वह अलग-अलग नेटवर्क में हो या एक ही नेटवर्क में।
- यदि लगातार चार तिमाहियों के लिये औसत त्रैमासिक पैसेंजर लोड फैक्टर (PLF) 75% से अधिक है, तो किसी एयरलाइन को प्रदान किये गए संचालन का विशेषाधिकार वापस ले लिया जाएगा।
  - ऐसा किसी मार्ग पर एकाधिकार को रोकने के लिये किया गया है।
- एयरलाइनों को मार्ग आवंटित किये जाने के 4 महीने के भीतर परिचालन शुरू करना होगा; पहले यह समयसीमा 6 महीने थी।
- एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के रूट हेतु नोवेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ प्रोत्साहित किया गया है।
  - नोवेशन- मौजूदा अनुबंध को प्रतिस्थापन अनुबंध के साथ प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है, जहाँ अनुबंध करने वाले पक्ष आम सहमति पर पहुँचते हैं।

उड़ान योजना की उपलब्धियाँ:

(नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अगस्त 2022 में जारी आँकड़ों के अनुसार)

- यह योजना टीयर-2 और टीयर-3 शहरों को किफायती हवाई किराये पर उचित मात्रा में हवाई संपर्क प्रदान करने में भी सक्षम रही है और इससे पहले यात्रा करने का तरीका बदल गया है।
- परिचालित हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 के 74 से बढ़कर 141 हो गई है।
- उड़ान योजना के तहत 58 हवाई अड्डे, 8 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 68 अल्पसेवित/असेवित गंतव्यों को जोड़ा गया है।
- उड़ान ने देश भर में 425 नए मार्गों की शुरुआत के साथ 29 से अधिक राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को हवाई संपर्क प्रदान किया है।
- एक करोड़ से अधिक यात्रियों ने इस योजना का लाभ उठाया है।

The Vision

नोट :

लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023

चर्चा में क्यों ?

विश्व बैंक द्वारा जारी किये गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) 2023 में 139 देशों के सूचकांक में भारत अब 38वें स्थान पर है।

- वर्ष 2018 और 2014 में भारत क्रमशः 44वें और 54वें स्थान पर था। अतः प्रगति के संदर्भ में वर्तमान में भारत की रैंक काफी बेहतर है।
- इससे पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) रिपोर्ट 2022 जारी की थी।

लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक:

- LPI विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है।
  - यह देशों को व्यापार लॉजिस्टिक के प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है।
- यह विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला कड़ियों और इसे सक्षम करने वाले मूलभूत घटकों को स्थापित करने की सुलभता का आकलन करता है। लॉजिस्टिक की प्रभावशीलता का आकलन 6 कारकों के आधार पर किया जाता है:

नोट :

- सीमा शुल्क प्रदर्शन
- आधारभूत संरचना की गुणवत्ता
- शिपमेंट की सुलभ व्यवस्था
- लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता
- प्रेषित वस्तु की ट्रैकिंग और अनुरेखण
- शिपमेंट की समयबद्धता

- विश्व बैंक ने वर्ष 2010 से 2018 तक प्रत्येक दो वर्ष में LPI जारी किया, जिसमें कोविड-19 महामारी और सूचकांक पद्धति में संशोधन के कारण वर्ष 2020 में देरी हुई। रिपोर्ट अंततः वर्ष 2023 में प्रकाशित की गई।
  - पहली बार LPI में 2023 शिपमेंट पर नज़र रखने वाले बड़े डेटाबेस से उत्पन्न मेट्रिक्स का उपयोग करके व्यापार की गति का विश्लेषण किया गया है, जिससे 139 देशों में तुलना की जा सकती है।

भारत द्वारा बेहतर लॉजिस्टिक प्रदर्शन हेतु अपनाई गई नीति:

- **नीतिगत हस्तक्षेप:**
  - PM गति शक्ति पहल: अक्तूबर 2021 में सरकार ने PM गति शक्ति पहल की घोषणा की, जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हेतु एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है।
    - इस पहल का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना और वर्ष 2024-25 तक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
  - राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति (National Logistics Policy- NLP): प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति (NLP) की शुरुआत की, ताकि अंतिम छोर तक समयबद्ध वितरण, परिवहन संबंधी चुनौतियों का अंत, विनिर्माण क्षेत्र हेतु समय और धन की बचत एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में वांछित गति सुनिश्चित की जा सके।
  - ये नीतिगत हस्तक्षेप लाभदायक हैं, जिन्हें LPI और इसके अन्य मापदंडों में भारत की निरंतर प्रगति में देखी जा सकती है।
- **बुनियादी ढाँचे में सुधार:**
  - LPI रिपोर्ट के अनुसार, भारत का बुनियादी ढाँचा स्कोर वर्ष 2018 में 52वें स्थान से पाँच स्थान बढ़कर वर्ष 2023 में 47वें स्थान पर पहुँच गया।
  - सरकार ने व्यापार से संबंधित सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है जो दोनों तटों पर स्थित पोर्ट गेटवे को देश के आंतरिक क्षेत्रों में स्थित प्रमुख आर्थिक केंद्रों से जोड़ता है।
    - इस निवेश से भारत को लाभ हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में भारत वर्ष 2018 के 44वें स्थान से वर्ष 2023 में 22वें स्थान पर पहुँच गया है।
- **प्रौद्योगिकी की भूमिका:**
  - भारत की रसद आपूर्ति के सुधार में प्रौद्योगिकी एक महत्त्वपूर्ण घटक रही है।
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत सरकार ने एक आपूर्ति श्रृंखला दृश्यता मंच लागू किया है, जिसने आपूर्ति में लगने वाले अधिक समय में उल्लेखनीय कमी लाने में योगदान दिया है।
    - NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज़ लिमिटेड कंटेनरों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लागू करता है जिससे रसद आपूर्ति श्रृंखला के दौरान एंड-टू-एंड ट्रैकिंग की जाती है।
  - रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के कारण भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ विकसित देशों को पीछे छोड़ रही हैं।
- **ड्वेल टाइम में कमी:**
  - ड्वेल टाइम यानी जहाज़ किसी विशिष्ट बंदरगाह या टर्मिनल पर कितना समय व्यतीत करता है। यह उस समय को भी संदर्भित करता है जो एक कंटेनर या कार्गो को जहाज़ पर लादे जाने से पहले या जहाज़ से उतारने के बाद एक बंदरगाह या टर्मिनल पर ठहराव में व्यतीत होता है।
    - भारत का बहुत कम ड्वेल टाइम (2.6 दिन) इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे देश ने अपनी आपूर्ति के प्रदर्शन में सुधार किया है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, भारत और सिंगापुर के लिये मई एवं अक्तूबर 2022 के बीच कंटेनरों के औसत ठहराव का समय 3 दिन था, जो कि कुछ औद्योगिक देशों की तुलना में काफी बेहतर है।
    - अमेरिका के लिये ठहराव का समय 7 दिन था और जर्मनी हेतु यह 10 दिन था।
  - कार्गो ट्रैकिंग की शुरुआत के साथ विशाखापत्तनम के पूर्वी बंदरगाह में ठहराव का समय वर्ष 2015 में 32.4 दिनों से घटकर वर्ष 2019 में 5.3 दिन हो गया।

लॉजिस्टिक से संबंधित भारत की पहलें:

- माल का बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993
- मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
- सागरमाला परियोजना
- भारतमाला परियोजना

नोट :

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अभियुक्त की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उसने अपने विरुद्ध बिहार में दर्ज प्राथमिकियों को तमिलनाडु की प्राथमिकी से जोड़ने की मांग की थी।

- आरोपी कथित तौर पर कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के तहत तमिलनाडु में बिहार के मज़दूरों पर हमले के बारे में फर्जी खबर फैला रहा था।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980:

- **विषय:**
  - NSA सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिये वर्ष 1980 में बनाया गया एक निवारक निरोध कानून है।
  - निवारक निरोध कानून भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने और/या भविष्य में अभियोजन से बचने के लिये उसे हिरासत में लेना है।
    - संविधान का अनुच्छेद 22 (3) (b) राज्य को सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है।
    - अनुच्छेद 22(4) में कहा गया है कि निवारक नज़रबंदी का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिये हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा।
- **सरकार की शक्तियाँ:**
  - NSA केंद्र या राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करने से रोकने के लिये उसे हिरासत में ले सकता है।
  - सरकार किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने या समुदाय के लिये आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिये भी हिरासत में ले सकती है।
- **कारावास की अवधि:**
  - इसके तहत हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि 12 महीने है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना:**
  - यह अधिनियम एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन का भी प्रावधान करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC):

- **परिचय:**
  - भारत में NSC एक उच्च स्तरीय निकाय है जो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक नीति और रक्षा से संबंधित मामलों पर सलाह देता है।
    - 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' (NSC) एक त्रिस्तरीय संगठन है, जो सामरिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों को देखता है।
  - प्रधानमंत्री NSC का अध्यक्ष होता है।
  - इसका गठन वर्ष 1998 में किया गया था और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करता है।
- **सदस्य:**
  - राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)
  - चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)
  - उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
  - रक्षा मंत्री
  - विदेश मंत्री
  - गृह मंत्री
  - वित्त मंत्री
  - नीति आयोग का उपाध्यक्ष
- **कार्य:**
  - NSC भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकारी कार्यालय के तहत संचालित है, सरकार की कार्यकारी शाखा और खुफिया सेवाओं के बीच संपर्क सुनिश्चित करता है एवं खुफिया तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर नेतृत्त्व को सलाह देता है।
    - यह देश की सुरक्षा स्थिति की नियमित समीक्षा भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर नीतिगत बदलावों पर प्रधानमंत्री को सिफारिशें करता है।
  - यह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित देश की सुरक्षा में शामिल विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करता है।
  - यह उभरते सुरक्षा खतरों का विश्लेषण कर सरकार को प्रारंभिक चेतावनी देता है और विभिन्न आकस्मिक सुरक्षा संबंधी योजनाएँ तैयार करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की आलोचना:

- **शक्ति का दुरुपयोग:** NSA की प्रमुख चुनौतियों में से एक अधिकारियों द्वारा इसका संभावित दुरुपयोग है। कानून सरकार को एक वर्ष तक बिना मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने की शक्ति देता है।

नोट :

- असहमति को दबाने या राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिये अधिकारियों द्वारा इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है।

- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** यदि NSA का दुरुपयोग किया जाता है, तो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
  - कानून मुकदमे के बिना निवारक निरोध का प्रावधान करता है, जिसे निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है।
- **पारदर्शिता की कमी:** NSA के साथ एक और चुनौती निरोध/कारावास प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है।
  - बंदियों को अक्सर उनके कारावास के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है और कारावास आदेशों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। पारदर्शिता की इस कमी से अधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है।
- **कानूनी चुनौतियाँ:** आलोचकों ने तर्क दिया है कि कानून असंवैधानिक है और भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
  - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी NSA के तहत जारी किये गए कई हिरासत आदेशों को रद्द कर दिया है।
- **सीमित प्रभावशीलता:** हालाँकि NSA का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरों को रोकना है, इसके बावजूद इसकी प्रभावशीलता सीमित है।
- साथ ही यह भी ध्यान देने की बात है कि बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्तियों को हिरासत में लेने से खतरे को रोकने के बजाय कुछ मामलों में यह व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाकर समस्या को बढ़ा भी सकता है।

आगे की राह

- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** हिरासत में लिये गए लोगों को उनके कारावास के कारणों की जानकारी देकर और निरोध आदेशों को सार्वजनिक करके सरकार को निरोध प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिये। इससे अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।
- **सख्त कार्यान्वयन:** अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि NSA को कानून के अनुसार, सख्ती से लागू किया जाए और राजनीतिक विरोधियों को लक्षित करने या असहमति को दबाने हेतु इसका दुरुपयोग न किया जाए।
- **न्यायिक निरीक्षण को मज़बूत करना:** NSA के तहत निवारक निरोध आदेशों के न्यायिक निरीक्षण को यह सुनिश्चित करने हेतु मज़बूत किया जाना चाहिये कि वे मनमाने या असंवैधानिक नहीं हैं।
- **खुफिया जानकारी एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करना:** सरकार को खुफिया जानकारी एकत्र करने और अन्य उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो कि निवारक निरोध का सहारा लिये बिना राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरों को रोकने में मदद कर सकते हैं।

VVPAT मशीनें

चर्चा में क्यों ?

मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों में पारदर्शिता की कमी एवं इसकी खामियों तक राजनीतिक दलों की अपर्याप्त पहुँच के कारण भारत निर्वाचन आयोग की आलोचना की गई थी।

निर्वाचन आयोग (EC) की आलोचना:

- निर्वाचन आयोग ने 6.5 लाख VVPAT मशीनों को दोषपूर्ण के रूप में पहचानने के बारे में राजनीतिक दलों को सूचित नहीं किया है।
  - जिन मशीनों में खामियाँ पाई गई हैं, उनकी संख्या वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई कुल मशीनों की संख्या के 1/3 (37%) से अधिक है तथा ये पिछले आम चुनाव एवं बाद के विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित कर सकती थीं।
  - विभिन्न निर्माताओं के पूरे बैच में लगातार क्रम संख्या वाले हज़ारों VVPAT खराब पाए गए हैं।
  - खामियाँ इतनी गंभीर हैं कि मशीन निर्माताओं को वापस कर दी गई हैं।
- निर्वाचन आयोग ने उन मानक संचालन प्रक्रियाओं (आदर्श आचार संहिता) का पालन नहीं किया, जिन्हें पैनल ने अपने लिये तैयार किया था, इसके तहत फील्ड अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर किसी भी दोष की पहचान करने की आवश्यकता होती है।
  - निर्वाचन आयोग द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित कर निर्वाचन प्रक्रिया में जनता के विश्वास एवं भरोसे को बहाल करने की ज़रूरत है।

VVPAT मशीन:

- **परिचय:**
  - VVPAT इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Electronic Voting Machines- EVM) से संबंधित एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उचित तरीके से दर्ज किया गया है।
    - VVPAT मशीन EVM पर बटन को क्लिक करने के बाद लगभग 7 सेकंड हेतु मतदाता द्वारा चुनी गई पार्टी के नाम एवं प्रतीक के साथ पर्ची को प्रिंट करती है।

नोट :

- VVPAT मशीनों को पहली बार भारत में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में उपयोग किया गया था, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना एवं EVM की सटीकता के बारे में संदेह को खत्म करना था।
  - VVPAT मशीनों तक केवल मतदान अधिकारी ही पहुँच सकते हैं।
- ECI के अनुसार, EVM और VVPAT अलग-अलग संस्थाएँ हैं जो किसी भी नेटवर्क से जुड़ी नहीं हैं।

- **चुनौतियाँ:**
  - तकनीकी खराबी:
    - VVPAT मशीनों के संदर्भ में प्राथमिक चिंताओं में से एक तकनीकी खराबी की संभावना है। मशीनों को मतदाता द्वारा डाले गए वोट की एक कागज़ी रसीद प्रिंट करनी होती है, जिसे बाद में एक बॉक्स में जमा कर दिया जाता है।
    - हालाँकि मशीनों के खराब होने के उदाहरण सामने आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप गलत प्रिंटिंग हो गई है या कोई प्रिंटिंग नहीं हुई है।
  - पेपर ट्रेल्स का सत्यापन:
    - एक अन्य चुनौती VVPAT मशीनों द्वारा उत्पन्न पेपर ट्रेल्स का सत्यापन है।
  - भले ही वोटिंग मशीनों को वोट का भौतिक रिकॉर्ड प्रदान करने के लिये अभिकल्पित किया गया है, परंतु यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि इस रिकॉर्ड की पुष्टि कैसे की जा सकती है, खासकर जब भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बीच असमानता हो।
  - मतदाताओं का विश्वास:
    - खराब VVPAT मशीनों की हालिया रिपोर्टों के कारण चुनावी प्रक्रिया मं जनता के विश्वास में और अधिक कमी आई है।
    - चुनाव आयोग की ओर से पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण चुनावों की निष्पक्षता एवं सटीकता पर सवाल उठने लगे हैं।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग मामले (2013) में कहा था कि "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिये VVPAT अनिवार्य" है।

आगे की राह

- **नियमित देखभाल:**
  - तकनीकी खराबी के मुद्दे को हल करने का एक तरीका यह है कि मशीनों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। निर्वाचन आयोग को समय-समय पर मशीनों में किसी भी गड़बड़ी की पहचान करने और उसे दूर करने के लिये नियमित रखरखाव तथा परीक्षण की एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिये।
- **पारदर्शिता में वृद्धि:**
  - पेपर ट्रेल्स के सत्यापन संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये निर्वाचन आयोग को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता में वृद्धि करनी चाहिये। यह राजनीतिक दलों और जनता को VVPAT मशीनों के कामकाज़ एवं सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करके किया जा सकता है।
- **जवाबदेही:**
  - निर्वाचन आयोग को दोषपूर्ण VVPAT मशीनों की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये और यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने चाहिये कि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों।
    - मशीनों के रखरखाव और परीक्षण के लिये ज़िम्मेदार लोगों की जवाबदेही हेतु प्रणाली स्थापित करके इसे सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **अनुसंधान और विकास:**
  - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान और विकास को जारी रखने की आवश्यकता है। चुनावी प्रक्रिया की सटीकता, सुरक्षा एवं पारदर्शिता में सुधार हेतु नई तकनीकों तथा नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

खेल प्रशासन और मुद्दे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में खेल प्रशासन संबंधी

चिंताओं के आलोक में महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ (Wrestling Federation of India- WFI) के अध्यक्ष पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जाँच करने का फैसला लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिपण्णी:

- न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने के संबंध में पहलवानों द्वारा दायर याचिका की जाँच करने का फैसला किया है और मामले को आगे की सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया है।
  - न्यायालय ने बताया कि याचिकाकर्त्ता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 का उपयोग करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच के आदेश की मांग कर सकते हैं।
- न्यायालय ने पाया कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के संबंध में याचिका दायर किया जाना एक गंभीर आरोप है, साथ ही यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के अपने कर्त्तव्य के प्रति सचेत है जो व्यक्तियों को अनुमति देता है कि वे न्याय के लिये शीर्ष न्यायालय का रुख करें।

भारत में खेल शासन का वर्तमान मॉडल:

- **भारत में खेलों के शासन के मौजूदा दो मॉडल हैं:**
  - पहला- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports- MYAS) द्वारा नियंत्रित एवं भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) जैसे संस्थान तथा अन्य संस्थान SAI के तहत खेल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं।
  - दूसरा- भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्षता में राज्य ओलंपिक संघ (SOAs) और राष्ट्रीय एवं राज्य खेल संघ (NSFs और SFs)।
- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय NSF एवं SFs को वित्तीय तथा ढाँचागत सहायता प्रदान करता है और अप्रत्यक्ष रूप से इन संघों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से नियंत्रित करता है।
- IOA एक अंब्रेला निकाय है जिसके तहत NSF, SF और SOAs देश में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है।
- उनके बीच व्यवस्थाओं का चित्रण इस प्रकार है:

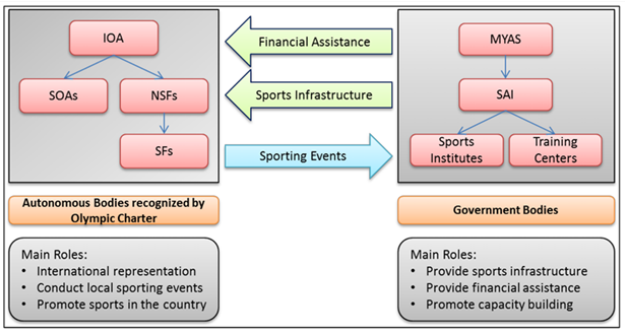

खेलों में सुशासन के लिये कायदे कानून:

- **खेल संहिता 2011:**
  - राष्ट्रीय खेल संघों के सुशासन से संबंधित सभी अधिसूचनाओं और निर्देशों को समायोजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा इस संहिता को अधिसूचित किया गया था।
  - यह नियमों का एक समूह है, जो 'सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों' को प्रतिपादित करता है।
  - यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के साथ-साथ पारदर्शी कामकाज़ की परिकल्पना के अतिरिक्त संघों के पदाधिकारियों की आयु एवं कार्यकाल पर प्रतिबंध लगाता है।
    - इस संहिता के अनुसार, कानून की व्यवस्था का पालन न करना जनहित के विरुद्ध है।
- **सुशासन हेतु मसौदा राष्ट्रीय संहिता:**
  - भारत में खेल संगठनों के प्रबंधन और संचालन हेतु सुझाए गए दिशा-निर्देशों का एक संग्रह राष्ट्रीय खेल सुशासन संहिता 2017 दस्तावेज़ के मसौदे में शामिल है।
  - इसमें पदाधिकारियों हेतु आयु और कार्यकाल का निर्धारण, गवर्निंग बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति, पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव तथा खेल निकायों में पारदर्शिता व जवाबदेही में सुधार संबंधी अन्य उपाय शामिल हैं।

नोट :

भारत में खेल शासन से संबंधित मुद्दे:

- **अस्पष्ट अधिकार और उत्तरदायित्व:**
  - भारतीय खेलों में प्रबंधन और प्रशासन को प्राय: स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जाता है। कार्यकारी समिति, जिसे प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, प्रबंधन कार्य करना बंद कर देती है।
  - यह चेक एंड बैलेंस की कमी उत्पन करता है, क्योंकि उन्हें निरीक्षण या उत्तरदायित्व के बिना काम करने की अनुमति है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव:**
  - वर्तमान खेल मॉडल में असीमित शक्तियों और निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी के कारण उत्तरदायित्व का अभाव है। साथ ही अनियमित राजस्व प्रबंधन के मुद्दे भी शामिल हैं।
    - उदाहरण के लिये जुलाई 2010 में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पाया गया कि भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों की 14 परियोजनाओं में अनियमितताएँ थीं।
    - वर्ष 2013 का इंडियन प्रीमियर लीग स्पॉट फिक्सिंग एवं सट्टेबाज़ी का मामला तब सामने आया जब दिल्ली पुलिस ने कथित स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में तीन क्रिकेटरों को गिरफ्तार किया।
- **गैर-पेशेवरीकरण:**
  - भारतीय खेल संगठन, विशेष रूप से शासी निकाय, पेशेवर और व्यावसायिक क्षेत्र की चुनौतियों के अनुकूल नहीं हैं। वे अभी भी बढ़े हुए कार्यभार को संभालने हेतु कुशल पेशेवरों को काम पर रखने के बजाय स्वयंसेवकों पर निर्भर हैं।
- **पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव:**
  - भारत में खेल के बुनियादी ढाँचे की स्थिति अभी भी वांछित स्तर को हासिल नहीं कर पाई है। यह देश में खेल संस्कृति के विकास में बाधा उत्पन्न करता है।
  - भारत के संविधान के अनुसार, खेल राज्य का विषय है, फलस्वरूप पूरे देश में समान रूप से खेल के बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु कोई व्यापक दृष्टिकोण नहीं है।
- **यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दे:**
  - ऐसे कई हाई-प्रोफाइल मामले सामने आए हैं जहाँ एथलीटों ने कोच और अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है।
    - हालाँकि खेल संगठनों की प्रतिक्रिया धीमी और अपर्याप्त रही है।
  - इसके अलावा प्रमुख मुद्दों में से एक यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने हेतु एक उचित तंत्र का अभाव है।
    - कई खेल संगठनों के पास इस तरह की शिकायतों से निपटने हेतु कोई औपचारिक नीति नहीं है, इसके अलावा घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिये कोई स्पष्ट शृंखला नहीं होती है।

खेल प्रशासन से संबंधित मुद्दे:

- **एथलीटों को सशक्त बनाना:**
  - एथलीट खेलों में प्राथमिक हितधारक होते हैं और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी खेल संगठनों में आवश्यक जवाबदेही और पारदर्शिता ला सकती है।
  - खेल प्रशासन को एथलीटों को सशक्त बनाने हेतु सभी स्तरों पर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र की स्थापना करनी चाहिये।
    - ओलंपिक चार्टर में एथलीटों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिये देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (भारत - IOA) और उनके बोर्डों के सदस्यों का भी प्रावधान है।
- **खेल संघों की स्वायत्तता:**
  - खेल प्रशासन से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में खेल संघों की स्वायत्तता महत्त्वपूर्ण है।
  - यह खेल संगठनों को सरकारी और बाहरी प्रभाव से मुक्त अपने स्वयं के लोकतांत्रिक ढाँचे के माध्यम से स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है, जिससे भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद की संभावना कम हो जाती है।
- **ऊर्ध्वगामी सुधार:**
  - सुधार पिरामिड के निचले तल से शुरू होने चाहिये, जिसका अर्थ है कि ज़िला और राज्य निकायों का पुनर्गठन करना जो राष्ट्रीय खेल प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि ज़मीनी स्तर से शुरू करते हुए सभी स्तरों पर खेल प्रशासन संरचना में जवाबदेही और पारदर्शिता का निर्माण किया जाए।
- **खेल जागरूकता बढ़ाना:**
  - बच्चों के दैनिक जीवन में खेलों को शामिल करने से उनके आत्मविश्वास, आत्म-छवि में सुधार हो सकता है और यहाँ तक कि खेल में कॅरियर भी बन सकता है।
  - देश में एक मज़बूत खेल संस्कृति का निर्माण करने के लिये प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बदलाव की शुरुआत करने की ज़रूरत है। शिक्षा प्रणाली को बच्चे की समग्र परवरिश के हिस्से के रूप में खेल को समान महत्त्व देना चाहिये।
- **महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व:**
  - खेल प्रशासन के पदों पर अधिक महिला प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है

नोट :

कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और उनके अधिकारों की रक्षा होगी। इसे कई उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे:

- लिंग-संवेदनशील नीतियाँ बनाना।
- खेल प्रशासन में नेतृत्त्व के पदों तक पहुँचने के लिये महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना।
- महिलाओं को खेलों में कॅरियर बनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
- समावेशिता और विविधता की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- लिंग के आधार पर कोटे का निर्धारण।
- महिलाओं के लिये सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना।

निष्कर्ष:

- खेल प्रशासन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- अधिक पारदर्शी एवं समावेशी खेल संस्कृति बनाना और यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि एथलीटों के अधिकारों की रक्षा की जाए तथा खेल प्रशासन में उनकी आवाज़ सुनी जाए।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बीमा दावा

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के तहत बैंक खाताधारकों को प्रदान किये गए दुर्घटना बीमा कवर हेतु पिछले दो वित्तीय वर्षों में दायर किये गए 647 दावों में से केवल 329 का निपटान किया गया है।

- वित्त वर्ष 2021-22 में 341 दावे दायर किये गए, जिनमें से 182 का निपटान किया गया और 48 को खारिज कर दिया गया एवं वित्त वर्ष 2022-23 में 306 दावे दायर किये गए, जिनमें से 147 का निपटान किया गया व 10 को खारिज कर दिया गया, इसके अलावा शेष 149 दावों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना:

- **परिचय:**
  - प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन के लिये राष्ट्रीय मिशन है। यह वित्तीय सेवाओं, अर्थात् बैंकिंग/बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन की सुलभ तरीके से पहुँच सुनिश्चित करता है।
  - इस योजना के तहत किसी भी बैंक शाखा या बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में उन लोगों का एक मूल बचत बैंक जमा (Basic Savings Bank Deposit- BSBD) खाता खोला जा सकता है, जिनके पास कोई अन्य खाता नहीं है।
- **उद्देश्य:**
  - विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे- बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण तक पहुँच, प्रेषण सुविधा, बीमा एवं पेंशन की बहिष्कृत वर्गों यानी कमज़ोर वर्गों तथा निम्न-आय वाले समूहों तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  - यह सभी सरकारी लाभों (केंद्र / राज्य / स्थानीय निकाय से) को लाभार्थियों के खातों के माध्यम से प्रदान करने और केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना को आगे बढ़ाने की परिकल्पना करता है।
  - इस योजना के तहत वित्तीय समावेशन के लिये टेलीकॉम ऑपरेटरों और कैश आउट पॉइंट्स के रूप में स्थापित केंद्रों के माध्यम से मोबाइल लेन-देन का भी उपयोग करने की योजना है।
- **PMJDY तहत लाभ:**
  - PMJDY खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा जमा राशि पर ब्याज भी अर्जित किया जाता है।
    - PMJDY खाताधारक को रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है।
  - पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा उपलब्ध है।
- **PMJDY का दायरा:**
  - PMJDY खाताधारक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना के पात्र हैं।
- **PMJDY के तहत बीमा सुविधा:**
  - यह अपने खाताधारकों को बीमा कवर प्रदान करता है।
    - जीवन बीमा कवर: PMJDY खाताधारक 2 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर के लिये पात्र हैं जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत प्रदान किया जाता है।
    - दुर्घटना बीमा कवर: PMJDY खाताधारक 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर के लिये भी पात्र हैं जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत प्रदान किया जाता है।
  - PMJJBY और PMSBY दोनों बीमा कवर 330 रुपए प्रतिवर्ष और 12 रुपए प्रतिवर्ष क्रमशः मामूली प्रीमियम पर प्रदान किये जाते हैं।

नोट :

- इन बीमा कवरों के लिये प्रीमियम वार्षिक आधार पर PMJDY खाताधारक के खाते से स्वचालित रूप से डेबिट हो जाता है।
- मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिये दुर्घटना बीमा कवर सभी PMJDY खाता धारकों को दिया जाता है, जिनमें से 50% से अधिक महिलाएँ हैं। खाताधारकों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है।

- शर्त:
  - दुर्घटना बीमा का लाभ उठाने के लिए मुख्य शर्त यह है कि लाभार्थी ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिन पहले कार्ड का उपयोग करके कम-से-कम एक सफल लेन-देन (वित्तीय या गैर-वित्तीय) किया हो। हालाँकि यह स्थिति फाइलिंग दावों को कठिन बनाती है।

- **PMJDY के समक्ष चुनौतियाँ:**
  - जागरूकता की कमी: सरकार द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियानों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग PMJDY के लाभों से अवगत नहीं हैं। यह भागीदारी की कमी को इंगित करता है और कार्यक्रम के प्रभाव को सीमित करता है।
  - सीमित बुनियादी ढाँचा: कई दूरस्थ क्षेत्रों में ATM और बैंक शाखाओं सहित पर्याप्त बैंकिंग बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जिससे लोगों के लिये वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बनाना मुश्किल हो जाता है।
  - सीमित संसाधन: बहुत से लोग जो PMJDY के लिये पात्र हैं, उनके पास बैंक खाते खोलने हेतु ID प्रमाण, पता प्रमाण एवं आय प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होते हैं। यह कार्यक्रम की पहुँच को सीमित करता है और इसकी प्रभावशीलता को कम करता है।
  - नकद लेन-देन पर निर्भरता: देश के कई हिस्सों में लोग अभी भी अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिये नकद लेन-देन पर निर्भर हैं। यह डिजिटल भुगतान के उपयोग को सीमित करता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में PMJDY की प्रभावशीलता को कम करता है।

- **भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिये अन्य पहलें:**
  - डिजिटल पहचान (आधार)
  - वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय केंद्र (NCFE)
  - वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFL) परियोजना
  - ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार
  - डिजिटल भुगतान का प्रचार

आगे की राह

- सरकार डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने के अतिरिक्त कार्यक्रम के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये विभिन्न मीडिया चैनलों का उपयोग कर सकती है, विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में जहाँ सूचनाओं तक लोगों की पर्याप्त पहुँच नहीं है।
- यह वित्तीय सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिये दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक बैंक शाखाओं और ATM स्थापित करने का भी कार्य कर सकती है।
- साथ ही इस कार्यक्रम के तहत बैंक खाते खोलने के लिये आवश्यक दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- ऐसे मामलों में जिसमें लाभार्थी यह साबित कर सकता है कि वह बीमारी अथवा यात्रा जैसे कारणों की वजह से उस समय अवधि के दौरान कार्ड का उपयोग करने में असमर्थ था, सरकार इस शर्त पर छूट दे सकती है कि उक्त व्यक्ति ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिन पहले कार्ड का उपयोग करके कम-से-कम एक सफल लेन-देन किया हो।

अंतर्राज्यीय जल विवाद

चर्चा में क्यों ?

ओडिशा ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम 1956 के तहत जल शक्ति मंत्रालय से शिकायत की है जिसमें छत्तीसगढ़ पर गैर-मानसून मौसम में महानदी में जल छोड़कर महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (MWDT) को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

- MWDT का गठन मार्च 2018 में किया गया था। न्यायाधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है।
- महानदी बेसिन जल आवंटन के संबंध में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच कोई अंतर्राज्यीय समझौता नहीं है।

ओडिशा की चिंता:

- छत्तीसगढ़ ने कलमा बैराज में 20 गेट खोले हैं, जिससे गैर-मानसून मौसम के दौरान महानदी के निचले जलग्रहण क्षेत्र में 1,000-1,500 क्यूसेक जल बह रहा है।
- गैर-मानसून मौसम में छत्तीसगढ़ द्वारा जल छोड़ने की अनिच्छा के कारण अकसर महानदी के निचले जलग्रहण क्षेत्र में पानी की अनुपलब्धता होती है।
  - यह रबी फसलों को भी प्रभावित करता है और ओडिशा में पेयजल की समस्या को भी बढ़ाता है।

- हालाँकि इस बार छत्तीसगढ़ ने बिना किसी सूचना के जल छोड़ दिया है, जिसने महानदी के जल प्रबंधन पर चिंता जताई है।
  - मानसून के दौरान राज्य को ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बाढ़ का सामना करना पड़ा और इस प्रकार ओडिशा को बिना सूचित किये गेट खोल दिये जाते हैं।

भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद:

- **परिचय:**
  - अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद आज भारतीय संघ में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है।
    - कृष्णा जल विवाद, कावेरी जल विवाद और सतलुज यमुना लिंक नहर के हालिया मामले इसके कुछ उदाहरण हैं।
  - अब तक विभिन्न अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है, लेकिन उनकी अपनी समस्याएँ थीं।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - राज्य सूची की प्रविष्टि 17 जल से संबंधित है, अर्थात् जल आपूर्ति, सिंचाई, नहर, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण और जल विद्युत।
  - संघ सूची की प्रविष्टि 56 केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास के लिये संसद द्वारा सार्वजनिक हित में उचित घोषित सीमा तक शक्ति प्रदान करती है।
  - अनुच्छेद 262 के अनुसार, जल संबंधी विवादों के मामले में:
    - संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिये प्रावधान कर सकती है।
    - संसद विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय उपरोक्त वर्णित किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद समाधान के लिये तंत्र:

- **अनुच्छेद 262 के अनुसार, संसद ने निम्नलिखित को अधिनियमित किया है:**
  - नदी बोर्ड अधिनियम, 1956: इसने भारत सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के लिये बोर्ड स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया है। आज तक कोई नदी बोर्ड नहीं बनाया गया है।
  - अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956: यदि कोई विशेष राज्य अथवा राज्यों का समूह अधिकरण के गठन के लिये केंद्र से संपर्क करते हैं तो केंद्र सरकार को संबद्ध राज्यों के बीच परामर्श करके मामले को हल करने का प्रयास करना चाहिये। यदि यह काम नहीं करता है तो केंद्र सरकार इस न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है।
  - नोट: सर्वोच्च न्यायालय अधिकरण द्वारा दिये गए फॉर्मूले पर सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन वह अधिकरण के कामकाज़ पर सवाल खड़े कर सकता है।
- सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिशों को शामिल करने के लिये अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 को वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था।
  - इन संशोधनों के बाद से जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना के लिये एक वर्ष की समय-सीमा और निर्णय देने के लिये 3 वर्ष की समय-सीमा को अनिवार्य हो गया।

अंतर्राज्यीय जल विवाद प्राधिकरण के मुद्दे:

- लंबे समय तक चलने वाली कार्यवाही और विवाद समाधान में अत्यधिक देरी। भारत में गोदावरी और कावेरी जैसे जल विवाद के समाधान में काफी देरी हुई है।
- इन कार्यवाहियों को परिभाषित करने वाले संस्थागत ढाँचे और दिशा-निर्देशों एवं अनुपालन सुनिश्चितता में अस्पष्टता।
- प्राधिकरण की संरचना बहुआयामी नहीं है, इसमें केवल न्यायपालिका के लोग शामिल हैं।
- सभी पक्षों के लिये स्वीकार्य जल संबंधी आँकड़ों का न होने से वर्तमान में अधिनिर्णय के लिये एक आधार रेखा स्थापित करना मुश्किल हो जाता है।
- जल और राजनीति के बीच बढ़ते गठजोड़ ने इन विवादों को वोट बैंक की राजनीति में बदल दिया है।
  - इस राजनीतिकरण के कारण राज्यों द्वारा बढ़ती अवहेलना, विस्तारित मुकदमों और समाधान तंत्र प्रभावहीन हो गए है।

जल विवादों के समाधान संबंधी उपाय:

- अंतर्राज्यीय जल विवादों को अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अंतर्राज्यीय परिषद के तहत लाना, साथ ही आम सहमति आधारित निर्णय लेने की आवश्यकता है।
- राज्यों को प्रत्येक क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता और जल संचयन एवं जल पुनर्भरण हेतु प्रेरित किया जाना चाहिये ताकि नदी के जल तथा स्वस्थ जल स्रोत की मांग को कम किया जा सके।
- संघीय, नदी बेसिन, राज्य और ज़िला स्तरों पर वैज्ञानिक आधार पर भूजल एवं सतही जल का प्रबंधन करने तथा जल प्रबंधन व संरक्षण

नोट :

हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये एकल एजेंसी की आवश्यकता है।

- अधिकरण फास्ट ट्रैक एवं तकनीकी रूप से युक्त होना चाहिये, साथ ही समयबद्ध तरीके से निर्णय लागू करने योग्य तंत्र भी होना चाहिये।
- उचित निर्णय लेने हेतु जल डेटा का एक केंद्रीय भंडार आवश्यक है। केंद्र सरकार के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वह अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए।

सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 पैरोडी या व्यंग्य के माध्यम से सरकार की निष्पक्ष आलोचना को संरक्षण प्रदान नहीं करता है।

- आईटी नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से अधिकार प्राप्त करते हैं, जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कानूनी मान्यता देता है।

सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023:

- **मध्यवर्ती संस्थानों के लिये अनिवार्य:**
  - कोई भी प्लेटफॉर्म हानिकारक अस्वीकृत ऑनलाइन गेम और उनके विज्ञापनों की अनुमति नहीं दे सकता है।
  - उन्हें भारत सरकार के बारे में गलत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिये, जैसा कि एक तथ्य-जाँच इकाई द्वारा पुष्टि की गई है।
    - एक ऑनलाइन मध्यस्थ- जिसमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा एयरटेल, जियो एवं वोडाफोन आइडिया जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाता शामिल हैं, को केंद्र सरकार से संबंधित सामग्री की मेज़बानी न करने के लिये "उचित प्रयास" करना चाहिये जिसे "तथ्य-जाँच इकाई" द्वारा "नकली या भ्रामक" के रूप में पहचाना जाता है तथा आईटी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
- **स्व-नियामक निकाय:**
  - ऑनलाइन गेमिंग प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म को एक स्व-नियामक निकाय (SRB) के साथ पंजीकरण करना होगा जो यह निर्धारित करेगा कि खेल "अनुमति" है या नहीं।
  - प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऑनलाइन गेम में कोई जुआ या सट्टेबाज़ी का तत्त्व शामिल न हो। उन्हें कानूनी आवश्यकताओं, मानकों और माता-पिता के नियंत्रण जैसी सुरक्षा सावधानियों का भी पालन करना चाहिये।
- **सेफ हार्बर का दर्जा खत्म किया जाना:**
  - यदि आगामी तथ्य-जाँच इकाई द्वारा किसी भी जानकारी को नकली के रूप में चिह्नित किया जाता है, तो मध्यवर्ती संस्थाओं को इसे हटाने की आवश्यकता होगी, ऐसा न करने पर वे अपने सेफ हार्बर को खोने का जोखिम उठाएंगी, जो उन्हें तीसरे पक्ष की सामग्री के खिलाफ मुकदमेबाज़ी से बचाता है।
    - सोशल मीडिया साइट्स को ऐसे पोस्ट हटाने होंगे और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ऐसी सामग्री के URL को ब्लॉक करना होगा।

प्रमुख आईटी नियम, 2021:

- **सोशल मीडिया प्लेटफार्म द्वारा सावधानी बरतना अनिवार्य करना:**
  - विशेष तौर पर आईटी नियम (2021) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के संबंध में कड़ी निगरानी करने के लिये बाध्य करते हैं।
- **उपयोगकर्त्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना:**
  - इस प्रकार व्यक्तियों को पूर्ण या आंशिक नग्नता या यौन क्रिया में दिखाने या छेड़छाड़ की प्रकृति सहित प्रतिरूपण की प्रकृति आदि में मध्यवर्ती संस्थाएँ व्यक्तियों के निजी क्षेत्रों को उजागर करने वाली सामग्री की पहुँच संबंधी शिकायतों की प्राप्ति के 24 घंटों के अंदर उन्हें हटा या अक्षम कर देंगी।।
- **उपयोगकर्त्ताओं को गोपनीयता नीतियों के संदर्भ में शिक्षित करना:**
  - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गोपनीयता नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उपयोगकर्त्ताओं को कॉपीराइट सामग्री और ऐसी किसी भी विषय-वस्तु को प्रसारित न करने के संदर्भ में शिक्षित किया जाए, जो मानहानिकारक, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक, पीडोफिलिक, भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता हेतु खतरा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा किसी समकालीन कानून का उल्लंघन करता हो।

चुनौतियाँ:

- **अस्पष्ट परिभाषा:**
  - यह संशोधन झूठी खबरों/फेक न्यूज़ को परिभाषित करने में विफल है, साथ ही सरकार की तथ्य-जाँच इकाई को राज्य से जुड़े "किसी भी व्यवसाय के संबंध में" किसी भी समाचार की सटीकता की पुष्टि करने की अनुमति देता है।

नोट :

- अपरिभाषित शब्दों का उपयोग, विशेष रूप से वाक्यांश "कोई भी व्यवसाय" सरकार को यह तय करने की अनियंत्रित शक्ति देता है कि लोग इंटरनेट पर क्या देख, सुन और पढ़ सकते हैं।

- **फेक न्यूज़ को लेकर स्पष्टता का अभाव:**
  - IT नियम, 2023 गलत या भ्रामक जानकारी को परिभाषित नहीं करते हैं, न ही वे तथ्य-जाँच इकाई हेतु योग्यता और प्रक्रियाओं को परिभाषित करते हैं।
  - इसने फेक न्यूज़ के रूप में क्या योग्य है, यह निर्धारित करने की सरकार की अत्यधिक शक्ति के बारे में चिंता जताई है क्योंकि नियम शब्द की स्पष्ट परिभाषा प्रदान नहीं करते हैं।
- **जानकारी हटाना:**
  - तथ्य-जाँच इकाई द्वारा गलत समझी जाने वाली जानकारी को मध्यवर्ती संस्थाएँ हटा देंगी, केवल राज्य को यह निर्धारित करने की शक्ति है कि क्या सही है।
  - नया विनियमन सरकार को यह तय करने की शक्ति प्रदान करता है कि कौन-सी सूचना फर्ज़ी/गलत है तथा बिचौलियों को फर्ज़ी या गलत माने जाने वाले पोस्ट को हटाने के लिये मज़बूर करके सेंसरशिप का उपयोग करे।
- **उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन:**
  - श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि अभिव्यक्ति/वाक् को सीमित करने वाले कानून न तो संदिग्ध होने चाहिये, न ही व्यापक अनुप्रयोग योग्य ('Neither be Vague nor Over-broad')।

आगे की राह

- गलत सूचनाओं और फर्ज़ी/भ्रामक खबरों से निपटने के लिये सरकार एवं बिचौलिये एल्गोरिदम तथा तथ्य-जाँच वेबसाइट्स जैसे प्रौद्योगिकी समाधानों का उपयोग कर सकते हैं।
- बिचौलिये स्व-नियामक उपायों को भी लागू कर सकते हैं जैसे कि सामग्री की निगरानी करना तथा तथ्यों की जाँच करने वाली वेबसाइट्स के साथ कार्य करना।
- इसके अतिरिक्त सेंसरशिप के खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने एवं मुक्त वाक्/अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने हेतु सोशल मीडिया अभियानों, कार्यशालाओं एवं सार्वजनिक मंचों पर चर्चा जैसे उपायों का उपयोग कर सकते हैं।

आभासी डिजिटल परिसंपत्ति का विनियमन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने धन शोधन रोधी प्रावधानों (Anti-money Laundering provisions) का दायरा आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (Virtual Digital Assets- VDA) व्यवसायों एवं सेवा प्रदाताओं तक बढ़ा दिया है।

- मंत्रालय ने अधिनियम के तहत VDA और क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित गतिविधियों को शामिल कर धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act-PMLA), 2002 का दायरा बढ़ाया है।

PMLA 2002 के तहत VDA को शामिल करने की प्रक्रिया:

- **विस्तारित गतिविधियाँ:**
  - VDA और फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय (केंद्र सरकार द्वारा कानूनी निविदा)।
  - VDA के एक या अधिक रूपों के बीच आदान-प्रदान।
  - VDA का स्थानांतरण।
  - VDAs या VDAs पर नियंत्रण को सक्षम करने वाले उपकरणों की सुरक्षा या प्रशासन।
  - जारीकर्त्ता की पेशकश और VDA की बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी एवं प्रावधान।
- अब VDA को वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (Financial Intelligence Unit-India- FIU-IND) के साथ एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकृत होना होगा।
  - FIU-IND संयुक्त राज्य अमेरिका में FinCEN के समान कार्य करती है। वित्त मंत्रालय के तहत इसे वर्ष 2004 में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण एवं प्रसारित करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।
  - उदाहरण के लिये CoinSwitch जैसे रिपोर्टिंग इकाई प्लेटफॉर्म अब नो योर कस्टमर, सभी लेन-देन रिकॉर्ड एवं निगरानी करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर FIU-IND को रिपोर्ट करने के लिये अधिकृत हैं।
- **वैश्विक दिशा-निर्देशों के अनुरूप:** यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा जोखिम को कम करने हेतु निर्देशित वैश्विक दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
  - FATF के पास वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) की व्यापक परिभाषा के साथ-साथ बिचौलियों, दलालों, एक्सचेंजों, कस्टोडियन, हेज फंड और यहाँ तक कि खनन निकायों को सम्मिलित करने वाली एक व्यापक सूची है।
  - इस तरह के दिशा-निर्देश वर्चुअल डिजिटल एसेट इकोसिस्टम के नियमन और निरीक्षण में VASP की भूमिका को स्वीकार करते हैं।

पहल का महत्त्व और उससे संबंधित चिंताएँ:

- **महत्त्व:**
  - इस तरह के नियम पहले से ही बैंकों, वित्तीय संस्थानों और प्रतिभूतियों तथा अचल संपत्ति संबंधी बाज़ारों में कुछ मध्यस्थों पर लागू होते हैं।
  - इसे वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों तक विस्तारित करने से इस प्लेटफॉर्म को अधिक सतर्कता से निगरानी करने और कदाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
  - ऐसे मानदंडों का मानकीकरण भारतीय वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति क्षेत्र को पारदर्शी बनाने में काफी मदद करेगा।
  - यह पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास स्थापित करेगा और सरकार को वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति लेन-देन पर अधिक निगरानी करने में मदद करेगा जो सभी के लिये फायदेमंद होगा।
- **चिंताएँ:**
  - एक केंद्रीकृत नियामक की अनुपस्थिति में VDA संस्थाओं को प्रवर्तन निदेशालय जैसे अभिकरणों के साथ सीधे व्यवहार करना पड़ सकता है।
  - वर्तमान कर व्यवस्था के कारण कई भारतीय VDA उपयोगकर्त्ता पहले ही घरेलू एक्सचेंजों से विदेशी समकक्ष विकल्प अपना चुके हैं, जिससे कर राजस्व में कमी आई है और लेन-देन के विषय में पता लगाना मुश्किल हो गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी हतोत्साहित हो सकते है जिसके परिणामस्वरूप पूंजी बहिर्वाह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

आभासी डिजिटल परिसंपत्ति:

- सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (Virtual Digital Assets) पर टैक्स लगाने और उन पर नज़र रखने के उद्देश्य से नए प्रावधान पेश किये हैं। कराधान के ढाँचे के साथ बजट ने पहली बार आभासी डिजिटल परिसंपत्ति को परिभाषित किया।
- इसने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के तहत नए सम्मिलित खंड (47A) में आभासी डिजिटल संपत्ति को परिभाषित किया है।
- प्रस्तावित नए खंड के अनुसार, एक आभासी डिजिटल परिसंपत्ति का अर्थ क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों से किसी भी जानकारी, कोड, संख्या या टोकन (न तो भारतीय मुद्रा में या न किसी विदेशी मुद्रा में) उत्पन्न करना है।
- आभासी डिजिटल परिसंपत्ति का अर्थ है क्रिप्टोकरेंसी, DeFi (विकेंद्रीकृत वित्त) और नॉन-फंजिबल टोकन (NFT)।
- अप्रैल 2022 से भारत में क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन से होने वाली आय पर 30% आयकर लागू हुआ।
- जुलाई 2022 से क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित स्रोतों पर 1% कर कटौती के नियम लागू हुए।

आगे की राह

- भारत को आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर उच्च कर की दरों पर पुनर्विचार करना चाहिये, जो वर्तमान में अन्य परिसंपत्ति वर्गों की तुलना में अधिक हैं।
- मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) और टेरर फाइनेंसिंग (आतंकी वित्तपोषण) के जोखिमों को कम करने वाली नवीन PMLA अधिसूचना के साथ आभासी डिजिटल परिसंपत्ति करों को अन्य परिसंपत्ति वर्गों के साथ संरेखित करने का अवसर देना चाहिये।
- ऐसा करने हेतु मनमाने करों (टैक्स आर्बिट्रेज) को न्यूनतम करना होगा, जो देश की आतंरिक पूंजी, उपभोक्ताओं, निवेश एवं प्रतिभा को बनाए रखने में मदद करेगा तथा आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के लिये अनौपचारिक क्षेत्र या ग्रे अर्थव्यवस्था के आकार को कम करेगा।
- एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया ने VASP को लाइसेंस देने के लिये एक ढाँचा स्थापित किया है, जबकि यूरोप में क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) में बाज़ार यूरोपीय संसद द्वारा पारित किया गया है। आगे बढ़ते हुए एक प्रगतिशील नियामक ढाँचा भारत में नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था की भावना उत्पन्न करेगा और भारत के आभासी डिजिटल संपत्ति नेतृत्त्व को स्थापित करेगा।
- परिभाषा के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियाँ सीमाहीन हैं और नियामक मध्यस्थता को रोकने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसलिये विनियमन या प्रतिबंध लगाने के लिये कोई भी कानून जोखिमों एवं लाभों के मूल्यांकन तथा सामान्य वर्गीकरण व मानकों के विकास पर महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ ही प्रभावी हो सकता है।

मादक पदार्थों के उन्मूलन हेतु भारत के प्रयास

चर्चा में क्यों ?

गृह मंत्रालय (MHA) देश में मादक पदार्थों के उन्मूलन हेतु एक रणनीतिक प्रयास कर रहा है। विगत तीन वर्षों में सरकार ने देश के कई राज्यों में 89000 फुटबॉल मैदान के आकार के भाँग और अफीम उत्पादक क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है।

- सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को "मादक पदार्थ मुक्त" बनाना है।

भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग की सीमा:

- भारत मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी संबंधी गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है, जो लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा को प्रभावित करता है।

नोट :

- वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में 2020 में ज़ब्त की गई अफीम की चौथी सबसे बड़ी मात्रा 5.2 टन है और उसी वर्ष ज़ब्त की गई मॉर्फिन की तीसरी सबसे बड़ी मात्रा 0.7 टन थी।
  - ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) के अनुसार, भारत ने 2019 में विश्व भर में 7% अफीम तथा 2% हेरोइन को ज़ब्त की।
- भारत दो प्रमुख ड्रग उत्पादक क्षेत्रों- गोल्डन क्रिसेंट (ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान) और गोल्डन ट्रायंगल (थाईलैंड-लाओस-म्याँमार) के बीच स्थित है, जो इसे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिये संवेदनशील बनाता है।

भारत द्वारा अफीम और भाँग की खेती को खत्म करने के लिये किये गए प्रयास:

- भारत में व्यापक रूप से उत्पादित और उपयोग किये जाने वाले दो ड्रग्स अफीम और भाँग हैं।
  - पोस्ता के पौधे से अफीम और भाँग के पौधे से भाँग प्राप्त होती है। दोनों को साइकोएक्टिव ड्रग्स कहा जाता है, जिनके प्रयोग से लत और स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
  - सरकार ने अवैध फसलों को नष्ट करने, ड्रग्स को जब्त करने, तस्करों को गिरफ्तार करने और जागरूकता उत्पन्न करने जैसे विभिन्न उपायों के साथ ड्रग्स पर कार्रवाई तीव्र कर दी है।
- इस संबंध में सरकार की कुछ उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:
  - नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के अनुसार, विगत तीन वर्षों में 89,000 से अधिक फुटबॉल मैदानों के आकार के क्षेत्र में अफीम और भाँग की खेती को नष्ट कर दिया गया है।
  - NCB ने बताया है कि विगत तीन वर्षों में देश भर में 35,592 एकड़ में अफीम की खेती और 82,691 एकड़ में भाँग की फसल नष्ट हो चुकी है।
    - जिन राज्यों में फसलें नष्ट हुई हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल हैं।
  - NCB ने यह भी कहा कि उसने पिछले तीन वर्षों में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 6.7 लाख किलोग्राम से अधिक दवाएँ जब्त की हैं।
    - जब्त दवाओं में हेरोइन, अफीम, भाँग, कोकीन, मेथामफेटामाइन, MDMA (एक्स्टसी), केटामाइन आदि शामिल हैं।

सरकार ड्रग समस्या से कैसे निपट रही है ?

- विधायी उपाय: सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 जैसे विभिन्न कानून बनाए हैं- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, (NDPS) 1985 और अवैध व्यापार की रोकथाम में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट (PITNDPS), 1988।
  - दवाओं के निर्माण, वितरण, कब्ज़े और खपत को विनियमित और प्रतिबंधित करना।
  - NDPS अधिनियम में नशीली दवाओं के अपराधों के लिये कड़े दंड का प्रावधान है।
- संस्थागत उपाय: सरकार ने NCB, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), सीमा शुल्क विभाग आदि जैसे संस्थान बनाए हैं।
  - ये संस्थान ड्रग कानूनों को लागू करते हैं तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करते हैं।
  - NCB विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय पहलों जैसे- SAARC ड्रग अपराध निगरानी डेस्क (SDOMD) का भी हिस्सा है।
- निवारक उपाय:
  - सरकार ने नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR), नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है।
    - ये योजनाएँ नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकती हैं और नशा करने वालों को उपचार तथा पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करती हैं।
    - NAPDDR का उद्देश्य जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, नशा मुक्ति और पुनर्वास के माध्यम से ड्रग की मांग को कम करना है।
    - NMBA का उद्देश्य स्कूली बच्चों में नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- NIDAAN और NCORD पोर्टल:
  - यह एक डेटाबेस है जिसमें NPDS अधिनियम के तहत

नोट :

गिरफ्तार किये गए सभी संदिग्धों और दोषियों की तस्वीरें, उंगलियों के निशान, अदालती आदेश, जानकारी एवं विवरण शामिल हैं, जिसे राज्य तथा केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

- नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल (NCORD) पर ड्रग्स के स्रोत और इसके अंतिम लक्ष्य के विषय में बताया जाता है तथा ज़िला स्तर तक की जानकारी रखी जाती है।

भारत में ड्रग कंट्रोलिंग से जुड़ी चुनौतियाँ:

- **पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव:**
  - नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये प्रशिक्षित कर्मियों, विशेष उपकरणों और उचित बुनियादी ढाँचे की कमी है।
- **नए साइकोएक्टिव पदार्थों का प्रसार:**
  - भारत में नए साइकोएक्टिव पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है और ये दवाएँ अकसर मौजूदा ड्रग नियंत्रण कानूनों के अंतर्गत नहीं आती हैं। इस कारण से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये उन्हें प्रभावी ढंग से विनियमित करना जटिल हो जाता है।
- **डार्क नेट ईजिंग ड्रग ट्रैफिकिंग:**
  - NCB के मुताबिक, अवैध ड्रग्स में 'डार्क नेट' और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है तथा वर्ष 2020, 2021 और 2022 में एजेंसी ने ऐसे 59 मामलों की जाँच की है।
- **जागरूकता और शिक्षा की कमी:**
  - विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं लत से खतरों के बारे में जागरूकता और शिक्षा की कमी है।
- **उच्च मांग:**
  - भारत में एक बड़ी आबादी के साथ-साथ दवाओं की उच्च मांग है, जो नशीली दवाओं के व्यापार को आसान बनाती है।
- **सामाजिक कलंक:**
  - भारतीय समाज में मादक पदार्थों की लत को अभी भी अत्यधिक कलंकित माना जाता है, जिससे व्यक्तियों के लिये सहायता एवं उपचार प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

नशीली दवाओं/ड्रग्स के दुरुपयोग को समाप्त करने के उपाय:

- **कानून प्रवर्तन को सख्त करना:**
  - कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण प्रदान करके NDPS अधिनियम और PITNDPS अधिनियम के कार्यान्वयन को मज़बूत करना।
  - एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार के साथ-साथ मादक पदार्थों की तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये अधिक सख्त निगरानी एवं खुफिया जानकारी एकत्र करने हेतु तंत्र का गठन करना।
- **निवारक उपायों में वृद्धि:**
  - नशीली दवाओं के व्यसनी लोगों हेतु किफायती उपचार और पुनर्वास सुविधाओं की उपलब्धता तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों एवं मदद के महत्त्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिये जागरूकता अभियानों को प्रोत्साहन।
- **आपूर्ति में कमी को संबोधित करना:**
  - सीमा नियंत्रण में सुधार, उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करके दवा आपूर्ति श्रृंखलाओं को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना।
  - अवैध कृषि में लगे किसानों हेतु वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से दवा उत्पादन को कम करना।
  - झारखंड राज्य ने अवैध रूप से अफीम उत्पादक किसानों हेतु एक वैकल्पिक आजीविका योजना शुरू की है और यह अवैध फसलों को नष्ट करने के लिये नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत बनाना:**
  - नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने हेतु पड़ोसी देशों, विशेष रूप से गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल में सहयोग को मज़बूत करना।
  - सूचना और सर्वोत्तम तरीकों के आदान-प्रदान हेतु UNODC तथा इंटरपोल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी को मज़बूत करना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:**
  - बिग डेटा और एनालिटिक्स एवं AI ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क की पहचान तथा ट्रैक करने, ड्रग मूवमेंट की निगरानी करने तथा ड्रग के दुरुपयोग व तस्करी से संबंधित गतिविधियों की पहचान करने पर ज़ोर देना।
  - ड्रोन एवं उपग्रह द्वारा अवैध नशीली दवाओं की खेती की निगरानी और पता लगाने एवं संदिग्ध क्षेत्रों की उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियाँ प्राप्त करना।
  - ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करना जहाँ नागरिक नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा तस्करी की गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकें।

CGTMSE योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में के केंद्रीय MSME मंत्री ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों योजना हेतु संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (Credit Guarantee

नोट :

Fund Trust for Micro and Small Enterprises-CGTMSE) लॉन्च किया।

CGTMSE योजना:

- **परिचय:**
  - यह सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को संपार्श्विक-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था।
- **दायरा:**
  - विद्यमान और नए दोनों उद्यम इस योजना के तहत कवर किये जाने के पात्र हैं।
- **वित्तीयन:**
  - CGTMSE में वित्तीयन भारत सरकार और सिडबी द्वारा क्रमश: 4:1 के अनुपात मां किया जाता है।
  - MSME मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने CGTMSE योजना को लागू करने के लिये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की।
- **MSME के लिये वित्तीय समावेशन:**
  - CGTMSE के पुनरुद्धार की शुरुआत करते हुए, यह घोषणा की गई थी कि CGTMSE वित्तीय समावेशन केंद्र स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय MSME संस्थान, हैदराबाद के साथ सहयोग करेगा।
  - केंद्र से MSME को वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट परामर्श प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को CGTMSE योजना के लाभों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी।

नोट: SIDBI की स्थापना अप्रैल 1990 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के साथ-साथ समान गतिविधियों में संलग्न संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिये प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।

संशोधित CGTMSE:

- **बड़े बदलाव:**
  - वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में CGTMSE को 9000 करोड़ की अतिरिक्त सुरक्षा निधि सहायता प्रदान की गयी है, ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अतिरिक्त 2,00,000 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान करने के लिये इस योजना में सुधार लाया जा सके।
  - संशोधित संस्करण में किये गए अन्य प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं:
    - ₹1 करोड़ तक के ऋण के लिये गारंटीशुदा शुल्क में 50% की कमी।
    - गारंटी की सीमा को ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करना।
    - न्यायालयी कार्यवाही के बाहर दावा निपटान की सीमा पिछली सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है।
- **महत्त्व :**
  - यह न्यूनतम गारंटीशुदा शुल्क MSMEs के लिये ऋण प्राप्त करना आसान बना देगा।
  - गारंटी के लिये बढ़ी हुई सीमा और दावा, निपटान के लिये उधारकर्त्ता द्वारा किसी भी डिफ़ॉल्ट के मामले में उधारदाताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगी।
  - इस योजना से MSE के लिये ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे देश में रोज़गार के अधिक अवसर पैदा होंगे।
  - ये संशोधन विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और व्यवसायों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए MSME तक पहुँच, सामर्थ्य एवं ऋण की उपलब्धता में सुधार की दृष्टि से किये गए हैं।

MSME क्रेडिट से संबंधित अन्य पहलें:

- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना तथा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये निधि की योजना (SFURTI): इसका उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थित करना तथा इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाज़ार परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- MSME को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिये ब्याज सबवेंशन योजना: यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सभी कानूनी MSME को उनकी वैधता की अवधि के दौरान उनके बकाया, वर्तमान/वृद्धिशील सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी पर 2% तक की राहत प्रदान की जाती है।
- ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (ISEC): योजना के तहत खादी और पॉलीवस्त्र उत्पादक संस्थान बैंकिंग संस्थानों से पूंजीगत धन प्राप्त करते हैं।
- MSME लोन इन 59 मिनट्स: 5 करोड़ रुपए तक के त्वरित एवं परेशानी मुक्त ऋण के लिये ऑनलाइन पोर्टल। यह डेटा का विश्लेषण करने और 59 मिनट के भीतर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के लिये उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करता है।

नोट :

- MSMEs के लिये MUDRA ऋण योजनाएँ: विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में संलग्न सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण (कम ब्याज दरों पर संपार्श्विक-मुक्त ऋण) प्रदान किया जाता है।
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC): MSME को प्रतिस्पर्द्धी ब्याज दरों और न्यूनतम दस्तावेज़ की प्रस्तुति पर भी विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CLCS-TUS):**
  - MSME को उनकी तकनीक के उन्नयन और नए संयंत्र तथा मशीनरी स्थापित करने के लिये 15% (15 लाख रुपए तक) की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है।
  - 50 से अधिक उप-क्षेत्रों को कवर करता है।
  - इसका उदेश्य MSME की गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करना है।

दृष्टि The Vision

नोट :

भारतीय राजनीति

न्यायेतर हत्याएँ

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ (Encounter) के मामलों को देखते हुए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में न्यायेतर हत्याओं (Extra-Judicial Killings- EJK) पर अपने विचार व्यक्त किये हैं और कहा है कि जीवन का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है और न्यायेतर हत्याएँ इस अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में भारत में पुलिस मुठभेड़ों और न्यायेतर हत्याओं के कई मामले सामने आए हैं जिससे पुलिस द्वारा शक्ति के दुरुपयोग किये जाने को लेकर चिंता जताई जाती रही है।

न्यायेतर हत्याएँ:

- **परिचय:**
  - न्यायेतर हत्या से तात्पर्य राज्य या उसके एजेंटों द्वारा बिना किसी न्यायिक अथवा कानूनी कार्यवाही के किसी व्यक्ति की हत्या करने से है।
    - इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे, उचित प्रक्रिया या किसी कानूनी औचित्य के मार दिया जाता है।
  - इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे कि न्यायेतर मृत्युदंड (Extrajudicial Executions), अविलंबित मृत्युदंड (Summary Executions) और बलपूर्वक गायब किया जाना आदि। ये सभी कार्य अवैध हैं और मानवाधिकारों तथा कानून के शासन का उल्लंघन करते हैं।
  - अक्सर कानून व्यवस्था बनाए रखने अथवा आतंकवाद का मुकाबला करने के नाम पर ऐसे कार्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों अथवा सुरक्षा बलों द्वारा किये जाते हैं।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - संविधान के अनुसार, भारत में कानून का शासन होना चाहिये, संविधान ही सर्वोच्च शक्ति है और विधायी एवं कार्यपालिका इसी से अधिकृत होते हैं।
  - संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गैर-परक्राम्य अधिकार है। निर्दोषता या अपराध के बावजूद यह पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह संविधान को बनाए रखे एवं सभी के जीवन के अधिकार की रक्षा करे।
- **पुलिस के अधिकार:**
  - पुलिस आत्मरक्षा में या शांति और व्यवस्था बनाए रखने हेतु घातक बल सहित बल का प्रयोग कर सकती है।
  - भारतीय दंड संहिता की धारा-96 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है।
    - आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-46 पुलिस को किसी गंभीर अपराध के आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु घातक बल सहित बल प्रयोग करने की अनुमति देती है।
- **भारत में EJK की स्थिति:**
  - भारत में वर्ष 2016-17 और 2021-22 के बीच छह वर्षों में दर्ज पुलिस मुठभेड़ में हत्या के मामलों में 15% की गिरावट आई है, जबकि वर्ष 2021-22 से मार्च 2022 तक पिछले दो वर्षों में मामलों में 69.5% की वृद्धि हुई।
    - भारत में पिछले छह वर्षों में पुलिस मुठभेड़ में हत्याओं के 813 मामले दर्ज किये गए हैं।
  - अप्रैल 2016 से छह वर्षों में छत्तीसगढ़ में न्यायेतर हत्या के सबसे अधिक 259 मामले दर्ज किये गए, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 110 एवं असम में 79 मामले दर्ज किये गए।

EJK का कारण:

- **सार्वजनिक जन समर्थन:**
  - कभी-कभी लोग ऐसी हत्याओं का समर्थन इसलिये करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि न्यायालयी व्यवस्था समय पर न्याय नहीं देगी। यह जन समर्थन पुलिस को और अधिक साहसी बनाता है, जिससे ऐसी हत्याओं में वृद्धि होती है।
- **राजनीतिक समर्थन:**
  - कई राजनेताओं का मानना है कि पुलिस मुठभेड़ की अधिक घटनाएँ राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ में उनकी उपलब्धि के रूप में काम करेगी।
- **दंडात्मक हिंसा:**
  - कुछ पुलिस अधिकारियों का मानना है कि हिंसा और यातना का प्रयोग अपराध को नियंत्रित करने और संभावित अपराधियों के बीच भय की भावना पैदा करने का एकमात्र तरीका है।
- **नायक के रूप में चित्रित करना:**
  - ऐसी हत्याओं को अकसर जनता और मीडिया द्वारा महिमामंडित किया जाता है, इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों को नायकों के रूप में चित्रित किया जाता है जो समाज को भय मुक्त करने का कार्य कर रहे हैं।

नोट :

- इस गैरकानूनी हिंसा का जश्न मना रही जनता और मीडिया यह भूल जाती है कि पुलिस के पास इस तरह का कृत्य करने का कोई अधिकार नहीं है और यह आरोपी के मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

- **पुलिस की अक्षमता:**
  - जाँच करने के लिये पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होने से सज़ा देने की दर को कम हो सकती है। मुठभेड़ों को पुलिस के लिये क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की सकारात्मक छवि बनाने के एक आसान तरीके के रूप में देखा जाता है।

भारत में पुलिस मुठभेड़ से संबंधित दिशा-निर्देश:

- **सर्वोच्च न्यायालय:**
  - सितंबर 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने "पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र" के मामले में मौत के प्रकरणों में पुलिस मुठभेड़ों की जाँच के लिये दिशा-निर्देश जारी किये। दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित शामिल थे:
    - मजिस्ट्रियल जाँच के प्रावधानों के साथ अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) का पंजीकरण।
    - पूछताछ में मृतक के परिजनों को शामिल करना।
    - गोपनीय सूचनाओं का लिखित रिकॉर्ड रखना।
    - स्पष्ट और निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के लिये CID जैसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जाँच।
    - घटना के बारे में जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) या राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी जानी चाहिये, हालाँकि NHRC की भागीदारी आवश्यक नहीं है, जब तक कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच के बारे में गंभीर संदेह न हो।
  - न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन आवश्यकताओं/मानदंडों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत घोषित एक कानून मानते हुए पुलिस मुठभेड़ों में होने वाली मौत और गंभीर चोट के सभी मामलों में सख्त रवैया अपनाया जाना चाहिये।

- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC):**
  - वर्ष 1997 में NHRC ने पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों के बारे में जानकारी दर्ज करने, राज्य CID (केंद्रीय जाँच विभाग) द्वारा स्वतंत्र जाँच की अनुमति देने और पुलिस अधिकारियों के दोषी होने की स्थिति में मृतक के आश्रितों को मुआवज़ा देने के लिये दिशा-निर्देश प्रदान किये।
  - वर्ष 2010 में इन दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया था ताकि प्राथमिकी दर्ज करना, मजिस्ट्रेटी जाँच करना और सभी मौतों के मामलों की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक द्वारा NHRC को दी जाए। तीन महीने के बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, जाँच रिपोर्ट और पूछताछ के निष्कर्षों के साथ दूसरी रिपोर्ट भेजी जानी चाहिये।

The Vision

नोट :

रिट (WRITS)

Drishti IAS

रिट के प्रकार	उद्देश्य	जिनके विरुद्ध जारी की जा सकती है	जिनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)	अवैध मामले के लिये हिरासत में लिये गए व्यक्ति को छोड़ने का निर्देश देना	A. सार्वजनिक प्राधिकरणों B. निजी व्यक्तियों	A. निवारक निरोध B. न्यायालय/विधायिका की अवमानना से संबंधित कार्रवाई C. न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के बाहर हिरासत
परमादेश (Mandamus)	एक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्त्तव्य करने के लिये निर्देशित करना	A. सार्वजनिक निकाय B. निगम C. एक अवर न्यायालय D. ट्रिब्यूनल E. सरकार	A. निजी व्यक्ति/ निकाय B. जब विवेकानुसार कर्तव्य हो C. संविदात्मक दायित्व D. राष्ट्रपति, राज्यपाल E. CJI, HC की न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे CJ
अधिकार पृच्छा (Qua Warranto)	अवैध तरीके से ग्रहण किये गए पद को रिक्त करने के लिये किसी व्यक्ति को निर्देशित करना	केवल न्यायिक/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध	प्रशासनिक, विधायी और निजी निकाय तथा व्यक्ति
प्रतिषेध (Prohibition)	अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले पर कार्रवाई करने से रोकना	न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध	विधायी और निजी निकाय तथा व्यक्ति
उत्प्रेषण (Certiorari)	एक उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कार्रवाई से हटा देता है और इसे अपने समक्ष ले आता है	केवल एक वैधानिक/संवैधानिक सार्वजनिक कार्यालय	A. मंत्रालयी कार्यालय B. निजी कार्यालय

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 32:
  - SC रिट जारी कर सकता है
  - संसद किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है (हालाँकि, अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है)

अनुच्छेद 32 के तहत, SC को मौलिक अधिकारों के रक्षक और गारंटीकर्त्ता के रूप में स्थापित किया गया है

- अनुच्छेद 226:
  - Hcs रिट जारी कर सकते हैं

1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के HCs के पास रिट जारी करने की शक्ति थी

रिट क्षेत्राधिकार

विशेषताएँ	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय
रिट जारी करने का उद्देश्य	केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिये	कानूनी के साथ-साथ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिये
किसी व्यक्ति/सरकार के विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है	भारत के पूरे क्षेत्र में कहीं भी	केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार के भीतर स्थित क्षेत्र में या यदि कार्रवाई उसके क्षेत्रीय अधिकार वाले क्षेत्र में घटित होती है
रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से मनाही का अधिकार	क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं एक FR है इसलिये मनाही का विकल्प नहीं है	अनुच्छेद 226 के तहत उपचार के रूप में मनाही विवेकाधीन है

आगे की राह

- पुलिस मुठभेड़ में होने वाली मौतों की स्वतंत्र जाँच की जानी चाहिये क्योंकि इनसे विधि के शासन का नियम प्रभावित होता है। यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि समाज में एक कानून व्यवस्था विद्यमान हो जिसका प्रत्येक राज्य प्राधिकरण और जनता द्वारा पालन किया जाना चाहिये।
- पुलिस कर्मियों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करने और उन्हें सभी प्रासंगिक कौशल से युक्त करने के लिये मानक दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने की आवश्यकता है ताकि वे किसी भी गंभीर स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट सकें।
- मुठभेड़ों में हुई हत्याओं की बढ़ती संख्या मानवाधिकारों के उल्लंघन का कारण बन रही है, इसलिये पुलिस अधिकारियों को मानवाधिकारों के महत्त्व के बारे में शिक्षित करना और इन गैरकानूनी हत्याओं को रोकना आवश्यक है।

असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद का समाधान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच वर्ष 1972 से चले आ रहे सीमा विवाद का स्थायी समाधान हो गया है।

नोट :

- असम और अरुणाचल प्रदेश 804 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं।

समझौते के प्रमुख बिंदु:

- इस समझौते से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, प्रशासनिक सुविधा, सीमा की निकटता और निवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के बीच 700 किलोमीटर से अधिक की सीमा को कवर करने वाले 123 गाँवों से संबंधित विवाद का समाधान होने की उम्मीद है।
  - यह अंतिम समझौता होगा जिसके अंतर्गत कोई भी राज्य भविष्य में किसी भी क्षेत्र या गाँव से संबंधित कोई नया दावा नहीं करेगा
- समझौते के बाद सीमाओं का निर्धारण करने के लिये दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा।

भारत में राज्यों के बीच अन्य सीमा विवाद:

- **कर्नाटक-महाराष्ट्र:**
  - उत्तरी कर्नाटक में बेलगावी, कारवार और निपानी को लेकर सीमा विवाद काफी पुराना है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, जब राज्य की सीमाओं को भाषायी आधार पर पुन: तैयार किया गया, तो बेलगावी पूर्ववर्ती मैसूर राज्य का हिस्सा बन गया।
    - यह अधिनियम न्यायमूर्ति फज़ल अली आयोग के निष्कर्षों पर आधारित था जिसे 1953 में नियुक्त किया गया था और इसने दो वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
    - महाराष्ट्र का दावा है कि बेलगावी के कुछ हिस्से, जहाँ मराठी प्रमुख भाषा है, को महाराष्ट्र में ही रहना चाहिये।
  - अक्तूबर 1966 में केंद्र ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद को हल करने के लिये महाजन आयोग की स्थापना की।
    - आयोग ने सिफारिश की कि बेलगाम और 247 गाँव कर्नाटक में ही रहेंगे। महाराष्ट्र ने रिपोर्ट को खारिज़ कर दिया और वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया
- **असम-मिज़ोरम:**
  - असम और मिज़ोरम के बीच सीमा विवाद वर्ष 1875 और वर्ष 1933 की ब्रिटिश काल की दो अधिसूचनाओं की विरासत है, जब मिज़ोरम को असम का एक ज़िला लुशाई हिल्स कहा जाता था।
    - वर्ष 1875 की अधिसूचना ने लुशाई हिल्स को कछार के मैदानों से तथा लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच अन्य सीमांकित सीमा से अलग कर दिया।
  - जबकि मिज़ोरम विद्रोह के वर्षों के बाद वर्ष 1987 में ही एक राज्य बन गया था, यह अभी भी वर्ष 1875 में तय की गई सीमा पर ज़ोर देता है।
    - दूसरी ओर असम वर्ष 1986 में (1933 की अधिसूचना के आधार पर) सीमा का सीमांकन चाहता था
- **हरियाणा-हिमाचल प्रदेश:**
  - दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर परवाणू क्षेत्र सुर्खियों में रहा है।
  - यह हरियाणा के पंचकुला ज़िले के निकट है और हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश में भूमि के कुछ हिस्सों पर अपना दावा जताया है।
- **हिमाचल प्रदेश-लद्दाख:**
  - हिमाचल और लद्दाख लेह तथा मनाली के बीच के मार्ग के एक क्षेत्र सरचू पर दावा करते हैं।
  - यह एक प्रमुख बिंदु है जहाँ यात्रीगण इन दो शहरों के बीच यात्रा के दौरान रुकते हैं।
  - सरचू हिमाचल के लाहुल तथा स्पीति ज़िले और लद्दाख के लेह ज़िले के बीच में है।
- **मेघालय-असम:**
  - असम और मेघालय के बीच सीमा को लेकर समस्या तब शुरू हुई जब मेघालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 को चुनौती दी जिसके तहत मिकिर हिल्स अथवा वर्तमान के कार्बी आंगलोंग ज़िले के खंड I और II असम को सौंप दिये गए थे।
  - मेघालय का तर्क है कि जब वर्ष 1835 में दोनों खंडों को अधिसूचित किया गया था, तब ये दोनों खंड तत्कालीन संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स ज़िले का हिस्सा थे।
- **असम-नगालैंड:**
  - वर्ष 1963 में नगालैंड राज्य के रूप में स्थापित होने के तुरंत बाद सीमा संबंधी विवाद की शुरुआत हो गई।
  - नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962 के तहत वर्ष 1925 की एक अधिसूचना के अनुसार, राज्य की सीमाओं को परिभाषित किया गया था जब नगा हिल्स और तुएनसांग क्षेत्र (NHTA) को एक नई प्रशासनिक इकाई में एकीकृत किया गया था।
  - हालाँकि नगालैंड सीमा रेखांकन को स्वीकार नहीं करता है और उसने मांग की है कि नए राज्य में उत्तरी कछार और नागाँव ज़िलों में सभी नगा बहुल क्षेत्र शामिल होने चाहिये।
  - राज्य के तुरंत बाद असम और नगालैंड के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1965 में पहला सीमा संघर्ष हुआ।
    - इसके बाद क्रमश: वर्ष 1968, 1979, 1985, 2007 और 2014 में सीमा पर दोनों राज्यों के बीच बड़ी झड़पें हुईं।

नोट :

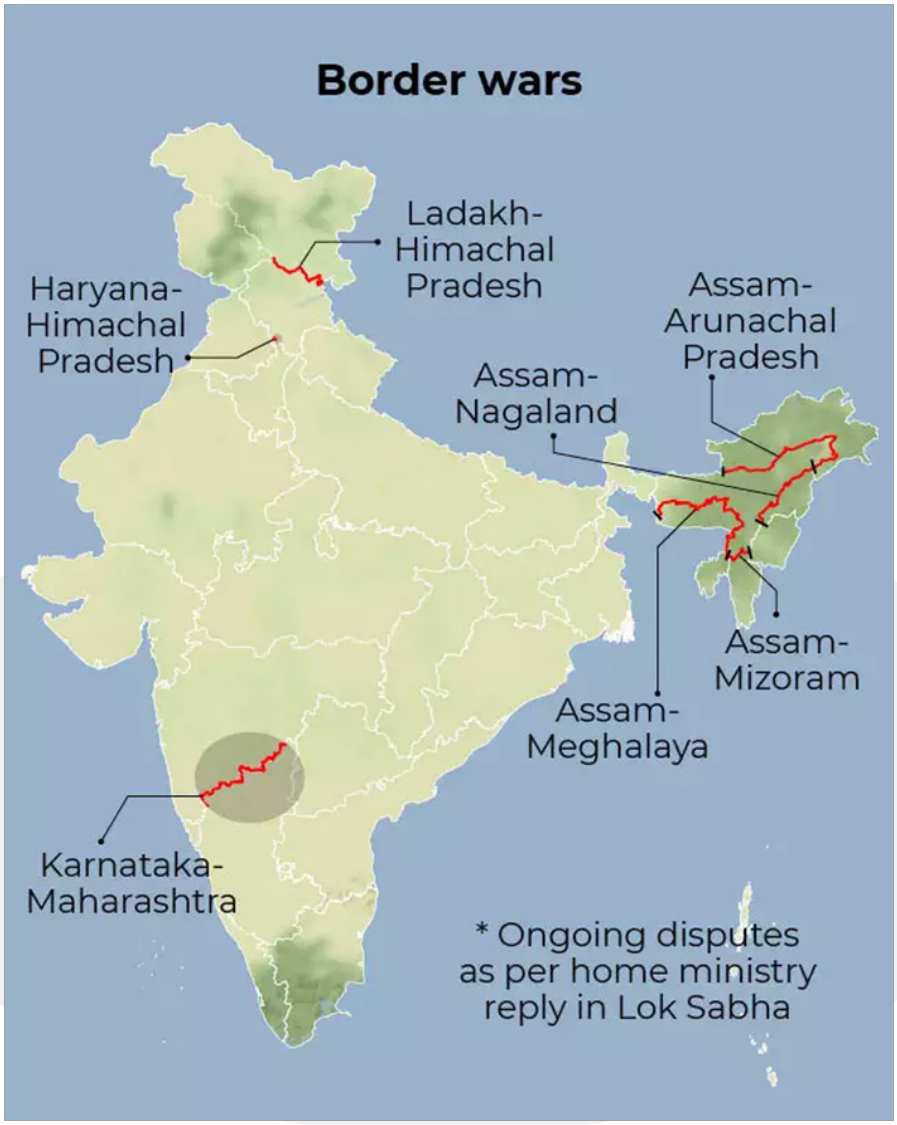

भारत में सीमा विवादों के समाधान के अन्य तरीके:

- **अनुसूचित जाति के विशेष मूल अधिकार क्षेत्र के माध्यम से:**
  - भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के पास अनन्य मूल क्षेत्राधिकार है, जिसका अर्थ है कि कोई अन्य न्यायालय इन मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है:
    - यह भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों को सुनवाई कर सकता है।
    - यह एक तरफ भारत सरकार और किसी भी राज्य (राज्यों) और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई कर सकता है।
    - यह दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों को सुनवाई कर सकता है यदि विवाद में कानून या तथ्य का प्रश्न शामिल है जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्त्व या सीमा निर्भर करती है।
  - क्षेत्राधिकार से संबंधित सीमाएँ: सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन संधियों, समझौतों, प्रसंविदाओं, अनुबंधों या इसी तरह के अन्य आयामों से उत्पन्न होने वाले ऐसे विवादों तक नहीं है जो संविधान के प्रारंभ से पहले दर्ज किये गए थे या इनके द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है कि इसका क्षेत्राधिकार ऐसे विवादों तक विस्तारित नहीं होगा।

नोट :

- **अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा:**
  - संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है।
  - यह राज्यों के बीच चर्चा और विवादों के समाधान के साथ-साथ राज्यों या संघ एवं एक या अधिक राज्यों के बीच सामान्य हितों से संबंधित विषयों पर चर्चा हेतु एक मंच के रूप में कार्य करती है।
  - वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी।
    - वर्ष 2021 में इस परिषद का पुनर्गठन किया गया था।

राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल की सहमति के लिये भेजे गए विधेयकों को "जितनी जल्दी हो सके" वापस कर दिया जाना चाहिये, उन्हें रोकना नहीं चाहिये, क्योंकि राज्यपाल की शिथिलता के कारण राज्य विधानसभाओं को अनिश्चित काल तक इंतजार करना पड़ता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना राज्य द्वारा दायर एक याचिका में अपने न्यायिक आदेश में कहा कि राज्यपाल के पास भेजे गए कई महत्त्वपूर्ण विधेयकों को लंबित रखा गया है।

राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ:

- **अनुच्छेद 200:**
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को सहमति के लिये राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जो या तो सहमति दे सकता है, सहमति को रोक सकता है या राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिये विधेयक को आरक्षित कर सकता है।
  - राज्यपाल सदन या सदनों द्वारा पुनर्विचार का अनुरोध करने वाले संदेश के साथ विधेयक को वापस भी कर सकता है।
- **अनुच्छेद 201:**
  - इसमें कहा गया है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित होता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है या उस पर रोक लगा सकता है।
  - राष्ट्रपति विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिये राज्यपाल को उसे सदन या राज्य के विधानमंडल के सदनों को वापस भेजने का निर्देश भी दे सकता है।
- **राज्यपाल के पास उपलब्ध विकल्प:**
  - वह सहमति दे सकता है या विधेयक के कुछ प्रावधानों या विधेयक पर स्वयं पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए इसे विधानसभा को वापस भेज सकता है।
  - वह राष्ट्रपति के विचार के लिये विधेयक को आरक्षित कर सकता है, लेकिन ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब राज्यपाल की यह राय है कि विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को जोखिम में डाल सकता है।
  - वह राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को आरक्षित कर सकता है। आरक्षण अनिवार्य है जहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। हालाँकि राज्यपाल विधेयक को आरक्षित भी कर सकता है यदि यह निम्नलिखित प्रकृति का हो:
    - संविधान के प्रावधानों के खिलाफ
    - नीति निदेशक तत्त्वों का विरोध
    - देश के व्यापक हित के खिलाफ
    - गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व का,
    - संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो।
  - एक अन्य विकल्प सहमति को रोकना है, लेकिन ऐसा सामान्य रूप से किसी भी राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक अत्यंत अलोकप्रिय कार्यवाही होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की सलाह:

- संविधान के अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विधानसभाओं द्वारा पारित किये जाने के बाद उन्हें सहमति के लिये भेजे गए विधेयकों पर राज्यपालों को देरी नहीं करनी चाहिये।
- "जितनी जल्दी हो सके" उन्हें लौटा दिया जाना चाहिये और अपने पास लंबित नहीं रखना चाहिये। इस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति "जितनी जल्दी हो सके" का महत्त्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य है और संवैधानिक प्राधिकारी को इसे ध्यान में रखना चाहिये।

राज्यपाल द्वारा विलंब के हाल के उदाहरण:

- तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि सदन में लाए गए विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति के लिये एक समय-सीमा निर्धारित की जाए।
  - उदाहरण के लिये तमिलनाडु के राज्यपाल ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) से छूट वाले विधेयक को काफी विलंब के बाद राष्ट्रपति को भेजा।
- केरल में राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई घोषणा कि वह लोकायुक्त संशोधन विधेयक और केरल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को स्वीकृति नहीं देंगे, की वजह से अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

नोट :

विलंबित सहमति के खिलाफ कानूनी तर्क:

- **राज्यों का संवैधानिक दायित्त्व:**
  - विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की निष्क्रियता एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जहाँ राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है।
  - यदि राज्यपाल संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्त्व है कि वह अनुच्छेद 355 को लागू करे और यह अनुरोध करते हुए राष्ट्रपति को सूचित करे कि सरकार की प्रक्रिया संविधान के अनुसार संचालित हो, यह सुनिश्चित करने के लिये राज्यपाल को उचित निर्देश जारी किये जाएँ।
- **सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:**
  - संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को अपनी शक्तियों का प्रयोग कर किये गए किसी भी कार्य के लिये अदालती कार्यवाही से पूर्ण छूट प्राप्त है।
    - यह प्रावधान तब एक अजीब स्थिति उत्पन्न करता है जब किसी सरकार को किसी विधेयक पर सहमति रोकने की राज्यपाल की कार्रवाई को चुनौती देने की आवश्यकता हो सकती है।
    - अत: राज्यपाल को यह घोषणा करते हुए कि वह किसी विधेयक पर सहमति नहीं देता/देती है, उसे इस तरह की अस्वीकृति के कारण का खुलासा करना होगा, एक उच्च संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते वह मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता/सकती है।
  - यदि इनकार करने का आधार दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचार या अधिकारातीत प्रतीत होता है, तो राज्यपाल के इनकार करने की कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है।
    - रामेश्वर प्रसाद और ओआरएस बनाम भारत संघ एवं एएनआर मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इन बिंदुओं को तय किया है।
    - न्यायालय ने निर्णय दिया कि "अनुच्छेद 361(1) द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षा दुर्भावना के आधार पर कार्रवाई की वैधता की समीक्षा करने की न्यायालय की क्षमता को सीमित नहीं करती है।

विदेशों में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथाएँ:

- **यूनाइटेड किंगडम:**
  - किसी विधेयक को कानून बनाने के लिये शाही सहमति की आवश्यकता की प्रथा यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है, लेकिन अभ्यास और उपयोग से क्राउन के पास कानून को खत्म करने का अधिकार नहीं है। विवादास्पद आधारों पर शाही सहमति को अस्वीकार करना असंवैधानिक के रूप में देखा जाता है।
- **अमेरिका:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, लेकिन इसे प्रत्येक सदन के दो-तिहाई सदस्यों के साथ फिर से पारित किये जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है।

नोट:

- अन्य लोकतांत्रिक देशों में सहमति से इनकार की प्रथा देखने को नहीं मिलती है और कुछ मामलों में संविधान द्वारा एक उपाय प्रदान किया जाता है ताकि सहमति से इनकार के बावजूद विधायिका द्वारा पारित विधेयक कानून बन सके।

आगे की राह

- संविधान निर्माताओं को इस बात का अनुमान नहीं था कि अनुच्छेद 200 के तहत राजपाल किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई किये बिना अनिश्चितकाल तक के लिये उसे अपने पास रख सकता है।
- राज्यपाल की ओर से टालमटोल एक नई घटना है जिसके लिये संविधान के ढाँचे में कुछ नए बदलाव किये जाने की आवश्यकता है। इसलिये सर्वोच्च न्यायालय को देश में संघवाद के हित में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर निर्णय लेने के लिये राज्यपालों हेतु एक उचित समय सीमा निर्धारित करनी चाहिये।

संज्ञेय अपराधों में FIR का प्रावधान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पहलवानों द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोपों पर भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की मांग की गई है।

- सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय से कहा कि दिल्ली पुलिस को लगता है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले एक 'प्रारंभिक जाँच' करने की आवश्यकता है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की यौन उत्पीड़न एवं यौन हमले से संबंधित धाराएँ संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आती हैं।
- चूँकि शिकायतकर्त्ताओं में एक नाबालिग शामिल है, इसलिये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012 के तहत FIR के प्रावधान लागू होते हैं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR):

- **परिचय:**
  - प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पुलिस द्वारा तैयार किया गया एक लिखित दस्तावेज़ है, जिसे एक संज्ञेय अपराध के किये जाने की सूचना पर दर्ज किया जाता है।

नोट :

- FIR दर्ज करना जाँच की दिशा में पहला कदम है।
- यह जाँच को गति प्रदान करता है जिसके तहत पुलिस निम्नलिखित कार्यवाही कर सकती है:
  - आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ
  - साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दायर करना
  - यदि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जाँच से कोई परिणाम नहीं निकलता है तो क्लोज़र रिपोर्ट दर्ज करना

- **संज्ञेय अपराधों में FIR का पंजीकरण:**
  - धारा 154 (1), CrPC एक संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में सक्षम बनाती है।
    - एक संज्ञेय अपराध/मामला वह अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है।
  - इस कानून में 'ज़ीरो एफआईआर' दर्ज करने का भी प्रावधान है।
    - ऐसे मामले जिसमें कथित अपराध संबंधित थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं किया गया है, वहाँ भी पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर सकती है और इसे संबंधित पुलिस थाने में स्थानांतरित कर सकती है।
- **प्राथमिकी दर्ज करने में विफलता:**
  - न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (2013) की सिफारिश के आधार पर भारतीय दंड संहिता में धारा 166A शामिल की गई थी।
  - इस धारा में कहा गया है कि अगर कोई लोक सेवक जान-बूझकर कानून के किसी भी निर्देश की अवज्ञा करता है, जैसे कि संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे दी गई किसी भी जानकारी को रिकॉर्ड करने में विफल होना, तो उसे दो वर्ष तक की कैद हो सकती है व उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

POCSO अधिनियम, 2012 के तहत प्राथमिकी का प्रावधान:

- अधिनियम की धारा 19 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे यह आशंका है कि POCSO अधिनियम के तहत अपराध किया गया है, ऐसी जानकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को प्रदान करेगा।
  - अनुभाग को लिखित रूप में प्राथमिकी दर्ज करने की भी आवश्यकता होती है।
- अधिनियम की धारा 21 में यह भी कहा गया है कि किसी अपराध की रिपोर्ट या रिकॉर्डिंग नहीं करने पर छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  - इसलिये अधिनियम कोई शिकायत प्राप्त होने पर, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य बनाता है।

प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जाँच:

- सर्वोच्च न्यायालय ने ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार एवं अन्य (2013) मामले में कहा कि अगर संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो CrPC की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है।
- FIR दर्ज करने के चरणो में अन्य विचार प्रासंगिक नहीं हैं जैसे कि कौन-सी सूचना गलत दी गई है, कौन-सी सूचना वास्तविक है, कौन-सी सूचना विश्वसनीय है आदि।
- उसने यह भी कहा, "प्रारंभिक जाँच का दायरा प्राप्त सूचनाओं की सत्यता या अन्यथा की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाना है कि कौन-सी सूचना किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।"
- उसने उन मामलों की श्रेणियों की एक विस्तृत सूची दी, जहाँ इस तरह की जाँच की जा सकती है, जिसमें पारिवारिक विवाद, व्यावसायिक अपराध, चिकित्सकीय लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामले या ऐसे मामले शामिल हैं, जहाँ मामले की सूचना देने में असामान्य देरी हुई है।
- न्यायालय ने कहा कि सात दिन से अधिक जाँच नहीं होनी चाहिये।

पुलिस द्वारा प्राथमिकी न दर्ज करने पर किये जाने योग्य उपाय:

- CrPC की धारा 154 (3) कहती है कि एक व्यक्ति जो पुलिस प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार किये जाने से व्यथित है, पुलिस अधीक्षक को सूचना भेज सकता है।
- CrPC की धारा 156 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने से व्यथित है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत की जा सकती है। मजिस्ट्रेट तब पुलिस स्टेशन को मामला दर्ज करने का आदेश दे सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत को प्राथमिकी माना जाएगा और पुलिस इसकी जाँच शुरू कर सकती है।
  - यह पुलिस को बिना किसी औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अपराध की जाँच करने की भी अनुमति देता है।

दीमा हसाओ शांति समझौता: असम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) ने असम सरकार एवं केंद्र सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- सितंबर 2021 में DNLA ने मुख्यमंत्री की अपील के पश्चात् छह माह की अवधि के लिये एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी तभी से संघर्ष-विराम में वृद्धि हुई है।

नोट :

समझौते का उद्देश्य:

- एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं जो DNLA को अपने हथियार डालने और भारत के संविधान का पालन करने के लिये मज़बूर करता है।
  - इससे समूह अपने सशस्त्र संगठन को भंग कर देगा, DNLA कैडरों के कब्ज़े वाले सभी शिविरों को खाली कर देगा और मुख्यधारा में शामिल हो जाएगा।
  - कुल 179 DNLA कैडर अपने हथियार और गोला-बारूद सौंपेंगे।
- दिमासा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक को 500 करोड़ रुपए प्रदान करेगी।
- दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना असम सरकार द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु एक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषायी पहचान की रक्षा, संरक्षण तथा बढ़ावा देने के लिये की जाएगी और यह उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (NCHAC) के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले दिमासा लोगों का त्वरित तथा केंद्रित विकास सुनिश्चित करेगा।
  - NCHAC का संचालन दिमासा जनजातीय क्षेत्र में किया जाता है।
- समझौता ज्ञापन भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के तहत एक आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है, जो परिषद के साथ NCHAC से जुड़े अतिरिक्त गाँवों को शामिल करने की मांग की जाँच करेगा।
  - अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक विभाग, जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता है, स्वायत्त ज़िला परिषदों (ADC) के गठन का प्रावधान करती है।

दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA):

- यह असम के दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग ज़िलों में सक्रिय एक विद्रोही समूह है।
- DNLA की स्थापना अप्रैल 2019 में दिमासा आदिवासियों के लिये एक संप्रभु क्षेत्र की मांग करते हुए की गई थी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था।
- समूह का उद्देश्य "दिमासा के बीच भाईचारे की भावना विकसित करना और दिमासा साम्राज्य को पुन: प्राप्त करने के लिये दिमासा समाज के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करना" है।
- यह समूह ज़बरन वसूली और कराधान पर चलता है। यह नगालैंड के NSCN (IM) से समर्थन और जीविका प्राप्त करता है।

दिमासा:

- **परिचय:**
  - दिमासा (या दिमासा-कछारी) असम के सबसे पहले ज्ञात शासक और मूलवासी हैं तथा अब मध्य एवं दक्षिणी असम के दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, कछार, होजई एवं नागाँव ज़िलों के साथ-साथ नगालैंड के कुछ हिस्सों में रहते हैं।
    - कुछ इतिहासकार उन्हें "आदिवासी" या "ब्रह्मपुत्र घाटी के सबसे पहले ज्ञात निवासी" के रूप में वर्णित करते हैं।
  - अहोम शासन से पहले दिमासा राजाओं- जिन्हें प्राचीन कामरूप साम्राज्य के शासकों का वंशज माना जाता था, ने 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट के साथ असम के बड़े हिस्सों पर शासन किया था।
  - उनकी सबसे पुरानी ऐतिहासिक रूप से ज्ञात राजधानी दीमापुर (अब नगालैंड में) थी और बाद में उत्तरी कछार हिल्स में मैबांग थी।
  - यह एक शक्तिशाली राज्य था और 16वीं शताब्दी में इसने ब्रह्मपुत्र के लगभग पूरे दक्षिणी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा था।
- **सुरक्षा:**
  - दीमा हसाओ ज़िला और कार्बी आंगलोंग दोनों को भारत के संविधान द्वारा दी गई छठी अनुसूची का दर्जा प्राप्त है।
  - वे क्रमश: उत्तरी कछार पर्वतीय स्वायत्त परिषद (NCHAC) और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) द्वारा चलाए जाते हैं।
  - स्वायत्त परिषद एक शक्तिशाली निकाय है और पुलिस एवं कानून व्यवस्था को छोड़कर सरकार के लगभग सभी विभाग इसके नियंत्रण में हैं जो असम सरकार के अधीन हैं।

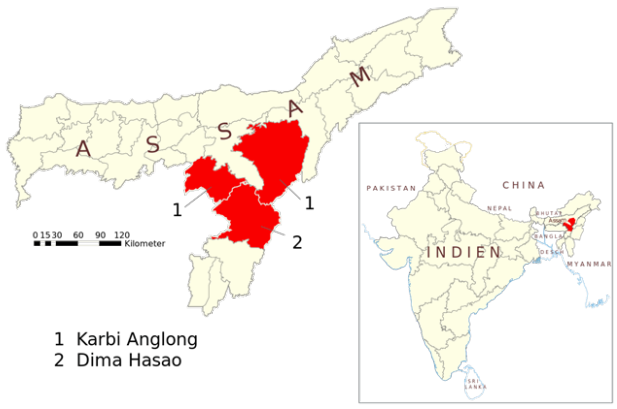

1 Karbi Anglong
2 Dima Hasao

नोट :

दीमा हसाओ क्षेत्र में उग्रवाद का इतिहास:

- **उग्रवाद:**
- **असम के पहाड़ी ज़िलों**, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ में कार्बी एवं दिमासा समूहों के विद्रोह का एक लंबा इतिहास रहा है, जो वर्ष 1990 के दशक के मध्य में चरम पर था, यह मुख्य रूप से अलग राज्य की मांग पर आधारित था।
  - दीमा हसाओ क्षेत्र में अविभाजित असम के अन्य आदिवासी वर्गों के साथ 1960 के दशक में अलग राज्य की मांग शुरू हुई।
  - जब मेघालय जैसे नए राज्यों की स्थापना की गई थी, कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार सरकार द्वारा अधिक शक्ति प्रदान किये जाने के वादे की वजह से असम के साथ बने रहे, जिसमें अनुच्छेद 244 (A) को लागू करना शामिल था। यह अनुच्छेद कुछ जनजातीय क्षेत्रों में असम के भीतर एक 'स्वायत्त राज्य' की अनुमति देता है। इसे कभी लागू नहीं किया गया।
- **दिमासा राष्ट्रीय सुरक्षा बल:**
  - 'दिमाराजी' के रूप में एक पूर्ण राज्य की मांग में काफी वृद्धि देखने के उपरांत वर्ष 1991 में उग्रवादी दिमासा राष्ट्रीय सुरक्षा बल (DNSF) का गठन किया गया।
    - मांग करने वाले समूह ने वर्ष 1995 में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इसके कमांडर-इन-चीफ (जेवेल गोरलोसा) ने इससे अलग दीमा हलाम दाओगाह (DHD) का गठन किया।
  - वर्ष 2003 में DHD ने सरकार के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन इसके कमांडर-इन-चीफ ने ब्लैक विडो (Black Widow) नामक एक सशस्त्र समूह के साथ मिलकर नए DHD-J (जेवेल गोरलोसा) का गठन किया।
    - यह समूह हिंसक था और इन्हें काफी समर्थन भी प्राप्त था। वर्ष 2012 इस समूह ने संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किये।

पूर्वोत्तर भारत के अन्य शांति समझौते:

- कार्बी आंगलोंग समझौता 2021
- बोडो समझौता 2020
- ब्रू-रियांग समझौता 2020
- NLFT-त्रिपुरा समझौता, 2019

The Vision

नोट :

भारतीय अर्थव्यवस्था

विश्व व्यापार संगठन पैनल का भारत के खिलाफ फैसला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व व्यापार संगठन पैनल ने यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क संबंधी विवाद में भारत के खिलाफ फैसला सुनाया है।

प्रमुख बिंदु

- **पृष्ठभूमि:**
  - भारत का लक्ष्य घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना रहा है, लेकिन यूरोपीय संघ और अन्य देशों द्वारा इस दृष्टिकोण को चुनौती दी गई है जिनका तर्क है कि ऐसे उपाय संरक्षणवादी हैं तथा वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं।
  - वर्ष 2019 में यूरोपीय संघ ने एकीकृत सर्किट, मोबाइल फोन और घटकों सहित विभिन्न IT उत्पादों पर 7.5% से 20% तक आयात कर लगाने के भारत के फैसले को चुनौती दी तथा दावा किया कि ये दरें अनुमत सीमा से अधिक हैं।
  - जापान और ताइवान द्वारा भी यही शिकायत की गई है।
- **आदेश/निर्णय:**
  - पैनल का मानना था कि भारत द्वारा कुछ सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर लगाया गया सीमा शुल्क वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन है, इसका मुख्य कारण उन उत्पादों का सूचना प्रौद्योगिकी समझौते की शर्तों के साथ असंगत होना माना गया है।
    - ITA एक वैश्विक व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य IT उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सीमा शुल्क को समाप्त करना है। भारत वर्ष 1996 के वैश्विक व्यापार समझौते का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
  - इस फैसले ने वैश्विक मानदंडों और दायित्वों के साथ अपनी व्यापार नीतियों को संरेखित करने के लिये भारत की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
  - यह उन चुनौतियों को भी रेखांकित करता है जिनका सामना भारत जैसे विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबद्धताओं के साथ अपनी घरेलू नीति में संतुलन हेतु करना पड़ता है।
- **भारत का तर्क:**
  - भारत ने तर्क दिया कि ITA पर हस्ताक्षर करते समय स्मार्टफोन जैसे उत्पाद मौजूद नहीं थे और इसलिये यह ऐसी वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करने के लिये बाध्य नहीं है।
- **आशय:**
  - यूरोपीय आयोग के अनुसार, यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका हिस्सा वर्ष 2021 में कुल भारतीय व्यापार का 10.8 प्रतिशत था।
  - भारत के खिलाफ WTO के निर्णय का भारत और यूरोपीय संघ के साथ-साथ जापान तथा ताइवान के बीच व्यापार संबंधों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
  - यूरोपीय संघ और अन्य देशों द्वारा प्रस्तुत चुनौती के चलते भारत को आयात शुल्क कम करना या समाप्त करना पड़ सकता है। इसका भारत के घरेलू विनिर्माण क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने की आशंका है, जिसे इस प्रकार के टैरिफ द्वारा संरक्षित किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन के निर्णय के बाद भारत के पास विकल्प:

- भारत के पास IT टैरिफ पर WTO के फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है, लेकिन यदि भारत अपील करता है तो मामला कानूनी उत्पीड़न के तहत माना जाएगा।
- ऐसा इसलिये है क्योंकि WTO की शीर्ष अपीलीय पीठ न्यायाधीश नियुक्तियों के अमेरिकी विरोध के कारण अब कार्य नहीं कर रही है।
  - कानूनी शोधन (Legal Purgatory) का उपयोग ऐसी स्थिति का वर्णन करने के लिये किया जाता है जहाँ एक कानूनी मामला या विवाद बिना समाधान या स्पष्ट मार्ग के कारण अधर में लटका हो।
  - यह स्थिति उन देशों के लिये विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है जो व्यापार विवादों को पारदर्शी और नियम-आधारित तरीके से हल करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि यह विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र की प्रभावशीलता को कम करता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO):

- **परिचय:**
  - यह वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनज़र स्थापित टैरिफ और व्यापार (GATT) पर सामान्य समझौते का उत्तराधिकारी है।

नोट :

- इसका उद्देश्य संभावित व्यापार प्रवाह को सुचारु, स्वतंत्र बनाने में मदद करना है।
- इसमें 164 सदस्य शामिल हैं और विश्व व्यापार इनकी 98% की हिस्सेदारी है।

- इसे GATT के तहत आयोजित व्यापार वार्ताओं या दौरों की एक शृंखला के माध्यम से विकसित किया गया था।
  - GATT बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का एक समूह है जिसका उद्देश्य कोटा समाप्त करना और अनुबंध करने वाले देशों के बीच टैरिफ शुल्क में कमी करना है।
- विश्व व्यापार संगठन के नियम-समझौते सदस्यों के बीच बातचीत का परिणाम हैं।
  - वर्तमान स्वरूप काफी हद तक वर्ष 1986-94 उरुग्वे दौर की वार्ता का परिणाम है, जिसमें मूल GATT में एक बड़ा संशोधन शामिल था।
- विश्व व्यापार संगठन का सचिवालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित है।

विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन:

- यह विश्व व्यापार संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है और आमतौर पर हर दो साल में इसकी बैठक होती है।
- विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शामिल होते हैं और वे किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत आने वाले सभी मामलों पर निर्णय ले सकते हैं।

- **चिंताएँ:**
  - न्यायाधीश नियुक्तियों को लेकर अमेरिकी विरोध के कारण WTO के शीर्ष अपीलीय अधिकारी अब काम नहीं कर रहे हैं।
  - वर्तमान स्थिति उन चुनौतियों को उजागर करती है जिनका सामना विश्व व्यापार संगठन को वर्तमान वैश्विक संदर्भ में व्यापार विवादों को हल करने में करना पड़ता है, देश संरक्षणवादी उपायों को तेज़ी से अपना रहे हैं जो नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को चुनौती दे रहे हैं।

अयस्कों के अवैध खनन से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय खान ब्यूरो (Indian Bureau of Mines- IBM) ने ओडिशा में मैंगनीज़ के अवैध खनन और परिवहन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को चिह्नित किया है।

- IBM, खान मंत्रालय के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक सरकारी संगठन है, जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिजों तथा लघु खनिजों के अलावा खानों के संरक्षण, खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने में लगा हुआ है।

IBM की चिंताएँ:

- ओडिशा भारत का एक खनिज समृद्ध राज्य है जहाँ देश का 96.12% क्रोम अयस्क, 51.15% बॉक्साइट रिज़र्व, 33.61% हेमेटाइट लौह अयस्क और 43.64% मैंगनीज़ है।
- ओडिशा में खनन पट्टाधारकों द्वारा अपनी खदानों से मैंगनीज़ अयस्क को निम्न श्रेणी के रूप में पश्चिम बंगाल के व्यापारियों को भेजा जा रहा था , जिसे वे बाद में बिना किसी प्रसंस्करण के उच्च श्रेणी के रूप में बेचते थे।
- ओडिशा में कुछ खनन कंपनियाँ खनन और परिवहन किये गए खनिजों की मात्रा को कम दर्शाने में शामिल हैं, साथ ही वे उचित रॉयल्टी और करों का भुगतान नहीं कर रही हैं।
  - ऐसे मुद्दों के पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और उन लोगों की आजीविका के लिये गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो अपने भरण-पोषण हेतु प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।
- मैंगनीज़ अयस्क ग्रेड में कमी का मुद्दा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह अयस्क की गुणवत्ता और मूल्य को प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो सकता है।
- राज्य सरकार ने खनिजों के अवैध खनन और परिवहन में शामिल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा खनन कानूनों और विनियमों को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया।
  - खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम की धारा 23C के अनुसार, राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिये नियम बनाने का अधिकार है।

अवैध खनन क्या है ?

- **विषय:**
  - अवैध खनन भूमि या जल निकायों से आवश्यक परमिट, लाइसेंस या सरकारी प्राधिकरणों से नियामक अनुमोदन के बिना खनिजों, अयस्कों या अन्य मूल्यवान संसाधनों का निष्कर्षण है।
  - इसमें पर्यावरण, श्रम और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है।
- **समस्याएँ:**
  - पर्यावरण का क्षरण:
    - यह वनों की कटाई, मिट्टी के कटाव और जल प्रदूषण का कारण बन सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप वन्यजीवों के आवासों का विनाश हो सकता है, जिसके गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं।
  - खतरा:
    - अवैध खनन में अकसर पारा और साइनाइड जैसे खतरनाक रसायनों का उपयोग शामिल होता है, जो खनिकों और आस-पास के समुदायों के लिये गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है।
  - राजस्व की हानि:
    - इससे सरकारों को राजस्व का नुकसान हो सकता है क्योंकि खनिक उचित करों और रॉयल्टी का भुगतान नहीं कर सकते हैं।
    - इसके महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं, विशेषकर उन देशों में जहाँ प्राकृतिक संसाधन राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है।
  - मानव अधिकारों के उल्लंघन:
    - अवैध खनन के परिणामस्वरूप मानव अधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है, जिसमें बलात् श्रम, बाल श्रम और कमज़ोर आबादी का शोषण शामिल है।

भारत में खनन से संबंधित कानून:

- भारत के संविधान की सूची II (राज्य सूची) की क्रम संख्या 23 की प्रविष्टि राज्य सरकार को अपनी सीमाओं के अंदर स्थित खनिजों के स्वामित्व के लिये बाध्य करती है।
- सूची I (केंद्रीय सूची) की क्रम संख्या 54 पर प्रविष्टि केंद्र सरकार को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के अंदर खनिजों के मालिक होने का अधिकार देती है।
  - इसके अनुसरण में खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम 1957 बनाया गया था।
- इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) खनिज अन्वेषण और निष्कर्षण को नियंत्रित करती है। यह संधि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्देशित है तथा संधि का एक पक्षकार होने के नाते भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में 75000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बहुधात्विक पिंडों का पता लगाने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

भारत में खनन क्षेत्र परिदृश्य:

- **परिचय:**
  - भारत में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, मैंगनीज़, ताँबा, सोना, जस्ता, सीसा और अन्य खनिजों के बड़े भंडार के साथ एक समृद्ध खनिज संसाधन आधार है।
  - भारतीय अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र का योगदान महत्त्वपूर्ण है, यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5% है और लाखों लोगों को रोज़गार प्रदान करता है।
- **आँकड़े:**
  - वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में 8.55% की वृद्धि के साथ कोयले का उत्पादन 777.31 मिलियन टन (MT) रहा।
  - वर्ष 2021 तक के प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है।
  - वित्त वर्ष 2022 में भारत में 190,392 करोड़ (24.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रुपए का खनिज उत्पादन होने का अनुमान है।
  - लौह अयस्क उत्पादन के मामले में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। वित्त वर्ष 2021 में कुल लौह अयस्क का उत्पादन 204.48 मीट्रिक टन रहा।
  - वित्त वर्ष 21 में भारत में एल्यूमीनियम का संयुक्त उत्पादन (प्राथमिक और माध्यमिक) 4.1 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष था, जिससे यह एल्यूमीनियम का विश्व का दूसरा उत्पादक बन गया।

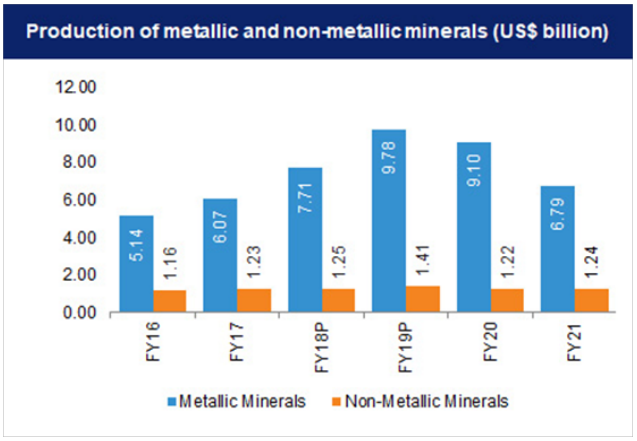

नोट :

मैंगनीज़:

- यह एक ठोस, स्लेटी रंग की धातु है जो आमतौर पर पृथ्वी की भू-पपड़ी में पाई जाती है और इसमें सबसे प्रचुर मात्रा पाया जाने वाला बारहवाँ तत्त्व है।
- मैंगनीज़ मनुष्य, पशुओं और पौधों के लिये एक आवश्यक पोषक तत्त्व है। यह कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल एवं अमीनो एसिड के चयापचय के लिये आवश्यक है।
- मैंगनीज़ का उपयोग विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें इस्पात, एल्यूमीनियम मिश्र धातु और बैटरी का उत्पादन शामिल है।
- मैंगनीज़ लौह अयस्क को गलाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग फेरो मिश्र धातुओं के निर्माण के लिये भी किया जाता है। लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में मैंगनीज़ के निक्षेप पाए जाते हैं। हालाँकि यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा है।
- ओडिशा मैंगनीज़ का प्रमुख उत्पादक है। ओडिशा में प्रमुख खानें भारत के लौह अयस्क बेल्ट के मध्य भाग में स्थित हैं, विशेष रूप से बोनाई, केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलांगीर में।

अवैध खनन के मुद्दों से निपटने के उपाय:

- **कानूनी और नियामक ढाँचा:**
  - अवैध खनन को रोकने में इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये खनन से संबंधित विधिक एवं नियामक ढाँचे को मज़बूत किये जाने की आवश्यकता है।
  - इसके लिये कानून को मज़बूत बनाकर, प्रवर्तन तंत्र में सुधार करके और अवैध खनन गतिविधियों के लिये दंडों में कुछ सख्त बदलाव किया जा सकता है।
- **जाँच एवं निगरानी:**
  - सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन और GPS जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी एवं पता लगाने में मदद मिल सकती है।
- **हितधारकों के बीच सहयोग:**
  - खनन कंपनियों को स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करना चाहिये ताकि उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके, साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी गतिविधियाँ धारणीय हैं।
- **जागरूकता और शिक्षा:**
  - जागरूकता और शिक्षा अभियान पर्यावरण एवं समाज पर अवैध खनन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद कर सकते हैं। यह लोगों को अवैध खनन गतिविधियों की सूचना अधिकारियों को देने हेतु प्रोत्साहित करेगा।
- **धारणीय खनन अभ्यास:**
  - धारणीय खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने से अवैध खनन की मांग को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - इसमें खनन कंपनियों को ज़िम्मेदार खनिज साधन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक ज़िम्मेदारी जैसी टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना शामिल है।

खनन से संबंधित सरकारी पहलें:

राष्ट्रीय खनिज नीति 2019: इसका उद्देश्य खनिज अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाना, धारणीय खनन विधियों को बढ़ावा देना एवं नियामक प्रक्रियाओं को कारगर बनाना है।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY): यह खनन प्रभावित क्षेत्रों और सागरमाला परियोजना हेतु एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र के विकास का समर्थन करने हेतु बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।

निष्कर्ष:

- अवैध खनन के मुद्दे को उजागर करने हेतु बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें कानूनी और नियामक ढाँचे को मज़बूत करना, जाँच एवं निगरानी में सुधार करना, धारणीय खनन विधियों को बढ़ावा देना तथा जागरूकता व शिक्षा अभियान शुरू करना शामिल है।

भारत की निर्यात क्षमता

चर्चा में क्यों ?

भारत में गुजरात का जामनगर शीर्ष निर्यात ज़िला है। इसने वित्त वर्ष 2023 (जनवरी तक) में मूल्य के संदर्भ में भारत के निर्यात में लगभग 24% की भागीदारी की है।

- गुजरात में सूरत और महाराष्ट्र में मुंबई उपनगर दूरी के आधार पर क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं, जिसने वित्त वर्ष 2023 में देश के निर्यात में लगभग 4.5% की भागीदारी की है।
- शीर्ष 10 में अन्य ज़िले दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक), देवभूमि द्वारका, भरूच और कच्छ (गुजरात), मुंबई (महाराष्ट्र), कांचीपुरम (तमिलनाडु) एवं गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) हैं।

नोट :

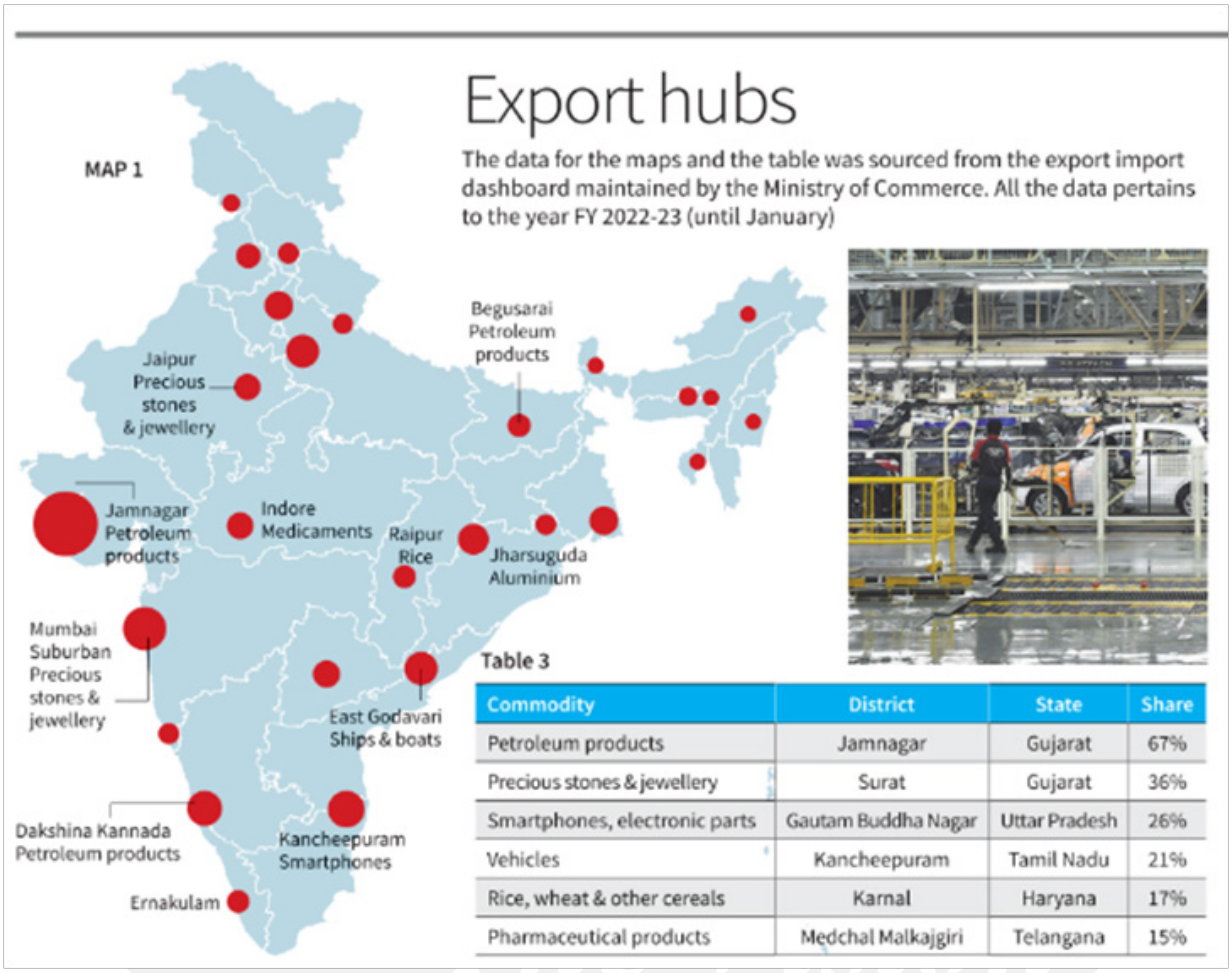

Commodity	District	State	Share
Petroleum products	Jamnagar	Gujarat	67%
Precious stones & jewellery	Surat	Gujarat	36%
Smartphones, electronic parts	Gautam Buddha Nagar	Uttar Pradesh	26%
Vehicles	Kancheepuram	Tamil Nadu	21%
Rice, wheat & other cereals	Karnal	Haryana	17%
Pharmaceutical products	Medchal Malkajgiri	Telangana	15%

भारत में निर्यात क्षेत्र की स्थिति:

- **व्यापार की स्थिति:**
  - वस्तु व्यापार घाटा, जो कि निर्यात और आयात के बीच का अंतर है, वर्ष 2022-23 में 39% से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 266.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि वर्ष 2021-22 में यह 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - वर्ष 2022-23 में व्यापारिक वस्तुओं का आयात 16.51% बढ़ा, जबकि व्यापारिक निर्यात 6.03% बढ़ा है।
    - हालाँकि सेवाओं में व्यापार अधिशेष के कारण कुल व्यापार घाटा वर्ष 2022-2023 में घटकर 122 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वर्ष 2022 में 83.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

नोट :

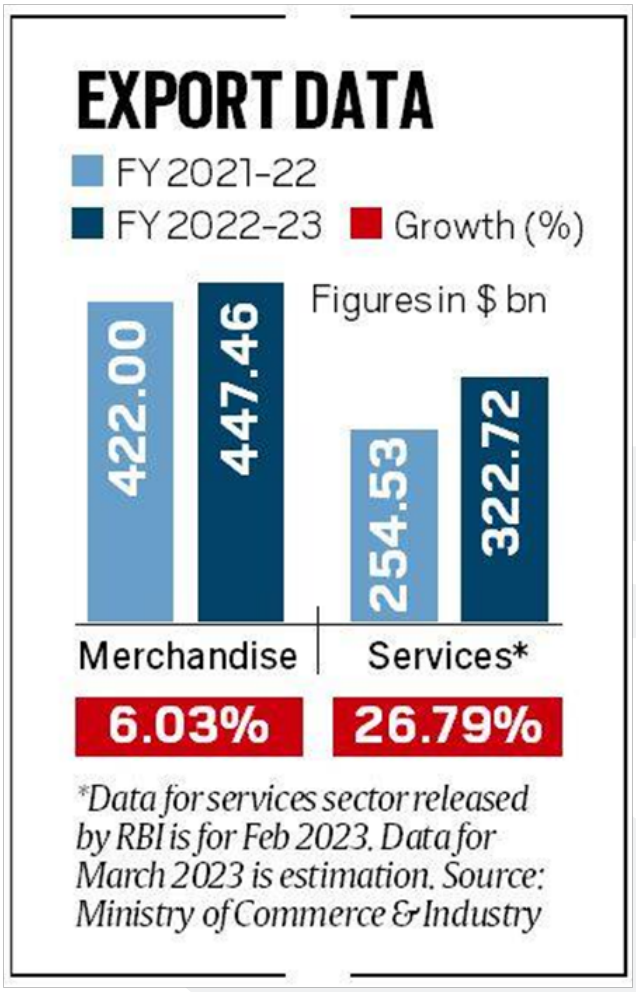

- **भारत के प्रमुख निर्यात के क्षेत्र:**
  - इंजीनियरिंग वस्तुएँ: वित्त वर्ष 2022 में 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के साथ इन्होंने निर्यात में 50% की वृद्धि दर्ज की है।
    - वर्तमान में भारत में सभी तरह के पंपों, उपकरणों, कार्बाइड, एयर कंप्रेशर्स, इंजन और जनरेटर के विनिर्माण से संबद्ध बहुराष्ट्रीय निगम रिकॉर्ड उच्च स्तर पर कारोबार कर रहे हैं और अधिकाधिक उत्पादन इकाइयों को भारत में स्थानांतरित कर रहे हैं।
  - कृषि उत्पाद: महामारी के बीच खाद्य की वैश्विक मांग की पूर्ति के लिये सरकार के प्रोत्साहन से कृषि निर्यात में उछाल आया है। भारत 9.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के चावल का निर्यात करता है, जो कृषि जिंसों में सबसे अधिक है।
  - वस्त्र एवं परिधान: वित्त वर्ष 2012 में भारत का वस्त्र एवं परिधान निर्यात (हस्तशिल्प सहित) 44.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 41% वृद्धि दर्शाता है।
    - भारत सरकार मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (MITRA) पार्क स्कीम इस क्षेत्र को व्यापक रूप से बढ़ावा दे रही है।
- **फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग्स:** भारत मात्रा के हिसाब से दवाओं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता है।
  - भारत, अफ्रीका की जेनरिक आवश्यकताओं के 50% से अधिक, अमेरिका की जेनरिक मांग के लगभग 40% और यूके की सभी दवाओं के 25% की आपूर्ति करता है।
- **निर्यात क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ:**
  - वित्त तक पहुँच: निर्यातकों के लिये किफायती और समय पर वित्त तक पहुँच महत्त्वपूर्ण है।
    - हालाँकि कई भारतीय निर्यातकों को उच्च ब्याज दरों, संपार्श्विक आवश्यकताओं और वित्तीय संस्थानों से विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) के लिये ऋण उपलब्धता की कमी के कारण वित्त प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - निर्यात का सीमित विविधीकरण: भारत का निर्यात कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है, जैसे कि इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स, जो इसे वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव एवं बाज़ार के जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
    - निर्यात का सीमित विविधीकरण भारत के निर्यात क्षेत्र के लिये एक चुनौती पेश करता है क्योंकि यह वैश्विक व्यापार गतिशीलता को बदलने के लिये अपने लचीलेपन को सीमित कर सकता है।
  - बढ़ता संरक्षणवाद और विवैश्वीकरण: विश्व भर के देश बाधित वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था (रूस-यूक्रेन युद्ध) और आपूर्ति श्रृंखला के शस्त्रीकरण के कारण संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की ओर बढ़ रहे हैं, जो भारत की निर्यात क्षमताओं को कम कर रहा है।

आगे की राह

- **अवसंरचना में निवेश:** निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये बेहतर अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स महत्त्वपूर्ण हैं।
  - भारत को परिवहन नेटवर्क, बंदरगाहों, सीमा शुल्क निकासी प्रक्रियाओं और निर्यात-उन्मुख बुनियादी ढाँचे जैसे निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्रों तथा विशेष विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिये।

नोट :

- यह परिवहन लागत को कम कर सकता है, आपूर्ति शृंखला दक्षता में सुधार कर सकता है और निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा दे सकता है।

- **कौशल विकास और प्रौद्योगिकी को अपनाना:** निर्यातोन्मुखी उद्योगों में कुशल श्रम की उपलब्धता बढ़ाने के लिये कौशल विकास कार्यक्रम लागू किये जाने चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त स्वचालन, डिजिटलीकरण और उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों जैसे प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने से निर्यात क्षेत्र में उत्पादकता, प्रतिस्पर्द्धा एवं नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।
- **संयुक्त विकास कार्यक्रमों की खोज:** विवैश्वीकरण की लहर और धीमी वृद्धि के बीच निर्यात विकास का एकमात्र इंजन नहीं हो सकता है।
  - भारत मध्यम अवधि के विकास की बेहतर संभावनाओं के लिये अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ संयुक्त विकास कार्यक्रमों का भी पता लगा सकता है।

सतत् पशुधन खेती हेतु तापीय दबाव का प्रबंधन

चर्चा में क्यों ?

केरल में तापीय दबाव सतत् पशुधन खेती हेतु एक गंभीर खतरा बन गया है।

- केरल में 95% से अधिक मवेशी देशी किस्मों की तुलना में कम तापीय सहनशक्ति वाले संकर नस्ल के हैं। केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (Kerala Veterinary and Animal Sciences University- KVASU) ने तापीय दबाव से निपटने हेतु जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मवेशियों का चयन करने के लिये एक परियोजना शुरू की है।

तापीय दबाव और पशुधन पर इसका प्रभाव:

- **परिचय:**
  - तापीय दबाव जानवरों के शारीरिक और चयापचय प्रतिक्रियाओं को संदर्भित करता है जो सामान्य सीमा से अधिक तापमान पर प्रभावी होता है।
  - यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब जानवर का शरीर अपने सामान्य आंतरिक तापमान को बनाए रखने में असमर्थ होता है और इसके परिणामस्वरूप जानवर के स्वास्थ्य एवं उसकी उत्पादकता पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
- **कारण:**
  - तापीय दबाव के कई कारक हो सकते हैं, जैसे- परिवेश का उच्च तापमान, आर्द्रता, सौर विकिरण और उचित वेंटिलेशन या शीतलन तंत्र की कमी।
    - पशुपालन के संदर्भ में यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इसके गंभीर आर्थिक और पशु कल्याण संबंधी परिणाम हो सकते हैं।
- **तापीय दबाव का प्रभाव:**
  - उत्पादकता में कमी: उच्च स्तर के तापीय दबाव से दुग्ध उत्पादन में गिरावट, चारे की कमी और पशुओं के वज़न में कमी आने जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। इससे किसानों की उत्पादकता और आय में कमी आ सकती है।
  - स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ: यह पशुओं में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें श्वसन संबंधी समस्या, हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण शामिल हैं।
    - इससे बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, प्रतिरक्षा में कमी आने के साथ-साथ उम्र भी प्रभावित हो सकती है।
  - आर्थिक नुकसान: पशुधन किसानों को तापीय दबाव और इससे उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं तथा उच्च मृत्यु दर के कारण आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
    - तापीय दबाव के प्रभावों को कम करने के लिये किसानों को अपने पशुओं को पंखे अथवा स्प्रिंकलर जैसे शीतलन तंत्र की सुविधा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त लागत का भर भी उठाना पड़ सकता है।
  - पर्यावरणीय प्रभाव: तापीय दबाव के प्रभावों को कम करने के लिये पशुओं को शीतलता प्रदान करने के लिये जल के अत्यधिक उपयोग जैसी अस्थिर प्रथाओं का सहारा लेना पड़ सकता है जिसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

पशुओं को तापीय दबाव से बचाने के उपाय:

- **प्रजनन प्रबंधन:**
  - तापीय दबाव के दौरान गायें गंभीर गर्मी के लक्षण कम प्रदर्शित करती हैं, इसलिये इन लक्षणों का अच्छे से पता लगाने के लिये एक बेहतर ताप पहचान कार्यक्रम की आवश्यकता है।
  - हमेशा यह सलाह दी जाती है कि प्रजनन हेतु बैलों का उपयोग में किये जाने के बजाय कृत्रिम गर्भाधान का इस्तेमाल करना चाहिये क्योंकि प्राकृतिक प्रजनन प्रक्रिया में बैल और गाय दोनों ही तापीय दबाव के कारण बाँझपन का शिकार हो सकते हैं।
- **शीतलन प्रणाली:**
  - पानी के छिड़काव की सुविधा के साथ ही पंखे लगाए जा सकते हैं लेकिन पानी के अत्यधिक छिड़काव से बचना चाहिये क्योंकि इससे ज़मीन अधिक गीली हो सकती है और पशुओं को मास्टिटिस तथा अन्य बीमारियों का खतरा हो सकता है। पशुशाला में हवा का बाधा मुक्त प्रवाह होना चाहिये।

नोट :

- **आहार प्रबंधन:**
  - तापीय दबाव वाले पशुओं में प्रजनन और उत्पादक प्रदर्शन कम होने का खतरा अधिक होता है।
  - उच्च गुणवत्ता वाला चारा और संतुलित आहार प्रदान किये जाने से तापीय दबाव के प्रभाव कुछ कम हो सकते हैं और पशु प्रदर्शन को बढ़ावा मिल सकता है।
- **ऊष्मा सहिष्णु पशुओं का चयन:**
  - गर्मी की सहनशीलता के लिये विशिष्ट आणविक आनुवंशिक मार्करों के आधार पर पशुओं का आनुवंशिक चयन गर्मी सहने वाले पशुओं की पहचान करके मवेशियों और भैंसों में गर्मी के तनाव को कम करने के लिये वरदान हो सकता है।

भारत में पशुधन क्षेत्र से संबंधित पहल:

- वर्ष 2014-15 से 2020-21 (स्थिर मूल्यों पर) के दौरान पशुधन क्षेत्र 7.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा और कुल कृषि GVA (सकल मूल्य वर्द्धित) में इसका योगदान वर्ष 2014-15 के 24.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 30.1 प्रतिशत रहा।
- भारत में डेयरी क्षेत्र कृषि में सबसे बड़ा है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत के योगदान के साथ 80 मिलियन डेयरी किसानों को प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार देता है।

पशुधन क्षेत्र से संबंधित पहल:

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन
- पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन

आगे की राह

- सतत् पशुधन खेती को बढ़ावा देने में एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है जिसमें उचित पशु कल्याण प्रथाओं को लागू करना, टिकाऊ उत्पादन विधियों को अपनाना, अपशिष्ट और उत्सर्जन को कम करना, स्थानीय एवं क्षेत्रीय बाज़ारों को बढ़ावा देना तथा किसानों के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करना शामिल है।

यूरोपीय संघ ने क्रिप्टो विनियमन हेतु MiCA की शुरुआत की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरोपीय संसद ने क्रिप्टो संपत्ति बाज़ार (Markets in Crypto Assets- MiCA) विनियमन को मंज़ूरी दे दी है, यह नियमों का विश्व का पहला व्यापक समूह है जिसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर अनियमित क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों को सरकारी विनियमन के तहत लाना है।

- यह विनियमन सदस्य देशों के औपचारिक अनुमोदन के बाद लागू होगा।
- यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ का विधायी निकाय है।

MiCA:

- **परिचय:**
  - MiCA क्रिप्टो फर्मों हेतु विनियमन प्रथाओं को लाएगा। क्रिप्टो फर्मों को विनियमित करके MiCA वित्तीय क्षेत्र में जैसे- राउट एवं कन्टेजन को रोक सकता है जो अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
    - "राउट" का अर्थ है, जब लोग भय के कारण क्रिप्टोकरेंसी बेचते हैं तो कीमतों में तेज़ी से गिरावट आती है।
    - "कन्टेजन" इस संभावना को संदर्भित करता है कि एक बाज़ार में गिरावट का अन्य बाज़ारों, वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- क्रिप्टो संपत्ति के प्रकार के आधार पर क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (CASPs) हेतु विनियमन आवश्यकताओं के विभिन्न समूहों को निर्धारित करता है।
- **MiCA के अंतर्गत आने वाली संपत्तियाँ:**
  - MiCA कानून क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर लागू होगा, यह मुख्यत: "एक मूल्य या अधिकार का डिजिटल प्रतिनिधित्व है, जो सुरक्षा हेतु क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है और एक सिक्के या टोकन या किसी अन्य डिजिटल माध्यम के रूप में होता है तथा जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है, साथ ही वितरित बहीखाता तकनीक या इसी तरह की तकनीक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत किया जाता है।
  - इस परिभाषा का तात्पर्य है कि यह न केवल बिटकॉइन और एथेरियम जैसी पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी पर लागू होगा, बल्कि स्टेबलकॉइन्स जैसी नई क्रिप्टोकरेंसी पर भी लागू होगा।
    - MiCA तीन प्रकार के स्टेबलकॉइन्स के लिये नए नियम भी स्थापित करेगा।
- **संपत्तियाँ जो MiCA के दायरे से बाहर होंगी:**
  - MiCA उन डिजिटल संपत्तियों को विनियमित नहीं करेगा जो हस्तांतरणीय प्रतिभूतियों के रूप में योग्य होंगी और शेयरों या उनके समकक्ष तथा अन्य क्रिप्टो संपत्तियों की तरह कार्य करेंगी एवं जो पहले से ही मौजूदा विनियमन के तहत वित्तीय साधनों के रूप में योग्य हैं।

नोट :

- यह नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) को भी बाहर कर देगा।
- MiCA यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा जारी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राष्ट्रीय केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी की गई डिजिटल संपत्तियों को भी नियंत्रित नहीं करेगा, जब वे मौद्रिक अधिकारों के रूप में अपनी क्षमता के साथ प्रदान की जाने वाली क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित सेवाओं के रूप में कार्य करेगा।

- **MiCA के तहत नए नियम:**
  - CASP का विनियमन:
    - CASP को यूरोपीय संघ में एक कानूनी इकाई के रूप में शामिल किया जाना चाहिये।
    - वे किसी एक सदस्य देश में अधिकृत हो सकते हैं और सभी 27 देशों में काम कर सकते हैं।
    - यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण जैसे नियामक CASP की निगरानी करेंगे।
    - CASP को स्थिरता, सुदृढ़ता और उपयोगकर्त्ता निधियों को सुरक्षित रखने की क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिये।
    - CASP को बाज़ार के दुरुपयोग और हेर-फेर से बचाव करने में सक्षम होना चाहिये।
  - स्टेबलकॉइन सेवा प्रदाताओं के लिये श्वेत पत्र की आवश्यकता:
    - स्टेबलकॉइन सेवा प्रदाताओं को क्रिप्टो उत्पाद और कंपनी में मुख्य प्रतिभागियों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी के साथ एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिये। इसमें जनता के लिये प्रस्ताव की शर्तें, उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले ब्लॉकचेन सत्यापन तंत्र का प्रकार, प्रश्न में क्रिप्टो संपत्ति से जुड़े अधिकार, निवेशकों के लिये शामिल प्रमुख जोखिम और संभावित खरीदारों को उनके निवेश के संबंध में सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिये एक सारांश होना चाहिये।
  - स्टेबलकॉइन जारीकर्त्ताओं के लिये आरक्षित संपत्ति की शर्त:
    - स्टेबलकॉइन जारीकर्त्ताओं को तरलता संकट से बचने के लिये उनके मूल्य के अनुरूप पर्याप्त भंडार बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
    - स्टेबलकॉइन उपयोगकर्त्ताओं के लिये अपर्याप्त भंडार का अप्रत्याशित प्रभाव हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप अधिक क्षति हो सकती है।
  - स्टेबलकॉइन फर्मों (गैर-यूरो मुद्राओं) के लिये लेन-देन की सीमाएँ:
    - गैर-यूरो मुद्राओं से जुड़ी स्थिर मुद्रा फर्मों को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में €200 मिलियन ($220 मिलियन) की दैनिक लेन-देन सीमा (Daily Volume) के साथ निर्धारित करना होगा।
    - लेन-देन की सीमा का उद्देश्य स्टेबलकॉइन से जुड़े जोखिमों और वित्तीय स्थिरता पर उनके प्रभाव का प्रबंधन करना है।
  - क्रिप्टो कंपनियों के लिये एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपाय:
    - मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण गतिविधियों को रोकने के लिये क्रिप्टो कंपनियों को अपने स्थानीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्राधिकरण को क्रिप्टो संपत्ति के प्रेषकों एवं प्राप्तकर्त्ताओं के बारे में जानकारी भेजनी चाहिये।
    - एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता क्रिप्टो कंपनियों की प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।
  - कानून की आवश्यकता:
    - वैश्विक क्रिप्टो उद्योग का लगभग 22% मध्य, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप ($1.3 ट्रिलियन मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति) में केंद्रित है, MiCA जैसा एक व्यापक ढाँचा है जिससे अमेरिका या ब्रिटेन की तुलना में यूरोपीय संघ को अपने विकास में प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त मिलेगी।
    - बढ़ते निवेश और क्रिप्टो उद्योग के आकार ने दुनिया भर के नीति निर्माताओं को स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये क्रिप्टो फर्मों में शासन प्रथाओं को सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया है।
  - महत्त्व:
    - यह FTX (Futures Exchange) संकट के बाद भी क्षेत्र में अपने विश्वास को बहाल करते हुए उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से सुरक्षित रखेगा। यह क्रिप्टो संपत्ति और CASP जारीकर्त्ताओं के लिये अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के मामले में भारत की स्थिति:

- क्रिप्टो संपत्तियों के लिये भारत के पास अभी तक एक व्यापक नियामक ढाँचा नहीं है हालाँकि इस पर एक मसौदा कानून कथित तौर पर काम कर रहा है।
- वर्ष 2017 में RBI ने चेतावनी जारी की कि आभासी मुद्राएँ/क्रिप्टोकरेंसी भारत में कानूनी निविदा नहीं हैं।
  - हालाँकि आभासी मुद्राओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा।
- वर्ष 2019 में RBI ने जारी किया कि क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार, धारण अथवा हस्तांतरण/उपयोग भारत में वित्तीय दंड या/और 10 वर्ष तक के कारावास की सज़ा के अधीन है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में भारत में RBI द्वारा क्रिप्टोकरेंसी पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया।

नोट :

- वर्ष 2022 में भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2022-23 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी आभासी मुद्रा/क्रिप्टोकरेंसी संपत्ति का हस्तांतरण 30% कर कटौती के अधीन होगा।
  - जुलाई 2022 में RBI ने देश के मौद्रिक और राजकोषीय व्यवस्था के लिये 'अस्थिर प्रभाव' का हवाला देते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।
  - भारत ने दिसंबर 2022 में अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) अथवा ई-रुपया लॉन्च किया। यह अभी अपने पायलट/आरंभिक चरण में है।
- सरकार ने ब्लॉकचेन तकनीकी के उपयोग और सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) जारी करने की संभावना का पता लगाने के लिये एक पैनल भी स्थापित किया है।
  - हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गजट अधिसूचना के माध्यम से आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) अथवा क्रिप्टोकरेंसी को PMLA के तहत शामिल किया है।

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

कार्बन मुक्त विद्युत उत्पादन के प्रति G7 की प्रतिबद्धता

चर्चा में क्यों ?

सात देशों के समूह (Group of Seven- G7) के जलवायु और ऊर्जा मंत्रियों तथा दूतों ने वर्ष 2035 तक कार्बन मुक्त विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने एवं कोयले की चरणबद्ध समाप्ति/फेज-आउट की दिशा में तेज़ी लाने हेतु प्रतिबद्धता जताई है। मई 2023 में हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन से पहले यह समझौता साप्पोरो, जापान में किया गया था।

- G20 की अध्यक्षता के संदर्भ में भारत को शिखर सम्मेलन में 'अतिथि' के रूप में भी आमंत्रित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट और आर्थिक समस्याओं को देखते हुए इस समझौते में वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य ग्रीनहाउस गैस (Greenhouse Gas- GHG) उत्सर्जन हेतु स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में तेज़ी लाने का आह्वान किया गया है।
  - G7 देशों ने वर्ष 2030 तक GHG उत्सर्जन को लगभग 43% और वर्ष 2035 तक 60% कम करने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- IPCC की AR6 रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकने की आवश्यकता को इंगित किया गया है, प्रतिभागी देशों ने अपतटीय प्लेटफॉर्मों से 1,000 गीगावाट सौर ऊर्जा और 150 गीगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन करने के लिये सौर एवं पवन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश में तेज़ी लाने पर सहमति व्यक्त की।
- इसमें पुष्टि की गई है कि जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पेरिस समझौते के लक्ष्यों के साथ असंगत है और वे वर्ष 2025 तक अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को खत्म करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- वे प्रमुख मुद्दे जिन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई:
  - अन्य देशों को उनके ऊर्जा संक्रमण और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में मदद करने के लिये और अधिक सहायता दिये जाने के संबंध में।
    - UNFCCC COP 27 में प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की प्रतिबद्धता जताई गई थी, परंतु विकसित देशों द्वारा किये जाने वाले वित्तीय योगदान में कमी आई है।
  - ब्रिटेन और कनाडा द्वारा वर्ष 2030 तक कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव।

G7:

- **परिचय:**
  - सात देशों का समूह (G7) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें सात प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ- कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र शामिल हैं।
  - G7, मूल रूप से G8 (जब इसमें शामिल होने के लिये रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था), को वर्ष 1975 में विश्व की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के नेतृत्वकर्त्ताओं के एक अनौपचारिक मंच के रूप में स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य:**
  - G7 का प्राथमिक उद्देश्य इसके सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है।
  - यह व्यापार, आर्थिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित पारस्परिक चिंतनीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
  - जलवायु परिवर्तन, गरीबी में कमी लाना और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देता है।
- **बैठकें:**
  - G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है जिसमें सदस्य देश विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और उनका समाधान करने के लिये एकत्रित होते हैं।
    - इस शिखर सम्मेलन का आयोजन क्रमिक रूप से इसके सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।
- **महत्त्व:**
  - आर्थिक शक्तियाँ: G7 देश विश्व की कुछ सबसे बड़ी और शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो दुनिया की 40 प्रतिशत आर्थिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
    - ये वैश्विक व्यापार नीतियों और विनियमों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव के साथ विश्व के अग्रणी व्यापारिक राष्ट्रों में भी शामिल हैं।
  - वैश्विक शासन: G7 वैश्विक शासन की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है, जिसका संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव है।
    - इसकी नीतियों और निर्णयों का वैश्विक आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

नोट :

- **आलोचनाएँ:**
  - G7, जिसमें विश्व की कुछ सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लगभग एक-चौथाई हिस्से के लिये ज़िम्मेदार है।
    - यह आश्चर्यचकित कर देने वाला आँकड़ा है जो जलवायु परिवर्तन के कार्यक्रम चलाने में इन देशों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
  - G7 को विश्व की आबादी का विशिष्ट और अप्रतिनिधि होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यह वैश्विक आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्त्व करता है एवं भारत तथा चीन जैसे देश इससे बाहर हैं, जो कि प्रमुख आर्थिक शक्तियाँ हैं।
  - आलोचकों ने यह भी तर्क दिया है कि हाल के वर्षों में G7 के प्रभाव में कमी आई है क्योंकि उभरती अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई हैं।

कार्बन मुक्त विद्युत के संबंध में भारत की पहल:

- प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना (सौभाग्य): विश्वसनीय और सस्ती बिजली तक पहुँच के माध्यम से ग्रामीण और शहरी परिवारों को सशक्त बनाना।
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC): भारत के राष्ट्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा को सिंक्रोनाइज़ करना।
- नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) और स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम (SMNP): भारत के विद्युत क्षेत्र को सुरक्षित, अनुकूली, टिकाऊ व डिजिटल रूप से सक्षम आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT): ऊर्जा प्रभावशीलता में सुधार करना और उन औद्योगिक क्षेत्रों से उत्सर्जन को कम करना जिन्हें विनियमित करना मुश्किल है।
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs): अद्यतन NDC के अनुसार, भारत अब वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।

म्याँमार के वर्तमान मुद्दे

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice- ICJ) ने हाल ही में म्याँमार के जुंटा की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें म्याँमार पर इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशन (International Genocide Convention) का उल्लंघन करने के आरोप के मामले में प्रतिवाद दायर करने हेतु 10 महीने की मोहलत की मांग की गई थी।

- यह मामला रखाइन राज्य में वर्ष 2017 में 'क्लीयरिंग' अभियान के दौरान म्याँमार सेना द्वारा किये गए अत्याचारों से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप रोहिंग्या लोगों का विस्थापन हुआ।

म्याँमार में अस्थिरता का कारण:

- **पृष्ठभूमि:** म्याँमार को वर्ष 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यह वर्ष 1962 से 2011 तक सशस्त्र बलों द्वारा शासित रहा, इसके बाद यहाँ एक नई सरकार ने नागरिक शासन की शुरुआत की।
  - 2010 के दशक में सैन्य शासन ने देश में लोकतंत्र की स्थापना का फैसला किया। हालाँकि सशस्त्र बल शक्तिशाली बने रहे एवं राजनीतिक विरोधियों को मुक्त कर दिया गया, साथ ही चुनाव कराने की अनुमति दी गई।
  - देश का पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव वर्ष 2015 में हुआ जिसमें कई दलों ने भाग लिया, इस चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने जीत हासिल की और सरकार बनाई, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित हो।
- **सैन्य तख्तापलट:**
  - नवंबर 2020 में हुए संसदीय चुनाव में NLD ने अधिकांश सीटें हासिल कीं।
  - वर्ष 2008 के सैन्य-मसौदा संविधान के अनुसार म्याँमार की संसद में सेना के पास कुल सीटों का हिस्सा 25% है और कई प्रमुख मंत्री पद भी सैन्य नियुक्तियों के लिये आरक्षित हैं।
  - जब नव निर्वाचित म्याँमार के सांसदों द्वारा वर्ष 2021 में संसद का पहला सत्र आयोजित किया जाना था, तब सेना ने संसदीय चुनावों में भारी मतदान धोखाधड़ी का हवाला देते हुए एक वर्ष के लिये आपातकाल लागू कर दिया था।
- **संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिह्नित मुद्दे:**
  - यद्यपि किसी भी प्रकार के संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा करना सेना के लिये कानूनी रूप से आवश्यक है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन किया गया।
  - म्याँमार की अर्थव्यवस्था काफी बुरी स्थिति में है जिस कारण लगभग आधी आबादी अब गरीबी रेखा के नीचे रह रही है।
  - तख्तापलट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से सेना ने देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों और 16,000 से अधिक अन्य लोगों को हिरासत में लिया है।

नोट :

- **रोहिंग्या मुद्दा:**
  - 25 अगस्त, 2017 को म्याँमार के रखाइन राज्य में हुई हिंसा ने लाखों रोहिंग्या लोगों को अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया।
  - म्याँमार में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन से रोहिंग्या समुदाय में अब कोई संबंध नहीं रह गया है।
    - वर्षों से म्याँमार में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिसमें भाषण और सभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियाँ और निरोध, सेंसरशिप और हिंसा शामिल हैं।
  - जनवरी 2020 में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत (ICJ) ने म्याँमार को अपने रोहिंग्या समुदाय के सदस्यों को नरसंहार से बचाने के लिये उपाय करने का आदेश दिया।

म्याँमार मुद्दे पर भारत का रुख:

- हाल के वर्षों में भारत ने म्याँमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से रोहिंग्या संकट के संबंध में।
  - भारत ने इस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिये ज़िम्मेदार लोगों की जवाबदेही का आह्वान किया है।
- यद्यपि भारत ने म्याँमार में हाल के घटनाक्रमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, लेकिन म्याँमार की सेना से दूरी बनाना एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है क्योंकि म्याँमार और उसके पड़ोसियों से भारत के महत्त्वपूर्ण आर्थिक एवं रणनीतिक हित जुड़े हैं।
  - म्याँमार के मुद्दे पर भारत का रुख उसकी उभरती स्थिति और क्षेत्र में भू-राजनीतिक गतिशीलता के आधार पर विकसित हो सकता है।

नोट: ऐसी गतिविधियाँ जो किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से नष्ट करने के उद्देश्य से की जाती हैं, नरसंहार/जेनोसाइड कहलाती हैं और विश्व स्तर पर इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशन:

- इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशन, जिसे जेनोसाइड के अपराध की रोकथाम और सज़ा पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है, 9 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक संधि है।
  - जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुसार, जेनोसाइड एक ऐसा अपराध है जो युद्ध तथा शांति दोनों समय हो सकता है।
  - कन्वेंशन के लिये राज्यों को घरेलू कानून बनाकर नरसंहार को रोकने और इसके लिये दंडित करने की आवश्यकता है।
- कन्वेंशन में निर्धारित जेनोसाइड के अपराध की परिभाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक रूप से अपनाया गया है, जिसमें वर्ष 1998 में अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की रोम संविधि भी शामिल है।
- भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।

रूस-भारत द्विपक्षीय व्यापार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूस के उप प्रधानमंत्री ने भारत में 24वें रूस-भारत अंतर-सरकारी आयोग (IGC) की बैठक में भाग लिया।

- रूस ने पश्चिमी निर्मित विनिर्माण उपकरणों को बदलने के लिये भारत से मशीनरी खरीदने में रुचि दिखाई है।

प्रमुख बिंदु

- यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण डिलीवरी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों का सामना करने हेतु दोनों देशों ने भारत-रूस के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की है।
- दोनों देशों ने रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र के लिये भारत की योजनाओं पर चर्चा की जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रूस की रणनीति का एक अनिवार्य अंग है।

नोट :

- उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार को और गति प्रदान करने हेतु द्विपक्षीय व्यापार प्रयासों एवं नए औद्योगिक बिंदुओं की पहचान करने के संबंध में चर्चा की।
  - वर्तमान में व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में है, इसलिये दोनों पक्षों ने व्यापार संबंधों में अधिक संतुलन बनाने के तरीकों पर चर्चा की है।
- दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक और मानवीय सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की।
  - इन चर्चाओं में प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा से संबंधित पारस्परिक हित के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया।

भारत-रूस व्यापार संबंधों की स्थिति:

- रूस के साथ भारत का कुल द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2020-21 में 8.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- रूस पिछले वर्ष अपने 25वें स्थान से बढ़कर अब भारत का सातवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।
  - अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया ऐसे छह देश थे जिन्होंने वर्ष 2022-23 के पहले पाँच महीनों के दौरान भारत के साथ व्यापार की उच्च मात्रा दर्ज की।

द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित चिंताएँ:

- **व्यापार असंतुलन:**
  - रूस से भारत का आयात 17.23 बिलियन अमेरिका डॉलर था, जबकि मास्को को भारत का निर्यात केवल 992.73 मिलियन अमेरिका डॉलर का था, जिसके परिणामस्वरूप 2020-21 में 16,24 बिलियन अमेरिका डॉलर का नकारात्मक व्यापार संतुलन बना रहा।
  - भारत के कुल व्यापार में रूस की हिस्सेदारी 2021-22 के 1.27% से बढ़कर 3.54% हो गई है।
  - जबकि वर्ष 1997-98 में भारत के कुल व्यापार में रूस का हिस्सा 2.1% था, यह पिछले 25 वर्षों से 2% से नीचे रहा।
- **व्यापार असंतुलन की स्थिति पैदा करने वाले कारक:**
  - वर्ष 2022 में पहले से ही रूस से मुख्य रूप से तेल और उर्वरक आयात में अचानक वृद्धि द्विपक्षीय व्यापार में इस वृद्धि के पीछे मुख्य चालक है।
    - पेट्रोलियम तेल और अन्य ईंधन वस्तुओं का रूस से भारत के कुल आयात में 84% हिस्सेदारी है, जबकि उर्वरक दूसरे स्थान पर है।
  - इस वर्ष रूस से कुल आयात में उर्वरक और ईंधन की हिस्सेदारी 91% से अधिक रही।

भारत-रूस के बीच व्यापार असंतुलन को दूर करने के उपाय:

- **रूस को भारतीय निर्यात:**
  - दोनों देश भारतीय आयात में वृद्धि करना चाहते हैं, विशेष रूप से मशीनरी क्षेत्र में, जहाँ भारत के पास उन्नत उत्पादन क्षमता है।
- **रुपया-रूबल तंत्र:**
  - व्यापार संबंधों में आने वाली चुनौतियों में से एक भुगतान, रसद और प्रमाणन है। पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव से द्विपक्षीय व्यापार को सुरक्षित रखने के लिये दोनों पक्ष रुपया-रूबल तंत्र का सहारा लेने के लिये बातचीत कर रहे हैं।
- **नए औद्योगिक बिंदु:**
  - दोनों नए औद्योगिक बिंदुओं की पहचान करना चाहते हैं जो व्यापार को अतिरिक्त प्रोत्साहन दे सकते हैं और एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर सकते हैं।

भारत-रूस संबंधों के विभिन्न पहलू:

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच एक मज़बूत सामरिक, सैन्य, आर्थिक एवं राजनयिक संबंध थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध विरासत में मिले, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों ने एक विशेष सामरिक संबंध साझा किया।
  - हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में संबंधों में भारी गिरावट आई है, खासकर कोविड के बाद के परिदृश्य में। इसका एक सबसे बड़ा कारण रूस के चीन और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसने भारत के लिये पिछले कुछ वर्षों में कई भू-राजनीतिक मुद्दों को जन्म दिया है।
- **राजनीतिक संबंध:**
  - दो अंतर-सरकारी आयोग- एक व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (IRIGC-TEC) और दूसरा सैन्य-तकनीकी सहयोग (IRIGC- MTC) को लेकर वार्षिक तौर पर मिलते हैं।
- **रक्षा और सुरक्षा संबंध:**
  - दोनों देश नियमित रूप से त्रि-सेवा अभ्यास 'इंद्र' आयोजित करते हैं।
  - भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं:
    - ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल कार्यक्रम
    - 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट कार्यक्रम

नोट :

- सुखोई Su-30MkI कार्यक्रम
- भारत द्वारा रूस से खरीदे/पट्टे पर लिये गए सैन्य हार्डवेयर में शामिल हैं:
  - S-400 ट्रायम्फ
  - मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में निर्मित 200 कामोव Ka-226
  - T-90S भीष्म
  - INS विक्रमादित्य विमान वाहक कार्यक्रम

- **नाभिकीय ऊर्जा:**
  - कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Kudankulam Nuclear Power Plant- KKNPP) का निर्माण रूस-भारत अंतर-सरकारी समझौते के तहत किया जा रहा है।
  - भारत और रूस दोनों बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना में सहयोग कर रहे हैं।

निष्कर्ष:

- भारत और रूस के बीच व्यापार असंतुलन को बहु-आयामी रणनीति के माध्यम से कम किया जा सकता है जो विविधीकरण, निर्यात प्रोत्साहन, बेहतर व्यापार सौदे वार्ता, आर्थिक सहयोग के साथ विकास और संरचनात्मक कठिनाइयों को हल करने में मदद कर सकता है।

भारत-UAE खाद्य सुरक्षा साझेदारी

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE), जिसकी खाद्य सुरक्षा वैश्विक बाज़ारों से होने वाले आयात पर निर्भर है, अब आपूर्ति शृंखला संकट का सामना करने के लिये खाद्य पहुँच और तत्परता के दोहरे उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है और खाद्य सुरक्षा को मज़बूती प्रदान करने की संयुक्त अरब अमीरात की महत्त्वाकांक्षा के लिये एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है।
- भारत-UAE खाद्य सुरक्षा साझेदारी अभिसरण के कई बिंदुओं से लाभान्वित होती है।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा साझेदारी को मज़बूत करने की दिशा में भारत-संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका:

- **भारत की क्षमता:**
  - कृषि-निर्यात पर मज़बूत पकड़:
    - प्रचुर कृषि योग्य भूमि, अनुकूल जलवायु और बढ़ता खाद्य उत्पादन तथा प्रसंस्करण क्षेत्र के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर कृषि-निर्यात के प्रमुखतम स्रोत के रूप में भारत की स्थिति मज़बूत है।
  - मानवीय सहायता:
    - भारत क्षेत्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए विकासशील देशों को मानवीय खाद्य सहायता प्रदान करने में भी शामिल रहा है।
  - फूड पार्क और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन:
    - भारत ने द्विपक्षीय व्यापार समझौतों से लाभान्वित होने के लिये फूड पार्क और आधुनिक आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण निवेश किया है, जो वैश्विक खाद्य बाज़ार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अपने इरादे को प्रदर्शित करता है।
  - सरकारी पहल:
    - भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम- सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाता है, लगभग 800 मिलियन नागरिकों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराता है, दैनिक भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
    - भारत का पोषण अभियान बच्चों और महिलाओं के लिये विश्व का सबसे बड़ा पोषण कार्यक्रम है, जो खाद्य सुरक्षा में पोषण के महत्त्व पर ज़ोर देता है।
- **UAE's का योगदान:**
  - निवेश:
    - UAE ने I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान भारत में फूड पार्कों के निर्माण के लिये 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
  - खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर:
    - संयुक्त अरब अमीरात ने वैश्विक खाद्य मूल्य शृंखला में भारत की उपस्थिति को और अधिक बढ़ाते हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के साथ-साथ एक खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - एग्रीओटा:
    - दुबई मल्टी कमोडिटीज़ सेंटर ने कृषि-व्यापार और कमोडिटी प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है, जो भारतीय किसानों को UAE के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ता है तथा अमीरात के बाज़ारों तक सीधी पहुँच में सक्षम बनाता है।
- **महत्त्व:**
  - भारत के लिये नए बाज़ारों का प्रवेश द्वार:
    - एशिया और यूरोप के बीच संयुक्त अरब अमीरात का रणनीतिक स्थान पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका के लिये भारत के खाद्य निर्यात प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकता है, जो अपने खाद्य भंडार को बनाए रखने तथा उसमें विविधता लाकर लाभ प्रदान कर सकता है।

नोट :

- भारत, संयुक्त अरब अमीरात की निजी क्षेत्र की परियोजनाओं, गैर-कृषि-रोज़गार पैदा करने और किसानों के उत्पादों का बेहतर मूल्य प्रदान कर लाभान्वित होने के लिये तत्पर है।

- वैश्विक खाद्य सुरक्षा भागीदारी के लिये संरचना:
  - भारत की G-20 अध्यक्षता ग्लोबल साउथ में खाद्य सुरक्षा के लिये सफल रणनीतियों और रूपरेखाओं को प्रदर्शित करने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करती है।
  - भारत खाद्यान्न के एक स्थायी, समावेशी, कुशल और लचीले भविष्य के निर्माण के लिये UAE के साथ समुद्री व्यापार मार्गों का लाभ उठा सकता है और स्थति को मज़बूत कर सकता है क्योंकि यह वैश्विक विकास एजेंडा निर्धारित करता है।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

- जलवायु परिवर्तन का खतरा: संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन तथा चरम मौसमी घटनाओं को बढ़ती खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारक बताया है।
  - बढ़ते तापमान, मौसम की परिवर्तनशीलता, आक्रामक फसलें एवं कीट तथा लगातार बढ़ते चरम मौसमी घटनाओं का खेती पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कृषि उत्पादन में कमी तथा खेतों की उत्पादकता व पोषण गुणवत्ता कमज़ोर होती है जो अंतत: किसानों की आय में कमी का कारण बनता है।
- अस्थिर बाज़ार मूल्य: वैश्वीकरण की अवधारणा ने कृषि वाणिज्य को अधिक खुलापन प्रदान किया है, लेकिन यह अधिक स्थिर बाज़ार मूल्य निर्धारण का आश्वासन देने में असमर्थ है।
  - अंतिम वस्तुओं हेतु लाभकारी कीमतों की कमी, संकटग्रस्त बिक्री, अनुपयुक्त बाज़ार कीमतों के साथ संयुक्त उच्च कृषि लागत खाद्य सुरक्षा के मार्ग में बाधा के रूप में कार्य करती है।
- व्यापार व्यवधान: भू-राजनीतिक तनाव एवं व्यापार विवादों के परिणामस्वरूप व्यापार में व्यवधान आ सकता है, जिसमें व्यापार प्रतिरोध, प्रतिबंध एवं टैरिफ शामिल हैं, जो खाद्य व्यापार तथा खाद्य कीमतों एवं उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं।
  - यह विशेष रूप से उन देशों को प्रभावित कर सकता है जो खाद्य आयात पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, इससे खाद्य की कमी एवं खाद्य कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे कमज़ोर आबादी हेतु भोजन कम सुलभ हो पाता है।

आगे की राह

- जलवायु लचीलापन बढ़ाना: जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण एवं जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों जैसे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन उपायों में निवेश, खाद्य उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है।
- जलवायु अनुकूल फसलों को प्रोत्साहन: जलवायु-लचीली फसलों के विकास एवं वितरण के लिये निवेश की आवश्यकता है जो तापमान भिन्नता और वर्षा में उतार-चढ़ाव को सहन कर सके।
  - सरकारों को जल और पोषक तत्त्व-कुशल फसलों (जैसे बाज़रा और दालें) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के साथ ही किसानों के लिये आकर्षक न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा इनपुट सब्सिडी की घोषणा करनी चाहिये।
  - संयुक्त राष्ट्र (UN) महासभा द्वारा अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया जाना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- कृषि कूटनीति: भारत अफ्रीका और एशिया के अन्य विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी साझेदारी, सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा देने में संयुक्त अनुसंधान, जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के माध्यम से अपने समर्थन में वृद्धि कर सकता है जिससे भारत को वैश्विक दक्षिण के एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित होने में मदद मिल सकती है।

यमन में शांति की उम्मीद

चर्चा में क्यों ?

यमन में युद्धरत पक्ष सैकड़ों कैदियों की अदला-बदली कर रहे हैं, जिसने सऊदी समर्थित सरकारी बलों और ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों के बीच एक स्थायी युद्धविराम की उम्मीद जगाई है।

यमन में युद्ध की शुरुआत:

- यमन गृह युद्ध 2011 में सत्तावादी राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह (Ali Abdullah Saleh) के अपदस्थ होने के बाद शुरू हुआ। नए राष्ट्रपति, अब्दरब्बुह मंसूर हादी, आर्थिक और सुरक्षा समस्याओं के कारण देश को स्थिरता प्रदान करने में असमर्थ रहे।
- जैदी शिया मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह हौथिस ने इसका फायदा उठाया और वर्ष 2014 में उत्तर और राजधानी सना पर नियंत्रण कर लिया।

नोट :

- इसने सऊदी अरब को चिंतित कर दिया, जिसे डर था कि हौथिस उनके प्रतिद्वंद्वी ईरान के सहयोगी बन जाएंगे। सऊदी अरब ने तब एक गठबंधन का नेतृत्व किया जिसमें अन्य अरब देश शामिल थे और वर्ष 2015 में यमन में सेना भेजी। हालाँकि वे सना के साथ-साथ देश के उत्तर से हौथियों को खदेड़ने में असमर्थ थे।
- अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन और हौथी विद्रोहियों के बीच संघर्ष विराम की मध्यस्थता की, हालाँकि पक्षकार छह महीने बाद इसे नवीनीकृत करने में विफल रहे।

स्टॉकहोम समझौता:

- यमन के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखने वाले युद्धरत पक्षों ने दिसंबर 2018 में संघर्ष-संबंधी बंदियों को मुक्त करने के लिये स्टॉकहोम समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा मध्यस्थता किये गए समझौते के तीन मुख्य घटक थे:
  - हुदायाह समझौता:
    - हुदायाह समझौते में होदेइदाह शहर में युद्धविराम और शहर में कोई सैन्य सुदृढ़ीकरण न होने जैसे अन्य खंड शामिल थे और संयुक्त राष्ट्र की उपस्थिति को मज़बूत किया गया था।
  - कैदी विनिमय समझौता:
    - अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति इस प्रक्रिया की देख-रेख और समर्थन करेगी, जिसकी देख-रेख यमन के महासचिव के विशेष दूत के कार्यालय द्वारा की गई थी।
  - उनका उद्देश्य मौलिक मानवीय सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना है जो यमन में घटनाओं के दौरान अपनी स्वतंत्रता से वंचित सभी व्यक्तियों की रिहाई या स्थानांतरण या प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करते हैं।
  - ताइज़ समझौता:
    - ताइज़ समझौते में नागरिक समाज और संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी के साथ एक संयुक्त समिति का गठन शामिल है।

इस युद्ध का यमन पर प्रभाव:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यमन में अब दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट है, जिसकी 80% आबादी सहायता और सुरक्षा पर निर्भर है।
- वर्ष 2015 से 30 लाख से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं और स्वास्थ्य सेवा, जल, स्वच्छता एवं शिक्षा जैसे सार्वजनिक सेवा क्षेत्र या तो समाप्त हो गए हैं या गंभीर स्थिति में हैं।
- यमन आर्थिक रूप से संकट में है, आर्थिक उत्पादन में 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है, साथ ही 6,00,000 से अधिक लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। देश की आधी से ज़्यादा आबादी व्यापक गरीबी में जी रही है।

यमन संकट के कारण भारत और विश्व की चिंताएँ:

- **वैश्विक:**
  - अंतर्राष्ट्रीय तेल शिपमेंट के लिये अदान की खाड़ी से लाल सागर को जोड़ने वाले जलसंधि में यमन का अवस्थित होना यह चिंता उत्पन्न करता है कि कि यमन संकट विश्व भर में तेल की कीमतों को किस प्रकार प्रभावित करेगा।
  - यमन में अल-कायदा और IS से जुड़े समूहों की उपस्थिति वैश्विक सुरक्षा के लिये जोखिम पैदा करती है।
- **भारत:**
  - यमन भारत के लिये कच्चे तेल का एक प्रमुख स्रोत है और तेल आपूर्ति शृंखला मंव कोई भी व्यवधान भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
    - यमन, सऊदी अरब, ईरान में रह रहे भारतीय प्रवासियों की बड़ी आबादी भारत के लिये एक चुनौती है।
  - भारत पर अपने नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने एवं प्रेषित धन (Remittances) में किसी भी व्यवधान के प्रभाव का प्रबंधन करने की ज़िम्मेदारी है, जो भारत में कई परिवारों के लिये आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

भारत की पहलें:

- **ऑपरेशन राहत:**
  - भारत ने अप्रैल 2015 में यमन से 4000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकालने के लिये बड़े पैमाने पर हवाई और समुद्री अभियान शुरू किये।
- **मानवीय सहायता:**
  - भारत ने अतीत में यमन को भोजन एवं चिकित्सा सहायता प्रदान की है तथा विगत कुछ वर्षों में हज़ारों यमन- नागरिकों ने भारत में चिकित्सा उपचार का लाभ उठाया है।
  - भारत विभिन्न भारतीय संस्थानों में बड़ी संख्या में यमन-नागरिकों को शिक्षा की सुविधा भी प्रदान करता है।

भारत-थाईलैंड संबंध

चर्चा में क्यों ?

8वीं भारत-थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ जिसके दौरान दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।

नोट :

वार्ता के प्रमुख बिंदु:

- इसमें विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई।
- रक्षा, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में समन्वय को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।
  - थाईलैंड ने भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता में विश्वास व्यक्त किया।
- इस दौरान सहयोग के उभरते क्षेत्रों और वैश्विक मुद्दों के समाधान की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों को भी स्पष्ट किया गया।

थाईलैंड के साथ भारत के संबंध:

- **राजनयिक संबंध:**
  - थाईलैंड और भारत के बीच राजनयिक संबंध 1947 से है।
  - ये संबंध आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव पर निर्मित हैं जो 2000 से अधिक वर्षों से मौजूद हैं।
  - भारत की 'लुक ईस्ट' नीति (वर्ष 1993 से) और थाईलैंड की 'लुक वेस्ट' नीति (वर्ष 1996 से), जो अब भारत की 'एक्ट ईस्ट' और थाईलैंड की 'एक्ट वेस्ट' में बदल गई है, आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में दृढ़ता से योगदान दे रही हैं।
- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:**
  - वर्ष 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 12.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और महामारी की स्थिति के बावजूद वर्ष 2020 में यह 9.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
    - वर्ष 2018 में भारत को थाईलैंड द्वारा लगभग 7.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया था, जबकि थाईलैंड को भारत द्वारा लगभग 4.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया था।
  - भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।
  - आसियान क्षेत्र में सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद थाईलैंड भारत का 5वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
    - वर्तमान में थाई सामानों को आसियान-भारत FTA के तहत कर कटौती से लाभ हुआ है, जो जनवरी 2010 में लागू हुआ था।
- **रक्षा सहयोग:**
  - समय के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का विस्तार हुआ है और इसमें रक्षा संवाद बैठकें, सेनाओं के बीच आदान-प्रदान, उच्च-स्तरीय दौरे, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं।
  - रक्षा अभ्यास:
    - अभ्यास मैत्री (सेना)।
    - सियाम भारत अभ्यास (वायु सेना)।
    - भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती (नौसेना)।
- **कनेक्टिविटी:**
  - वर्ष 2019 में लगभग 1.9 मिलियन भारतीय पर्यटकों ने थाईलैंड का दौरा किया, जबकि लगभग 160,000 थाई पर्यटकों ने मुख्य रूप से बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिये भारत का दौरा किया।
  - भारत और थाईलैंड बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (BIMSTEC) ढाँचे के लिये बंगाल की खाड़ी पहल के तहत भी क्षेत्रीय संपर्क में सुधार के लिये मिलकर काम कर रहे हैं।
  - बहुप्रतीक्षित भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग से पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के माध्यम से भूमि संपर्क का विस्तार होने की उम्मीद है, जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच पहला सीमा पार सुविधा समझौता बन गया है।
- **सांस्कृतिक सहयोग:**
  - भारत और थाईलैंड में भारतीय सांस्कृतिक मंडलों, त्योहारों और कार्यक्रमों के लिये नियमित यात्राओं के साथ एक मज़बूत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम है।
  - एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, जिसे अब स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र के रूप मंय जाना जाता है, बैंकॉक में वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था।
  - श्री गुरुनानक देव जी की 550वीं जयंती थाईलैंड में भी विभिन्न कार्यक्रमों और बैंकॉक में एक भव्य नगर कीर्तन जुलूस के साथ मनाई गई।

नोट :

- भारत के संविधान का थाई भाषा में अनुवाद थाईलैंड में शुरू किया गया था।

आगे की राह

- दोनों देशों को व्यापार बाधाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करना चाहिये और व्यापार एवं निवेश का विस्तार करने के लिये द्विपक्षीय अनुबंधों के माध्यम से आयात शुल्क को कम करना चाहिये।
- भारत के स्टार्ट-अप पारितंत्र और थाईलैंड के बीच सहयोग के अवसरों का भी पता लगाया जाना चाहिये।
- दोनों देश एक-दूसरे के बाज़ारों में निवेश कर आपूर्ति शृंखला के अंतराल को कम करने के लिये मिलकर काम कर सकते हैं।
- रक्षा अनुबंधों, सैन्य आदान-प्रदान और संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से रणनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी सहयोग को मज़बूत करना भी आवश्यक है।

मध्य एशिया में चीन की पहुँच

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन ने C+C5 समूह की बैठक आयोजित की जिसमें चीन और पाँच मध्य एशियाई गणराज्यों अर्थात् उज़्बेकिस्तान, कज़ाखस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज़स्तान ने भाग लिया।

- यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से राजनयिक संबंधों की शृंखला में इन देशों के साथ चीन का यह नवीनतम आयोजन था।

चीन-मध्य एशिया संबंध:

- **C+C5:**
  - जनवरी 2022 में आयोजित पहले C+C5 शिखर सम्मेलन में चीन और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ मनाई गई।
  - इस क्षेत्र के साथ चीन के ऐतिहासिक व्यापार और सांस्कृतिक संबंध प्राचीन सिल्क रूट से जुड़े हैं।
- **चीन के लिये महत्त्व:**
  - यह क्षेत्र चीन को सस्ते निर्यात हेतु एक बाज़ार तथा यूरोप एवं पश्चिम एशिया के बाज़ारों तक ज़मीनी पहुँच प्रदान करता है।
  - मध्य एशिया संसाधन संपन्न है, जिसमें गैस, तेल तथा यूरेनियम, ताँबा तथा सोने जैसे सामरिक खनिजों के बड़े पैमाने पर भंडार हैं।
  - चीन ने झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिये इन देशों के साथ अपने संबंधों को भी प्राथमिकता दी है, जो मध्य एशिया के साथ अपनी सीमा बनाता है।
- **BRI और निवेश:**
  - चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से मध्य एशिया में भारी निवेश कर रहा है, जिसमें तेल तथा गैस, परिवहन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा परियोजनाएँ शामिल हैं।
  - चीनी निवेश ने इस क्षेत्र में आर्थिक विकास के अवसर प्रदान किये हैं, झिंजियांग में मुसलमानों के साथ उसके व्यवहार और उसकी बढ़ती उपस्थिति एवं भूमि अधिग्रहण संबंधी चिंताओं की वजह से भी चीन के प्रति असंतोष देखा गया है।
    - इसके बावजूद मध्य एशियाई देशों की सरकारें अपने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ चीन के व्यवहार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में शामिल नहीं हुई हैं।
  - चीन अब इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, इस क्षेत्र के सभी देशों को परिवहन और रसद परियोजनाओं हेतु चीन के बंदरगाहों से जोड़ने के लिये बातचीत चल रही है।

रूस, चीन और पश्चिम के साथ C5 के संतुलित संबंध:

- **रूस पर अत्यधिक निर्भरता:**
  - यह क्षेत्र रूस पर बहुत अधिक निर्भर है, जो CSTO (सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन) के माध्यम से मुख्य सुरक्षा प्रदाता भी है।
  - हालाँकि CSTO की एकता कमज़ोर हो रही है और यूक्रेन संघर्ष ने मध्य एशिया के साथ रूस के सुरक्षा संबंधों के परिणामों के विषय में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
    - वर्ष 2022 में किर्गिज़स्तान ने एक CSTO सैन्य अभ्यास रद्द कर दिया जो पिछले वर्ष उसके क्षेत्र में आयोजित किया जाना था और पाँच मध्य एशियाई देशों में से किसी ने भी खुले तौर पर संघर्ष में रूस का पक्ष नहीं लिया।
  - फिर भी रूस ने इस क्षेत्र के साथ अपना व्यापार बढ़ाया है क्योंकि वह यूरोपीय आयातों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है।
- **चीन का बढ़ता प्रभुत्त्व:**
  - चीन मध्य एशिया में अपना प्रभुत्त्व बढ़ा रहा है, जिससे कुछ देश अनुमान लगा रहे हैं कि बीजिंग इस क्षेत्र में अपने प्रभाव का

नोट :

विस्तार करने के लिये यूक्रेन पर रूस के बढ़ते प्रभुत्त्व का लाभ उठा रहा है।

- जबकि रूस चीनी विस्तार को लेकर चिंतित हो सकता है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं देखा गया।

- **पश्चिम की ओर देखना:**
  - मध्य एशियाई देश यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पश्चिम के साथ व्यापारिक संबंध विकसित करने की मांग कर रहे हैं।
  - हालाँकि इस क्षेत्र के लैंडलॉक्ड भूगोल और सीमित परिवहन बुनियादी ढाँचे ने इस प्रयास में बाधा उत्पन्न की है।

मध्य एशिया में भारत की हिस्सेदारी:

- **सांस्कृतिक और प्राचीन संबंध:**
  - सिल्क रूट तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत को मध्य एशिया से जोड़ता था। बौद्ध धर्म के प्रसार-प्रचार से लेकर बॉलीवुड के स्थायी प्रभाव तक भारत ने इस क्षेत्र के साथ पुराने और गहरे सांस्कृतिक संबंध साझा किये हैं।
- **सुरक्षा:**
  - भारत-मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक के लिये दिसंबर 2022 में कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अधिकारी भारत आए।
    - इस बैठक में कुछ महत्त्वपूर्ण पक्षों पर बल दिया गया, जिनमें भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संबंध, अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति को स्थिर करना और क्षेत्रीय अखंडता को मज़बूत करना जैसे साझा हित शामिल थे।
  - भारत ने ताजिकिस्तान में सैन्य ठिकानों का नवीनीकरण करके इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का भी प्रयास किया है।
  - विमानपत्तन मार्ग के परिचालित होने के बाद भारत को अपने दो प्रतिद्वंद्वियों- चीन और पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक लाभ भी प्राप्त होगा।
  - ताजिकिस्तान वाखन कॉरिडोर के करीब स्थित है, जो अफगानिस्तान और चीन के साथ-साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जोड़ता है।
- **विस्तारित नेबरहुड नीति:**
  - वर्ष 2022 में भारत ने अपनी "विस्तारित नेबरहुड नीति" के प्रति प्रतिबद्धता जताई जिसमें उसने भू-राजनीतिक भागीदारी और राजनयिक लक्ष्यों में विविधता लाने तथा अपने मध्य एशियाई भागीदारों को कई मोर्चों पर शामिल करने का आह्वान है।
    - इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी और इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी और आर्थिक सहयोग हेतु नेटवर्क स्थापित करना है।
  - यह नीति पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के भारत की प्रतिबद्धता पर केंद्रित है।
- **शंघाई सहयोग संगठन (SCO):**
  - एक पूर्ण सदस्य के रूप में भारत वर्ष 2017 में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ।
    - शंघाई सहयोग संगठन में कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी शामिल हैं।
  - यह समूह भारत को ताजिकिस्तान के साथ संबंधों को मज़बूत बनाते हुए अस्ताना, बिश्केक और ताशकंद के साथ सुरक्षा संबंध स्थापित करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
- **कनेक्टिविटी, एक चुनौती:**
  - चूँकि भारत और C5 के बीच व्यापारिक संबंध हैं और ये देश मध्य एशिया के लिये एक भूमि मार्ग न होने से परेशान हैं, क्योंकि तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान एक अनिश्चित क्षेत्र है और पाकिस्तान द्वारा यहाँ से प्रवेश प्रतिबंधित है।
    - ईरान का चाबहार बंदरगाह एक वैकल्पिक मार्ग हो सकता है परंतु यह अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है।
  - ऐसा सुझाव है कि भारत को "हवाई मार्ग" के माध्यम से मध्य एशिया में लोगों और व्यापार के लिये कनेक्टिविटी प्रदान करनी चाहिये, जैसा कि भारत ने अफगानिस्तान के लिये किया था।

आगे की राह

- भारत को विशेष रूप से भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हुए मध्य एशियाई राज्यों के साथ दीर्घकालिक और विश्वसनीय साझेदारी को प्राथमिकता देनी चाहिये। द्विपक्षीय संबंधों हेतु सुरक्षा को केंद्र बिंदु में रखना होगा, लेकिन भारत के लिये पारगमन, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच मज़बूत संबंध सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- भारत को उन कमज़ोरियों का लाभ उठाना चाहिये जो यूक्रेन पर रूस के युद्ध और अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण जैसे संकटों के कारण क्षेत्र में उजागर हुई हैं।
- आतंकवाद विरोधी संयुक्त प्रयास नई दिल्ली को एक सतत् भागीदार के रूप में स्थापित करने और विरोधियों पर करीब से नज़र रखने में मदद कर सकता है।
  - हालाँकि भारत को सुरक्षा पहलू के पूरक के लिये अन्य मुद्दों पर भी काम करना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि भू-राजनीतिक, आर्थिक या घरेलू दबाव के चलते मध्य एशिया के साथ संबंध अतिसंवेदनशील न हों।

नोट :

IMF और विश्व बैंक समूह की स्प्रिंग मीटिंग 2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक समूह (WBG) ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्प्रिंग मीटिंग का आयोजन किया।

- बैठक में चर्चा अंतर्राष्ट्रीय चिंता के मुद्दों पर केंद्रित थी जैसे- अंतर्राष्ट्रीय ऋण संकट, बढ़ती मुद्रास्फीति, जलवायु तथा विकास, गरीबी उन्मूलन और धीमी आर्थिक वृद्धि।

वर्ष 2023 की स्प्रिंग मीटिंग में IMF और WBG की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **ऋण संकट:**
  - ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंडटेबल (GSDR):
    - IMF, WBG और भारत [जो कि ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G20) 2023 का अध्यक्ष है] ने ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंडटेबल (GSDR) की सह-अध्यक्षता की।
    - GSDR ने द्विपक्षीय लेनदारों (फ्राँस - पेरिस क्लब का अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम, चीन, सऊदी अरब एवं जापान) और देनदार देशों (इक्वाडोर, सूरीनाम, जाम्बिया, श्रीलंका, इथियोपिया तथा घाना) तथा ब्राज़ील (जो कि वर्ष 2024 में आगामी G20 की अध्यक्षता करेगा) के साथ बैठक की।
  - प्रमुख मुद्दे:
    - कई विकासशील देश महामारी, बढ़ती महँगाई और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उच्च ऋण का सामना कर रहे हैं, जो जलवायु शमन एवं अनुकूलन परियोजनाओं में निवेश करने की उनकी क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
    - अफ्रीकी देशों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया जो कि कोविड-19 और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक मंदी के कारण असमान रूप से प्रभावित हुए हैं।
  - सुझाए गए तरीके:
    - GSDR ने ऋण स्थिरता और ऋण पुनर्गठन चुनौतियों का समाधान करने के तरीकों पर चर्चा की।
    - 'ऋण पुनर्गठन' उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा देश, निजी कंपनियाँ या व्यक्ति अपने ऋण की शर्तों को बदल सकते हैं ताकि ऋणी के लिये ऋण चुकाना आसान हो।
- **जलवायु संकट:**
  - प्रमुख मुद्दे:
    - वित्त मंत्रियों का वल्नरेबल ट्वेंटी ग्रुप (V20), जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिये सबसे व्यवस्थित रूप से कमज़ोर 58 देशों का प्रतिनिधित्त्व करता है, ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में संक्रमण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो सबसे कमज़ोर लोगों के लिये विकासोन्मुख जलवायु कार्रवाई प्रदान कर सके।
    - इसने जलवायु संकट के बारे में बढ़ती चिंताओं पर प्रकाश डाला जिसमें जलवायु वित्त, ऊर्जा सुरक्षा, स्थायी आपूर्ति शृंखला और हरित रोज़गारों के लिये कार्यबल की तत्परता जैसे विषय शामिल थे।
    - समयबद्ध रियायती वित्त तक पहुँच को जलवायु-संवेदी राष्ट्रों द्वारा सामना की जाने वाली एक बड़ी बाधा के रूप में चिह्नित किया गया, क्योंकि ऋण संकट और पूंजी की उच्च लागत से निपटने के अलावा जलवायु जोखिम को प्रबंधित करने के लिये उनकी बजटीय क्षमता दबाव में है।
  - प्रस्तावित सुझाव:
    - अकरा-माराकेश एजेंडा: V20 ने अकरा-माराकेश एजेंडा प्रस्तावित किया है जो असुरक्षित विश्व में जलवायु अनुकूलन के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने, ऋण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की समस्या का निपटान करने, अंतर्राष्ट्रीय और विकास वित्त प्रणाली को बदलने, कार्बन वित्तपोषण तथा जलवायु जोखिम प्रबंधन से संबंधित है।
    - आगामी IMF और WBG वार्षिक बैठक माराकेश में अक्तूबर 2023 में आयोजित की जाएगी।
    - V20 ने वर्ष 2023 की स्प्रिंग मीटिंग में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों और विकास एजेंसियों से जून 2023 में एक 'नए वैश्विक वित्तीय समझौता' विकसित करने की दिशा में सहयोग करने का आग्रह किया।
- **निम्न आय वाले देशों को वित्तीय सहायता:**
  - IMF ने निम्न आय वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में अपनी भूमिका को रेखांकित किया और गरीबी में कमी तथा विकास ट्रस्ट (PRGT) को बनाए रखने के लिये प्रतिबद्धता जताई है ताकि वह निम्न आय वाले देशों की सहायता करना जारी रख सके।
    - IMF PRGT के माध्यम से निम्न आय वाले देशों को रियायती वित्त प्रदान करता है।
    - हालाँकि कोविड-19 का प्रकोप, रूस-यूक्रेन युद्ध और इसके परिणामस्वरूप ऋण प्रदान करने में वृद्धि ने PRGT के संसाधनों पर दबाव डाला है।

नोट :

- **मानव पूंजी क्षमता को सक्रिय करने के लिये डिजिटल समाधान:**
  - IMF ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह वर्तमान में नए सार्वजनिक और निजी डिजिटल बुनियादी ढाँचे के लिये नीतिगत दृष्टिकोण को आकार देने हेतु डिजिटल विकास के व्यापक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कर रहा है।

सूडान संकट और ऑपरेशन कावेरी

चर्चा में क्यों ?

सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिये 'ऑपरेशन कावेरी' शुरू किया है।

- लगभग 3,000 भारतीय सूडान के विभिन्न हिस्सों में फँसे हुए हैं, जिनमें राजधानी खार्तूम और दारफुर जैसे दूरस्थ प्रांत भी शामिल हैं।

ऑपरेशन कावेरी:

- 'ऑपरेशन कावेरी' सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंद्वी अर्द्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहाँ फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने हेतु भारत के निकासी प्रयास का एक कोडनेम है।
- इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के INS सुमेधा, एक गुप्त अपतटीय गश्ती पोत और जेद्दा में स्टैंडबाय पर दो भारतीय वायु सेना C-130J के विशेष संचालन विमानों की तैनाती शामिल है।
- सूडान में लगभग 2,800 भारतीय नागरिक हैं जिनमें से लगभग 1,200 भारतीयों का समुदाय वहाँ पर बसा हुआ है।

नोट :

सूडान में वर्तमान संकट:

- **पृष्ठभूमि:**
  - व्यापक विरोध के बाद अप्रैल 2019 में सैन्य जनरलों द्वारा लंबे समय से राष्ट्रपति पद पर काबिज उमर अल-बशीर को उखाड़ फेंकना सूडान में संघर्ष का कारण है।
  - इसके कारण सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत वर्ष 2023 के अंत में सूडान में चुनावों का नेतृत्त्व करने के लिये संप्रभुता परिषद नामक एक शक्ति-साझाकरण निकाय की स्थापना की गई।
  - हालाँकि सेना ने अक्तूबर 2021 में अब्दुल्ला हमदोक के नेतृत्त्व वाली संक्रमणकालीन सरकार को उखाड़ फेंका, बुरहान देश के वास्तविक नेता बन गए और दगालो उनके सेकंड-इन-कमांड बन गए।
- **सेना और RSF के बीच तनाव:**
  - वर्ष 2021 के तख्तापलट के तुरंत बाद दो सैन्य (SAF) और अर्द्धसैनिक (RSF) जनरलों के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया, जिससे चुनावों में संक्रमण की योजना बाधित हो गई।
    - इस राजनीतिक परिवर्तन के लिये दिसंबर 2021 में एक प्रारंभिक सौदा किया गया था लेकिन समय सारिणी और सुरक्षा क्षेत्र के सुधारों पर असहमति के कारण सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) के साथ अर्द्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के एकीकरण पर बातचीत में बाधा उत्पन्न हुई।
  - संसाधनों के नियंत्रण और RSF के एकीकरण को लेकर तनाव बढ़ गया, जिसके कारण झड़पें हुईं।
    - इस बात पर असहमति थी कि 10,000 सैनिकों की मज़बूत RSF को सेना में कैसे एकीकृत किया जाए और किस प्राधिकरण को उस प्रक्रिया की देख-रेख की ज़िम्मेदारी दी जानी चाहिये।
  - इसके अलावा दगालो (RSF जनरल) एकीकरण में 10 वर्ष की देरी करना चाहते थे, लेकिन सेना का दावा था कि यह अगले दो वर्षों में होना चाहिये।

रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF):

- RSF एक समूह है, यह जंजावीड रक्षक योद्धाओं से विकसित हुआ है, जिसने 2000 के दशक में चाड की सीमा के समीप पश्चिम सूडान के दारफुर क्षेत्र के संघर्ष में भागीदारी की।
  - समय के साथ रक्षक योद्धाओं की संख्या बढ़ी और वर्ष 2013 में इसमें RSF में शामिल हो गई, जिनका विशेष रूप से सीमा रक्षकों के रूप में इस्तेमाल किया गया।
- RSF और सूडानी सेना ने सऊदी एवं अमीराती बलों के साथ लड़ने हेतु वर्ष 2015 में यमन में सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया था।
- RSF को दारफुर क्षेत्र के अलावा दक्षिण कोर्डोफन और ब्लू नाइल जैसी जगहों पर भेजा गया था, जहाँ उस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
- वर्ष 2015 की एक रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपने बलों को "दयाहीन पुरुष (Men with no Mercy)" के रूप में वर्णित किया।

वर्तमान संकट का परिणाम:

- लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिये चुनौती: सेना और RSF के बीच लड़ाई ने सूडान के लोकतंत्र में संक्रमण को और अधिक कठिन बना दिया है।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि झगड़ा व्यापक संघर्ष में बदल सकता है और देश के पतन का कारण बन सकता है।
- आर्थिक संकट: अति मुद्रास्फीति और भारी मात्रा में विदेशी ऋण के कारण सूडान की अर्थव्यवस्था संकट का सामना कर रही है।
  - हमदोक सरकार को हटाने के बाद अन्य देशों से अरबों डॉलर की सहायता और ऋण राहत पर रोक लगा दी गई।
- पड़ोसी देशों में अशांति: सूडान की सात अन्य देशों से निकटता के कारण यह संघर्ष वहाँ फैल सकता है और क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। चाड एवं दक्षिण सूडान विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
  - यदि लड़ाई जारी रहती है, तो स्थिति बड़े बाहरी हस्तक्षेप का कारण बन सकती है। सूडान के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से शरणार्थी पहले ही चाड आ चुके हैं।

भारत-सूडान संबंध:

- **सूडान का सामरिक महत्त्व:**
  - सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है और तीसरा सबसे बड़ा अफ्रीकी राष्ट्र है।
  - लाल सागर पर अपनी रणनीतिक अवस्थिति, नील नदी तक पहुँच, सोने के विशाल भंडार और कृषि क्षमता के कारण अपने पड़ोसी देशों, खाड़ी देशों, रूस तथा पश्चिमी देशों सहित बाहरी शक्तियों के लिये आकर्षण का केंद्र रहा है।
- **द्विपक्षीय परियोजनाएँ:**
  - इसने वर्ष 2021 में सूडान में ऊर्जा, परिवहन और कृषि व्यवसाय उद्योग जैसे क्षेत्रों में 612 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण के माध्यम से 49 द्विपक्षीय परियोजनाओं को पहले ही लागू कर दिया था।

नोट :

- **जुबा शांति समझौते का समर्थन:**
  - भारत ने एक संक्रमणकालीन सरकार बनाने के सूडान के प्रयासों का समर्थन किया और अक्तूबर 2020 में सरकार द्वारा हस्ताक्षरित जुबा शांति समझौते का भी समर्थन किया।
  - चाड, संयुक्त अरब अमीरात और विकास पर अंतर-सरकारी प्राधिकरण (IGAD) इसके समर्थक थे, जबकि मिस्र तथा कतर शांति समझौते के साक्षी थे।
  - इस समझौते में शासन, सुरक्षा और न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया था तथा यह भविष्य की संवैधानिक वार्ताओं के लिये महत्त्वपूर्ण था।
  - भारत ने वार्ता प्रक्रिया के तहत बाह्य रूप से सशस्त्र सहायता प्रदान कर और 1,200 कर्मियों के साथ नागरिक सुरक्षा के लिये एक राष्ट्रीय योजना का भी समर्थन किया।
- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग:**
  - भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) के तहत भारत ने क्षमता निर्माण के लिये सूडान को 290 छात्रवृत्ति/अनुदान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ष 2020 में सूडान को खाद्य आपूर्ति सहित मानवीय सहायता भी प्रदान की थी।
- **द्विपक्षीय व्यापार:**
  - इन वर्षों में भारत और सूडान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2005-06 के 327.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 1663.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
  - सूडान और दक्षिण सूडान में भारत का निवेश मोटे तौर पर 3 अरब अमेरिकी डॉलर का था जिसमें से 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर पेट्रोलियम क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ONGC विदेश) में निवेश किया गया था।

भारत द्वारा चलाए गए निकासी अभियान:

ऑपरेशन गंगा (2022):

- यह वर्तमान में यूक्रेन में फँसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये एक निकासी मिशन है।
- रूसी सेना द्वारा हमलों की शृंखला शुरू करने के बाद यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के साथ ही वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है।
- ऑपरेशन देवी शक्ति (2021): ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान द्वारा तेज़ी से कब्ज़े के बाद काबुल से अपने नागरिकों और अफगान भागीदारों को निकालने के लिये भारत का जटिल मिशन था।

वंदे भारत (2020):

- कोरोनावायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने के कारण विदेश में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु 'वंदे भारत मिशन' चलाया गया।
- इस मिशन के तहत कई चरणों में 30 अप्रैल, 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया।

ऑपरेशन समुद्र सेतु (2020):

- यह कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से घर वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में एक नौसैनिक अभियान था।
- इसके तहत 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते मातृभूमि में सफलतापूर्वक वापस लाया गया।
- भारतीय नौसेना के जहाज़ जलाश्व (लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक), ऐरावत, शार्दुल तथा मगर (लैंडिंग शिप टैंक) ने इस ऑपरेशन में भाग लिया, जो 55 दिनों तक चला और इसमें समुद्र द्वारा 23,000 किमी. से अधिक की यात्रा शामिल थी।
- ब्रुसेल्स से निकासी (2016): मार्च 2016 में बेल्जियम ज़ेवेंटेम में ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर तथा मध्य ब्रुसेल्स में मालबीक मेट्रो स्टेशन पर एक आतंकवादी हमले की चपेट में आ गया था।
- इसके तहत जेट एयरवेज़ की फ्लाइट से 28 क्रू मेंबर्स समेत कुल 242 भारतीयों को भारत लाया गया।
- ऑपरेशन राहत (2015): वर्ष 2015 में यमन सरकार और हौथी विद्रोहियों के बीच संघर्ष छिड़ गया।
- सऊदी अरब द्वारा घोषित नो-फ्लाई ज़ोन के कारण हज़ारों भारतीय फँसे हुए थे और यमन हवाई मार्ग सुलभ नहीं था।
- ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने यमन से लगभग 5,600 लोगों को निकाला।
- ऑपरेशन मैत्री (2015): वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप में बचाव और राहत अभियान के रूप में ऑपरेशन मैत्री का संचालन भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया था।
- सेना-वायु सेना के संयुक्त ऑपरेशन में नेपाल से वायु सेना और नागरिक विमानों द्वारा 5,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया। भारतीय सेना ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी से 170 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला।
- ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी (2011): संघर्षग्रस्त लीबिया में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये भारत ने 'ऑपरेशन घर वापसी' शुरू की।
- ऑपरेशन के तहत भारत ने 15,400 भारतीय नागरिकों को निकाला।
- इस ऑपरेशन में लगभग 15,000 नागरिकों को बचाया गया था।

नोट :

- एयर-सी ऑपरेशन भारतीय नौसेना और एयर इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था।
- ऑपरेशन सुकून (2006): जुलाई 2006 में जैसे ही इज़रायल और लेबनान में सैन्य संघर्ष शुरू हुआ, भारत ने ऑपरेशन सुकून शुरू कर वहाँ फँसे अपने नागरिकों को बचाया, जिसे अब 'बेरूत सीलिफ्ट' के नाम से जाना जाता है।
- यह 'डनकर्क' निकासी के बाद से सबसे बड़ा नौसैनिक बचाव अभियान था।
- टास्क फोर्स ने 19 जुलाई और 1 अगस्त, 2006 के बीच कुछ नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों सहित लगभग 2,280 लोगों को निकाला था।
- कुवैत एयरलिफ्ट (1990): वर्ष 1990 में जब 700 टैंकों से लैस 1,00,000 इराकी सैनिकों ने कुवैत पर हमला किया, तब शाही और अति विशिष्ट व्यक्ति सऊदी अरब भाग गए थे।
- वहीं आम जनता के जीवन को जोखिम में डाला दिया गया।
- कुवैत में फँसे लोगों में 1,70,000 से अधिक भारतीय थे।
- भारत ने निकासी अभियान शुरू किया, जिसमें 1,70,000 से अधिक भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया और भारत वापस लाया गया।

आगे की राह

- चूँकि भारत केवल ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे पश्चिम एशियाई देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है जो वैश्विक ऊर्जा केंद्र का गठन करते हैं, इसने अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिये सूडान, नाइजीरिया तथा अंगोला जैसे तेल-समृद्ध अफ्रीकी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किये हैं।
  - हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपने निवेश, व्यापार और अन्य हितों की रक्षा करना भारत के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।
  - लाल सागर क्षेत्र भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति के लिये अत्याधिक महत्त्वपूर्ण है।
- भारत-सूडान संबंधों की मौजूदा संरचना और अफ्रीका के हॉर्न में सूडान के स्थान को देखते हुए नए शासन को मान्यता देने के लिये भारत को जल्दबाज़ी में कोई भी कदम उठाने से पहले क्षेत्र में अपने व्यापार, निवेश एवं हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है।

आर्मेनियाई नरसंहार

चर्चा में क्यों ?

ऐसा माना जाता है कि आर्मेनियाई नरसंहार की शुरुआत 24 अप्रैल, 1915 को हुई, यह वह समय था जब ओटोमन/तुर्क साम्राज्य (वर्तमान में तुर्किये) ने कांस्टेंटिनोपल में आर्मेनियाई बुद्धिजीवियों और नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया था।

नरसंहार:

- **उदय:**
  - 'नरसंहार' शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 1944 में पोलिश वकील राफेल लेमकिन ने अपनी पुस्तक एक्सिस रूल इन ऑक्युपाइड यूरोप में किया था।
- **परिचय:**
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, नरसंहार एक विशेष जातीय, नस्लीय, धार्मिक अथवा राष्ट्रीय समूह का उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित विध्वंश है।
  - इसे विभिन्न तरीकों से अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें सामूहिक हत्या, जबरन स्थानांतरण और कठोर परिस्थितियों में जीने के लिये बाध्य करना शामिल है, जिस कारण बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं।
- **शर्तें/स्थिति:**
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, नरसंहार अपराध के दो प्रमुख घटक होते हैं:
    - मानसिक घटक: इसके अंतर्गत किसी राष्ट्रीय, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक समूह को आंशिक या फिर पूरी तहत नष्ट करने का प्रयास किया जाता है।
    - शारीरिक घटक: इसके अंतर्गत होने वाली निम्नलिखित पाँच प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं:
    - किसी समूह के सदस्यों की हत्या करना।
    - किसी समूह के सदस्यों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से गंभीर क्षति पहुँचाना।
    - बदहाल जीवन जीने के लिये मजबूर करना।
    - ऐसे उपाय लागू करना जिससे किसी समूह विशेष की जनसंख्या में वृद्धि अथवा जन्म दर को पूर्ण रूप से बाधित अथवा सीमित किया जा सके।
    - एक समूह के बच्चों को किसी दूसरे समूह में जबरन स्थानांतरित करना।
  - साथ ही किसी घटना को नरसंहार तभी कहा जा सकता है जब हमले में व्यक्ति के बजाय लक्षित समूह के सदस्यों को निशाना बनाया जाता है।
- **नरसंहार अभिसमय:**
  - नरसंहार अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे नरसंहार की रोकथाम और सज़ा पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है, इसे UNGA द्वारा 9 दिसंबर, 1948 को अपनाया गया था।
  - इसका उद्देश्य नरसंहार के अपराध को रोकना और हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों को नरसंहार को रोकने तथा संबद्ध तत्त्वों को दंडित करने के लिये कार्रवाई हेतु प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत नरसंहार

नोट :

को आपराधिक श्रेणी में शामिल करने वाले कानूनों को लागू करना एवं इस कृत्य में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच तथा अभियोजन कार्य में अन्य देशों को सहयोग करना शामिल है।

- इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस/अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को इस अभिसमय की व्याख्या करने और लागू करने की ज़िम्मेदारी के साथ प्राथमिक न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।
- यह 9 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि थी।

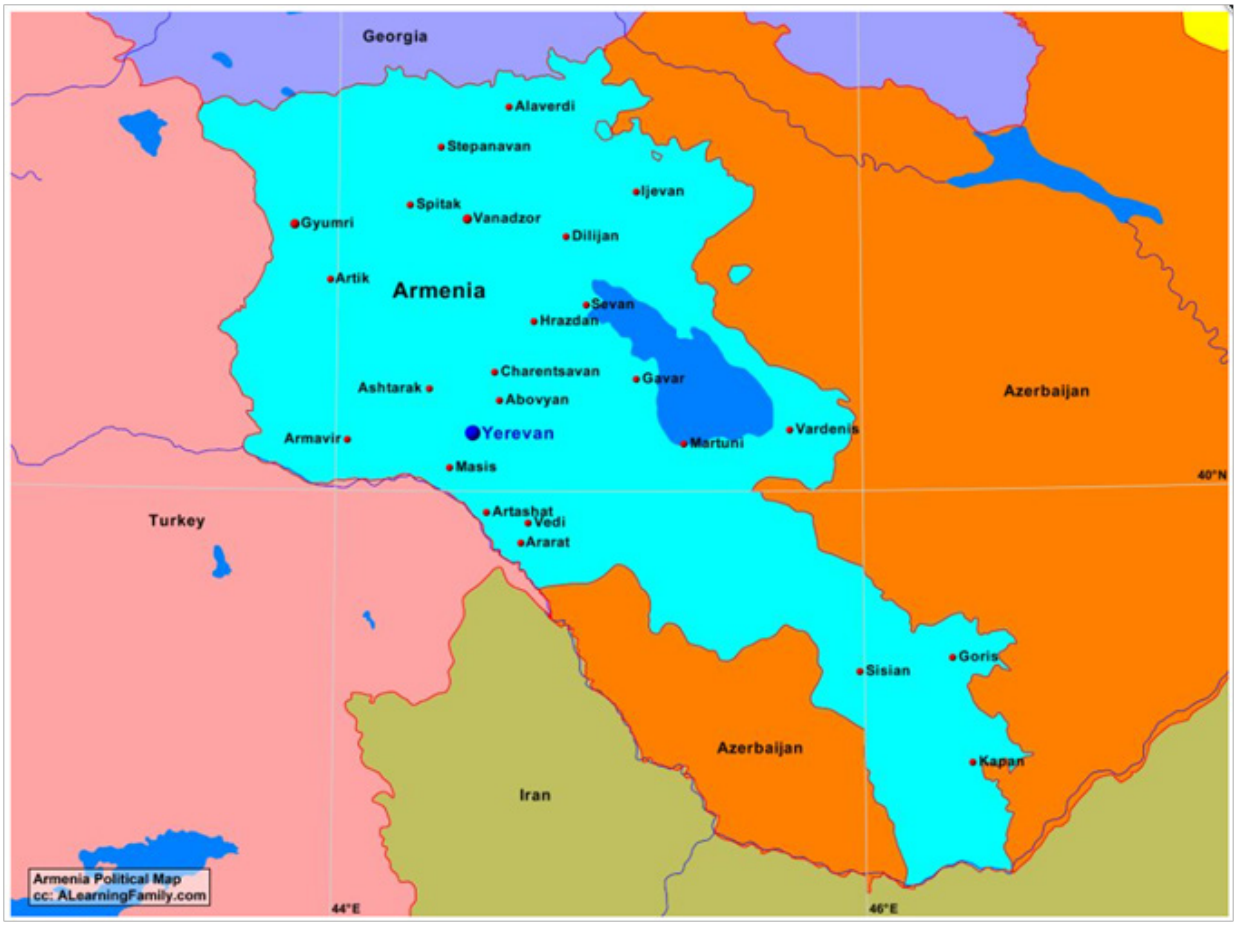

आर्मेनियाई नरसंहार:

- **पृष्ठभूमि:** आर्मेनियाई लोगों का इतिहास प्राचीन है जिनकी पारंपरिक मातृभूमि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक रूसी और तुर्क साम्राज्यों (Ottoman Empires) के बीच विभाजित थी।
  - मुसलमानों के प्रभुत्त्व वाले तुर्क साम्राज्य में आर्मेनियाई समृद्ध ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय थे।
  - अपने धर्म के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसका वे विरोध कर रहे थे और सरकार में अधिक प्रतिनिधित्त्व की मांग कर रहे थे। इससे इस समुदाय के खिलाफ काफी नाराज़गी जताई गई और इन पर हमले किये गए थे।
- **युवा तुर्कों और प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका:** वर्ष 1908 में यंग तुर्क नामक एक समूह ने क्रांति कर संघ और प्रगति समिति (CUP) के लिये सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, जो साम्राज्य का 'तुर्कीकरण' करना चाहती थी, साथ ही यह अल्पसंख्यकों के प्रति कठोर थी।
  - अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के परिणामस्वरूप तुर्क साम्राज्य ने रूस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्राँस के खिलाफ जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया-हंगरी का साथ दिया।
  - इस युद्ध ने आर्मेनियाई लोगों के प्रति शत्रुता बढ़ा दी, विशेष रूप से कुछ आर्मेनियाई, रूस के प्रति सहानुभूति रखते थे और यहाँ तक कि युद्ध में उसकी मदद करने को तैयार थे।

नोट :

- जल्द ही सभी आर्मेनियाई लोगों को एक खतरे के रूप में देखा जाने लगा।
- 14 अप्रैल, 1915 को कांस्टेंटिनोपल में प्रमुख नागरिकों की गिरफ्तारी के साथ समुदाय पर कार्रवाई शुरू हुई, जिनमें से कई को मार दिया गया था।
  - सरकार ने तब आर्मेनियाई लोगों को बलपूर्वक निर्वासित करने का आदेश दिया।
- वर्ष 1915 में तुर्क सरकार ने अपने पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों से आर्मेनियाई आबादी को निर्वासित कर दिया।

- **'नरसंहार' के रूप में मान्यता:** आर्मेनियाई नरसंहार को अब तक 32 देशों द्वारा मान्यता दी गई है, जिसमें अमेरिका, फ्राँस, जर्मनी शामिल हैं।
  - भारत और यूके आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता नहीं देते हैं। भारत के रुख का कारण उसकी व्यापक विदेश नीति के फैसले और क्षेत्र में भू-राजनीतिक हितों को माना जा सकता है।
  - तुर्की, जो कि आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता नहीं देता है, ने हमेशा दावा किया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मौतें नियोजित और लक्षित थीं।
- **आर्मेनिया-तुर्की संबंधों की वर्तमान स्थिति:** आर्मेनिया के तुर्की के साथ अतीत में बेहतर संबंध रहे हैं, हालाँकि अब नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र में जो कि अज़रबैजान का आर्मेनियाई बहुल हिस्सा एक विवादित क्षेत्र है, को लेकर तुर्की, अज़रबैजान का समर्थन करता है।

नरसंहार पर भारत में कानून और विनियम:

- नरसंहार पर भारत के पास कोई घरेलू कानून नहीं है, भले ही उसने नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की है।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC):**
  - भारतीय दंड संहिता (IPC) नरसंहार और संबंधित अपराधों की सज़ा का प्रावधान करती है तथा जाँच, अभियोजन एवं सज़ा के लिये प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है।
  - IPC की धारा 153B के तहत नरसंहार को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को आपराध की श्रेणी में लाती है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - भारतीय संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
    - संविधान का अनुच्छेद 15 इन आधारों पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
    - अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

आगे की राह

नरसंहार की रोकथाम और सज़ा एक जटिल मुद्दा है जिसके लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कुछ संभावित तरीकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कानूनी ढाँचे को सशक्त करना:** सभी देशों को नरसंहार तथा संबंधित अपराधों को अपराध ठहराने वाले कानूनों को अपनाना और लागू करना जारी रखना चाहिये। सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि यह कानून अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों के अनुरूप हों, जैसे नरसंहार अभिसमय।
- **शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना:** शिक्षा और जागरूकता अभियान विभिन्न समूहों के बीच सहिष्णुता एवं समझ को बढ़ावा देने और भेदभाव तथा हिंसा की संभावना को कम करने में सहायता कर सकते हैं। सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों को इन पहलों को बढ़ावा देने के लिये एकमत होकर कार्य करना चाहिये।
- **पूर्व चेतावनी प्रणाली:** पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास से विभिन्न समूहों के बीच बढ़ते तनाव का पता लगाने और उसे रोकने में सहायता मिल सकती है। इन प्रणालियों में अभद्र भाषा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा संभावित हिंसा के अन्य संकेतकों की निगरानी शामिल हो सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** नरसंहार की रोकथाम और दंड में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। नरसंहार के घटनाओं को रोकने और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये सभी देशों को सूचना, संसाधनों तथा विशेषज्ञता को साझा करने के लिये एकमत होकर कार्य करना चाहिये।
- **पीड़ितों को सहायता:** उपचार और सुलह को बढ़ावा देने के लिये नरसंहार के पीड़ितों के लिये समर्थन और क्षतिपूर्ति का प्रावधान करना आवश्यक है। सरकारों एवं अन्य हितधारकों को पीड़ितों को सहायता के लिये एक साथ कार्य करना चाहिये, जिसमें न्याय, क्षतिपूर्ति और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच शामिल है।
- **मूल कारणों को संबोधित करना:** नरसंहार की रोकथाम के लिये भेदभाव और हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करना आवश्यक है। इसमें गरीबी, असमानता एवं सामाजिक बहिष्कार को संबोधित करने के साथ-साथ समावेशी शासन तथा लोकतांत्रिक संस्थानों को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।

नोट :

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में भारत एवं यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (European Free Trade Association- EFTA) के चार यूरोपीय देशों ने व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (Trade and Economic Partnership Agreement- TEPA) हेतु वर्ष 2018 से रुके हुए संवाद को पुन: शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है।

- TEPA का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके बाज़ार पहुँच एवं निवेश प्रवाह को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन:

- EFTA एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1960 में उन यूरोपीय राज्यों हेतु एक वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में स्थापित किया गया था जो यूरोपीय संघ (European Union-EU) में शामिल होने में असमर्थ या इसके अनिच्छुक थे।
  - EFTA में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटज़रलैंड शामिल हैं, जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन विभिन्न समझौतों के माध्यम से इसके एकल बाज़ार तक उनकी पहुँच है।
- EFTA भारत का 9वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो वर्ष 2020-21 में भारत के कुल व्यापार का लगभग 2.5% हिस्सा है।
  - EFTA को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएँ वस्त्र, रसायन, रत्न एवं आभूषण, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स हैं।
  - EFTA से भारत द्वारा आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएँ मशीनरी, रसायन, कीमती धातुएँ और चिकित्सा उपकरण हैं।

नोट :

व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA):

- **उद्देश्य:**
  - TEPA का उद्देश्य उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला पर टैरिफ एवं गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त/कम करके भारत और EFTA के बीच व्यापार एवं निवेश के अवसरों में वृद्धि करना है।
  - इसका उद्देश्य सेवा प्रदाताओं और निवेशकों के लिये निष्पक्ष एवं पारदर्शी बाज़ार पहुँच की स्थिति सुनिश्चित करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन पर सहयोग को बढ़ाना है।
  - TEPA का उद्देश्य विवाद समाधान के प्रभावी तंत्र के साथ-साथ व्यापार प्रक्रियाओं एवं सीमा शुल्क सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।
- **व्याप्ति:**
  - TEPA एक व्यापक समझौता है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिस्पर्द्धा, सरकारी खरीद, व्यापार सुगमता, व्यापार उपचार, विवाद समाधान और आपसी हित के अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
- **हालिया घटनाक्रम:**
  - प्रतिभागियों ने वैश्विक आर्थिक और व्यापार वातावरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार किया।
  - भागीदार देशों ने रचनात्मक और व्यावहारिक तरीके से द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी के मुद्दों को संबोधित करने पर सहमति व्यक्त की।
  - भारत ने TEPA वार्ताओं में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण पर वार्ता को शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
  - भारत आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है।

EFTA देशों के साथ भारत के संबंध:

- **भारत और स्विट्ज़रलैंड संबंध:**
  - तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग पर एक अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क के समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, जिससे 'भारत-स्विस संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम' (ISJRP) की शुरुआत हुई।
  - भारतीय कौशल विकास परिसर और विश्वविद्यालय, पुणे में इंडो-स्विस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा आंध्र प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र जैसे संस्थानों के माध्यम से दोनों देशों के बीच कौशल प्रशिक्षण सहयोग की सुविधा है।
  - स्विट्ज़रलैंडभारत में 12वाँ सबसे बड़ा निवेशक है, अप्रैल 2000 और सितंबर 2019 के बीच यह भारत में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग 1.07% था।
- **भारत और स्विट्ज़रलैंड संबंध:**
  - सतत् विकास के लिये नीली अर्थव्यवस्था पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स का गठन वर्ष 2020 में किया गया था।
  - नार्वे की 100 से अधिक कंपनियों ने भारत में खुद को स्थापित किया है।
  - नॉर्वेजियन पेंशन फंड ग्लोबल संभवत: भारत के सबसे बड़े एकल विदेशी निवेशकों में से एक है।
  - नॉर्वे के संस्थानों का चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास और पवन ऊर्जा संस्थान के बीच अकादमिक सहयोग है।
  - नार्वे की कंपनी पिक्ल (Piql) भारतीय स्मारकों के लिये एक डिजिटल संग्रह बनाने में शामिल थी।
- **भारत और आइसलैंड संबंध:**
  - भारत और आइसलैंड ने वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किये और वर्ष 2005 से उच्च स्तरीय यात्राओं और आदान-प्रदान के साथ संबंधों को मज़बूत किया है।
  - भारत और आइसलैंड लोकतंत्र, कानून के शासन एवं बहुपक्षवाद के साझा मूल्यों को साझा करते हैं।
  - आइसलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिये भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।
  - भारत और आइसलैंड व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति तथा विकास में सहयोग करते हैं।
  - आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जैसे- दोहरा कराधान अपवंचन समझौता।
- **भारत और लिकटेंस्टीन संबंध:**
  - दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।
  - दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2016-17 में 1.59 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
  - दोनों देशों ने अपने संबंधों को मज़बूत करने के लिये उच्च स्तरीय बैठकों का आदान-प्रदान किया है।
  - दोनों देशों ने दोहरा कराधान अपवंचन समझौते जैसे आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - लिकटेंस्टीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिये भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।

नोट :

नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत-यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक में, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से 'नेट ज़ीरो' इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना की घोषणा की।

नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर क्या है ?

- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिये भारत और यूके की एक संयुक्त पहल है।
- यह दोनों देशों के हितधारकों को एक साथ लाने के लिये एक फोरम प्रदान करेगा ताकि कुछ फोकस क्षेत्रों जैसे निर्माण प्रक्रिया और परिवहन प्रणालियों के डीकार्बोनाइजेशन तथा नवीकरणीय स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन पर काम किया जा सके।
- यह उत्सर्जित और वातावरण से रिमूव किये गए ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को संतुलित करते हुए शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य का समर्थन करेगा।
- यह दोनों देशों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान, नवाचार, अनुसंधान और विकास, क्षमता निर्माण तथा नीतिगत संवाद की सुविधा भी प्रदान करेगा।

बैठक के मुख्य हाइलाइट्स:

- **भारत-यूके विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग:**
  - यूके भारत के दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार भागीदार के रूप में उभरा है।
  - भारत और यूके के बीच संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम लगभग शून्य से बढ़कर 300-400 मिलियन पाउंड के करीब पहुँच गया है।
- **भारत की आर्थिक और तकनीकी क्षमताएँ:**
  - भारत अपनी असाधारण तकनीकी और नवीन क्षमताओं से संचालित एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, विशेष रूप से कोविड वैक्सीन की सफलता के बाद।
  - ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रीय स्तंभ है जहाँ भारत सौर गठबंधन और स्वच्छ ऊर्जा मिशन जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से पहले ही नेतृत्व कर चुका है।
  - भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये पर्यावरण प्रदूषण और तकनीकी-आधारित मार्गों के समाधान तथा निगरानी समाधान विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयासों के माध्यम से महत्वाकांक्षी शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- **उद्योग-अकादमिक सहयोग:**
  - यह सहयोग दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिये एक साथ नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिये भारतीय और यूके शिक्षा तथा उद्योग के लिये एक अवसर प्रदान करेगा।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास में सहायता के लिये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) को मंज़ूरी दी है।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन:

- **परिचय:**
  - इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा लागू किया जाएगा।
  - वर्ष 2023-2031 के लिये नियोजित मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास का बीजारोपण, पोषण और पैमाना है तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी (Quantum Technology- QT) में एक जीवंत और अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
  - इस मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्राँस, कनाडा और चीन के बाद समर्पित क्वांटम मिशन वाला सातवाँ देश बन जाएगा।
- **NQM की मुख्य विशेषताएँ:**
  - यह 5 वर्षों में 50-100 भौतिक क्यूबिट्स और 8 वर्षों में 50-1000 भौतिक क्यूबिट्स के साथ मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य रखेगा।
    - 'क्यूबिट्स' या 'क्वांटम बिट्स' क्वांटम कंप्यूटरों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया की इकाइयाँ हैं, जैसे कि बिट्स (1 और 0) बुनियादी इकाइयाँ हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर सूचना को संसाधित करते हैं।
  - मिशन सटीक समय (परमाणु घड़ियों), संचार और नेविगेशन हेतु उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा।
  - यह क्वांटम उपकरणों के निर्माण हेतु सुपरकंडक्टर्स, नवीन अर्द्धचालक संरचनाओं और टोपोलॉजिकल सामग्रियों जैसे क्वांटम सामग्रियों के डिज़ाइन एवं संश्लेषण का भी समर्थन करेगा।
  - मिशन निम्नलिखित को विकसित करने में भी मदद करेगा:
    - भारत के भीतर 2000 किमी. की सीमा में ग्राउंड स्टेशनों के बीच उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार।
    - अन्य देशों के साथ लंबी दूरी की सुरक्षित क्वांटम संचार
    - 2000 किमी. से अधिक अंतर-शहर क्वांटम कुंजी वितरण
    - क्वांटम मेमोरी के साथ मल्टी-नोड क्वांटम नेटवर्क
  - क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में चार थीमैटिक हब (T-Hubs) स्थापित किये जाएंगे:
    - क्वांटम गणना
    - क्वांटम संचार
    - क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी
    - क्वांटम सामग्री और उपकरण
- **महत्त्व:**
  - यह QT के नेतृत्व में आर्थिक विकास को गति देगा और भारत को हेल्थकेयर तथा डायग्नोस्टिक्स, रक्षा, ऊर्जा एवं डेटा सुरक्षा से लेकर क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन (QTA) के विकास में अग्रणी देशों में से एक बना देगा।
  - यह स्वदेशी रूप से क्वांटम-आधारित कंप्यूटर बनाने की दिशा में काम करेगा जो कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और बेहद सुरक्षित तरीके से सबसे जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी:

- क्वांटम प्रौद्योगिकी विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक क्षेत्र है जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों से संबंधित है, जो कि सबसे छोटे पैमाने पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार का अध्ययन है।
  - क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जो परमाणु और उप-परमाण्विक स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करती है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के लाभ:

- बढ़ी हुई कंप्यूटिंग शक्ति: क्वांटम कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटरों की तुलना में बहुत तीव्र और अद्यतन हैं। इनमें जटिल समस्याओं को हल करने की भी क्षमता है जो वर्तमान में हमारी पहुँच से परे हैं।
- बेहतर सुरक्षा: चूँकि ये क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, अत: क्वांटम एन्क्रिप्शन तकनीकें पारंपरिक एन्क्रिप्शन विधियों की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं।
- द्रुत संचार: क्वांटम संचार नेटवर्क पारंपरिक नेटवर्क की तुलना में द्रुत गति से और अधिक सुरक्षित रूप से सूचना प्रसारित कर सकते हैं, जिनमें पूरी तरह से अप्राप्य (Unhackable) संचार की क्षमता होती है।

नोट :

- उन्नत AI: क्वांटम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम संभावित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के अधिक कुशल और सटीक प्रशिक्षण को सक्षम कर सकते हैं।
- बेहतर संवेदन और मापन: क्वांटम सेंसर पर्यावरण में बेहद छोटे बदलावों का पता लगा सकते हैं जिससे वे चिकित्सा निदान, पर्यावरण निगरानी और भूवैज्ञानिक अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में उपयोगी हों।

क्वांटम प्रौद्योगिकी का नुकसान:

- **महँगी:** प्रौद्योगिकी के लिये विशेष उपकरणों और सामग्रियों की आवश्यकता होती है जो इसे पारंपरिक तकनीकों की तुलना में अधिक महँगी बनाती हैं।
- **सीमित अनुप्रयोग:** वर्तमान में क्वांटम तकनीक केवल विशिष्ट अनुप्रयोगों जैसे- क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम संचार के लिये उपयोगी है।
- **पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता:** क्वांटम प्रौद्योगिकी पर्यावरणीय हस्तक्षेप, जैसे- तापमान परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र और कंपन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
  - क्यूबिट्स अपने परिवेश से आसानी से बाधित हो जाते हैं जिसके कारण वे अपने क्वांटम गुणों को खो सकते हैं और गणना में गलतियाँ कर सकते हैं।
- **सीमित नियंत्रण:** क्वांटम सिस्टम को नियंत्रित और इसमें किसी प्रकार का बदलाव करना मुश्किल है।
- क्वांटम-संचालित AI परिणाम अनपेक्षित हो सकते हैं:
  - क्वांटम-संचालित AI परिणाम अनपेक्षित हो सकते हैं क्योंकि वे उन सिद्धांतों पर काम करते हैं जो पारंपरिक कंप्यूटिंग से मौलिक रूप से भिन्न हैं।

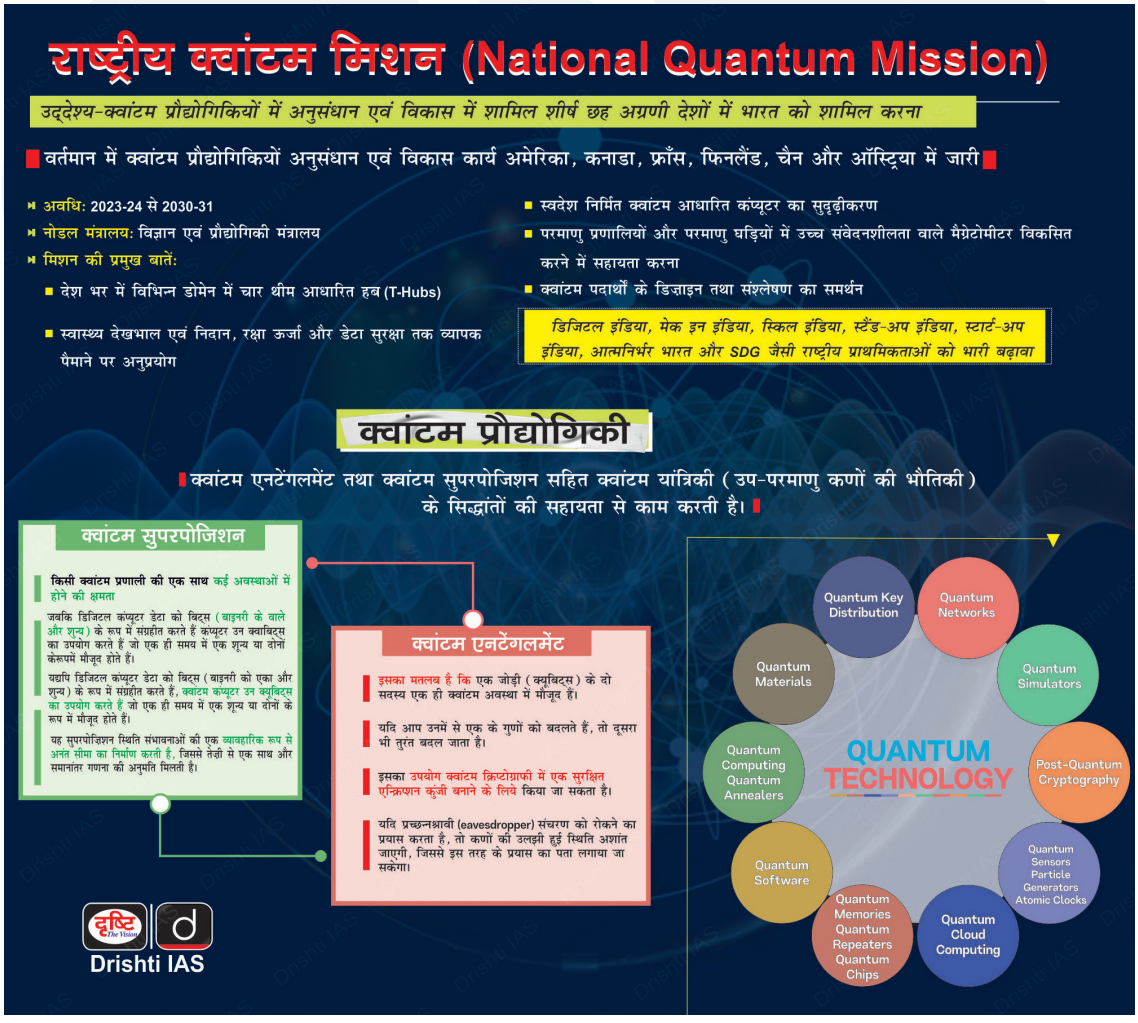

नोट :

निष्कर्ष:

कुल मिलाकर क्वांटम प्रौद्योगिकी में अपार संभावनाएँ हैं, परंतु अभी भी ऐसी कई चुनौतियाँ हैं जिन्हें व्यापक रूप से अपनाने से पहले दूर किये जाने की आवश्यकता है।

LockBit रैनसमवेयर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में LockBit रैनसमवेयर द्वारा Mac उपकरणों को लक्षित करने का मामला सामने आया है।

- इससे पहले जनवरी 2023 में कथित तौर पर ब्रिटेन की डाक सेवाओं पर साइबर हमले के पीछे LockBit गैंग का हाथ था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग बाधित हो गई थी।
- रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो कंप्यूटर डेटा को हाईजैक कर लेता है और उस डेटा को वापस बहाल करने के बदले फिरौती (आमतौर पर बिटकॉइन में) की मांग करता है।

LockBit रैनसमवेयर:

- **परिचय:**
  - LockBit, जिसे पहले "ABCD" रैनसमवेयर के रूप में जाना जाता था, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो किसी के कंप्यूटर में प्रवेश कर महत्त्वपूर्ण फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है ताकि उन्हें एक्सेस न किया जा सके।
    - यह वायरस पहली बार सितंबर 2019 में पाया गया था और इसे "क्रिप्टो वायरस" कहा जाता है क्योंकि यह पीड़ित की फाइल को डिक्रिप्ट करने के लिये क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान की मांग करता है।
  - LockBit का उपयोग आमतौर पर उन कंपनियों या संगठनों पर हमला करने के लिये किया जाता है जो अपनी फाइलों को वापस पाने के लिये बहुत अधिक कीमत देने के लिये तैयार होते हैं।
  - इस संबंध में डार्क वेब पर एक वेबसाइट है जिसमें उन सदस्यों और पीड़ितों का विवरण होता है जो भुगतान करने से इनकार करते हैं।
  - LockBit का उपयोग यू.एस., चीन, भारत, यूक्रेन और यूरोप सहित कई अलग-अलग देशों में कंपनियों को लक्षित करने के लिये किया गया है।
- **कार्य प्रणाली:**
  - यह अपनी हानिकारक (नुकसान पहुँचाने वाली) फाइलों को हानिरहित छवि वाली फाइलों की तरह बनाकर छुपाता है। LockBit भरोसेमंद होने का नाटक कर लोगों को कंपनी के नेटवर्क तक पहुँच प्रदान करने के लिये उन्हें झाँसा देता है।
  - एक बार सिस्टम में प्रवेश करने के बाद LockBit कंपनी को उसकी फाइलों को पुनर्प्राप्त करने में मदद करने वाली सभी सुविधाओं को अक्षम कर देता है और सभी फ़ाइलों को इस प्रकार प्रबंधित करता है कि उन्हें किसी विशेष कुंजी के बिना खोला नही जा सकता जो केवल LockBit गिरोह के पास होती है।
  - इससे प्रभावित व्यक्ति/संस्था के पास LockBit गिरोह से संपर्क करने और डेटा के लिये भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। इस डेटा को ये गिरोह डार्क वेब पर बेच सकते हैं भले ही उन्हें इसका भुगतान किया जाए अथवा नहीं।
- **LockBit गैंग:**
  - LockBit गैंग/गिरोह साइबर अपराधियों का एक समूह है जो धन की वसूली के लिये सर्विस मॉडल के रूप मे रैनसमवेयर का उपयोग करता है।
  - वे इस प्रकार के हमले किसी के आदेश पर करते हैं जिसके लिये उन्हें भुगतान प्राप्त होता है और फिर भुगतान राशि को अपनी टीम और सहयोगियों में बाँट लेते हैं।
    - वे अत्यधिक कुशल होते हैं और पकड़ में आने से बचने के लिये रूसी व्यवस्था अथवा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (Commonwealth of Independent States) पर हमला नहीं करते हैं।

LockBit द्वारा mac OS को लक्षित करने का कारण:

- LockBit अपने हमलों के दायरे का विस्तार करने और संभावित रूप से अपने वित्तीय लाभ को बढ़ाने के तरीके के रूप में mac OS को लक्षित कर रहा है।
  - हालाँकि ऐतिहासिक रूप से रैनसमवेयर ने मुख्य रूप से विंडोज़, लाइनक्स और वीएमवेयर ESXi सर्वरों को लक्षित किया है, यह अब mac OS के लिये एन्क्रिप्टर्स का परीक्षण कर रहा है।
- ऐसा पाया गया है कि वर्तमान एन्क्रिप्टर्स पूरी तरह से चालू नहीं हो पाए हैं लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये समूह mac OS को लक्षित करने के लिये सक्रिय रूप से एक पृथक उपकरण/तकनीक विकसित कर रहे हैं।
- इन सभी का उद्देश्य विभिन्न प्रणालियों/सिस्टम्स को लक्षित करके रैनसमवेयर ऑपरेशन की सहायता से अधिक पैसा वसूलना है।

भारत में साइबर हमले की हालिया घटनाएँ:

- वर्ष 2020 में लगभग 82% कंपनियों के प्रभावित होने के साथ भारत में रैनसमवेयर हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है।

नोट :

- हाल के वर्षों में कई हाई-प्रोफाइल हमले हुए हैं, जिनमें वर्ष 2017 का वानाक्राई हमला, Juspay के डेटा उल्लंघन का मामला शामिल है। इसने वर्ष 2021 में अमेज़न सहित 35 मिलियन ग्राहकों को प्रभावित किया और हाल ही में दिसंबर 2022 में दिल्ली स्थित एम्स भी रैनसमवेयर हमले का शिकार हुआ।
  - वर्ष 2022 में एयर इंडिया को एक बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा, जिसमें पासपोर्ट, टिकट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी सहित 4.5 मिलियन ग्राहक रिकॉर्ड से समझौता किया गया।

साइबर सुरक्षा से संबंधित वर्तमान सरकार की पहल:

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In)
- साइबर सुरक्षित भारत पहल
- साइबर स्वच्छता केंद्र
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र (NCCC)
- साइबर बीमा नीति
- केरल सरकार साइबरडोम परियोजना

LockBit रैनसमवेयर से बचाव:

- **मज़बूत पासवर्ड:**
  - खाता सुरक्षा का उल्लंघन प्राय: कमज़ोर पासवर्ड के कारण होता है क्योंकि हैकर्स इसे आसानी से अनुमान लगा सकता है या एल्गोरिद्म टूल को क्रैक कर सकता है। अत: सुरक्षा के लिये मज़बूत पासवर्ड चुनें जो लंबा होने के साथ ही उसमें अलग-अलग तरह के कैरेक्टर हों।
- **बहु-कारक प्रमाणीकरण:**
  - ब्रूट फोर्स अटैक को रोकने हेतु अपने सिस्टम में लॉग इन करते समय अपने पासवर्ड के अलावा बायोमेट्रिक्स (जैसे- फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान) या वास्तविक USB कुंजी प्रमाणक का उपयोग करना चाहिये।
    - ब्रूट फोर्स अटैक एक प्रकार का साइबर हमला है जहाँ हमलावर वर्णों के विभिन्न संयोजनों को बार-बार आज़माकर एक पासवर्ड का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं जब तक कि उन्हें सही पासवर्ड नहीं मिल जाता।
- **खाता अनुमति का पुनर्मूल्यांकन:**
  - सुरक्षा जोखिमों को कम करने हेतु उपयोगकर्त्ता अनुमति पर कड़े प्रतिबंध लगाना महत्त्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से दूसरे छोर पर (Endpoint) उपयोगकर्त्ताओं द्वारा उपयोग किये जाने वाले संसाधनों एवं प्रशासनिक पहुँच वाले IT खातों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वेब डोमेन, सहयोगी प्लेटफॉर्म, वेब मीटिंग सेवाएँ और एंटरप्राइज़ डेटाबेस सभी सुरक्षित हों।
- **तंत्र-व्यापी बैकअप:**
  - स्थायी डेटा हानि से बचने हेतु अपने महत्त्वपूर्ण डेटा का ऑफलाइन बैकअप बनाना महत्त्वपूर्ण है।
  - यह सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर बैकअप बनाकर अपने सिस्टम की अप-टू-डेट कॉपी सुनिश्चित करना। किसी मैलवेयर से संक्रमित होने की स्थिति में एक स्वच्छ बैकअप चुनने में सक्षम होने हेतु कई बैकअप साइट्स तथा उन्हें बदलने का विकल्प खुला रखना चाहिये।

परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्त्व अधिनियम 2010

चर्चा में क्यों ?

वर्तमान में महाराष्ट्र के जैतापुर में छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने की योजना, जो कि विश्व की सबसे बड़ी विचाराधीन परमाणु ऊर्जा उत्पादन साइट है, भारत के परमाणु दायित्त्व कानून से संबंधित मुद्दों के कारण एक दशक से अधिक समय से विलंबित है।

नोट :

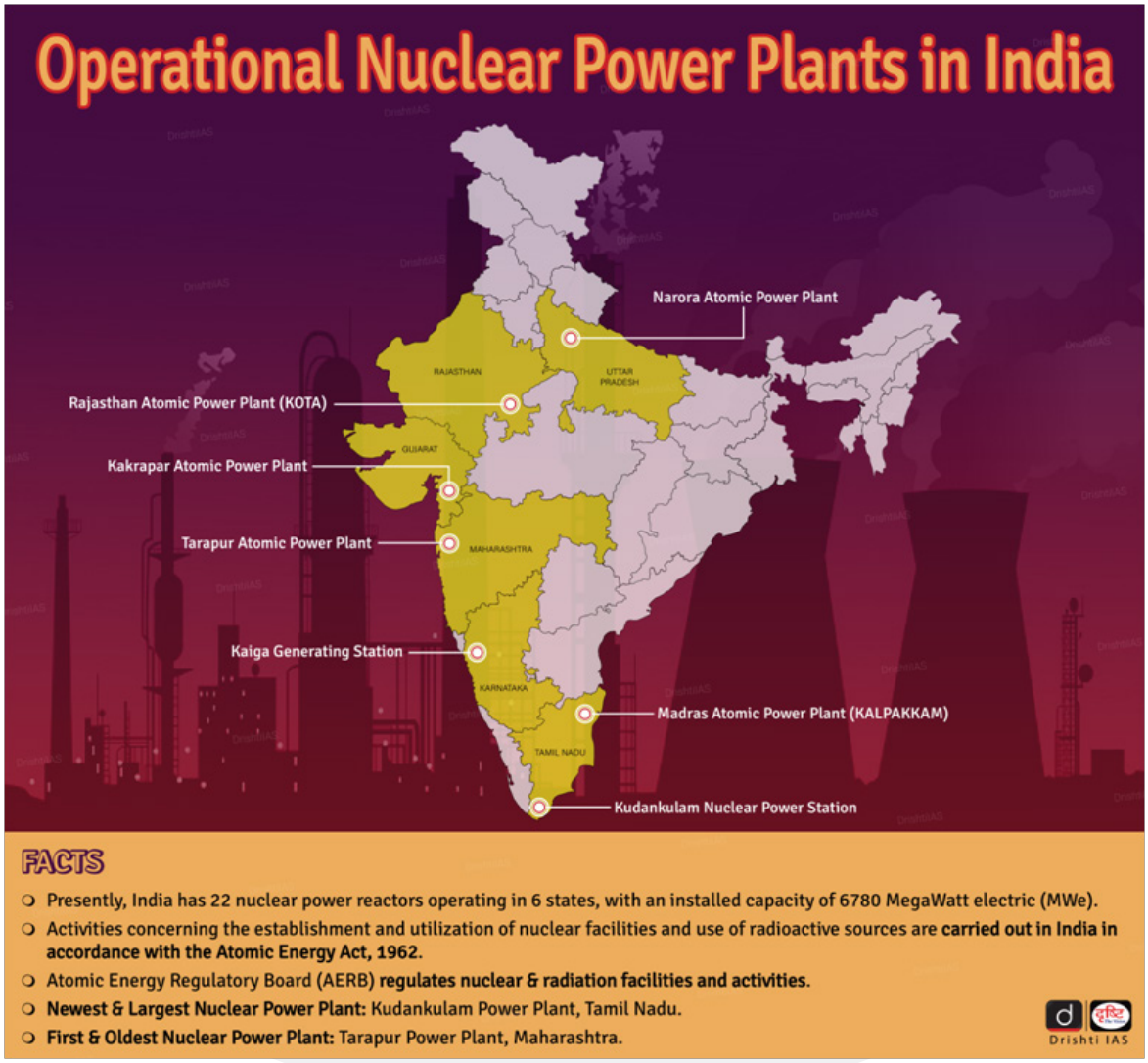

असैन्य परमाणु दायित्त्व पर कानून:

- **परिचय:**
  - असैन्य परमाणु दायित्त्व पर कानून यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु घटना या आपदा के कारण पीड़ितों को हुई क्षति के लिये मुआवज़ा उपलब्ध कराया जाए और यह भी निर्धारित करता है कि उस क्षति के लिये कौन उत्तरदायी होगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:**
  - परमाणु क्षति हेतु IAEA नागरिक दायित्त्व पर कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरणों के लिये डिपॉज़िटरी के रूप में कार्य करता है। इनमें परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्त्व पर वियना अभिसमय और परमाणु क्षति के लिये पूरक मुआवज़े पर अभिसमय शामिल हैं।
  - न्यूनतम राष्ट्रीय मुआवज़ा राशि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में पूरक मुआवज़ा पर व्यापक अभिसमय (CSC) को अपनाया गया था।
    - भारत ने वर्ष 2016 में CSC की पुष्टि की है।
- परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्त्व अधिनियम, 2010 (India's Civil Liability for Nuclear Damage Act-CLNDA):

नोट :

- उद्देश्य:
  - भारत ने वर्ष 2010 में परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों हेतु एक त्वरित मुआवज़ा तंत्र स्थापित करने के लिये CLNDA को अधिनियमित किया था।
- संचालकों पर देयता:
  - CLNDA के अनुसार, परमाणु संयंत्र के संचालक सख्त और बिना किसी गलती के दायित्त्व के अधीन हैं, जिसका अर्थ है कि वह किसी भी लापरवाही एवं नुकसान हेतु उत्तरदायी हैं।
  - यह निर्दिष्ट करता है कि दुर्घटना के कारण हुए नुकसान के मामले में संचालकों को 1,500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना होगा।
- इसके लिये संचालकों को बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से देयता को कवर करने की भी आवश्यकता होती है।

सरकार की भूमिका:

- CLNDA अपेक्षा करता है कि यदि नुकसान का दावा 1,500 करोड़ रुपए से अधिक है तो सरकार हस्तक्षेप करेगी।
- इसने सरकारी देयता राशि को रुपए में 300 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights- SDR) के बराबर तक सीमित कर दिया है।
- आपूर्तिकर्त्ता देयता उपबंध: यह ध्यान देने की बात है कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हेतु दोषपूर्ण पुर्जे काफी हद तक ज़िम्मेदार थे, सरकार ने CLNDA में संचालकों की देयता के अलावा आपूर्तिकर्त्ता देयता को शामिल करने के लिये CSC के प्रावधानों से परे जाकर देयता सुनिश्चित की है।
  - इस प्रावधान के तहत यदि कोई परमाणु घटना दोषपूर्ण उपकरण अथवा सामग्री, खराब सेवाओं या आपूर्तिकर्त्ता कर्मचारियों के आचरण के परिणामस्वरूप होती है, तो परमाणु संयंत्र का संचालक आपूर्तिकर्त्ता से संपर्क कर उचित मदद की मांग कर सकता है।

नोट:

- CSC के अनुसार, "केवल" दो परिस्थितियों में किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय कानून एक आपूर्तिकर्त्ता को उत्तरदायी ठहराने के लिये संचालक को "मदद का अधिकार" प्रदान कर सकता है:
- अगर यह अनुबंध में विशेष रूप से वर्णित है।
- अगर परमाणु घटना "नुकसान पहुँचाने के इरादे से किये गए किसी कार्य अथवा चूक के परिणामस्वरूप होती है"।

परमाणु सौदों में आपूर्तिकर्त्ता दायित्त्व खंड:

- विदेशी और घरेलू आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये बाधक: यह देखते हुए कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास आपूर्तिकर्त्ताओं से नुकसान की मांग की अनुमति देने वाला कानून है, परमाणु उपकरणों के घरेलू और विदेशी दोनों निर्माता भारत के साथ परमाणु समझौते को लागू करने के लिये अनिच्छुक रहे हैं।
- आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये अधिक जोखिमपूर्ण: आपूर्तिकर्त्ताओं ने CLNDA के तहत संभावित रूप से असीमित देयता के संपर्क में आने के बारे में चिंता जताई है क्योंकि मुआवज़े की राशि कानून के तहत तय नहीं है क्योंकि यह ऑपरेटर के लिये तय की गई है।
- चूँकि मुआवज़े की राशि आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये कानून द्वारा उस प्रकार निर्धारित नहीं है जैसा कि संचालकों के लिये निर्धारित है, आपूर्तिकर्त्ताओं ने CLNDA के तहत संभावित रूप से असीमित दायित्त्वों को लेकर चिंता व्यक्त की है।
  - इसके अतिरिक्त उन्होंने इस अस्पष्टता को भी उजागर किया है कि क्षति के मामले में मुआवज़े हेतु कितनी राशि को पृथक रखना है।
- स्पष्टता की कमी में अन्य कानून शामिल हैं: 'परमाणु क्षति' के प्रकारों पर एक व्यापक परिभाषा के अभाव में अधिनियम संभावित रूप से अन्य नागरिक कानूनों के माध्यम से ऑपरेटर और आपूर्तिकर्त्ताओं के खिलाफ नागरिक देयता के दावों को लाने की अनुमति देता है।
- आपराधिक देयता को आकर्षित करता है: अधिनियम किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अतिरिक्त किसी अन्य कानून के तहत ऑपरेटर के खिलाफ कार्यवाही करने से नहीं रोकता है। यह जहाँ भी लागू हो, ऑपरेटर और आपूर्तिकर्त्ता के खिलाफ आपराधिक देयता का अनुसरण करने की अनुमति देता है।

CLNDA के साथ अन्य समस्याएँ :

- मुआवज़े पर मौद्रिक सीमा: अधिनियम एक निश्चित मौद्रिक सीमा तक देयता तय करता है (ऑपरेटरों के लिये 1,500 करोड़ रुपए और सरकार के लिये विशेष आहरण अधिकार के तहत 300 मिलियन रुपए)। इस तरह की सीमा के साथ सबसे बड़ी समस्या ऐसी स्थितियों में पैदा होती है जब नुकसान सीमा से अधिक हो जाता है।
  - अधिनियम स्पष्ट रूप से सीमा से अधिक नुकसान की लागत के संबंध में कोई प्रावधान प्रदान नहीं करता है।
- करदाताओं पर बोझ: भारत में ये संयंत्र सरकार के स्वामित्त्व वाले हैं और NPCIL के माध्यम से संचालित होते हैं। अंततः ऐसी आपदाओं की क्षतिपूर्ति आम करदाताओं द्वारा वहन की जाएगी।

नोट :

- अतिरिक्त लागतों की उपेक्षा: चेरनोबिल जैसी विगत घटनाओं से ज्ञात हुआ है कि परमाणु घटना के लिये दोषी पक्ष को परमाणु अपशिष्ट की सफाई एवं सुरक्षित निपटान जैसी अतिरिक्त लागतें वहन करनी चाहिये, जो महँगी हैं तथा इसमें अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
  - हालाँकि अधिनियम इन अतिरिक्त लागतों के लिये कोई प्रावधान नहीं करता है।
- कोई विदेशी अधिकार क्षेत्र नहीं: भारत कई विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से आपूर्ति करता है जो भारतीय कानून के अनुसार विदेशी संस्थाएँ हैं। भारतीय मुआवज़े की मांग के लिये विदेशी न्यायालय में नहीं जा सकते।

आगे की राह

- विदेशी आपूर्तिकर्त्ता से मुआवज़ा मांगे जाने की स्थिति में विदेशी न्यायालयों तक पहुँच प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के प्रावधान किये जाने चाहिये। अंतर्राष्ट्रीय समझौते या एक मज़बूत विवाद समाधान तंत्र बनाया जा सकता है।
- आपूर्तिकर्त्ताओं को विश्वास में लेने हेतु उनकी देनदारी की सीमा भी सुनिश्चित होनी चाहिये तथा बीमा राशि की भी अधिकतम सीमा निश्चित होनी चाहिये।
- अस्पष्टता के समाधान हेतु कानून में संशोधन किया जाना चाहिये और आपराधिक दायित्त्व के प्रावधानों को आसान बनाया जाना चाहिये या आपराधिक कार्यवाही के दायरे को स्पष्ट किया जाना चाहिये।
- वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र का अन्वेषण किया जाना चाहिये, जैसे कि बीमा या एक समर्पित निधि जो यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक भार पूरी तरह से करदाताओं पर नहीं है।

दृष्टि The Vision

नोट :

जैव विविधता और पर्यावरण

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

चर्चा में क्यों ?

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 ने अपनी स्थापना के 51 वर्ष पूरे कर लिये हैं और इन वर्षों में यह कई लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने में सफल रहा है। इस अधिनियम ने देश के विविध वन्यजीवों के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:

- **परिचय:**
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
  - यह अधिनियम उन पौधों और जानवरों की अनुसूचियों को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग-अलग स्तर की सुरक्षा तथा निगरानी प्रदान की जाती है।
  - वन्यजीव अधिनियम ने CITES (वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) में भारत के प्रवेश को सरल बना दिया था।
  - इससे पहले जम्मू-कश्मीर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के दायरे में नहीं आता था। लेकिन अब पुनर्गठन अधिनियम के परिणामस्वरूप भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है।
- **वन्यजीव अधिनियम हेतु संवैधानिक प्रावधान:**
  - 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत वन एवं वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था।
  - संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्त्तव्य होगा।
  - राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48A, यह आज्ञापित करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार और देश के वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **अधिनियम के तहत अनुसूचियाँ:**
  - अनुसूची I:
    - इसमें उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें सर्वाधिक संरक्षण की आवश्यकता है।
    - इस अनुसूची के तहत किसी भी कानून के ल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति को सबसे कठोर दंड दिया जा सकता है।
    - इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति के जब वे मानव जीवन के लिये खतरा हों अथवा वे ऐसी बीमारी से पीड़ित हों, जिससे ठीक होना संभव नहीं है।
    - अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध कुछ जानवरों में कृष्ण मृग (काला हिरण), हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड), हिमालयी भालू और एशियाई चीता शामिल हैं।
  - अनुसूची II:
    - इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को भी उनके संरक्षण के लिये उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें उनके व्यापार पर प्रतिबंध आदि शामिल हैं।
    - अनुसूची II के तहत सूचीबद्ध कुछ जानवरों में असमिया मकाक, हिमालयी काला भालू (Himalayan Black Bear) और भारतीय नाग (Indian Cobra) शामिल हैं।
  - अनुसूची III व IV:
    - जानवरों की वे प्रजातियाँ, जो संकटग्रस्त नहीं हैं उन्हें अनुसूची III और IV के अंतर्गत शामिल किया गया है।
    - इसमें प्रतिबंधित शिकार वाली संरक्षित प्रजातियाँ शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिये दंड पहली दो अनुसूचियों की तुलना में कम है।
    - अनुसूची III के तहत संरक्षित जानवरों में चीतल (Spotted Deer), भड़ल/हिमालयी नीली भेड़ (Blue Sheep), लकड़बग्घा और सांभर (Deer) शामिल हैं।
    - अनुसूची IV के तहत संरक्षित जानवरों में राजहंस (Flamingo), खरगोश, बाज़, किंगफिशर, मैगपाई और हॉर्सशू क्रैब शामिल हैं।
  - अनुसूची V:
    - इस अनुसूची में ऐसे जंतु शामिल हैं जिन्हें वर्मिन/परोपजीवी कहा जाता है (छोटे जंगली जीव जो रोग का परिसंचरण करते हैं तथा पौधों एवं भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं)। इन जानवरों का शिकार किया जाता है।
    - इसमें जंगली जानवरों की केवल चार प्रजातियाँ शामिल हैं: कौवे, फल चमगादड़, चूहा और मूषक।

नोट :

- अनुसूची VI:
  - यह एक निर्दिष्ट पौधों की कृषि में नियमन प्रदान करता है और इस पर स्वामित्त्व, इसकी बिक्री और परिवहन को नियंत्रित करता है।
  - निर्दिष्ट पौधों की कृषि और व्यापार दोनों ही निपुण प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किये जा सकते हैं।
  - अनुसूची VI के तहत संरक्षित पौधों में बेडडोम्स साइकैड/Beddomes' Cycad (भारतीय मूल का पौधा), ब्लू वांडा/Blue Vanda (नीला ऑर्किड), रेड वांडा/Red Vanda (लाल ऑर्किड), कुथ/Kuth (Saussurea Lappa), स्लिपर ऑर्किड (Paphiopedilum Spp.) और पिचर प्लांट (Nepenthes Khasiana) शामिल हैं।

- **अधिनियम के तहत गठित निकाय:**
  - राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife- NBWL):
    - NBWL सभी वन्यजीव संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में तथा उसके आसपास परियोजनाओं को मंजूरी देने वाला शीर्ष संगठन है।
  - राज्य वन्यजीव बोर्ड (State Board for Wildlife- SBWL):
    - राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं।
  - केंद्रीय जैविक उद्यान/ चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority):
    - केंद्रीय जैविक उद्यान प्राधिकरण में अध्यक्ष और एक सदस्य-सचिव सहित कुल 10 सदस्य होते हैं।
  - प्राधिकरण चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करता है और देश भर के चिड़ियाघरों को विनियमित करने का कार्य भी करता है।
    - यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघरों के मध्य जीव-जंतुओं, पशु-पक्षियों के स्थानांतरण के लिये मानदंड और नियम स्थापित करता है।
  - राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority- NTCA):
    - टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिये वर्ष 2005 में NTCA का गठन किया गया था।
    - केंद्रीय पर्यावरण मंत्री NTCA का अध्यक्ष होता है और राज्य का पर्यावरण मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है।
    - केंद्र सरकार NTCA की सिफारिशों पर किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित करती है।
  - वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau- WCCB):
    - इस अधिनियम के तहत देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिये WCCB के गठन हेतु प्रावधान किया गया।

- **अधिनियम के तहत संरक्षित क्षेत्र:**
  - अधिनियम के तहत पाँच प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं: अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिज़र्व, सामुदायिक रिज़र्व और टाइगर रिज़र्व।

- **अधिनियम में किये गए महत्त्वपूर्ण संशोधन:**
  - वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 1991:
    - इस अधिनियम ने वन्यजीव संबंधी अपराधों के लिये दंड और जुर्माने को और सशक्त किया तथा लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के प्रावधानों को भी प्रस्तुत किया।
  - वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002:
    - इस संशोधन ने संरक्षित क्षेत्रों के रूप में सामुदायिक रिज़र्व और कंज़र्वेशन रिज़र्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया।
  - वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2006:
    - यह संशोधन मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुद्दे से संबंधित था तथा इसमें बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन एवं सुरक्षा हेतु एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के गठन हेतु प्रावधान किया गया था।
    - इसने वन्यजीव संबंधी अपराधों से निपटने के लिये बाघ एवं अन्य लुप्तप्राय प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Tiger and Other Endangered Species Crime Control Bureau) के गठन का भी प्रावधान किया।
  - वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022:
    - अधिनियम कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने और CITES को लागू करने का प्रस्ताव करता है।
    - अनुसूचियों की संख्या घटाकर चार कर दी गई है:
  - अनुसूची I में उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त पशु प्रजातियों को शामिल किया गया है।
  - अनुसूची III में सुरक्षा के कम स्तर वाली पशु प्रजातियों को शामिल किया गया है।
  - अनुसूची III संरक्षित पौधों की प्रजातियों के लिये है।
  - अनुसूची IV CITES के तहत सूचीबद्ध प्रजातियों के लिये।
    - अधिनियम 'धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य' के लिये हाथियों के उपयोग की अनुमति देता है।

नोट :

WPA, 1972 के तहत वन्यजीव विकास की पहलें:

- **बाघ संरक्षण परियोजना:**
  - बाघों की आबादी के संरक्षण के लिये बाघ संरक्षण परियोजना। वर्ष 1973 में प्रारंभ की गई यह परियोजना अभी भी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मदद से चल रही है।
- **प्रोजेक्ट एलीफेंट:**
  - हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिये वर्ष 1992 में केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलीफेंट लॉन्च किया गया था।
  - अधिनियम के तहत कुल 88 गलियारों की पहचान की गई थी।
- **वन्यजीव गलियारे:**
  - वन्यजीव गलियारे संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और मानव बस्तियों में हस्तक्षेप किये बिना जानवरों की आवाजाही की अनुमति देते हैं। हाल ही में भारत के पहले शहरी वन्यजीव गलियारे की योजना नई दिल्ली और हरियाणा के मध्य बनाई जा रही है। गलियारा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के पास है, ताकि तेंदुए और अन्य वन्यजीवों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जा सके।

WPA, 1972 में चुनौतियाँ:

- **जागरूकता का अभाव:**
  - यह अधिनियम 50 से अधिक वर्षों से लागू होने के बावजूद प्रभावी रूप से आम जनता तक नहीं पहुँच पाया है। बहुत से लोग अभी भी वन्यजीव संरक्षण के महत्त्व और इससे संबंधित कानूनों से अनभिज्ञ हैं।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:**
  - मानव आबादी में वृद्धि और वन्यजीव आवासों के अतिक्रमण के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि हुई है। इससे अक्सर वन्यजीवों की हत्या होती है, जो WPA के तहत अवैध है।
- **अवैध वन्यजीव व्यापार:**
  - भारत ने अवैध वन्यजीव व्यापार में महत्त्वपूर्ण वृद्धि देखी है, जो देश के वन्यजीवों के लिये एक बड़ा खतरा है। कड़े कानूनों के बावजूद वन्यजीव उत्पादों का अवैध शिकार और अवैध व्यापार जारी है।
- **समन्वय का अभाव:**
  - अक्सर वन विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों जैसे- पुलिस, सीमा शुल्क और राजस्व विभागों के मध्य समन्वय की कमी होती है।
    - इससे WPA को प्रभावी ढंग से लागू करना और अवैध वन्यजीव व्यापार पर नियंत्रण लगाना मुश्किल हो जाता है।
- **अपर्याप्त दंड:**
  - WPA के तहत वन्यजीव अपराधों के लिये दंड एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिये पर्याप्त कठोर नहीं है। अपराधियों पर प्रभाव डालने के लिये जुर्माना और सज़ा अक्सर बहुत कम होती है।
- **सामुदायिक भागीदारी का अभाव:**
  - स्थानीय समुदायों की भागीदारी के बिना संरक्षण के प्रयास सफल नहीं हो सकते। हालाँकि वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में अक्सर सामुदायिक भागीदारी की कमी देखी जाती है।
- **जलवायु परिवर्तन:**
  - जलवायु परिवर्तन वन्यजीव आवासों के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरा है और इससे मौजूदा वन्यजीवों के लिये खतरा पैदा होने की संभावना है। WPA को वन्यजीवों और उनके आवासों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिये।

निष्कर्ष:

- WPA 1972, 50 से अधिक वर्षों से अस्तित्त्व में है लेकिन यह कई चुनौतियों का सामना करता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार, सिविल सोसाइटी और जनता के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। प्रभावी प्रवर्तन, सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने वाले अभियान कुछ ऐसे कदम हैं जो भारत के वन्यजीवों तथा उनके आवासों की रक्षा के लिये उठाए जा सकते हैं।

हीट वेव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नवी मुंबई में एक सरकारी पुरस्कार समारोह में भाग लेने के दौरान लू से प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित लोगों को देखा गया। यह घटना हीट वेव के संभावित खतरों को रेखांकित करती है, जो कि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप अधिक तीव्र एवं लगातार होने का अनुमान है।

- लंबी दूरी की यात्रा, अंतर्निहित चिकित्सा मुद्दे, और बड़ी सभाओं में पीने के जल और चिकित्सा देखभाल तक पहुँच की कमी कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को हीट स्ट्रोक के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं।

हीट वेव:

- **परिचय:**
  - हीट वेव, चरम गर्म मौसम की लंबी अवधि होती है जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
    - भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण विशेष रूप से हीट वेव के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो हाल के वर्षों में लगातार और अधिक तीव्र हो गई है।

नोट :

- **भारत में हीट वेव घोषित करने हेतु मानदंड:**
  - मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र:
    - यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुँच जाता है तो इसे हीट वेव की स्थिति माना जाता है।
    - हीट वेव के मानक से विचलन का आधार: विचलन 4.50 डिग्री सेल्सियस से 6.40 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
  - चरम हीट वेव: सामान्य से विचलन>6.40°C है।
    - वास्तविक अधिकतम तापमान हीट वेव पर आधारित: जब वास्तविक अधिकतम तापमान ≥45°C हो।
  - चरम हीट वेव: जब वास्तविक अधिकतम तापमान ≥47 डिग्री सेल्सियस हो।
    - यदि एक मौसम विज्ञान उपखंड के भीतर कम-से-कम दो स्थान न्यूनतम दो दिनों के लिये उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो इसकी घोषणा दूसरे दिन की जाती है।
  - तटीय क्षेत्र:
    - जब अधिकतम तापमान विचलन सामान्य से 4.50 डिग्री सेल्सियस अथवा अधिक होता है, तो इसे हीट वेव कहा जा सकता है, बशर्ते वास्तविक अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या अधिक हो।
- **मृत्यु:**
  - उच्च तापमान अपने आप में उतना घातक नहीं होता है जितना कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता का संयोजन, जिसे वेट बल्ब तापमान कहा जाता है। यह हीट वेव को और घातक बनाता है।
  - वातावरण में उच्च नमी के कारण पसीने को वाष्पित होने और शरीर को ठंडा रखने में कठिनाई होती है जिसके परिणामस्वरूप शरीर का आंतरिक तापमान तेज़ी से बढ़ता है और अक्सर घातक होता है।
- **कारण:**
  - ग्लोबल वार्मिंग: यह भारत में हीट वेव के प्राथमिक कारणों में से एक है जो मानव गतिविधियों जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि को संदर्भित करता है।
    - ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप उच्च तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, जिससे हीट वेव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  - शहरीकरण: तेज़ी से शहरीकरण और शहरों में कंक्रीटों संरचनाओं की वृद्धि "नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव (urban heat island effect)" के रूप में जानी जाने वाली घटनाओं को जन्म दे सकता है।
    - उच्च जनसंख्या घनत्त्व वाले शहरी क्षेत्र, इमारतें और कंक्रीट की सतह अधिक गर्मी को अवशोषित करती हैं तथा ऊष्मा को बनाए रखती हैं जिस कारण हीट वेव के दौरान तापमान उच्च होता है।
  - अल नीनो प्रभाव: अल नीनो घटना के दौरान प्रशांत महासागर का गर्म होना वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित कर सकता है जिससे विश्व भर में तापमान, वर्षा और वायु के पैटर्न में बदलाव हो सकता है।
    - भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में प्रभावी ला नीना अवधि के समाप्त होने और अल नीनो घटना के अनुमान से पहले होने के कारण वर्ष 2023 की गर्मियों के मौसम के असामान्य रूप से गर्म होने की आशंका है।
- **प्रभाव:**
  - स्वास्थ्य पर प्रभाव:
    - गर्मी में तेज़ी से वृद्धि तापमान को नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता से समझौता कर सकती है और इसके परिणामस्वरूप गर्मी में ऐंठन, थकावट, हीटस्ट्रोक और हाइपरथर्मिया सहित कई बीमारियाँ हो सकती हैं।
  - गर्मी से होने वाली मौतें और अस्पताल में भर्ती होने की घटनाएँ बहुत तेज़ी से बढ़ सकती हैं या इनका प्रभाव पड़ सकता है।
  - जल संसाधनों पर प्रभाव: गर्म हवाएँ भारत में जल की कमी के मुद्दों को बढ़ा सकती हैं; जल निकायों का सूखना, कृषि और घरेलू उपयोग के लिये जल की उपलब्धता में कमी एवं जल संसाधनों के लिये बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा।
    - इससे जल को लेकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सिंचाई के तरीके प्रभावित हो सकते हैं तथा जल पर निर्भर उद्योगों पर प्रभाव पड़ सकता है।
  - ऊर्जा पर प्रभाव: गर्म हवाएँ शीतलन उद्देश्यों के लिये बिजली की मांग को बढ़ा सकती हैं, जिससे पावर ग्रिड पर दबाव और संभावित ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
    - यह आर्थिक गतिविधियों, उत्पादकता और कमज़ोर आबादी को प्रभावित कर सकता है, जिनकी गर्म हवाओं के दौरान शीतलता प्रदान करने के लिये विश्वसनीय बिजली तक पहुँच नहीं है

आगे की राह

- **हीट वेव्स एक्शन प्लान:** गर्म हवाओं के प्रतिकूल प्रभावों से संकेत मिलता है कि हीट वेव क्षेत्रों में गर्म हवा के प्रभाव को कम करने के लिये प्रभावी आपदा अनुकूलन रणनीतियों और अधिक मज़बूत आपदा प्रबंधन नीतियों की आवश्यकता है।

नोट :

- चूँकि गर्म हवाओं के कारण होने वाली मौतों को रोका जा सकता है, इसलिये सरकार को मानव जीवन, पशुधन और वन्य जीवन की सुरक्षा के लिये दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-30 के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क का प्रभावी कार्यान्वयन, जिसमें राज्य अग्रणी भूमिका निभा रहे है और अन्य हितधारकों के साथ ज़िम्मेदारी साझा करना, अब समय की मांग है।

- **जलवायु कार्ययोजनाओं को लागू करना:** समावेशी विकास और पारिस्थितिक स्थिरता के लिये जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) को उचित रूप से लागू किया जाना चाहिये।
  - प्रकृति-आधारित समाधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिये, यह कार्य न केवल जलवायु परिवर्तन से प्रेरित गर्म हवाओं से निपटने के लिये बल्कि एक ऐसे तरीके से करना चाहिये जो नैतिक हो और अंतर-पीढ़ीगत न्याय को बढ़ावा दे।
- **सस्टेनेबल कूलिंग:** पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी, जो प्राकृतिक रूप से हवादार इमारतों के निर्माण में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिये अर्बन हीट आइलैंड को संबोधित करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण विकल्प हो सकती है।
  - जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) के तीसरे भाग में कहा कि प्राचीन भारतीय भवन डिज़ाइन, जिन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है, को ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में आधुनिक सुविधाओं के अनुकूल बनाया जा सकता है।
- **हीट वेव न्यूनीकरण योजनाएँ:** गर्मी से होने वाली मौतों को प्रभावी उपायों जैसे कि पानी तक पहुँच, ओरल पुनर्जलीकरण समाधान (ORS) और छाया, विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर लचीले काम के घंटे तथा बाहरी श्रमिकों के लिये विशेष व्यवस्था के माध्यम से कम किया जा सकता है।
  - सतर्कता के साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा सक्रिय कार्यान्वयन, उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी भी महत्त्वपूर्ण है।

हाथियों का स्थानांतरण

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केरल सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें मुन्नार के "राइस टस्कर" अरिकोम्बन (जंगली हाथी) को परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।

हाथी स्थानांतरण के पक्ष में तर्क:

- केरल उच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुनर्वास स्थल में प्राकृतिक भोजन एवं जल संसाधनों की उपलब्धता हाथी को मानव बस्तियों में भोजन की तलाश में जाने से रोकेगी।
- न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि हाथी को रेडियो कॉलर लगाया जाएगा तथा वन/वन्यजीव अधिकारियों द्वारा उनकी गतिविधियों की निगरानी की जाएगी, जो किसी भी संघर्ष की स्थिति के कारण अचानक आने वाले संकट को प्रभावी ढंग से दूर करेगा।

हाथी के स्थानांतरण के विरोध में तर्क:

- भारत का पहला रेडियो-टेलीमेट्री अध्ययन वर्ष 2006 में दक्षिण बंगाल के पश्चिम मिदनापुर की फसल वाली भूमि से दार्जिलिंग ज़िले के महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित एक बड़े नर हाथी पर किया गया था।
  - लगभग तुरंत ही हाथी ने गाँवों एवं सेना क्षेत्रों में घरों पर हमला तथा फसलों को क्षति पहुँचाना शुरू कर दिया था।
- वर्ष 2012 में एशियाई हाथियों के स्थानांतरण समस्या पर एक अध्ययन किया गया था, जिसमें जीव-विज्ञानियों की एक टीम ने श्रीलंका के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 16 बार स्थानांतरित किये गए 12 नर हाथियों की निगरानी की थी।
  - अध्ययन में पाया गया कि स्थानांतरण के कारण मानव-हाथी संघर्ष की व्यापक स्थिति और इसमें तीव्रता हुई, जिसके कारण हाथियों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई।
- दिसंबर 2018 में विनायगा बैल जिसे फसलों की व्यापक क्षति करने हेतु जाना जाता है, को कोयंबटूर से मुदुमलाई-बांदीपुर क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था।
  - यह फसलों को क्षति पहुँचाने हेतु हाथियों से सुरक्षित रहने के लिये बनाई गई खाई को भी पार कर जाता था।

नोट :

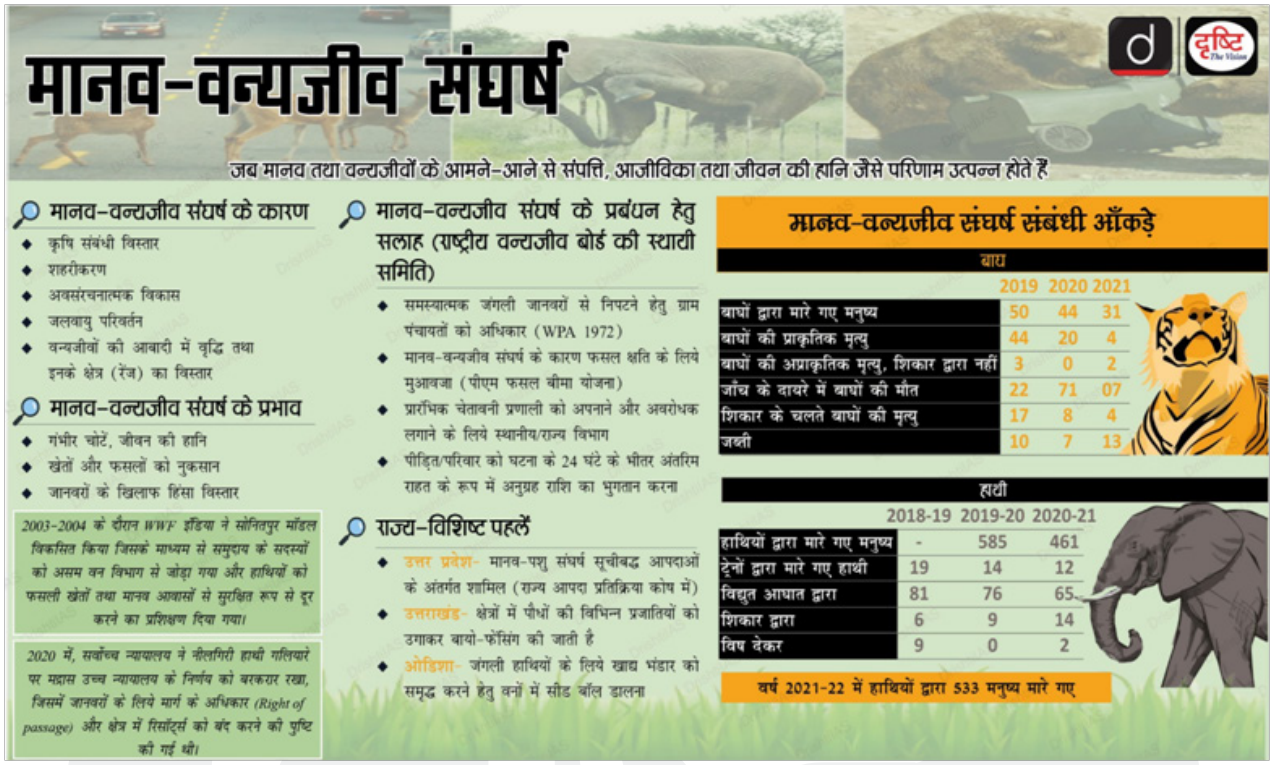

हाथी:

- **परिचय:**
  - हाथी भारत का प्राकृतिक धरोहर पशु है।
  - हाथियों को "कीस्टोन प्रजाति" माना जाता है क्योंकि वे वन पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    - वे अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता हेतु जाने जाते हैं, जिनका स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्व:**
  - हाथी बहुत महत्त्वपूर्ण चरने वाले और ब्राउज़र (ऐसा जानवर जो पत्तियों, ऊँचे उगने वाले पौधों के फल, मुलायम अंकुर झाड़ियों को खाने में माहिर होता है) हैं, क्योंकि वे प्रत्येक दिन भ्रमण करते हुए बड़ी मात्रा में वनस्पतियों को खा जाते हैं और साथ ही इन वनस्पतियों के बीजों को चारों ओर फैलाते हैं।
    - वे एशियाई परिदृश्य की प्राय: सघन वनस्पति को आकार देने में भी मदद करते हैं।
- उदाहरण के लिये वनों में सूरज की रोशनी को नए अंकुरों तक पहुँचने में हाथी काफी मदद करते हैं, वे पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं तथा वनों को प्राकृतिक रूप से पुन: उत्पन्न होने में मदद करते हैं।
- सतही जल नहीं होने की स्थिति में हाथी जल के लिये खुदाई में भी मदद करते हैं जिससे अन्य प्राणियों के साथ-साथ स्वयं के लिये भी जल तक पहुँच सुनिश्चित करने में मदद प्राप्त हो सकती है।
- **भारत में हाथियों की स्थिति:**
  - प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत वर्ष 2017 की जनगणना के अनुसार, भारत में जंगली एशियाई हाथियों की संख्या सबसे अधिक है, इनकी अनुमानित संख्या 29,964 है।
    - यह इन प्रजातियों की वैश्विक आबादी का लगभग 60% है।
  - कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद असम और केरल का स्थान है।

नोट :

- **संरक्षण की स्थिति:**
  - प्रवासी प्रजातियों का अभिसमय (CMS): परिशिष्ट I
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
  - IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध प्रजातियाँ:
    - एशियाई हाथी- लुप्तप्राय
    - अफ्रीकी वन हाथी- गंभीर रूप से संकटग्रस्त
    - अफ्रीकी सवाना हाथी- लुप्तप्राय
- **संरक्षण हेतु किये गए अन्य प्रयास:**
  - भारत:
    - भारत सरकार ने 1992 में भारत में हाथियों और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिये प्रोजेक्ट एलीफेंट की शुरुआत की थी।
    - हाथियों के संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध भारत में हाथी रिज़र्व की संख्या 33 है।
  - वैश्विक स्तर पर:
    - विश्व हाथी दिवस: हाथियों की रक्षा और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है।
    - एशियाई और अफ्रीकी दोनों हाथियों की गंभीर स्थिति को उजागर करने के लिये वर्ष 2012 में इस दिवस की स्थापना की गई थी।
  - हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (माइक) कार्यक्रम: यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो हाथियों की मृत्यु दर के स्तर, प्रवृत्तियों और कारणों को मापता है, जिससे एशिया और अफ्रीका में हाथियों के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने व समर्थन करने के लिये एक सूचना आधार प्रदान करता है।

आगे की राह

- **स्थानांतरण प्रभाव आकलन:**
  - हाथियों की प्रत्येक समस्या और उनके संभावित स्थानांतरण स्थल की विशिष्ट परिस्थितियों एवं विशेषताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है।

नोट :

- प्राकृतिक भोजन और जल संसाधनों की उपलब्धता, आवास उपयुक्तता और संभावित जोखिमों एवं स्थानांतरण की चुनौतियों का आकलन करने के लिये गहन शोध तथा विश्लेषण किया जाना चाहिये।

- **निगरानी और प्रबंधन:**
- स्थानांतरण के बाद की निगरानी और किसी भी संभावित संघर्ष को कम करने के उपायों सहित उचित निगरानी एवं प्रबंधन योजनाएँ भी होनी चाहिये।
  - जबकि हाथियों की स्थानांतरण समस्या को मानव-हाथी संघर्ष को कम करने की रणनीति के रूप में माना जा सकता है, इसे सावधानी से किया जाना चाहिये और ध्वनि वैज्ञानिक अनुसंधान, सामुदायिक जुड़ाव तथा व्यापक प्रबंधन आधारित योजना दोनों की भलाई सुनिश्चित करने, हाथियों और स्थानीय समुदायों के बीच संभावित जोखिम को कम करने के लिये होनी चाहिये।
- **हाथियों के स्थानांतरण का विकल्प:**
  - जंगली हाथियों को 'कुंकी' (एक प्रशिक्षित हाथी जो जंगली हाथियों को पकड़ने के लिये इस्तेमाल किया जाता है) की मदद से पकड़ना और स्थानांतरण करना एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
  - यह विधि कई लाभ प्रदान कर सकती है, जिसमें प्रशिक्षित 'कुंकियों' के साथ परिचित होने के कारण पकड़े जाने के दौरान अधिक सुरक्षा, स्थानांतरित हाथियों पर कम तनाव और स्थानांतरण प्रयासों की सफलता दर में सुधार शामिल है।

स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022: WMO

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 जारी की है।

- यह रिपोर्ट प्रमुख जलवायु संकेतकों- ग्रीनहाउस गैस, तापमान, समुद्र स्तर में वृद्धि, महासागरीय ताप और अम्लीकरण, समुद्री बर्फ एवं हिमनद पर केंद्रित है। यह जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम के प्रभावों पर भी प्रकाश डालती है।
- इससे पहले WMO ने ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, 2022 की अस्थायी स्थिति जारी की।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- **तापमान:**
  - वर्ष 2022 में वैश्विक औसत तापमान वर्ष 1850-1900 के औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
  - वर्ष 1850 के बाद वर्ष 2015 से 2022 के लिखित रिकॉर्ड में ये आठ वर्ष सबसे गर्म दर्ज किये गए थे।
  - यह स्थिति लगातार तीन वर्षों तक कूलिंग La Niña के बावजूद थी- ऐसा "ट्रिपल-डिप" La Niña पिछले 50 वर्षों में केवल तीन बार हुआ है।
- **ग्रीनहाउस गैस:**
  - तीन मुख्य ग्रीनहाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता वर्ष 2021 में रिकॉर्ड उँचाई पर पहुँच गई थी।
  - वर्ष 2020-2021 तक मीथेन सांद्रता में रिकॉर्ड वार्षिक वृद्धि देखी गई थी।
- **समुद्र स्तर में वृद्धि:**
  - ग्लोबल मीन सी लेवल (GMSL) वर्ष 2022 में भी बढ़ना जारी रहा, जो सैटेलाइट अल्टीमीटर रिकॉर्ड के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।
  - वर्ष 2005-2019 की अवधि में हिमनदों, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक में कुल हिम भूमि के नुकसान ने GMSL वृद्धि में 36 प्रतिशत और समुद्र के गर्म होने में 55 प्रतिशत का योगदान दिया।
- **महासागरीय ताप:**
  - वर्ष 2022 में समुद्री गर्मी की मात्रा एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई।
  - ग्रीनहाउस गैसों द्वारा जलवायु प्रणाली में फँसी हुई लगभग 90 प्रतिशत ऊर्जा समुद्र में चली जाती है, यह कुछ हद तक उच्च तापमान में वृद्धि भी करती है और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिये जोखिम उत्पन्न करती है।
- **महासागरीय अम्लीकरण:**
  - CO_2 का समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया करने से pH में कमी आती है जिसे 'महासागरीय अम्लीकरण' कहा जाता है, इससे जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र प्रणालियों को खतरा होता है।
  - IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि "यह काफी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समुद्र का सतही pH वर्तमान में सबसे कम [26 हज़ार वर्षों में] है और pH परिवर्तन की वर्तमान दर कम-से-कम उस समय की तुलना मां अभूतपूर्व है।
- **समुद्री बर्फ:**
  - अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ के घनत्त्व में फरवरी 2022 में रिकॉर्ड सबसे निचले स्तर 1.92 मिलियन कि.मी2 तक की गिरावट आई और दीर्घावधि (1991-2020) औसत से तुलना करें तो यह लगभग 1 मिलियन कि.मी.2 नीचे है।

नोट :

- **हिमनद:**
  - अक्तूबर 2021 और अक्तूबर 2022 के बीच औसतन -1.3 मीटर से अधिक की मोटाई में बदलाव के साथ हिमनदों में बर्फ की कमी हुई है जो पिछले दशक के औसत से काफी अधिक है।
  - सर्दियो में हिमपात में कमी, मार्च 2022 में सहारा मरुस्थल से आने वाली धूल और मई से सितंबर की शुरुआत तक हीट वेव के कारण यूरोपीय आल्प्स में अभूतपूर्व रूप से हिमनद पिघले।

जलवायु संकेतकों के रिकॉर्ड उच्च आँकड़ों का प्रभाव:

- **पूर्वी अफ्रीका में सूखा:**
  - लगातार पाँच वर्षा ऋतुओं में वर्षा औसत से कम रही है, यह पिछले 40 वर्षों में इस तरह का सबसे लंबा क्रम है। जनवरी 2023 तक के अनुमान के अनुसार, सूखे और अन्य आपदाओं के के कारण 20 मिलियन से अधिक लोगों को पूरे क्षेत्र में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा था।
- **पाकिस्तान में व्यापक वर्षण:**
  - कुल नुकसान और आर्थिक नुकसान का आकलन 30 अरब अमेरिकी डॉलर आँका गया था।
    - राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड किये गए सबसे नम महीने जुलाई (सामान्य से 181% अधिक) और अगस्त (औसत से 243% अधिक) थे।
  - पाकिस्तान में बाढ़ ने प्रभावित ज़िलों में लगभग 8,00,000 अफगान शरणार्थियों सहित लगभग 33 मिलियन लोगों को प्रभावित किया।
- **यूरोप में हीट वेव:**
  - अत्यधिक गर्मी और असाधारण शुष्क मौसम कई क्षेत्रों में सह-अस्तित्त्व में थे। यूरोप में गर्मी के कारण हुई 15,000 से अधिक अतिरिक्त मौतें स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्राँस और पुर्तगाल में दर्ज की गईं।
  - चीन ने आधिकारिक रिकॉर्ड की शुरुआत के बाद से अपनी सबसे व्यापक एवं सबसे लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव का अनुभव किया, जो जून के मध्य से अगस्त के अंत तक रही और यह सबसे शुष्क गर्मी रिकॉर्ड 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक रही। इसके अतिरिक्त यह अब तक की दूसरी सबसे शुष्क गर्मी थी।
- **खाद्य असुरक्षा:**
  - वर्ष 2021 तक 2.3 बिलियन लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा, जिनमें से 924 मिलियन लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा।
  - अनुमान है कि वर्ष 2021 में 767.9 मिलियन लोग कुपोषण का सामना कर रहे थे, जो वैश्विक जनसंख्या का 9.8% है।
  - इनमें से आधे एशिया में और एक-तिहाई अफ्रीका में हैं।
- **भारत और पाकिस्तान में पूर्व-मानसून हीट वेव:**
  - भारत और पाकिस्तान में मौसम पूर्व-मानसून हीटवेव के कारण फसल की उत्पादकता में गिरावट आई है।
  - इसके साथ-साथ यूक्रेन में संघर्ष की शुरुआत के बाद से भारत में गेहूँ और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण अंतर्राष्ट्रीय खाद्य बाज़ारों में मुख्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, पहुँच और स्थिरता पर प्रश्नचिह्न लगने के साथ पहले से ही कमी से प्रभावित देशों के लिये इस संदर्भ में उच्च जोखिम उत्पन्न हुआ है।
  - विस्थापन:
  - सोमालिया में लगभग 1.2 मिलियन लोग सूखे के भयावह प्रभावों से खेती और आजीविका पर पड़े प्रभावों के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित हुए जिनमें से 60,000 से अधिक लोग इसी अवधि के दौरान इथियोपिया एवं केन्या की ओर विस्थापित हुए।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO):

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- भारत, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य देश है।
- इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO) से हुई है, जिसे वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कॉन्ग्रेस के बाद स्थापित किया गया था।
- 23 मार्च, 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित WMO, मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), परिचालन जल विज्ञान तथा इससे संबंधित भू-भौतिकीय विज्ञान हेतु संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गया है।
- WMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।

भारत की चीता स्थानांतरण परियोजना

चर्चा में क्यों ?

भारत की महत्त्वाकांक्षी चीता स्थानांतरण परियोजना (Cheetah Translocation Project) को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दो चीतों की मौत के कारण परियोजना में बचे चीतों की संख्या 20 में से 18 रह गई है।

- कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 23 अप्रैल, 2023 को छह वर्ष के नर चीते उदय की मौत हो गई और 27 मार्च, 2023 को इसी पार्क में पाँच वर्ष की मादा चीता साशा की मौत हो गई।

नोट :

- इसलिये सरकार अब वैकल्पिक संरक्षण मॉडल पर विचार कर रही है, जैसे कि बाड़ वाले रिज़र्व में चीतों के संरक्षण का दक्षिण अफ्रीकी मॉडल।

अपेक्षित मौत:

- इस परियोजना में उच्च मृत्यु दर का अनुमान लगाया गया था और इसका अल्पकालिक लक्ष्य पहले वर्ष में 50% जीवित रहने की दर हासिल करना था, जो कि 20 चीतों में से 10 है।
  - हालाँकि विशेषज्ञों ने बताया कि परियोजना में कूनो नेशनल पार्क के चीतों हेतु वहन क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया था और इसने परियोजना में सलंग्न कर्मचारियों पर वैकल्पिक साइटों की तलाश करने हेतु दबाव डाला।

नोट :

- **मृत्यु का कारण:**
  - एक दक्षिण अफ्रीकी अध्ययन में पाया गया कि चीतों की मृत्यु दर में 53.2% का कारण शिकार की वजह से मौत है। इसके लिये शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा और सियार मुख्य रूप से ज़िम्मेदार हैं।
    - मुख्य रूप से परभक्षण के कारण चीतों को उच्च शावक मृत्यु दर का सामना करना पड़ता है, जो विशेषकर संरक्षित क्षेत्रों में 90 प्रतिशत तक है।
    - अफ्रीका में शेर को चीतों का प्रमुख शिकारी माना जाता है लेकिन भारत में जहाँ शेरों की अनुपस्थिति पाई जाती है (गुजरात को छोड़कर), वहाँ संभावित चीता परिदृश्यों में शिकार में तेंदुओं की भूमिका का अनुमान है।
  - मृत्यु दर के अन्य कारणों में शिविर लगाना, स्थिरीकरण/पारगमन, ट्रैकिंग डिवाइस और चीतों (शावकों) को मारने वाले अन्य वन्यजीव हो सकते हैं, जिनमें जंगली सुअर, बबून, साँप, हाथी, मगरमच्छ, गिद्ध, जेब्रा तथा यहाँ तक कि शुतुरमुर्ग भी शामिल हैं।

चीता संरक्षण के लिये दक्षिण अफ्रीकी मॉडल:

- दक्षिण अफ्रीका में चीतों की सुरक्षा के लिये मेटा-जनसंख्या प्रबंधन नामक एक संरक्षण रणनीति का उपयोग किया गया था।
- इस रणनीति में चीतों को एक छोटे समूह से दूसरे छोटे समूह में स्थानांतरित करना शामिल था ताकि उनकी पर्याप्त आनुवंशिक विविधता के साथ ही एक स्वस्थ आबादी को बनाए रखा जा सके।
- यह दृष्टिकोण दक्षिण अफ्रीका में चीतों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने में सफल रहा जिससे केवल 6 वर्षों में चीतों की मेटा-जनसंख्या बढ़कर 328 हो गई।

परियोजना के लिये उपलब्ध विकल्प:

- अधिकारी चीतों के लिये दूसरे निवास स्थान के रूप में चंबल नदी घाटी में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य तैयार करने की संभावना तलाश रहे हैं।
- एक अन्य विकल्प कुनो से कुछ चीतों को राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व में 80 वर्ग किलोमीटर के घेरे वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिये स्थानांतरित करना है।
  - हालाँकि दोनों विकल्पों का मतलब है कि परियोजना का लक्ष्य एक खुले परिदृश्य (Open Landscape) में चीतों को रखने के बजाय अफ्रीकी आयातों को प्रबंधित करने के लिये बाड़े या प्रतिबंधित क्षेत्रों में कुछ कम आबादी (Pocket Populations) के रूप में उन्हें स्थानांतरित करना होगा।

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य:

- यह राजस्थान से सटे मंदसौर और नीमच ज़िलों की उत्तरी सीमा पर मध्य प्रदेश में स्थित है।
- इसकी विशेषता विशाल खुले परिदृश्य और चट्टानी इलाके हैं।
- वनस्पतियों में उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन और झाड़ी शामिल हैं।
- अभयारण्य में पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ खैर, सलाई, करधई, धावड़ा, तेंदू और पलाश हैं।
- जीवों में चिंकारा, नीलगाय, चित्तीदार हिरण, धारीदार लकड़बग्घा, सियार और मगरमच्छ शामिल हैं।

मुकुंदरा टाइगर रिज़र्व:

- यह कोटा, राजस्थान के पास दो समानांतर पहाड़ों मुकुंदरा एवं गगरोला द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है।
- यह टाइगर रिज़र्व चार नदियों रमज़ान, आहू, काली और चंबल से घिरा हुआ है और चंबल नदी की सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- संरक्षित क्षेत्र:
  - मुकुंदरा हिल्स को वर्ष 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य और वर्ष 2004 में एक राष्ट्रीय उद्यान (मुकुंदरा हिल्स (दर्रा) राष्ट्रीय उद्यान) घोषित किया गया था।
    - इसे वर्ष 2013 में टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था जो रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिज़र्व के बाद राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है।
- पार्क और अभयारण्य:
  - मुकुंदरा टाइगर रिज़र्व में तीन वन्यजीव अभयारण्य दर्रे, जवाहर सागर और चंबल शामिल हैं तथा इसमें राजस्थान के चार ज़िले कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ शामिल हैं।

आगे की राह

- चीता परियोजना की सफलता के लिये इसे भारत के पारंपरिक संरक्षण पद्धति के अनुरूप होना चाहिये। भारत का संरक्षण दृष्टिकोण व्यवहार्य गैर-खंडित आवासों में प्राकृतिक रूप से फैले वन्यजीवों की सुरक्षा पर ज़ोर देता है।
- चीता परियोजना दक्षिण अफ्रीकी मॉडल को अपना कर जोखिम को कम करने का विकल्प चुन सकती है, जिसमें कुछ निर्धारित आबादी को संरक्षित रिज़र्व में रखा जा सकता है।
  - हालाँकि चीतों को तेंदुए से सुरक्षित बाड़ों में रखना एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। साथ ही चीतों को अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों तक सीमित करने जैसे हस्तक्षेप से पशुओं को नुकसान पहुँच सकता है।

नोट :

सर्वोच्च न्यायालय ने ESZ आदेश में किया संशोधन

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने संरक्षित वनों के आसपास इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) के संबंध में पूर्व के अपने फैसले को संशोधित करते हुए कहा कि ESZ पूरे देश में एक समान नहीं हो सकते हैं, अत: इसे विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र के अनुरूप होने की आवश्यकता है।

ESZ पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के फैसले:

- **पूर्व के फैसले:**
  - जून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि देश भर में संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास न्यूनतम एक किलोमीटर के क्षेत्र को ESZ के रूप घोषित किया जाना चाहिये।
    - न्यायालय का मानना था कि ESZ संरक्षित क्षेत्रों के लिये "शॉक अब्ज़ॉर्बर" के रूप में कार्य करेगा और अतिक्रमण, अवैध खनन, निर्माण तथा पर्यावरण एवं वन्य जीवन को नुकसान पहुँचाने वाले अन्य गतिविधियों को रोकने में मदद करेगा।
    - न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को 6 महीने के भीतर ESZ को सूचित करने तथा अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।
- **फैसले को चुनौती देने हेतु केंद्र और राज्यों का तर्क:**
  - जून 2022 के आदेश के कारण वनों की परिधि में सैकड़ों गाँव प्रभावित हुए। ESZs पूरे देश में एक समान नहीं हो सकते हैं और इन्हें मामला-दर-मामला आधार पर तय किया जाता है।
  - भौगोलिक विशेषताओं, जनसंख्या घनत्त्व, भूमि उपयोग पैटर्न और प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
  - यह आदेश ESZ में रहने वाले लोगों की विकास गतिविधियों और उनकी आजीविका के साथ-साथ वन विभाग के संरक्षण प्रयासों को बाधित करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के संशोधित आदेश के प्रमुख बिंदु:

- न्यायमूर्ति बी.आर. गवई (भूषण रामकृष्ण गवई) ने केंद्र तथा राज्यों की दलीलों पर सहमति जताई और अपने पिछले आदेश में यह कहते हुए संशोधन किया कि:
  - ESZ घोषित करने का उद्देश्य पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा करना है।
  - जून 2022 के आदेश का सख्ती से पालन करने से अधिक नुकसान होगा क्योंकि इससे मानव-पशु संघर्ष में वृद्धि होगी, ग्रामीणों के लिये बुनियादी सुविधाएँ बाधित होंगी और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पर्यावरण-विकास संबंधित गतिविधियाँ प्रभावित होंगी।
  - केंद्र और राज्यों को अपने प्रस्तावों के अनुसार या 6 महीने के भीतर विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के अनुसार ESZ को अधिसूचित करना चाहिये।
    - हालाँकि राष्ट्रीय उद्यानों/वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर और उनकी सीमा से 1 किमी. के क्षेत्र के भीतर खनन की अनुमति नहीं होगी।

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र/इको-सेंसिटिव ज़ोन:

- **शासी विधान:**
  - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत MoEFCC की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (2002-2016) में निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किमी. के भीतर आने वाली भूमि को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों (ESZs) के रूप में घोषित करना चाहिये।
- **विस्तार:**
  - हालाँकि 10 किलोमीटर के नियम को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में कार्यान्वित किया गया है, लेकिन इसके अनुप्रयोग की सीमा अलग-अलग हो सकती है।
  - पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण एवं विस्तृत क्षेत्रों, जिनका क्षेत्रफल 10 किमी. से अधिक हो, को केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।
- **ESZs के भीतर प्रतिबंधित गतिविधियाँ:**
  - वाणिज्यिक खनन
  - आरा मिलें
  - प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग
  - प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ
  - लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग
- **अनुमत गतिविधियाँ:**
  - कृषि या बागवानी प्रथाएँ
  - वर्षा जल संचयन
  - जैविक खेती
  - नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग
  - हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना
- **महत्त्व:**
  - ESZs इन-सीटू संरक्षण में मदद करते हैं
  - वनों की कमी एवं मानव-पशु संघर्ष को कम करते हैं

नोट :

- नाजुक पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं

- **ESZs संबंधी चुनौतियाँ:**
  - जलवायु परिवर्तन के कारण ESZs पर भूमि, जल और पारिस्थितिक तनाव पैदा हो रहा है।
  - वन अधिकार कमज़ोर होने के कारण वन समुदायों के जीवन एवं आजीविका पर प्रभाव।

आगे की राह

- **विशिष्ट संरक्षित क्षेत्रों के लिये ESZ का निर्माण:**
  - सर्वोच्च न्यायालय के संशोधित आदेश में स्वीकार किया गया है कि ESZ पूरे देश में एक समान नहीं हो सकते हैं और मामले-दर-मामले के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।
  - यह दृष्टिकोण सुनिश्चित कर सकता है कि ESZ प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और कमज़ोरियों के अनुरूप हैं और परिधि में रहने वाले लोगों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करते हैं।
- **हितधारकों के साथ परामर्श:**
  - ESZ तय करने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्यों को स्थानीय समुदायों, वन विभागों, पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों को शामिल करना चाहिये।
  - यह सुनिश्चित कर सकता है कि अंतिम निर्णय में सभी पक्षों की चिंताओं और सुझावों पर विचार कर उनका समाधान किया जाए।
- **संरक्षण और विकास को संतुलित करना:**
  - संशोधित आदेश में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि ESZ घोषित करने का उद्देश्य नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा डालना नहीं है बल्कि पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा करना है।
  - इसलिये केंद्र एवं राज्यों को संरक्षित क्षेत्रों और परिधि में रहने वाले लोगों की विकास संबंधी ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाना चाहिये।
  - यह ESZ में पर्यावरणीय पर्यटन, स्थायी आजीविका और हरित बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है।
- **निगरानी और प्रवर्तन:**
  - संशोधित आदेश केंद्र और राज्यों को छह महीने के अंदर ESZ को सूचित करने और अनुपालन रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देता है।
  - यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधिय, अतिक्रमण या उल्लंघन को रोकने के लिये ESZs की निगरानी की जाए और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
  - यह नियमित निरीक्षण, निगरानी और उल्लंघनकर्त्ताओं के लिये दंड का प्रावधान कर किया जा सकता है।

The Vision

नोट :

गंगा डॉल्फिन

गंगा डॉल्फिन
(Platanista gangetica gangetica)
तथ्य
मीठे पानी में ही रह सकती हैं; गहरे पानी को ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं
सामान्यतः अंधी होती हैं; अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्सर्जित करके शिकार करती हैं
पानी में साँस नहीं ले सकती; साँस लेने के लिये प्रत्येक 30-120 सेकंड में सतह पर आती हैं
साँस लेने के दौरान निकलने वाली आवाज़ के कारण इन्हें 'सुसु' भी कहा जाता है
अधिवास एवं वितरण
भारत, नेपाल और बांग्लादेश की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में वितरित।
भारत के 7 राज्यों असम, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है।
संरक्षण की स्थिति
IUCN रेड लिस्ट: संकटग्रस्त (endangered)
CITES: परिशिष्ट I
भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972- अनुसूची-I
खतरे
आवास की क्षति
प्रदूषण
बायकैच
जलवायु परिवर्तन
शिकार
संरक्षण संबंधी प्रयास
प्रोजेक्ट डॉल्फिन (2021): प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर
नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर (2021): पटना विश्वविद्यालय (बिहार) में; भारत और एशिया का पहला
समर्पित डॉल्फिन अभयारण्य:
विक्रमशिला अभयारण्य (बिहार) - 1991
हस्तिनापुर अभयारण्य (उत्तरप्रदेश) - प्रस्तावित
दृष्टि The Vision
Drishti IAS

नोट :

भूगोल

कोयला खनन को लेकर छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ में अडानी एंटरप्राइज़ लिमिटेड (AEL) की कोयला खनन परियोजना द्वारा पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर इसके प्रभाव के कारण विवाद उत्पन हो गया है।

- AEL, छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के परसा ईस्ट और कांटा बसन कोयला ब्लॉकों में पिछले एक दशक से भी अधिक समय से कोयले का खनन कर रहा है। इसका अनुबंध 30 वर्षों में प्रति वर्ष 15 मिलियन टन कोयला निकालने और आपूर्ति करने के लिये संचालन की अनुमति देता है।
- छत्तीसगढ़ के हरिहरपुर, घाटबर्रा और फतेहपुर गाँवों में ज़्यादातर गोंड जनजाति के स्थानीय लोग एक वर्ष से भी अधिक समय से खनन के खिलाफ हरिहरपुर के प्रवेश द्वार पर धरना दे रहे हैं।

खनन कार्यों के प्रभाव:

- **पर्यावरण पर प्रभाव:**
  - इस क्षेत्र में खनन से हसदेव बेसिन में साल वनों के लगभग 8 लाख वृक्ष नष्ट हो जाएंगे। इससे हसदेव नदी का जलग्रहण क्षेत्र भी प्रभावित होगा।
  - जिस समय खनन शुरू हो रहा था, उस समय वृक्षों को बचाने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने वर्ष 2014 में खनन के पर्यावरणीय प्रभाव पर अध्ययन का आदेश देते हुए खनन लाइसेंस पर रोक लगा दी थी। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने NGT के आदेश को खारिज कर दिया और खनन कार्य शुरू हो गया।
- **स्थानीय लोगों पर प्रभाव:**
  - खनन परियोजना ने स्थानीय लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। चूँकि खदान ने वन भूमि को कम कर दिया है।
    - हसदेव के वनों को बचाने के लिये 'हसदेव बचाओ अभियान' भी चलाया जा रहा है।
  - खदानों से मवेशियों के चरागाह नष्ट हो गए हैं, भूजल स्तर प्रभावित हुआ है और विस्फोटों से बोरवेलों के आसपास की मृदा को ढीली हो गई है तथा लोग नलकूपों का उपयोग छोटे क्षेत्रों में खेती करने के लिये कर रहे हैं।
  - खुदाई के बाद हरिहरपुर के पास बहने वाली नदी, जिसमें कभी वर्ष भर जल और मछलियाँ पाई जाती थीं, का जलग्रहण क्षेत्र प्रभावित हुआ है जिससे यह पंकिल धारा में परिवर्तित हो गई है।

कोयला:

- **परिचय:**
  - यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो अवसादी शैलों के रूप में पाया जाता है और अक्सर इसे 'ब्लैक गोल्ड' के रूप में जाना जाता है।
  - यह ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है और व्यापक रूप से उपलब्ध है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, लोहा और इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में तथा विद्युत उत्पन्न करने के लिये किया जाता है। कोयले से निकलने वाली विद्युत् को ताप विद्युत् कहा जाता है। विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादकों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत शामिल हैं।
- **भारत में कोयले का वितरण:**
  - गोंडवाना कोयला क्षेत्र (250 मिलियन वर्ष पुराना):
    - भारत में गोंडवाना कोयले का कुल भंडार में 98% और उत्पादन में 99% की हिस्सेदारी है।
    - यहाँ भारत के मेटलर्जिकल ग्रेड के साथ-साथ बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला मिलता है।
    - यह दामोदर (झारखंड-पश्चिम बंगाल), महानदी (छत्तीसगढ़-ओडिशा), गोदावरी (महाराष्ट्र) और नर्मदा घाटियों में विस्तृत है।
  - टर्शियरी कोयला क्षेत्र (15-60 मिलियन वर्ष पुराना):
    - इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम और नमी तथा सल्फर की मात्रा अधिक होती है।
    - टर्शियरी कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से बाह्य-प्रायद्वीपीय क्षेत्रों तक ही सीमित है।
    - इसके महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में असम, मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग क्षेत्र की हिमालय तलहटी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व केरल शामिल हैं।
- **वर्गीकरण:**
  - एन्थ्रेसाइट (80-95% कार्बन सामग्री) सीमित मात्रा में जम्मू-कश्मीर में पाया जाता है।
  - बिटुमिनस (60-80% कार्बन सामग्री) झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
  - लिग्नाइट (40-55% कार्बन सामग्री, उच्च नमी सामग्री) राजस्थान, लखीमपुर (असम) एवं तमिलनाडु में पाया जाता है।
  - पीट [इसमें 40% से कम कार्बन सामग्री और कार्बनिक पदार्थ (लकड़ी) से कोयले में परिवर्तन के पहले चरण में प्राप्त होता है]।

नोट :

- **कोयला भंडार:**
  - भारत में कुल कोयला भंडार के मामले में शीर्ष राज्य झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हैं।

जी-20

नोट :

भारतीय इतिहास

डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन और विरासत

चर्चा में क्यों ?

देश भर में 14 अप्रैल, 2023 को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई।

डॉ. भीमराव अंबेडकर:

- **परिचय:**
  - डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे।
  - उनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था।
    - उनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल पढ़े-लिखे व्यक्ति और संत कबीर के अनुयायी थे।
- **शिक्षा:**
  - अंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आगे की पढ़ाई न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की।
- **योगदान:**
  - वर्ष 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण हेतु एक संगठन की शुरुआत की और वर्ष 1927 में दलित वर्गों की स्थिति को उजागर करने के लिये बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया।
    - उन्होंने मार्च 1927 में महाड सत्याग्रह का भी नेतृत्त्व किया।
  - उन्होंने तीनों गोलमेज़ सम्मेलनों में भाग लिया।
  - वर्ष 1932 में डॉ. अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये जिसमें दलित वर्गों (कम्युनल अवार्ड) हेतु अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया गया।
  - वर्ष 1936 में उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया।
  - वर्ष 1942 में डॉ. अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और वर्ष 1946 में बंगाल से संविधान सभा हेतु चुना गया।
    - वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किया जाता है।
  - डॉ. अंबेडकर वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने।
    - हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर उन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
- **अतिरिक्त विवरण:**
  - उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर, 1956 को उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
    - चैत्य भूमि, मुंबई में डॉ. भीमराव अंबेडकर का स्मारक है।
  - उन्हें वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था
- **महत्त्वपूर्ण कार्य:**
  - पत्रिकाएँ:
    - मूकनायक (1920)
    - बहिष्कृत भारत (1927)
    - समता (1929)
    - जनता (1930)
  - पुस्तकें:
    - एनीहिलेशन ऑफ कास्ट
    - बुद्ध और कार्ल मार्क्स
    - द अनटचेबल: हू आर दे एंड व्हाय दे हैव बिकम अनटचेबल्स
    - बुद्ध एंड हिज़ धम्म
    - द राइज़ एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन
  - संगठन:
    - बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1923)
    - इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (1936)
    - अनुसूचित जाति संघ (1942)
- **वर्तमान समय में अंबेडकर की प्रासंगिकता:**
  - उनके विचार एवं योगदान विशेष रूप से जाति-आधारित भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई तथा सामाजिक न्याय के लिये संघर्ष में भारत के वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में भी प्रासंगिक बने हुए हैं।
  - एक समावेशी और समतावादी समाज का उनका दृष्टिकोण, जैसा कि भारतीय संविधान में निहित है, देश के भविष्य के विकास के लिये एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है।
    - इसके अतिरिक्त सशक्तीकरण के साधन के रूप में शिक्षा पर उनका ध्यान वर्तमान समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि भारत एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी पूरी क्षमता हासिल करना चाहता है।
  - डॉ. अंबेडकर की विरासत भारत की राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग है और उनके विचार भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।

नोट :

भारतीय विरासत और संस्कृति

विश्व धरोहर दिवस

चर्चा में क्यों ?

स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद (International Council on Monuments and Sites- ICOMOS) ने वर्ष 1982 में 18 अप्रैल का दिन स्मारकों एवं स्थलों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, जिसे विश्व धरोहर दिवस के रूप में भी जाना जाता है।

- इस वर्ष की थीम "धरोहर परिवर्तन (Heritage Changes)" है, जो जलवायु कार्रवाई में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका एवं कमज़ोर समुदायों की रक्षा में इसके महत्त्व पर केंद्रित है।

भारत में धरोहर स्थलों की स्थिति:

- **परिचय:**
  - भारत में वर्तमान में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं, जो इसे विश्व में छठा स्थान प्रदान करता है।
  - इनमें 32 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और एक खंगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित प्रकार का स्थल है।
    - भारत में सांस्कृतिक धरोहर स्थलों में प्राचीन मंदिर, किले, महल, मस्जिद और पुरातात्त्विक स्थल शामिल हैं जो देश के समृद्ध इतिहास एवं विविधता को दर्शाते हैं।
    - भारत के प्राकृतिक धरोहर स्थलों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव रिज़र्व और प्राकृतिक परिदृश्य शामिल हैं जो देश की अद्वितीय जैवविविधता एवं पारिस्थितिक महत्त्व को प्रदर्शित करते हैं।
    - भारत में मिश्रित प्रकार का स्थल खंगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने सांस्कृतिक महत्त्व के साथ-साथ जैवविविधता हेतु जाना जाता है, क्योंकि यह कई दुर्लभ तथा लुप्तप्राय प्रजातियों का आवास स्थल है।

The Vision

नोट :

- **भारतीय धरोहर से संबंधित संवैधानिक और विधायी प्रावधान:**
  - राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत: अनुच्छेद 49 के अनुसार, राज्य का दायित्त्व है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत राष्ट्रीय महत्त्व के प्रत्येक स्मारक/कलाकृति/ ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तु अथवा स्थान को सुरक्षित करे।
  - मौलिक कर्तव्य: संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह देश की संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्त्व दे और उसका संरक्षण करे।
  - प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल और अवशेष अधिनियम (AMASR अधिनियम) 1958: यह भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्त्विक स्थलों तथा राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों के संरक्षण, पुरातात्त्विक खुदाई संबंधी नियमन और मूर्तियों, नक्काशियों एवं इसी तरह की अन्य वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान करता है।
- **भारत की सांस्कृतिक पहचान पर विरासत का प्रभाव:**
  - भारत का वैभव: विरासत दृश्यमान कलाकृतियों और अदृश्य सामाजिक विशेषताओं के रूप में पूर्वजों द्वारा सुरक्षित की गई संपदा है जिसे वर्तमान में बरकरार रखते हुए आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिये संरक्षित किया जाता है।

नोट :

- विविधता में एकता का प्रतिबिंब: भारत समुदायों, रीति-रिवाजों, परंपराओं, धर्मों, संस्कृतियों, मान्यताओं, भाषाओं, जातियों और सामाजिक व्यवस्था का देश है।
  - इतनी विविधता के बाद भी अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है।
- सहिष्णु प्रकृति: भारतीय समाज में प्रत्येक संस्कृति को समृद्ध होने का अवसर प्राप्त हुआ है जो हमें इसकी विविध धरोहरों में देखने को मिलता है। यह एकरूपता के लिये विविधता को दबाने का प्रयास नहीं करता।

- **भारत में धरोहर प्रबंधन से संबंधित मुद्दे:**
  - धरोहर स्थलों के लिये केंद्रीकृत डेटाबेस का अभाव: भारत में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक डेटाबेस का अभाव है जो राज्यवार धरोहर संरचनाओं को वर्गीकृत करता है।
    - कला और सांस्कृतिक विरासत हेतु भारतीय राष्ट्रीय न्यास (INTACH) ने लगभग 150 शहरों में लगभग 60,000 इमारतों का आविष्कार किया है जो काफी कम है क्योंकि देश में 4000 से अधिक विरासत कस्बों और शहरों के होने का अनुमान है।
  - उत्खनन और अन्वेषण का पुराना तंत्र: पुराने तंत्रों की व्यापकता के कारण अन्वेषण में शायद ही कभी भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है।
    - साथ ही शहरी विरासत परियोजनाओं में शामिल स्थानीय निकाय अकसर विरासत संरक्षण को संभालने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं होते हैं।
  - पर्यावरणीय गिरावट और प्राकृतिक आपदाएँ: भारत में विरासत स्थल पर्यावरणीय क्षरण और प्रदूषण, कटाव, बाढ़ एवं भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं, जो उनकी भौतिक संरचनाओं तथा सांस्कृतिक महत्त्व को अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचा सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश में ताजमहल को वायु प्रदूषण के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिससे इसका संगमरमर पीले रंग का हो गया है और खराब होने लगा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है।
  - अस्थिर पर्यटन: भारत में अकसर लोकप्रिय विरासत स्थलों को उच्च पर्यटन दबाव का सामना करना पड़ता है जिसका कारण भीड़भाड़, अनियमित आगंतुक गतिविधियाँ और अपर्याप्त आगंतुक प्रबंधन जैसे मुद्दे हो सकते हैं।
    - अनियंत्रित पर्यटन धरोहर संरचनाओं को नुकसान पहुँचा सकता है, स्थानीय पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है और स्थानीय समुदाय की जीवनशैली को बाधित कर सकता है।

- **धरोहर संरक्षण से संबंधित हाल की सरकारी पहल:**
  - विरासत कार्यक्रम को स्वीकारना
  - प्रोजेक्ट मौसम

आगे की राह

- **सतत् वित्तपोषण मॉडल:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी, कॉर्पोरेट प्रायोजन, क्राउड फंडिंग और समुदाय-आधारित फंडिंग जैसे विरासत संरक्षण के लिये नवीन निधीकरण मॉडल की खोज और कार्यान्वयन का कार्य करना।
  - यह धरोहर स्थलों के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने और उनका सतत् संरक्षण एवं रख-रखाव सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।
  - उदाहरण: विशिष्ट संरक्षण परियोजनाओं के लिये कॉर्पोरेट प्रायोजन को प्रोत्साहित करना, जहाँ कंपनियाँ ब्रांड पहचान और प्रचार के अवसरों के बदले धन एवं संसाधनों का योगदान कर सकती हैं।
- **प्रौद्योगिकी-सक्षम संरक्षण:** धरोहर स्थलों के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण के लिये उन्नत तकनीकों जैसे- रिमोट सेंसिंग, 3डी स्कैनिंग, वर्चुअल रियलिटी और डेटा विश्लेषण का लाभ उठाना।
  - यह अधिक कुशल और प्रभावी धरोहर प्रबंधन प्रथाओं को सक्षम कर सकता है, जिसमें स्थिति मूल्यांकन, निवारक संरक्षण और आभासी पर्यटन अनुभव शामिल हैं।
  - उदाहरण: विरासत संरचनाओं की डिजिटल प्रतिकृतियाँ बनाने के लिये 3डी स्कैनिंग और वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करना, ताकि आभासी पर्यटन, शैक्षिक उद्देश्यों और बहाली एवं संरक्षण का कार्य सुनिश्चित किया जा सके।
- **व्यवसाय बढ़ाने हेतु नवीन उपाय:** जो स्मारक बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित नहीं करते हैं और जो सांस्कृतिक/धार्मिक रूप से संवेदनशील नहीं है, उनके सांस्कृतिक महत्त्व को निम्नलिखित उपायों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिये:
  - संबंधित अमूर्त धरोहर को बढ़ावा देना।
  - ऐसी साइटों पर आगंतुकों की संख्या बढ़ाना।

वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के साथ साझेदारी में संस्कृति मंत्रालय ने प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ाना है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC):

- IBC सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध परिसंघ है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर बौद्ध धर्म के लिये एक भूमिका बनाना है ताकि विरासत को संरक्षित करने, ज्ञान साझा करने और मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद मिल सके तथा वैश्विक संवाद में सार्थक भागीदारी का आनंद लेने हेतु बौद्ध धर्म के लिये संयुक्त मंचों का प्रतिनिधित्व किया जा सके।
- नवंबर 2011 में वैश्विक बौद्ध मंडली (GBC) का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जहाँ उपस्थित लोगों ने सर्वसम्मति से एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय - अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के निर्माण का संकल्प लिया।
- मुख्यालय: दिल्ली, भारत

वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023:

- **परिचय:**
  - दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया।
  - सम्मेलन में विश्व भर के प्रतिष्ठित विद्वानों, परिसंघ के नेताओं और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भाग लिया।
  - इसमें 173 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हैं जिनमें 84 संघ सदस्य और 151 भारतीय प्रतिनिधि शामिल हैं इनमें 46 संघ सदस्य, 40 भिक्षुणी और दिल्ली के बाहर के 65 लोकधर्मी शामिल हैं।
- **विषय:** समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया: दर्शनशास्त्र से अमल तक।
  - उप विषय:
    - बुद्ध धम्म और शांति
    - बुद्ध धम्म: पर्यावरणीय संकट, स्वास्थ्य और स्थिरता
    - नालंदा बौद्ध परंपरा का संरक्षण
    - बुद्ध धम्म तीर्थयात्रा, लिविंग हेरिटेज और बुद्ध अवशेष: दक्षिणी, दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया के देशों के लिये भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों हेतु एक सुनम्य आधार।
- **उद्देश्य:**
  - इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रासंगिक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना और सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित बुद्ध धम्म में इसका हल तलाशना है।
  - इसका उद्देश्य बौद्ध विद्वानों और धर्म गुरुओं के लिये एक मंच प्रदान करना है।
  - धर्म के मूल सिद्धांतों के अनुसार सार्वभौमिक शांति और सद्भाव की दिशा में काम करने के लिये इसका उद्देश्य बुद्ध के शांति, करुणा और सद्भाव के संदेश का विश्लेषण करना है। साथ ही वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिये एक उपकरण के रूप में उपयोग हेतु इसकी व्यवहार्यता की परख के लिये आने वाले समय में अकादमिक शोध हेतु एक दस्तावेज़ तैयार करना है।
- **भारत के लिये महत्त्व:**
  - यह वैश्विक शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म के विकास और विस्तार में भारत के महत्त्व को चिह्नित करेगा क्योंकि बौद्ध धर्म का उदय भारत में हुआ था।
  - यह शिखर सम्मेलन अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाने का एक माध्यम होगा, विशेषकर उन देशों के साथ जो बौद्ध लोकाचार को अपनाते हैं।

बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता:

- बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में चार आर्य सत्य और आर्य आष्टांगिक मार्ग शामिल हैं।
  - चार आर्य सत्य:
    - दुख (दुक्ख) संसार का सार है।
    - हर दुख का कारण होता है- समुद्य।
    - दुखों का नाश हो सकता है- निरोध।
    - इसे अथंगा मग्गा (अष्टांगिक मार्ग) का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है।
  - आर्य अष्टांगिक मार्ग:

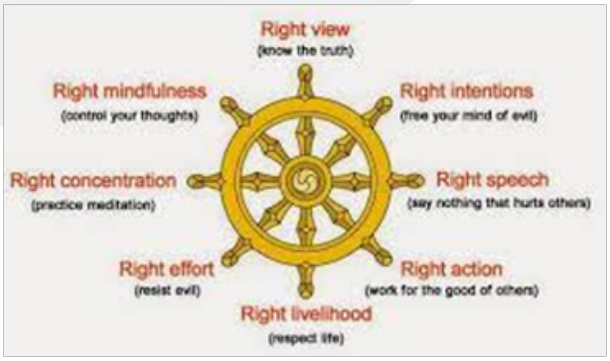

- दुनिया युद्ध, आर्थिक संकट, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के कारण सदी के सबसे चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रही है और इन सभी समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से किया जा सकता है।
- बुद्ध की ये शिक्षाएँ कई तरह से वैश्विक समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिये करुणा, अहिंसा और

नोट :

अन्योन्याश्रितता पर शिक्षा संघर्षों को उजागर करने एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्त्व को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।

- नैतिक आचरण, सामाजिक ज़िम्मेदारी और उदारता पर शिक्षा असमानता के मुद्दों का निराकरण करने एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।
- सचेतनता, सरलता और किसी को हानि न पहुँचाने की शिक्षाएँ पर्यावरण क्षरण को दूर करने और स्थायी जीवन को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं।

भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति में बौद्ध धर्म की भूमिका:

- **सांस्कृतिक कूटनीति:**
  - भारत की सॉफ्ट पॉवर रणनीति में बौद्ध धर्म का उपयोग सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से किया गया है।
    - इसमें कला, संगीत, फिल्म, साहित्य और त्योहारों जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से बौद्ध धर्म सहित भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है।
  - उदाहरण के लिये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (Indian Council for Cultural Relations-ICCR) ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने एवं सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करने हेतु श्रीलंका, म्याँमार, थाईलैंड तथा भूटान जैसे बौद्ध देशों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है।
- **शिक्षा और क्षमता निर्माण:**
  - शिक्षा और क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति में बौद्ध धर्म का उपयोग किया जा सकता है।
  - भारत ने बौद्ध अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय और केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान जैसे कई बौद्ध संस्थानों एवं उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की है।
  - वर्ष 2022 में त्रिपुरा में धम्म दीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय (DDIBU) की आधारशिला रखी गई।
    - DDIBU भारत का पहला बौद्ध-संचालित विश्वविद्यालय है जो बौद्ध शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा के अन्य विषयों में भी कोर्स प्रदान करता है।
  - यह भारत भूटान, श्रीलंका, म्याँमार और नेपाल जैसे अन्य देशों के बौद्ध छात्रों व भिक्षुओं को उनके ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने हेतु छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है।
- **द्विपक्षीय आदान-प्रदान और पहल:**
  - द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत ने विभिन्न पहलों के माध्यम से श्रीलंका, म्याँमार , थाईलैंड, कंबोडिया और भूटान जैसे बौद्ध देशों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने की कोशिश की है।
  - भारत ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण समझौते (BIPA) जैसे कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
    - भारत ने बौद्ध देशों को उनके सांस्कृतिक विरासत स्थलों जैसे म्याँमार में बागान मंदिर और नेपाल में स्तूप के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिये भी सहायता प्रदान की है।
  - भारत और मंगोलिया ने वर्ष 2023 तक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को भी नवीनीकृत किया है जिसके तहत मंगोलियाई लोगों को CIBS, लेह और CUTS, वाराणसी के विशेष संस्थानों में 'तिब्बती बौद्ध धर्म' का अध्ययन करने हेतु 10 समर्पित ICCR छात्रवृत्तियाँ आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency- NIA) ने दो लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है, जिन्हें कथित रूप से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

- NIA ने दो लोगों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act- UAPA), 1967 के तहत आरोप लगाए हैं।

नोट: कट्टरता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या समूह चरम विश्वासों और विचारधाराओं को अपनाता है जो मुख्यधारा के समाज के मूल्यों, मानदंडों एवं कानूनों को अस्वीकार या विरोध करते हैं। इसमें प्राय: प्रचार, प्रेरक बयानबाज़ी तथा प्रेरक व्यक्तियों या समूहों का जोखिम शामिल होता है जो चरमपंथी विचारों व विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण:

- **परिचय:**
  - NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जाँच एवं मुकदमा चलाने हेतु ज़िम्मेदार है।
    - किसी देश में संघीय एजेंसियों के पास विशेष रूप से उन मामलों पर अधिकार क्षेत्र होता है जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं, न कि केवल अलग-अलग राज्यों या प्रांतों से संबंधित होते हैं।
  - वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, 2008 के तहत इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी, यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित होती है।
  - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 में बदलाव करते हुए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 को जुलाई 2019 में पारित किया गया था।
  - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पास राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच करने की शक्ति है। इसके पास राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना राज्य की सीमाओं के मामलों की जाँच करने का भी अधिकार है।
- **कार्य:**
  - आतंकवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित खुफिया सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार करना।
  - आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करना।
  - कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।
- **जाँच क्षेत्र:**
  - NIA के जाँच के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। NIA अधिनियम, 2008 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जाँच के लिये केंद्र सरकार को सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित मामलों का उल्लेख कर सकती है।
  - केंद्र सरकार NIA को अपने हिसाब से भारत के भीतर अथवा विदेश में किसी सूचीबद्ध अपराध की जाँच करने का निर्देश दे सकती है।
  - UAPA तथा कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिये एजेंसी को केंद्र सरकार की मंज़ूरी लेनी होती है।
  - वामपंथी उग्रवाद (LWE) के आतंकी वित्तपोषण से संबंधित मामलों से निपटने के लिये एक विशेष प्रकोष्ठ है। किसी सूचीबद्ध अपराध की जाँच के दौरान NIA उससे जुड़े किसी अन्य अपराध की भी जाँच कर सकती है। अंत में जाँच के बाद मामलों को NIA की विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत किये गए परिवर्तन:

- **भारत के बाहर अपराध:**
  - NIA के पास मूल रूप से भारत के भीतर अपराधों की जाँच करने की शक्ति थी, लेकिन संशोधित अधिनियम अब इसे भारत के बाहर किये गए अपराधों की जाँच करने की अनुमति देता है, जब तक कि यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों और शामिल देशों के कानूनों का पालन करता है।
  - केंद्र सरकार का मानना है कि अगर कोई अपराध भारत के बाहर किया गया है, लेकिन अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वह NIA को मामले की जाँच करने का निर्देश दे सकती है।

नोट :

- **कानून का विस्तृत दायरा:**
  - NIA अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों की जाँच NIA कर सकती है।
    - अनुसूची में मूल रूप से परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और अपहरण-रोधी अधिनियम, 1982 जैसे अधिनियम शामिल थे।
  - संशोधन के साथ NIA अब इससे संबंधित मामलों की भी जाँच कर सकती है:
    - मानव तस्करी
    - नकली मुद्रा या बैंक नोट
    - निषिद्ध हथियार
    - साइबर आतंकवाद
    - विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत अपराध
- **विशेष न्यायालय:**
  - अधिनियम, 2008 ने अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना की।
  - वर्ष 2019 का संशोधन केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई के लिये सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करने की अनुमति देता है।
  - ऐसा करने से पहले केंद्र सरकार को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा। यदि एक क्षेत्र में कई विशेष न्यायालय मौजूद हैं, तो मामले को सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा सौंपा जाएगा।
  - राज्य सरकारें सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई के लिये सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित कर सकती हैं।

सूचीबद्ध अपराध:

- अधिनियम की अनुसूची उन अपराधों की एक सूची निर्दिष्ट करती है जिनकी जाँच के साथ ही NIA द्वारा मुकदमा चलाया जाना है।
- **सूची में शामिल हैं:**
  - विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
  - परमाणु ऊर्जा अधिनियम
  - गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम
  - अपहरण विरोधी अधिनियम
  - नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैर-कानूनी अधिनियमों का दमन
  - सार्क अभिसमय (आतंकवाद का दमन) अधिनियम
  - महाद्वीपीय शेल्फ अधिनियम पर समुद्री नेविगेशन और निश्चित प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा के खिलाफ गैर-कानूनी कृत्यों का दमन
  - सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधियाँ निषेध) अधिनियम
  - भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कोई अन्य प्रासंगिक अपराध।
  - नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट

नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

चर्चा में क्यों?

वैश्विक ड्रग व्यापार एक बड़ी समस्या है जिस कारण भारत सहित विश्व भर की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ/अभिकरण हाई अलर्ट पर हैं।

- परंपरागत रूप से ही भारत डेथ (गोल्डन) क्रीसेंट और डेथ (गोल्डन) ट्रायंगल के बीच स्थित है। इन दो क्षेत्रों से ड्रग माफियाओं द्वारा यहाँ हेरोइन तथा मेथामफेटामाइन जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है, जिन्हें खुफिया एजेंसियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की जाती है।

नशीले पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न समस्याएँ:

- यह एक सामाजिक समस्या है जिसके कारण युवाओं और परिवारों को नुकसान पहुँचता है और इससे अर्जित किया गया धन विघटनकारी गतिविधियों एवं उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाता है जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है।
- आपराधिक नेटवर्क के तहत कैनबिस, कोकीन, हेरोइन और मेथामफेटामाइन सहित कई प्रकार की नशीली दवाओं का व्यापार किया जाता है।
  - मेथमफेटामाइन (मेथ) एक नशीली दवा है जिसकी लत लग सकती है और यह स्वास्थ्य के लिये काफी प्रतिकूल है जो कभी-कभी मौत का कारण बन सकती है।
  - हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका को नई ज़ोंबी दवा (फेंटानिल/fentanyl) के विषय में पता चला है जो वहाँ देश की आबादी के बीच तेज़ी से प्रचलित हो रही है।
    - इस दवा का सेवन करने वालों की त्वचा पर घाव हो सकते हैं जो निरंतर संपर्क में आने से तेज़ी से फैल सकते हैं।
    - इसकी शुरुआत अल्सर से होती है, इसके कारण मृत त्वचा (एस्कर/eschar) जैसी स्थिति हो जाती है और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो संबद्ध अंग को काट कर हटाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रहता है।
- नशीली दवाओं की तस्करी अक्सर अपराध के अन्य रूपों से जुड़ी होती है, जैसे-आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग अथवा भ्रष्टाचार।

नोट :

- अन्य अवैध उत्पादों के परिवहन के लिये आपराधिक नेटवर्क द्वारा तस्करी जैसे मार्गों का भी उपयोग किया जा सकता है।

भारत में नशीले पदार्थों की लत की स्थिति:

- वर्ष 2018 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से "भारत में पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण" आयोजित किया था। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

Name of the substance	Prevalence of use (Age Group 10-75 years)
Alcohol	14.6%
Cannabis	2.83%
Opiates/ Opioids	2.1%

- वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में वर्ष 2020 में 5.2 टन अफीम की चौथी सबसे बड़ी मात्रा ज़ब्त की गई और तीसरी सबसे बड़ी मात्रा में मॉर्फिन (0.7 टन) भी उसी वर्ष ज़ब्त की गई ।

भारत में अवैध ड्रग्स की तस्करी के स्रोत:

- थ्रेट्स फ्रॉम डेथ (गोल्डन) क्रीसेंट: इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं।
  - अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के कुछ हिस्सों का भी पाकिस्तानी ड्रग तस्करों द्वारा अफगान अफीम को हेरोइन में परिवर्तित करने और फिर भारत भेजने के लिये उपयोग किया जाता है।
- थ्रेट्स फ्रॉम डेथ (गोल्डन) ट्रायंगल: इसमें वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और म्याँमार शामिल हैं।
  - चीन की सीमा से सटे म्याँमार के शान और काचिन प्रांत भी चुनौती पेश करते हैं।
- चीनी कारक: इन हेरोइन और मेथामफेटामाइन उत्पादक क्षेत्रों में खुली सीमाएँ (Porous Borders) हैं, ये कथित तौर पर विद्रोही समूहों के नियंत्रण में हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से चीनियों द्वारा समर्थित हैं।
  - यहाँ अवैध हथियारों का निर्माण किया जाता है और भारत में सक्रिय भूमिगत समूहों को इसकी आपूर्ति की जाती है।
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी, भारत में तस्करी की जाने वाली कुल अवैध नशीली दवाओं का लगभग 70% हिस्सा होने का अनुमान है।

ड्रग के खतरे को रोकने हेतु भारत द्वारा की गई पहल:

- **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, (NDPS) 1985:** यह किसी व्यक्ति को किसी भी मादक पदार्थ या साइकोट्रोपिक पदार्थ के उत्पादन, स्वामित्त्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण और/या उपभोग करने से रोकता है।
- **ड्रग डिमांड रिडक्शन हेतु नेशनल एक्शन प्लान:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2018-25 की अवधि हेतु ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिये एक योजना तैयार की है। यह योजना निम्नलिखित पर केंद्रित है:

नोट :

- निवारक शिक्षा
- जागरूक पीढ़ी
- नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों की पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास
- सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।

- **नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कोष:** इसे एनडीपीएस, 1985 के प्रावधान के अनुसार उपायों हेतु किये गए व्यय को पूरा करने के लिये बनाया गया था:
  - अवैध तस्करी का मुकाबला
  - नशीली दवाओं और पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करना
  - व्यसनियों की पहचान, उपचार और पुनर्वास
  - नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना
  - जनता को नशे के खिलाफ शिक्षित करना
- **नशा मुक्त भारत अभियान:** नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 2020 में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे से निपटने और भारत को नशा मुक्त बनाने के दृष्टिकोण से शुरू किया गया था। इसमें निम्नलिखित तीन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है:
  - नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आपूर्ति पर अंकुश
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता द्वारा आउटरीच और जागरूकता बढ़ाने एवं मांग में कमी का प्रयास
  - स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपचार
- भारतीय तटरक्षकों की पहल: भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने ऐसी दवाओं की ज़ब्ती के लिये सुरक्षा एजेंसियों और श्रीलंका, मालदीव तथा बांग्लादेश के तटरक्षकों के साथ उचित तालमेल स्थापित किया है।
  - इसने हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास दो अलग-अलग मामलों में 2,160 किलोग्राम मेथमफेटामाइन (मेथ) ज़ब्त किया।
- नशीली दवाओं के खतरे से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और सम्मेलन: भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्त्ता है:
  - नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) कन्वेंशन (1961)।
  - साइकोट्रोपिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1971)।
  - नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988)।
  - ट्रांसनेशनल क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNTOC) 2000।

भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- डार्कनेट: डार्कनेट मार्केट्स को उनकी गुमनामी और कम जोखिम के कारण ट्रेस करना मुश्किल है। उन्होंने पारंपरिक दवा बाज़ारों पर कब्ज़ा कर लिया है। अध्ययनों से पता चलता है कि 62 प्रतिशत डार्कनेट का उपयोग अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिये किया जा रहा है।
  - विश्व भर में डार्कनेट का उपयोग कर अवैध व्यापार करने वालों को पकड़ने की सफलता दर बहुत कम रही है।
- क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन: कुरियर सेवाओं के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी भुगतान और डोरस्टेप डिलीवरी ने डार्कनेट लेन-देन को सरल बना दिया है।
- तस्कर रचनात्मक और तकनीक प्रेमी बन गए हैं: तस्करों ने पंजाब में ड्रोन के माध्यम से नशीली दवाओं और बंदूकों की आपूर्ति करने जैसी नई तकनीकों को अपनाया है, जिसने सुरक्षा बलों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं।
- अधिक सुरक्षित और गुमनाम तरीकों का उपयोग करना: कोविड-19 महामारी के दौरान वाहनों/जहाज़/एयरलाइन आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद मादक पदार्थों के तस्करों ने कूरियर/पार्सल/डाक पर अधिक विश्वास करना शुरू कर दिया है।
  - वर्ष 2022 में एक व्यक्ति को ई-कॉमर्स डमी वेबसाइट बनाकर ड्रग्स का कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
  - एक और उदाहरण में कुछ लोगों को वेबसाइट पर नकली उत्पादों को सूचीबद्ध करके अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से ड्रग्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
- **ड्रग लॉर्ड्स और NRIs के बीच गठजोड़:** हाल की जाँच में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग एवं कई यूरोपीय देशों में स्थित NRIs के साथ भारत में स्थानीय ड्रग लॉर्ड्स तथा गैंगस्टर्स के साथ ड्रग कार्टेल के संबंध का पता चला है, जिनके खालिस्तानी आतंकवादियों और पाकिस्तान में ISI के साथ संबंध हैं।
- **स्थानीय गिरोहों के माध्यम से तस्करी:** एक नया चलन सामने आया है जिसमें स्थानीय गिरोह का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी के लिये किया जा रहा है जो मुख्य रूप से अपने क्षेत्रों में ज़बरन वसूली की गतिविधियों को अंजाम देते थे क्योंकि वह ऐसी गतिविधियों को करने के लिये सरल विकल्प के रूप में मौजूद हैं।

आगे की राह

- ड्रग्स को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिये सीमा पार तस्करी को नियंत्रित करने और ड्रग प्रवर्तन में सुधार जैसे उपाय किये जाने चाहिये। हालाँकि समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिये भारत

नोट :

को NDPS अधिनियम, 1985 के तहत कठोर दंड लगाने जैसे उपायों के माध्यम से दवाओं की मांग को कम करने पर भी काम करना चाहिये।

- अभियानों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से नशे की लत को कम करने के लिये लोगों में जागरूकता फैलाई जानी चाहिये। ड्रग लेने के कारण लगे लांछन को दूर करने की ज़रूरत है। समाज को यह समझने की ज़रूरत है कि नशा करने वाले पीड़ित होते हैं, न कि अपराधी।
- कुछ फसलों की दवाएँ जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल और ओपिओइड होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। देश में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिये पुलिस अधिकारियों एवं आबकारी तथा नारकोटिक्स विभाग से सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है।
- शिक्षा पाठ्यक्रम में मादक पदार्थों की लत, इसके प्रभाव और नशामुक्ति पर भी अध्याय शामिल होने चाहिये। इसके आलावा उचित परामर्श एक अन्य विकल्प है।
- इस बढ़ते खतरे से निपटने हेतु सभी एजेंसियों के सम्मिलित और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी।
- रोज़गार के अधिक अवसर सृजित करने से समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकता है क्योंकि त्वरित तथा अधिक पैसा बेरोज़गार युवाओं को ऐसी गतिविधियों की ओर आकर्षित करता है।

छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा ज़िले में माओवादियों द्वारा IED (इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से हमला किया गया जिसमें पुलिस के ज़िला रिज़र्व गार्ड (DRG) के दस कर्मियों और उनके असैनिक वाहन चालक के मारे जाने की सूचना मिली।

- अप्रैल 2021 में माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों के 22 जवानों को मारे जाने की घटना के दो वर्ष से अधिक समय बाद इस प्रकार की घटना हुई है।

वामपंथी उग्रवाद:

- **परिचय:**
  - वामपंथी उग्रवाद (Left-wing Extremism-LWE) एक राजनीतिक विचारधारा है जो कट्टरपंथी समाजवादी, साम्यवादी अथवा अराजकतावादी विचारों पर चलती है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में हिंसा एवं आतंकवाद का सहारा लेना इनकी विशेषता है।
  - ये अक्सर पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और स्थापित राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था का विरोध करते हुए पाए जाते हैं और एक क्रांतिकारी समाजवादी या साम्यवादी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं।
- **लक्ष्य:**
  - LWE (वामपंथी उग्रवाद) समूह अपनी कार्य प्रणाली (एजेंडे) को आगे बढ़ाने हेतु सरकारी संस्थानों, विधि प्रवर्तन एजेंसियों अथवा निजी संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं।
    - वामपंथी उग्रवाद का अक्सर सरकारों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विरोध किया जाता है जो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिये खतरे के रूप में देखते हैं।

छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति:

- छत्तीसगढ़, भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ माओवादियों की उपस्थिति महत्त्वपूर्ण बनी हुई है वर्तमान में इसकी बड़े हमलों को अंजाम देने की क्षमता बरकरार है।
  - विगत 5 वर्षों (2018-22) के दौरान समस्त माओवादी हिंसा का एक-तिहाई से अधिक और इसके कारण होने वाली सभी मौतों का 70% से 90% छत्तीसगढ़ में देखा गया है।
- छत्तीसगढ़ में अब भी यह समस्या बनी हुई है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में राज्य पुलिस की सक्रिय भागीदारी ने माओवादी समस्याओं को समाप्त करने में मदद करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - हालाँकि वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन की यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में देरी से शुरू हुई है, तब तक पड़ोसी राज्यों की पुलिस पहले ही माओवादियों को उनके राज्यों से छत्तीसगढ़ में खदेड़ चुकी थी, जिससे यह क्षेत्र माओवादी प्रभाव का एक केंद्र बन गया था।
- बस्तर में सड़कों, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे की अनुपस्थिति तथा प्रशासन की न्यूनतम उपस्थिति के कारण माओवादियों का प्रभाव इस क्षेत्र में बना हुआ है, साथ ही भय एवं सद्भावना जैसे मेल-जोल की वजह से उन्हें स्थानीय समर्थन का लाभ मिला है।

देश में वामपंथी उग्रवाद की वर्तमान स्थिति:

- सरकार के अनुसार, वर्ष 2010 के बाद से देश में माओवादी हिंसा में 77% की कमी आई है।
  - गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार, परिणामी मौतों (सुरक्षा बलों + नागरिकों) की संख्या वर्ष 2010 में 1,005 के सर्वकालिक उच्च स्तर से 90% कम होकर वर्ष 2022 में 98 हो गई है।
- कई कारकों के कारण देश में माओवादियों और उनसे जुड़ी हिंसा का प्रभाव लगातार कम हो रहा है:
  - माओवादियों के गढ़ में सुरक्षा बलों की ओर से प्रभावी प्रयास।

- सड़कें एवं नागरिक सुविधाएँ पहले की तुलना में सुलभ हैं।
- युवाओं में माओवादी विचारधारा के प्रति एक आम मोहभंग, जिसने विद्रोही आंदोलन को नए नेतृत्त्व से वंचित कर दिया है।

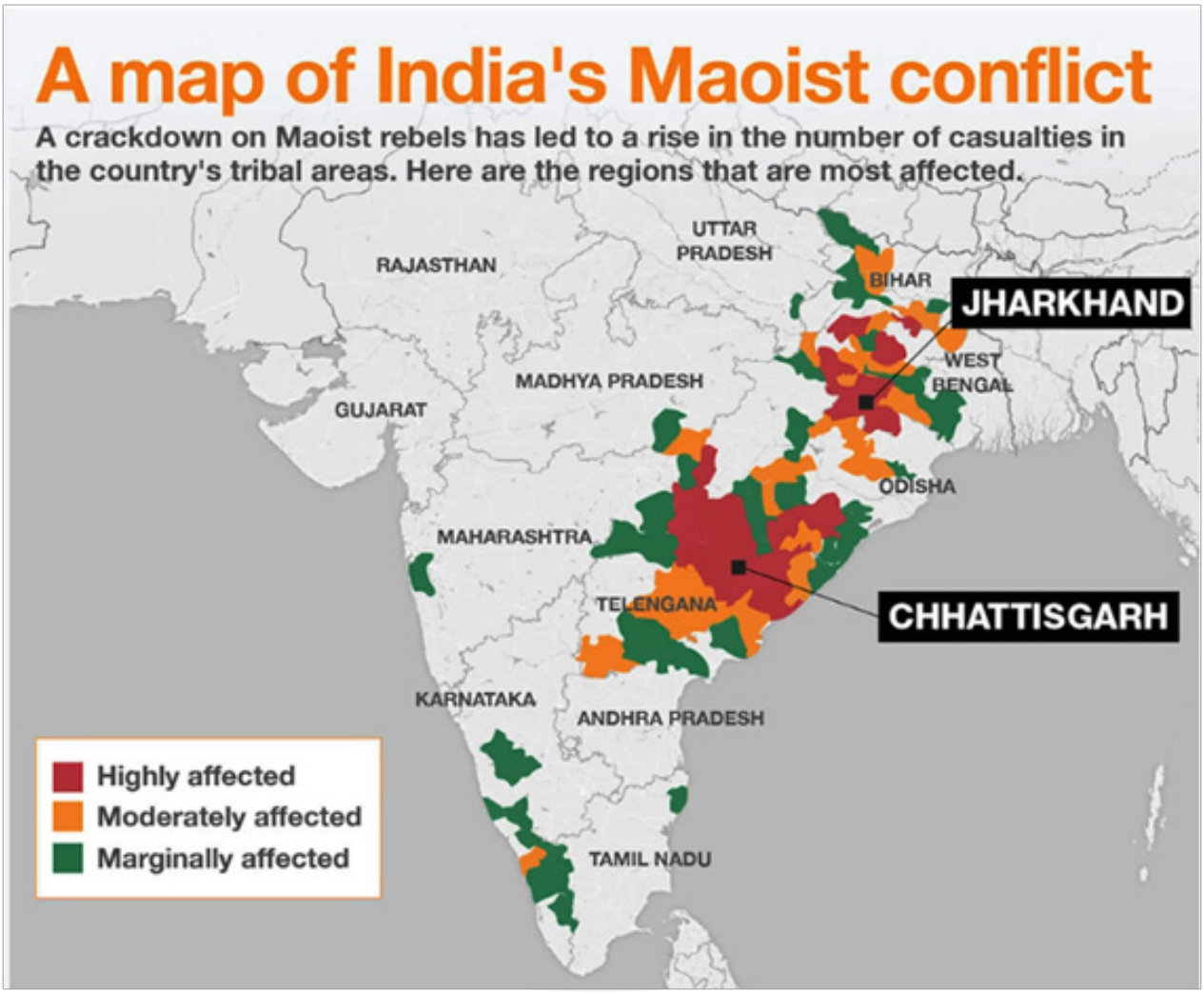

वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने हेतु सरकार की पहल:

- समाधान (SAMADHAN) सिद्धांत वामपंथी उग्रवाद की समस्या का एकमात्र समाधान है। इसमें विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई अल्पकालिक नीति से लेकर दीर्घकालिक नीति तक सरकार की संपूर्ण रणनीति शामिल है। समाधान (SAMADHAN) का पूर्ण रूप है:
  - S- स्मार्ट लीडरशिप
  - A- एग्रेसिव स्ट्रेटेजी
  - M- मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग
  - A- एक्शनेबल इंटेलिजेंस
  - D- डैशबोर्ड बेस्ड KPI (की परफॉरमेंस इंडिकेटर) एंड KRA (की रिज़ल्ट एरिया)
  - H- हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी
  - A- एक्शन प्लान फॉर इच थिएटर
  - N- नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग

नोट :

- **2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना:** इसमें बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल है जिसमें सुरक्षा उपाय, विकास पहल और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना शामिल है।
  - गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) बटालियनों की तैनाती, हेलीकाप्टरों एवं UAV के प्रावधान और भारतीय आरक्षित वाहिनी (IRB) आदि की मंज़ूरी के माध्यम से बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों का समर्थन कर रहा है।
  - राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिये पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (MPF), सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना और विशेष अवसंरचनात्मक ढाँचा योजना (SIS) के तहत निधियन किया जाता है।
  - विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) योजना के तहत अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (LWE) ज़िलों को विकास के लिये धन भी प्रदान किया जाता है।
- **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम:** वर्ष 2018 में लॉन्च किये गए आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम का उद्देश्य उन ज़िलों में तेज़ी से बदलाव लाना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है।
- **ग्रेहाउंड्स:** ग्रेहाउंड्स को वर्ष 1989 में विशिष्ट नक्सल विरोधी बल के रूप में स्थापित किया गया था।
- **ऑपरेशन ग्रीन हंट:** इसे वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी।
- **बस्तरिया बटालियन:** छत्तीसगढ़ में CRPF ने एक बस्तरिया बटालियन की स्थापना की, जिसके लिये स्थानीय आबादी से सिपाही लिये गए, जो भाषा और इलाके को जानते थे, तथा खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकते थे।
  - इस इकाई में अब 400 सिपाही (Recruits) हैं और इसका नियमित रूप से छत्तीसगढ़ में संचालन किया जाता है।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने में चुनौतियाँ:

- **व्यापक भौगोलिक फैलाव:** वामपंथी उग्रवादी समूह दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में काम करते हैं, घने जंगल, पहाड़ी इलाके और जहाँ उचित बुनियादी ढाँचे की कमी होती है, जिससे सुरक्षा बलों के लिये उन्हें ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **स्थानीय समुदायों का समर्थन:** LWE समूहों को अकसर स्थानीय समुदायों का समर्थन प्राप्त होता है जो सरकार द्वारा उपेक्षित और हाशिये पर महसूस करते हैं।
- **विकास की कमी:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र आमतौर पर अविकसित होते हैं। बुनियादी सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुँच के कारण यह चरमपंथी विचारधाराओं के लिये उपजाऊ ज़मीन की तरह होती है।
- **राजनीतिक समर्थन:** LWE समूहों को अकसर कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं का समर्थन प्राप्त होता है जो उन्हें अपने हितों के लिये इस्तेमाल करते हैं। जिस कारण सरकार के लिये राजनीतिक प्रतिक्रिया का जोखिम उठाए बिना उनके विरुद्ध कड़ा रुख अपनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

आगे की राह

- **सामाजिक-आर्थिक विकास:** सरकार को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे कि बुनियादी ढाँचे में निवेश, रोज़गार के अवसर पैदा करना और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच प्रदान करना।
- **लक्षित सुरक्षा संचालन:** सुरक्षा बलों को खुफिया-आधारित दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए और संपार्श्विक क्षति से बचने के लिये वामपंथी उग्रवाद समूहों के विरुद्ध लक्षित संचालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **पुनर्वास और पुन: एकीकरण:** सरकार को पूर्व चरमपंथियों को शिक्षा, प्रशिक्षण, रोज़गार के साथ-साथ मनोसामाजिक समर्थन प्रदान करके पुनर्वास और पुन:एकीकरण सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

नोट :

कृषि

भारत में उर्वरक की खपत

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिये कई उपायों को लागू किया है। इन प्रयासों के बावजूद यूरिया की खपत में वृद्धि हुई है, जिससे नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में कमी और उर्वरक उपयोग के अनुरूप फसल की पैदावार में गिरावट आई है।

संतुलित उर्वरता को बढ़ावा देने हेतु किये गए उपाय:

- **पहल:**
  - वर्ष 2015 में भारत सरकार ने सभी यूरिया की नीम-कोटिंग को अनिवार्य कर दिया।
  - सरकार ने वर्ष 2018 में मांग में कटौती के लिये 50 किग्रा. के स्थान पर 45 किग्रा. के यूरिया बैग प्रस्तावित किये।
  - भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) ने वर्ष 2021 में लिक्विड 'नैनो यूरिया' लॉन्च किया।
    - हाल ही में गुजरात के कलोल में पहला लिक्विड नैनो यूरिया (LNU) संयंत्र का उद्घाटन किया गया।
    - LNU एक नैनोपार्टिकल के रूप में यूरिया है और पारंपरिक यूरिया को बदलने तथा इसकी आवश्यकता को कम-से-कम 50% कम करने के लिये विकसित किया गया है।
- **किये गए उपायों का प्रभाव:**
  - प्रारंभ में नीम कोटेड यूरिया के उपयोग से खपत में गिरावट आई, जिससे गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये यूरिया का उपयोग करना मुश्किल हो गया।
  - हालाँकि यह प्रवृत्ति वर्ष 2018-19 से उलट गई है। वर्ष 2022-23 में यूरिया की बिक्री वर्ष 2015-16 की तुलना में लगभग 5.1 मिलियन टन अधिक थी और अप्रैल 2010 में पोषक तत्त्वों पर आधारित सब्सिडी (NBS) व्यवस्था की शुरुआत से पहले वर्ष 2009-10 की तुलना में 9 मिलियन टन अधिक थी।

यूरिया की प्रमुखता के कारण:

- **अनुकूल विशेषताएँ:** यूरिया सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है क्योंकि यह नाइट्रोजन का एक समृद्ध स्रोत है, जो पौधों की वृद्धि के लिये एक आवश्यक पोषक तत्त्व है।
  - यूरिया किसानों के लिये आसानी से उपलब्ध और किफायती नाइट्रोजन स्रोत है, जो इसे एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है।
  - इसे आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिससे यह किसानों एवं निर्माताओं दोनों के लिये एक सुविधाजनक विकल्प बन जाता है।
  - यूरिया भी एक बहुमुखी उर्वरक है जिसे विभिन्न प्रकार की फसलों और मिट्टी में उपयोग किया जा सकता है।
- **भारी सब्सिडी:** भारत में यूरिया सबसे अधिक उत्पादित, आयातित, खपत की जाने वाली और भौतिक रूप से विनियमित उर्वरक है।
  - वर्ष 2009-10 से यूरिया की खपत में एक-तिहाई से अधिक की वृद्धि देखी गई है; यह मोटे तौर पर 4,830 रुपए से 5,628 रुपए प्रति टन के रूप में इसके अधिकतम खुदरा मूल्य में मात्र 16.5% की वृद्धि के कारण है।
  - DAP प्रति टन 27,000 रुपए और MOP प्रति टन 34,000 रुपए के मुकाबले यूरिया का वर्तमान प्रति टन मूल्य 4:2:1 NPK उपयोग अनुपात के साथ संगत नहीं है, जिसे आमतौर पर भारतीय मृदा के लिये आदर्श माना जाता है।

नोट :

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (Nutrient-based Subsidy- NBS) योजना:

- **लक्षित लाभार्थी:**
  - NBS का उद्देश्य देश भर के किसानों को लाभान्वित करना है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान जो बाज़ार दरों पर उर्वरकों का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं।
  - यह योजना किसानों को उनकी उर्वरक आवश्यकताओं के आधार पर सब्सिडी प्रदान करती है और सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी जाती है।
- **फायदे:**
  - यह मृदा की उर्वरता और फसल उत्पादकता में सुधार करने में मदद करता है।
  - यह रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराकर किसानों के लिये कृषि की लागत कम करता है।
  - कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार आने से किसानों को बाज़ार में अपनी फसलों के लिये बेहतर कीमत प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

नोट :

- यह मृदा स्वास्थ्य के संरक्षण एवं उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करता है।

- **NBS की विफलता:**
  - यूरिया को इस योजना से बाहर रखा गया है और इसलिये यह मूल्य नियंत्रण के अधीन रहती है। तकनीकी रूप से देखें तो अन्य उर्वरकों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है।
    - जिन अन्य उर्वरकों पर से नियंत्रण हटा लिया गया, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे किसान पहले की तुलना में अधिक यूरिया का उपयोग करने लगे हैं।
    - इससे उर्वरक असंतुलन और बिगड़ गया है।
  - DAP के मूल्य को नियंत्रित करने का कार्य फिर से शुरू किया गया है, कंपनियों को प्रति टन 27,000 रुपए से अधिक चार्ज करने की अनुमति नहीं है। इससे वर्ष 2022-23 में यूरिया और DAP दोनों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है।

असंतुलित उर्वरता के प्रभाव:

- **फसल की पैदावार और गुणवत्ता में कमी:**
  - बहुत कम अथवा बहुत अधिक उर्वरक का उपयोग करने से फसल की पैदावार और गुणवत्ता में कमी आ सकती है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को आर्थिक नुकसान होता है।

- **मृदा क्षरण:**
  - असंतुलित उर्वरक से मृदा में पोषक तत्त्वों का असंतुलन हो सकता है, जिससे मृदा का क्षरण, अवनयन एवं समय के साथ मृदा की उर्वरता में कमी हो सकती है।

- **पर्यावरण प्रदूषण:**
  - उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से जल निकायों में अतिरिक्त पोषक तत्त्वों, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस का निक्षालन (Leaching) हो सकता है, जिससे सुपोषण (Eutrophication), एल्गी ब्लूम एवं अन्य पर्यावरणीय समस्याएँ हो सकती हैं।

- **स्वास्थ्य संबंधी खतरा:**
  - उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से फसलों में नाइट्रेट का संचय हो सकता है, जिनका अधिक मात्रा में सेवन करना मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक हो सकता है।

ALL-INDIA USE OF FERTILISER PRODUCTS

	UREA	DAP	MOP*	NPKS	SSP
2009-10	266.73	104.92	46.34	80.25	26.51
2010-11	281.13	108.7	39.32	97.64	38.25
2011-12	295.65	101.91	30.29	103.95	47.46
2012-13	300.02	91.54	22.11	75.27	40.3
2013-14	306	73.57	22.8	72.64	38.79
2014-15	306.1	76.26	28.53	82.78	39.89
2015-16	306.35	91.07	24.67	88.21	42.53
2016-17	296.14	89.64	28.63	84.14	37.57
2017-18	298.94	92.94	31.58	85.96	34.39
2018-19	314.18	92.11	29.57	90.28	35.79
2019-20	336.95	101	27.87	98.57	44.03
2020-21	350.43	119.11	34.25	118.11	44.89
2021-22	341.8	92.72	24.57	114.79	56.81
2022-23	357.25	105.31	16.32	100.73	50.18

*For direct application, excluding supply to complex fertiliser units.
Source: Fertiliser Association of India. (in lakh tonnes)

Gettyimages

CROP YIELD RESPONSE TO FERTILISERS

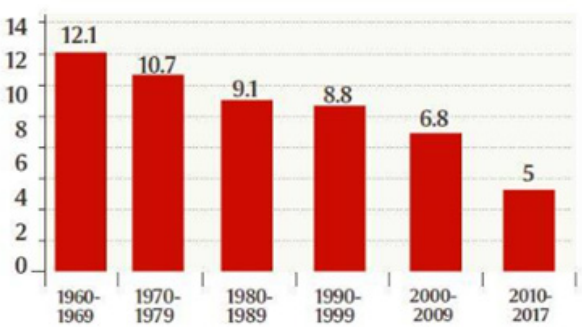

Source: J.C. Katyal, Indian Journal of Fertilisers, Dec 2019.

आगे की राह

- **यूरिया को शामिल करते हुए NBS व्यवस्था का विस्तार:**
  - NBS व्यवस्था से यूरिया के मौजूदा बहिष्करण से इसकी खपत में वृद्धि हुई है, जिससे उर्वरकों के असंतुलन की समस्या बढ़ गई है।

नोट :

- NBS व्यवस्था में यूरिया को शामिल करने से इसके संतुलित उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और इसकी खपत कम होगी, जिससे किसानों हेतु खेती की लागत कम होगी, साथ ही फसल उत्पादकता में सुधार होगा।

- **वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना:**
  - जैविक और जैव-उर्वरक जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग, परिष्कृत उर्वरकों (जो असंतुलित उर्वरक हो सकता है) पर निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है,।
  - सब्सिडी, जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण के माध्यम से वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने से मृदा के स्वास्थ्य में सुधार एवं पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **मृदा परीक्षण और संतुलित उर्वरता को बढ़ावा देना:**
  - मृदा परीक्षण फसलों की पोषक तत्त्वों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने में मदद कर सकता है, जिससे किसानों को संतुलित तरीके से उर्वरकों का प्रयोग करने में मदद मिल सकती है।
  - मृदा परीक्षण को बढ़ावा देने और इसके लिये सब्सिडी प्रदान करने से किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग की विधियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे फसल की पैदावार एवं मृदा के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।
- **अनियंत्रित उर्वरकों की कीमतों की निगरानी और विनियमन:**
  - DAP जैसे नियंत्रित उर्वरकों की कीमतों को विनियमित करने से उनके अत्यधिक उपयोग को रोकने एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
  - सरकार उर्वरकों की वहनीयता सुनिश्चित करने और उनके अत्यधिक उपयोग को रोकने हेतु विनियंत्रित उर्वरकों पर मूल्य नियंत्रण फिर से शुरू करने पर विचार कर सकती है।
- **सतत् उर्वरकों का अनुसंधान एवं विकास:**
  - सतत् उर्वरकों के अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने से ऐसे उर्वरक विकसित करने में मदद मिल सकती है जो पर्यावरण के अनुकूल हों, उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दें और फसल उत्पादकता में सुधार कर सकें।
  - सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त स्थायी उर्वरकों के अनुसंधान एवं विकास के लिये धन उपलब्ध कराएगी।
- **NUE (नाइट्रोजन उपयोग दक्षता) में सुधार:**
  - NUE मुख्य रूप से यूरिया के माध्यम से लागू नाइट्रोजन के अनुपात को संदर्भित करता है जो वास्तव में फसलों की अधिक पैदावार के लिये उपयोग किया जाता है।
  - यह किसानों को कम यूरिया के साथ समान या अधिक अनाज की पैदावार करने में सक्षम करेगा।

The Vision

नोट :

भारतीय समाज

भूदान-ग्रामदान आंदोलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महाराष्ट्र के एक गाँव ने ग्रामदान अधिनियम को लागू करने की मांग को लेकर बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया।

ग्रामदान:

- **भूदान आंदोलन:**
  - पृष्ठभूमि:
    - यह भारत में वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक- राजनीतिक आंदोलन था।
    - विनोबा भावे, महात्मा गांधी के शिष्य थे, जिन्हें गांधीजी ने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया।
    - स्वतंत्रता के बाद उन्होंने महसूस किया कि भूमिहीन का मुद्दा ग्रामीण भारत के सामने एक बड़ी समस्या है और वर्ष 1951 में उन्होंने भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन शुरू किया।
  - उद्देश्य:
    - उनका उद्देश्य धनी ज़मींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का एक हिस्सा दान करने के लिये राजी करना था।
    - जब भावे ने गाँव-गाँव घूमकर ज़मींदारों से अपनी ज़मीन दान करने का अनुरोध किया तो आंदोलन को गति मिली।
    - भावे का दृष्टिकोण अहिंसा के दर्शन में निहित था तथा उनका यह विचार था कि भू-स्वामियों को गरीबों हेतु करुणा एवं सहानुभूति के साथ अपनी भूमि दान करनी चाहिये।
- **ग्रामदान आंदोलन:**
  - भूदान आंदोलन का अगला चरण ग्रामदान आंदोलन या ग्राम उपहार आंदोलन था।
  - इसका उद्देश्य भूमि के सामूहिक स्वामित्त्व के माध्यम से आत्मनिर्भर गाँव बनाना था।
  - ग्रामदान आंदोलन के तहत ग्रामीणों से आग्रह किया गया कि वे अपनी भूमि एक ग्राम परिषद को दान करें, जो ग्रामीणों को भूमि का प्रबंधन एवं वितरण करेगी।
  - इस आंदोलन को कई राजनीतिक नेताओं का समर्थन मिला तथा इसे ग्रामीण भारत में भूमि के असमान वितरण की समस्या के समाधान के रूप में देखा गया।
- **आंदोलन का महत्त्व:**
  - यह आंदोलन भारत के कई हिस्सों में सफल रहा, हज़ारों एकड़ भूमि ज़मींदारों द्वारा दान की गई।
  - भूदान-ग्रामदान आंदोलन का भारतीय समाज एवं राजनीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, इसने भूमिहीनता की स्थिति को कम करने, भूमि का अधिक समान वितरण करने तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण समुदायों के सशक्तीकरण में मदद की।
  - इसने समुदाय में सभी को समान अधिकार एवं ज़िम्मेदारियाँ देकर तथा समुदायों को स्वशासन की ओर बढ़ने हेतु सशक्त बनाकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया।
- **कमियाँ:**
  - यह दान की गई भूमि या तो अनुपजाऊ या मुकदमेबाज़ी के अधीन होती थी।
    - साथ ही भूमि के बड़े क्षेत्रों को दान किया गया था, जबकि भूमिहीनों के बीच बहुत कम वितरित किया गया था।
  - यह उन क्षेत्रों में सफल नहीं हुआ जहाँ भूमि जोत में असमानता थी।
  - साथ ही यह आंदोलन अपनी क्रांतिकारी क्षमता को उजागर करने में भी विफल रहा।

ग्रामदान अधिनियम का वर्तमान परिदृश्य:

- **विभिन्न राज्यों में ग्रामदान अधिनियम:**
  - वर्तमान में भारत के सात राज्यों में 3,660 ग्रामदान गाँव हैं, जिनमें से सबसे अधिक ओडिशा (1309) में हैं।
    - अन्य छह राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं।
  - सितंबर 2022 में असम सरकार ने राज्य में दान की गई भूमि पर अतिक्रमण का सामना करने हेतु असम भूमि एवं राजस्व विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित करके असम ग्रामदान अधिनियम, 1961 तथा असम भूदान अधिनियम, 1965 को निरस्त कर दिया।
    - उस समय तक असम में 312 ग्रामदान गाँव थे।
- **ग्रामदान अधिनियम की कुछ सामान्य विशेषताएँ:**
  - गाँव के कम-से-कम 75% भूस्वामियों को ग्राम समुदाय को भूमि का स्वामित्त्व प्रदान करना देना चाहिये। ऐसी भूमि गाँव की कुल भूमि का कम-से-कम 60% होनी चाहिये।

नोट :

- दान की गई भूमि का 5% खेती के लिये गाँव में भूमिहीनों में वितरित कर दिया जाता है।
  - ऐसी भूमि प्राप्तकर्त्ता समुदाय की अनुमति के बिना उसे हस्तांतरित नहीं कर सकते।
- शेष भूमि दाताओं के पास रहती है; वे और उनके वंशज इसका उपयोग कर सकते हैं।
  - हालाँकि वे इसे गाँव के बाहर अथवा गाँव में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेच सकते हैं जो ग्रामदान में शामिल नहीं हुआ है।
- ग्रामदान में शामिल सभी काश्तकारों को अपनी आय का 2.5% हिस्सा समुदाय हेतु देना अपेक्षित है।

- **चिंताएँ:**
  - मुख्य रूप से कानून के खराब कार्यान्वयन के कारण कई गाँवों में इस अधिनियम की प्रासंगिकता खत्म हो गई है।
  - ग्रामदान के तहत कुछ गाँवों में अपनी ज़मीन देने वालों के वंशज निराश हैं कि वे गाँव के बाहर अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते हैं और उनके अनुसार यह अधिनियम 'विकास विरोधी' है।

वन संरक्षण में इस अधिनियम का महत्त्व:

- ग्रामदान अधिनियम स्थानीय समुदायों को वनों सहित उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिये सशक्त बनाकर सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।
- ग्रामदान अधिनियम के तहत भूमि और अन्य संसाधन समुदाय में निहित हैं, जिसका अर्थ है कि समुदाय के पास यह निर्णय लेने की शक्ति है कि इन संसाधनों का उपयोग और प्रबंधन कैसे किया जाता है और इस प्रकार उन्हें वन प्रबंधन तथा उनके सतत उपयोग से लाभ मिलता है।
- सामुदायिक वन अधिकारों के संदर्भ में ग्रामदान अधिनियम समुदायों को वन भूमि और संसाधनों पर अधिकारों का दावा करने के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान कर सकता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

प्रिलिम्स फैक्ट

विश्व चगास रोग दिवस

प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है ताकि लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली इस अल्पज्ञात बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, खासकर लैटिन अमेरिका में।

- 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने वर्ष 2019 में चगास रोग दिवस को मंज़ूरी दी थी।
- इस वर्ष की थीम है "चगास रोग को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करने का सही समय" (Time to integrate Chagas disease into primary health care)।

चगास रोग:

- **परिचय:**
  - चगास रोग, जिसे "साइलेंट एवं साइलेंस्ड (Silent And Silenced)" के रूप में भी जाना जाता है, WHO के अनुसार, यह एक संचारी परजीवी रोग है जिससे विश्व भर में सालाना 6-7 मिलियन लोग संक्रमित होते हैं और लगभग 12,000 लोगों की मौत हो जाती है।
    - इस बीमारी का नाम चिकित्सक कार्लोस चगास के नाम पर रखा गया है जिन्होंने पहली बार वर्ष 1909 में ब्राज़ील के एक बच्चे में इसका पता लगाया था।
- **कारण:**
  - यह प्रोटोजोआ वर्ग के ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ी (Trypanosoma Cruzi) के कारण होता है, जो 'ट्रायटोमिनाई' या 'किसिंग बग्स' परिवार द्वारा प्रेषित होता है जो काटने या शौच के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित करता है।
  - यह जन्मजात संचरण, रक्त आधान, अंग प्रत्यारोपण, संक्रमित कीट के मल से दूषित भोजन के सेवन या आकस्मिक प्रयोगशाला जोखिम के माध्यम से भी फैल सकता है।
    - यह संक्रमित मनुष्यों या जानवरों के आकस्मिक संपर्क से नहीं फैलता है।
- **लक्षण:**
  - यह रोग बुखार, सिरदर्द, चकत्ते, सूजन संबंधी गाँठ, मतली या दस्त और मांसपेशियों या पेट में दर्द के रूप में प्रकट होता है।
    - 70-80% रोगियों में जीवन भर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, जिससे शुरुआती पहचान चुनौतीपूर्ण हो जाती है।
  - 20-30% रोगियों में संक्रमण जीर्ण अवस्था में विकसित होते हैं, जिससे हृदय, पाचन तंत्र या तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है।
- **प्रसार:**
  - पैन-अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन के अनुसार, चगास वर्तमान में अमेरिका के 21 देशों में स्थानिक है, जहाँ औसतन 30,000 नए मामले वार्षिक रूप से देखे जाते हैं।
    - दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ कई यूरोपीय, पूर्वी भूमध्य सागरीय और पश्चिमी प्रशांत देशों में दुर्लभ मामलों की सूचना मिली है।
- **उपचार और रोकथाम:**
  - चगास रोग के लिये वर्तमान में कोई टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन एंटीपैरासिटिक दवाओं बेंज़निडाज़ोल और निफर्टिमॉक्स से रोग का इलाज किया जा सकता है। रोग को तीव्र चरण की शुरुआत में ही प्रशासित किये जाने पर उनकी प्रभावकारिता दर 100% होती है।
  - देशों द्वारा कीट को खत्म करने या संक्रमण को कम करने हेतु निवारक उपाय किये गए हैं।
    - सभी लैटिन अमेरिकी देशों और नए मामलों की रिपोर्ट करने वाले अन्य देशों द्वारा रक्त दाताओं एवं रक्त उत्पादों की सार्वभौमिक जाँच की जानी चाहिये।

ऑनलाइन मनी गेमिंग का विनियमन

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ऑनलाइन रियल मनी गेम को विनियमित करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन जारी किया है।

ऑनलाइन रियल मनी गेम:

- अधिक पैसा जीतने की उम्मीद में ऑनलाइन रियल मनी गेम में कैसीनो की तरह अन्य खेल जैसे- पोकर, ब्लैकजैक और स्लॉट मशीन साथ ही स्पोर्ट्स बेटिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स तथा अन्य प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग शामिल हो सकते हैं जिनमें पैसे का आदान-प्रदान शामिल है।
- भारत में इस प्रकार के खेल तेज़ी से लोकप्रिय हुए हैं, जिससे उनके विनियमन और उपयोगकर्त्ताओं पर संभावित नकारात्मक प्रभाव जैसे- व्यसन और वित्तीय नुकसान को लेकर चिंता देखी जा रही है।

नोट :

नए नियम:

- **बेटिंग प्लेटफॉर्म का कोई प्रचार नहीं:**
  - नियमों ने मीडिया संस्थाओं, मीडिया प्लेटफॉर्मों और ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को सलाह दी है कि वे सट्टेबाज़ी प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन/प्रचार सामग्री का प्रदर्शन करने से बचें।
    - सट्टेबाज़ी और जुआ अवैध गतिविधियाँ हैं, इसलिये किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियों के विज्ञापन/प्रचार नियमों का उल्लंघन करते हैं।
  - एक विशेष सट्टेबाज़ी साइट द्वारा प्रचार में कॉपीराइट अधिनियम 1957 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया था, जिसमें उपयोगकर्ताओं को अपनी वेबसाइट पर एक स्पोर्ट्स लीग देखने का आग्रह किया गया था।
- **स्व-नियामक निकाय:**
  - सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 के अनुसार, रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को एक स्व-नियामक निकाय (SRB) के साथ पंजीकृत करना होगा जो यह निर्धारित करेगा कि गेम की "अनुमति" है या नहीं।
  - जल्द ही तीन SRBs को मान्यता दी जाएगी।
  - यदि इन खेलों को "अनुमेय" नहीं माना जाता है, तो उन्हें उक्त संशोधन हेतु सुरक्षा नहीं मिलेगी और सट्टेबाज़ी अथवा जुए की श्रेणी में आने के कारण राज्य उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
  - इस प्रकार जिन खेलों को अनुमेय माना जाता है, उन्हें कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, भले ही उनमें जीत/हार के लिये जमा राशि का उपयोग किया जाता हो। वीडियो गेम में पैसा शामिल नहीं होता है, अतः इसके लिये SRB से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

मैंग्रोव पिट्टा पक्षी

हाल ही में ओडिशा के दो तटीय ज़िलों (केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर) में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी गणना की गई।

मैंग्रोव पिट्टा:

- **परिचय:**
  - मैंग्रोव पिट्टा पक्षी (पिट्टा मेगरिन्चा) पक्षी की एक प्रजाति है जो ओडिशा के भितरकनिका और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन सहित पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
- **IUCN स्थिति:**
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने प्रजातियों को वर्गीकरण और मूल्यांकन किया है और इसे "संकटापन्न" के रूप में सूचीबद्ध किया है।
- **वितरण:**
  - भारत, बांग्लादेश, म्याँमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया।
- **महत्त्व:**
  - यह प्रजाति महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह मैंग्रोव वनों के स्वास्थ्य का जैव-संकेतक है, जो तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली जनगणना:

- यह जनगणना एक बिंदु गणना पद्धति (Point Count Method) का उपयोग करके आयोजित की गई थी, जहाँ पक्षियों को गिनने के लिये प्रत्यक्ष दृष्टि और चहकने की आवाज़ का उपयोग किया गया था।
- मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की जनगणना में कुल 179 अलग-अलग पक्षियों की गिनती की गई थी।
- भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर महिपुरा नदी के मुहाने के पास मैंग्रोव में इन पक्षियों की सबसे अधिक सघनता पाई गई।

भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र

हाल ही में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम युवा स्टार्टअप को शामिल करने एवं पहचानने हेतु YUVA पोर्टल लॉन्च किया गया है।

- इससे पहले "वन वीक - वन लैब" अभियान शुरू किया गया था। हरियाणा के करनाल में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला भी शुरू की गई, जो दिव्यांग लोगों को कौशल, कला और शिल्प के विभिन्न रूपों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।

नोट :

भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी हाल के विकास:

- **परिचय:**
  - हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात पर ज़ोर दिया कि कैसे भारत नवाचार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है।
  - वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index- GII) 2022 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 132 शीर्ष नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 40वें स्थान पर है।
- **भारतीय सांकेतिक भाषा एस्ट्रोलैब:**
  - भारतीय सांकेतिक भाषा एस्ट्रोलैब सांकेतिक भाषा में निर्देशात्मक वीडियो तक आभासी पहुँच प्रदान करके समावेशिता को बढ़ावा देती है और यह विशाल दूरबीन तथा दृश्य-श्रव्य सहायता सहित 65 उपकरणों से लैस है।
- **CSIR-NPL:**
  - वायुमंडलीय प्रदूषण की निगरानी के उद्देश्य से गैसों और वायुवाहित कणों के मानकीकरण के अतिरिक्त वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला [Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) - National Physical Laboratory (NPL)] ने भारतीय मानक समय (Indian Standard Time- IST) के संरक्षक के रूप में कार्य किया है जो सीज़ियम परमाणु घड़ियों और हाइड्रोजन मेसर्स से बने एक एटॉमिक टाइम स्केल के उपयोग से उत्पन्न होता है।
  - जीनोम से लेकर भू-विज्ञान, भोजन से लेकर ईंधन, खनिज़ों से लेकर सामग्री तक अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ CSIR प्रयोगशालाएँ भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में योगदान करती हैं।
  - NPL भविष्य के क्वांटम मानकों और आगामी तकनीकों को स्थापित करने के लिये बहु-विषयक अनुसंधान एवं विकास के साथ ही "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के तहत आयात विकल्प विकसित करती है तथा "कौशल भारत" कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करती है।
- **वन वीक - वन लैब अभियान:**
  - 'वन वीक - वन लैब' कार्यक्रम का उद्देश्य CSIR-NPL द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकों और सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रदान करना और छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना है।
    - दिल्ली-NCR के 180 स्कूलों को विभिन्न गतिविधियों के लिये NPL प्रयोगशालाओं से अवगत कराया गया है तथा भविष्य में इसमें और अधिक स्कूलों को शामिल किया जाएगा।
- **विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल (SHRI):**
  - SHRI कार्यक्रम के तहत कपास के धागों और कोरई घास के प्रयोग से बुनी या इंटरलेस से बनाई गई ध्वनिरोधी पट्टामदाई चटाई का निर्माण किया जाता है, ताकि कक्षाओं के साथ-साथ बाहरी शोर के खिलाफ इसका उपयोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो के रूप में किया जा सके।
    - इससे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली की इस पारंपरिक कला की मांग बढ़ सकती है।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान (IASST):**
  - IASST के वैज्ञानिकों ने बायोडिग्रेडेबल, बायोपॉलिमर नैनोकम्पोज़िट विकसित किया है जो सापेक्ष आर्द्रता का पता लगा सकता है और विशेष रूप से खाद्य उद्योग में स्मार्ट पैकेजिंग सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
- **नवाचारों के विकास और दोहन के लिये राष्ट्रीय पहल (NIDHI):**
  - यह स्टार्टअप्स के लिये एक एंड-टू-एंड (End to End) योजना है जिसका लक्ष्य पाँच वर्ष की अवधि में इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप्स की संख्या को दोगुना करना है।
- **राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार:**
  - यह कार्यक्रम उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम एनेबलर्स की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत करता है, जो नवाचार एवं प्रेरक प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करके आर्थिक गतिशीलता में योगदान देता है।

विद्युत चुंबकीय आयन साइक्लोट्रॉन तरंगें

वैज्ञानिकों ने भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री में ऐसी विद्युत चुंबकीय (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक) आयन साइक्लोट्रॉन (EMIC) तरंगों की पहचान की है, जो प्लाज़्मा तरंगों का ही एक रूप है और इनकी विशेषताओं का अध्ययन किया है।

- ये तरंगें ऐसे किलर इलेक्ट्रॉनों (इलेक्ट्रॉनों की गति प्रकाश की गति के करीब होती हैं, जो पृथ्वी ग्रह की विकिरण पट्टी बेल्ट का निर्माण करती हैं) की वर्षा/अवक्षेपण (Precipitation) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो अंतरिक्ष-जनित हमारी प्रौद्योगिकी/उपकरणों के लिये हानिकारक हैं।

नोट :

- यह अध्ययन निम्न कक्षाओं में स्थापित उपग्रहों पर विकिरण पट्टी/रेडिएशन बेल्ट में ऊर्जावान कणों के प्रभाव को समझने में सहायक बन सकता है।

विद्युत चुंबकीय आवेश साइक्लोट्रॉन तरंगें:

- EMIC तरंगें पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में पाई जाने वाली सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन हैं।
- ये तरंगें भूमध्यरेखीय अक्षांशों में उत्पन्न होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ उच्च अक्षांश आयनमंडल तक फैली होती हैं।
- अंतरिक्ष के साथ-साथ भू-आधारित मैग्नेटोमीटर दोनों में उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

मैग्नेटोस्फीयर:

- मैग्नेटोस्फीयर वह गुहा है जिसमें पृथ्वी स्थित है और सूर्य के प्रभाव से सुरक्षित रहती है।
- यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर पवन के बीच परस्पर क्रिया से निर्मित होता है, जो सूर्य से प्रवाहित होने वाले आवेशित कणों, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉन की एक सतत् धारा है।
  - पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसके बाह्य कोर में पिघले हुए लोहे की गति से उत्पन्न होता है।

मैग्नेटोमीटर:

- मैग्नेटोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और दिशा को मापने हेतु किया जाता है।
- इसका उपयोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, साथ ही अन्य खगोलीय पिंडों, जैसे ग्रहों, चंद्रमाओं, सितारों एवं आकाशगंगाओं के चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने हेतु किया जा सकता है।
- मैग्नेटोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकत्त्व के सिद्धांतों के आधार पर काम करते हैं।

प्लाज़्मा तरंगें:

- **परिचय:**
  - प्लाज़्मा तरंगें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो प्लाज़्मा के माध्यम से प्रसारित होती हैं, जो पदार्थ की एक अवस्था है।
    - प्लाज़्मा तब बनता है जब एक गैस को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है या मज़बूत विद्युत क्षेत्रों के अधीन किया जाता है जिससे इसके परमाणु आयनित हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वह इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं या प्राप्त कर लेते हैं और आवेशित कण बन जाते हैं।
  - दृश्यमान ब्रह्मांड में 99 प्रतिशत से अधिक पदार्थ में प्लाज़्मा होता है।
    - हमारा सूर्य, सौर हवा, ग्रहों के बीच का माध्यम, पृथ्वी के निकट क्षेत्र, मैग्नेटोस्फीयर और हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में सभी प्लाज़्मा शामिल हैं।
- **अनुप्रयोग:**
  - खगोल भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, प्लाज़्मा भौतिकी और संचार प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्लाज़्मा तरंगों के महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं।
    - उदाहरण के लिये वह औरोरा की पीढ़ी में शामिल है।
  - प्लाज़्मा तरंगों का अध्ययन हमें उन क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है जो हमारे लिये दुर्गम हैं, विभिन्न क्षेत्रों में द्रव्यमान और ऊर्जा का परिवहन करते हैं, कैसे वे आवेशित कणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तथा पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर की समग्र गतिशीलता को नियंत्रित करते हैं

पदार्थ की अन्य अवस्थाएँ:

- **विषय:**
  - पदार्थ की अवस्थाएँ विभिन्न भौतिक रूप हैं जिनमें पदार्थ अपने अद्वितीय गुणों जैसे- आकार, आयतन और कण व्यवस्था के आधार पर मौजूद हो सकते हैं।
  - पदार्थ की तीन सबसे अधिक ज्ञात अवस्थाएँ ठोस, तरल और गैस हैं।
    - इसके अतिरिक्त प्लाज़्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट के रूप में ज्ञात पदार्थ की दो कम सामान्य अवस्थाएँ हैं।
- **बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट:** यह पदार्थ की एक अवस्था है जो पूर्ण शून्य के करीब बहुत कम तापमान पर होती है। इसकी भविष्यवाणी पहली बार 1920 के दशक में अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी।

TeLEOS-2 उपग्रह

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के TeLEOS-2 उपग्रह को लॉन्च करने के लिये तैयार है।

- यह प्रक्षेपण इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle- PSLV) द्वारा किया जाएगा।
- यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के माध्यम से एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में TeLEOS-2 और सह-यात्री उपग्रह के रूप में Lumelite-4 है।

नोट :

TeLEOS-2 उपग्रह:

- **परिचय:**
  - TeLEOS-2 ST इंजीनियरिंग द्वारा विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका वज़न 741 किलोग्राम है और इसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार है जो 1 मीटर रिज़ॉल्यूशन में डेटा प्रदान करने में सक्षम है।
  - यह एक उच्च रिज़ॉल्यूशन कैमरे से युक्त है जो एक मीटर तक के ग्राउंड रिज़ॉल्यूशन के साथ छवि रिकॉर्ड कर सकता है।
- **उद्देश्य:**
  - TeLEOS-2 का प्राथमिक उद्देश्य शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण निगरानी सहित विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु पृथ्वी की सतह की उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी प्रदान करना है।
  - इस उपग्रह द्वारा सिंगापुर की स्मार्ट राष्ट्र पहल का सहयोग किये जाने की भी उम्मीद है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।

TeLEOS-2

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV):

- PSLV इसरो द्वारा विकसित अत्यधिक सक्षम तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। वर्षों से लगातार बेहतर प्रदर्शन के कारण इसे प्राय: "इसरो का वर्कहॉर्स" कहा जाता है।
  - PSLV में चार चरण हैं:
    - पहले चरण के ठोस रॉकेट मोटर में छह ठोस स्ट्रैप-ऑन बूस्टर जोड़े गए हैं।
    - दूसरा चरण एक पृथ्वी भंडारण योग्य तरल रॉकेट इंजन द्वारा संचालित है जिसे विकास इंजन कहा जाता है, जिसे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है।
    - तीसरा चरण एक ठोस रॉकेट मोटर है जो प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल को पार करने के बाद ऊपरी चरणों के लिये उच्च थ्रस्ट प्रदान करता है।
    - अंत में PSLV का सबसे ऊपरी चरण दो पृथ्वी-भंडारण योग्य तरल इंजनों से सुसज्जित है।
  - यह लिक्विड स्टेज से लैस पहला भारतीय लॉन्च व्हीकल है।
  - इस लॉन्च व्हीकल की सहायता से दो अंतरिक्षयान- वर्ष 2008 में चंद्रयान-1 और वर्ष 2013 में मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्षयान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया जिसने बाद में क्रमश: चंद्रमा और मंगल तक की यात्रा की।

इसरो और सिंगापुर के बीच पिछला अंतरिक्ष सहयोग:

- TeLEOS-1 सिंगापुर का एक वाणिज्यिक मिशन है। इसका उद्देश्य समय-संवेदी घटनाओं (Time-sensitive Events) की त्वरित प्रतिक्रिया में सहायता के लिये उच्च अस्थायी इमेज़री की सुविधाजनक पहुँच प्रदान करना है।
  - वर्ष 2015 में TeLEOS-1 के सफल प्रक्षेपण के बाद TeLEOS-2 इसरो द्वारा सिंगापुर के लिये लॉन्च किया गया दूसरा उपग्रह होगा।
    - यह सिंगापुर का पहला वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
- सिंगापुर में एक उपग्रह ग्राउंड स्टेशन के डिज़ाइन और विकास कार्य के रूप में इसरो और ST इंजीनियरिंग के बीच सहयोग से अंतरिक्ष से संबंधित अन्य परियोजनाओं का विकास भी हुआ है।

जगदीश चंद्र बोस

हाल ही में तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं ने पता लगाया है कि जल की आवश्यकता जैसी तनाव की स्थिति में पादप अल्ट्रासोनिक रेंज में विशिष्ट, उच्च-स्वर में आवाज़ें निकालते हैं।

- इस खोज को भारत के विख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के कार्यों के तार्किक विस्तार के रूप में देखा जाता है। पादपों द्वारा विभिन्न संवेदनाओं, यथा- हर्ष व दुख का अनुभव करने संबंधी उनका प्रदर्शन आधुनिक विज्ञान में उनके कार्यों की निरंतर प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है।

पादपों के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण योगदान:

- उन्होंने प्रदर्शित किया कि पादप भी पशुओं के समान सुख और दर्द का आभास कर सकते हैं।
- एक भौतिक विज्ञानी के रूप में उन्होंने अपने कौशल का उपयोग संवेदनशील उपकरणों के निर्माण में किया जो पादपों के सबसे सूक्ष्म संकेतों का भी पता लगा सकते थे।

नोट :

- उन्होंने जीव विज्ञान में पौधों की गति, भावनाओं और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया। उन्हें "भावनाओं" शब्द का उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है जिस तरह से पौधे स्पर्श करने के लिये प्रतिक्रिया करते हैं, हालाँकि कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि यह शब्दार्थ का विषय है।

जगदीश चंद्र बोस:

- **परिचय:**
  - इनका जन्म 30 नवंबर, 1858 को बंगाल में हुआ था। इनकी माता का नाम बामा सुंदरी बोस और पिता भगवान चंद्र थे।
  - वह एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट और भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जो पौधों की वृद्धि को मापने के लिये एक उपकरण है। उन्होंने पहली बार यह प्रदर्शित किया कि पौधों में भावनाएँ होती हैं।
- **शिक्षा:**
  - उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से BSc, जो वर्ष 1883 में लंदन विश्वविद्यालय से संबद्ध था और वर्ष 1884 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से B.A (प्राकृतिक विज्ञान ट्राइपोस) किया था।
- **वैज्ञानिक योगदान:**
  - वह एक जीव-विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी, वनस्पतिशास्त्री और साइंस फिक्शन के लेखक थे।
  - बोस ने वायरलेस संचार की खोज की और उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग द्वारा रेडियो साइंस के जनक के रूप में नामित किया गया।
  - बोस को व्यापक रूप से माइक्रोवेव रेंज में विद्युत चुंबकीय संकेतों को उत्पन्न करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है।
  - वह भारत में प्रयोगात्मक विज्ञान के विस्तार के लिये उत्तरदायी थे।
  - बोस को बंगाली साइंस फिक्शन का जनक माना जाता है। उनके सम्मान में चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है।
  - उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो भारत का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। वर्ष 1917 में स्थापित यह संस्थान एशिया में पहला अंत:विषय अनुसंधान केंद्र था।
- **पुस्तकें:**
  - उनकी पुस्तकों में रिस्पांस इन द लिविंग एंड नॉन-लिविंग (1902) और द नर्वस मैकेनिज़्म ऑफ प्लांट्स (1926) शामिल हैं।
- **मृत्यु:**
  - 23 नवंबर, 1937 को बिहार के गिरिडीह में उनका निधन हो गया।

सौराष्ट्र-तमिल संगमम

सौराष्ट्र-तमिल संगमम (Saurashtra-Tamil Sangamam) में लगभग 3,000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इस महोत्सव का उद्देश्य गुजरात और तमिलनाडु के दो तटीय राज्यों के बीच 'पुराने संबंधों' और सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करना है।

- सौराष्ट्र-तमिल संगमम, काशी-तमिल संगमम के समान है।

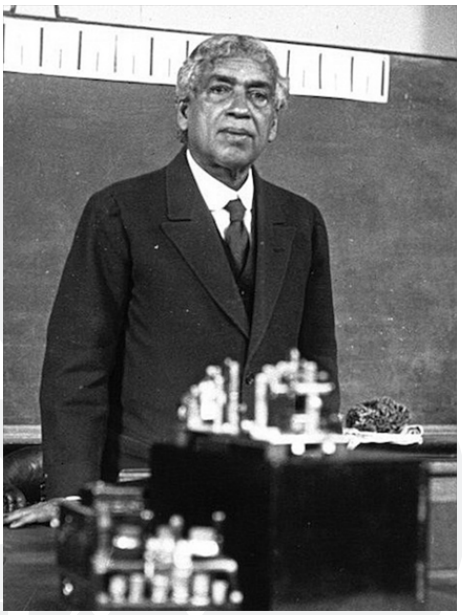

सौराष्ट्र-तमिल संगमम:

- **पृष्ठभूमि:**
  - सदियों पहले यानी 600-1000 वर्ष के बीच आक्रमणों ने कई लोगों को गुजरात में सौराष्ट्र से पलायन करने और मदुरै के आसपास के तमिलनाडु के ज़िलों में नई बस्तियाँ स्थापित करने के लिये मजबूर किया, जिसे अब तमिल सौराष्ट्रियन के रूप में जाना जाता है।
  - गुजराती मूल के लोग तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों जैसे- तिरुचि, तंजावुर, कुंभकोणम और सलेम में बस गए हैं, जिससे गुजरात और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंध मज़बूत हुए हैं।
- **महोत्सव की मुख्य विशेषताएँ:**
  - इस महोत्सव का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता और ताकत को उज़ागर करना तथा लोगों को तीर्थस्थलों एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ फिर से जोड़ना है।
  - यह महोत्सव गुजरात में सोमनाथ, द्वारका और केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे कई स्थानों पर आयोजित होगा।

नोट :

- **लोगो का महत्त्व:**
  - यह तमिल-सौराष्ट्र के लोगों की रेशमी कपड़े की विशेषज्ञता और गुजरात के कपड़ा उद्योग के विलय को दर्शाता है।
  - दो संस्कृतियों के संगम को सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्रियों की उत्पत्ति के स्थान और मदुरै के पास मीनाक्षी मंदिर, जहाँ वे बसे थे, के माध्यम से दर्शाया गया है।
  - डांडिया (गुजरात) और भरतनाट्यम (तमिलनाडु) के साथ नृत्य मुद्रा में एक युवती दो कला रूपों के संगम का प्रतीक है।
  - ऊपरी तीन रंग 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के संदेश को दर्शाता है, जबकि नीचे का नीला रंग दो राज्यों के समुद्र के साथ मिलन का प्रतीक है।

संगमम का महत्त्व:

- **सांस्कृतिक सुरक्षा:** यह सुरक्षा के अन्य रूपों की तरह ही महत्त्वपूर्ण है जैसे- सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा।
  - संगमम के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों और विरासत की रक्षा कर एक राष्ट्र की पहचान को बनाए रखने के लिये आवश्यक है और इसने भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को देखा है।
- **सामुदायिक भवन और सामाजिक सामंजस्य:** संगमम समुदाय को एक साथ आने, सामाजिक और सामुदायिक भावना का निर्माण करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
  - यह विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के मध्य एकता और घनिष्ठता की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही आपसी सम्मान, समझ एवं सद्भाव को भी बढ़ावा देता है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत:

- **परिचय:** इसे वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिये लॉन्च किया गया था ताकि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में आपसी समझ और बंधन को बढ़ाया जा सके, जिससे भारत की एकता व अखंडता मज़बूत होगी।
- **संबद्ध मंत्रालय:** यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
- **योजना के तहत गतिविधियाँ:** देश के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को एक समयावधि के लिये दूसरे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिसके दौरान वे भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

डिजिटल राजमार्ग

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India- NHAI) ने पूरे देश में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल (OFC) के बुनियादी ढाँचे विकसित करने की घोषणा की है।

- NHAI की योजना संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप है जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी के लिये सुरक्षित, सस्ती और सुलभ परिवहन प्रणाली तक पहुँच प्रदान करना है।

ऑप्टिक फाइबर केबल:

- **परिचय:**
  - फाइबर-ऑप्टिक केबल ट्यूब की तरह होते हैं जिनमें काँच अथवा प्लास्टिक से बने तार लगे होते हैं। वे विद्युत का उपयोग करने वाले नियमित तारों की तुलना में बहुत तेज़ी से सूचना प्रेषित/संचारित करने के लिये प्रकाश का उपयोग करते हैं।
  - ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली में संचरण के लिये धातु के तारों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसमें सिग्नल कम क्षति के साथ यात्रा करते हैं।
    - ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection- TIR) के सिद्धांत पर काम करता है।
  - TIR किसी माध्यम के भीतर प्रकाश की किरण का पूर्ण परावर्तन है जैसे जल या काँच की सतहों से प्रकाश की किरण माध्यम में वापस आ जाती है।
  - बड़ी मात्रा में डेटा संचारित करने हेतु प्रकाश किरणों का उपयोग किया जा सकता है (बिना किसी मोड़ के लंबे सीधे तार द्वारा)।
    - मुड़ने की स्थिति में ऑप्टिकल केबलों को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वे सभी प्रकाश किरणों को अंदर की ओर परावर्तित करें (TIR का उपयोग करके)।

नोट :

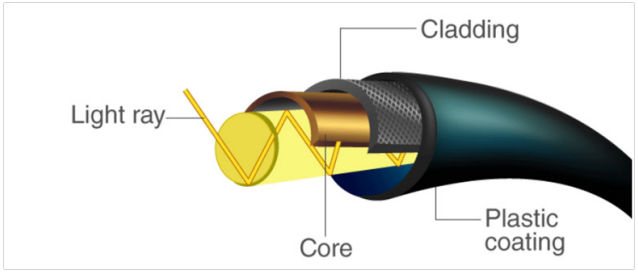

- **OFC नेटवर्क का विकास:**
  - OFC नेटवर्क को राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड (National Highways Logistics Management Limited- NHLML) द्वारा विकसित किया जाएगा, जो NHAI का पूर्ण स्वामित्त्व वाला विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle-SPV) है।
  - यह OFC बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ एकीकृत उपयोगिता गलियारों का निर्माण करके डिजिटल राजमार्गों का एक नेटवर्क स्थापित करेगा।
  - NHAI ने डिजिटल हाईवे के विकास के लिये दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगभग 1,367 किलोमीटर और हैदराबाद-बंगलूरू कॉरिडोर पर 512 किलोमीटर को पायलट रूट के रूप में चिह्नित किया है। देश भर के दूर-दराज़ के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला OFC नेटवर्क 5G और 6G जैसी नए जमाने की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के रोलआउट में तेज़ी लाने में मदद करेगा।

डिजिटल हाईवे:

- डिजिटल हाईवे या सड़कें डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो साझा सार्वजनिक और निजी सेवाएँ प्रदान करते हैं। वह डिज़ाइन, निर्माण, संचालन एवं उपयोग के संदर्भ में सामरिक सड़क नेटवर्क (SRN) को बेहतर बनाने के लिये डेटा, प्रौद्योगिकी तथा कनेक्टिविटी का उपयोग करते हैं। इसका परिणाम सभी के लिये सुरक्षित यात्रा, तेज़ डिलीवरी और बेहतर अनुभव होगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण:

- **परिचय:** NHAI की स्थापना NHAI अधिनियम, 1988 के तहत की गई थी।
- **उद्देश्य:** इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) के साथ-साथ विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिये अन्य छोटी परियोजनाओं को सौंपा गया है।
  - राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) भारत में प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर पर उन्नत, पुनर्व्यवस्थित और चौड़ा करने की एक परियोजना है। यह परियोजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी।
- **दृष्टिकोण:** NHAI का प्रमुख दृष्टिकोण वैश्विक मानकों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की व्यवस्था एवं अनुरक्षण के लिये राष्ट्र की आवश्यकता तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित महत्त्वपूर्ण नीतिगत ढाँचे के अंतर्गत अत्यंत समयबद्ध व लागत प्रभावी तरीके से प्रयोक्तता की आशाओं को पूरा करना और इस तरह लोगों की आर्थिक समृद्धि एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है।

ट्विटर की घृणास्पद आचरण नीति और डेडनेमिंग

हाल ही में ट्विटर ने अपनी उस घृणास्पद आचरण नीति को बदल दिया है, जो एक समय अपने मंच पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के गलत लिंग और पहचान को प्रतिबंधित करता था।

- इसने कई लोगों के बीच विवाद को जन्म दिया है जो मानते हैं कि एलोन मस्क के नेतृत्त्व में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हाशिये के समूहों के लिये सुरक्षा मानकों से समझौता किया जा रहा है।

ट्विटर की नीति में किये गए बदलाव:

- नीति को लेकर अध्ययन में कहा गया कि "हम दूसरों को बार-बार अपमान (Slurs), ट्रॉप (किसी शब्द या अभिव्यक्ति का आलंकारिक या लाक्षणिक उपयोग) या अन्य विषय-वस्तु के साथ लक्षित करने पर रोक लगाते हैं, जो एक संरक्षित श्रेणी के बारे में नकारात्मक या हानिकारक रूढ़िवादिता को अमानवीय, नीचा दिखाने या मज़बूत करने का इरादा रखता है। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लक्षित गलत लिंग या डेडनेमिंग शामिल हैं।
  - ट्विटर ने ट्रांसजेंडर्स के लिये इस सुरक्षा को हटा दिया है।
- अपनी "घृणास्पद आचरण नीति" को बदलने के अतिरिक्त ट्विटर ने घोषणा की है कि वह केवल कुछ ट्वीट्स पर चेतावनी लेबल लगाएगा जो घृणित आचरण के खिलाफ नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। पहले इन नियमों का उल्लंघन करने वाले ट्वीट्स को प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से हटा दिया जाता था।
  - इस परिवर्तन से प्लेटफॉर्म पर हानिकारक सामग्री में वृद्धि हो सकती है, जो हाशिये के समूहों की सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
- **आलोचकों का तर्क:**
  - ट्विटर पर हाशिये के समूहों की सुरक्षा के बारे में चिंता कई बार जताई गई है, कई आलोचकों का तर्क है कि एलोन मस्क के नेतृत्त्व में मंच कम सुरक्षित बन गया है।
  - आलोचकों का मानना है कि मंच अब उपयोगकर्त्ताओं को "ट्रोलिंग, राज्य-समन्वित गलत सूचना एवं बाल यौन शोषण" से नहीं बचा सकता है।

नोट :

डेडनेमिंग:

- डेडनेमिंग ट्रांस, नॉन-बाइनरी/लिंग द्विभाजन और/या जेंडर-एक्सपेंसिव व्यक्ति (ऐसे व्यक्ति जो लैंगिक रूढ़ियों को नहीं मानते) को जन्म के नाम या चुने हुए नाम को अपनाने से पहले उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले नाम से बुलाने की क्रिया है।
  - क्योंकि यह किसी व्यक्ति की पहचान की मान्यता रद्द कर देता है और ऐसी व्यक्तिगत जानकारी प्रकट कर सकता है जिसे संबद्ध व्यक्ति सार्वजनिक नहीं करना चाहता, यह प्रथा हानिकारक है।
- डेडनेमिंग काफी हानिकारक है क्योंकि किसी व्यक्ति के चुने हुए नाम अथवा उपनाम का उपयोग करने से इनकार करना ट्रांसफोबिया अथवा सिस-सेक्सिज़्म का एक रूप है, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को उत्पीड़न, भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है तथा यह अवसाद एवं आत्महत्या जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में भी योगदान देता है।

निंगालू ग्रहण

20 अप्रैल, 2023 को निंगालू ग्रहण देखा गया था। यह एक दुर्लभ 'संकर सूर्य ग्रहण' है, जो पृथ्वी सतह की वक्रता एवं वलयाकार सूर्य ग्रहण से पूर्ण सूर्य ग्रहण में परिवर्तन के कारण होता है।

- यह इससे पूर्व वर्ष 2013 में देखा गया था तथा अगली बार वर्ष 2031 में दिखाई देगा।

संकर सूर्य ग्रहण (Hybrid Solar Eclipse) से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- ऑस्ट्रेलिया, तिमोर-लेस्ते और इंडोनेशिया (पश्चिम पापुआ एवं पापुआ) में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था।
  - वहीं दक्षिण-पूर्व एशिया, ईस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और न्यूज़ीलैंड में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। यह भारत में नहीं देखा गया था।
- इसकी विशिष्टता ऐसी है कि इसे पहले से ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक हिस्से निंगालू के रूप में नामित किया गया है, जहाँ से ग्रहण सबसे अधिक देखा गया था।
  - निंगालू क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है।

सूर्य ग्रहण:

- **विषय:**
  - सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है जो तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुज़रता है, जिससे पृथ्वी की सतह पर एक छाया पड़ती है जिसके परिणामस्वरूप सूर्य अस्थायी रूप से ढक जाता है।
    - सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा की दो परछाइयाँ बनती हैं जिसे छाया (Umbra) तथा उपच्छाया (Penumbra) कहते हैं।
- **सूर्य ग्रहण के प्रकार:**
  - पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse): पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अँधेरा छा जाता है।
    - बेलीज़ बीड्स (Baily's Beads) इफेक्ट, जिसे डायमंड रिंग इफेक्ट के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी घटना है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण या कुंडलाकार सूर्य ग्रहण के दौरान होती है।
  - वलयाकार सूर्य ग्रहण: यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इस दौरान चंद्रमा, सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है और उसका केवल कुछ हिस्सा दिखाई देता है।
    - सूर्य इस तरह से ढका हुआ होता है कि सूर्य की वलय से केवल छोटा-सा वृत्ताकार प्रकाश का भाग दिखाई देता है। इस वलय को अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है।
  - आंशिक ग्रहण: यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुज़रता है लेकिन पूरी तरह से संरेखित नहीं होता है।
    - अत: सूर्य का केवल एक भाग ही ढका हुआ दिखाई देता है।
  - हाइब्रिड ग्रहण: हाइब्रिड सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुज़रते हुए सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, जिससे चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तथा पृथ्वी के कई हिस्से पूरी तरह अंधकारमय हो जाते हैं।
    - इसका अर्थ है कि कुछ पर्यवेक्षकों को प्रतीत होता है कि चंद्रमा ने सूर्य को पूरी तरह से ढका हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जबकि अन्य के अनुसार, चंद्रमा केवल आंशिक रूप से सूर्य को ढकता है और इसके परिणामत: एक वलयाकार सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है।

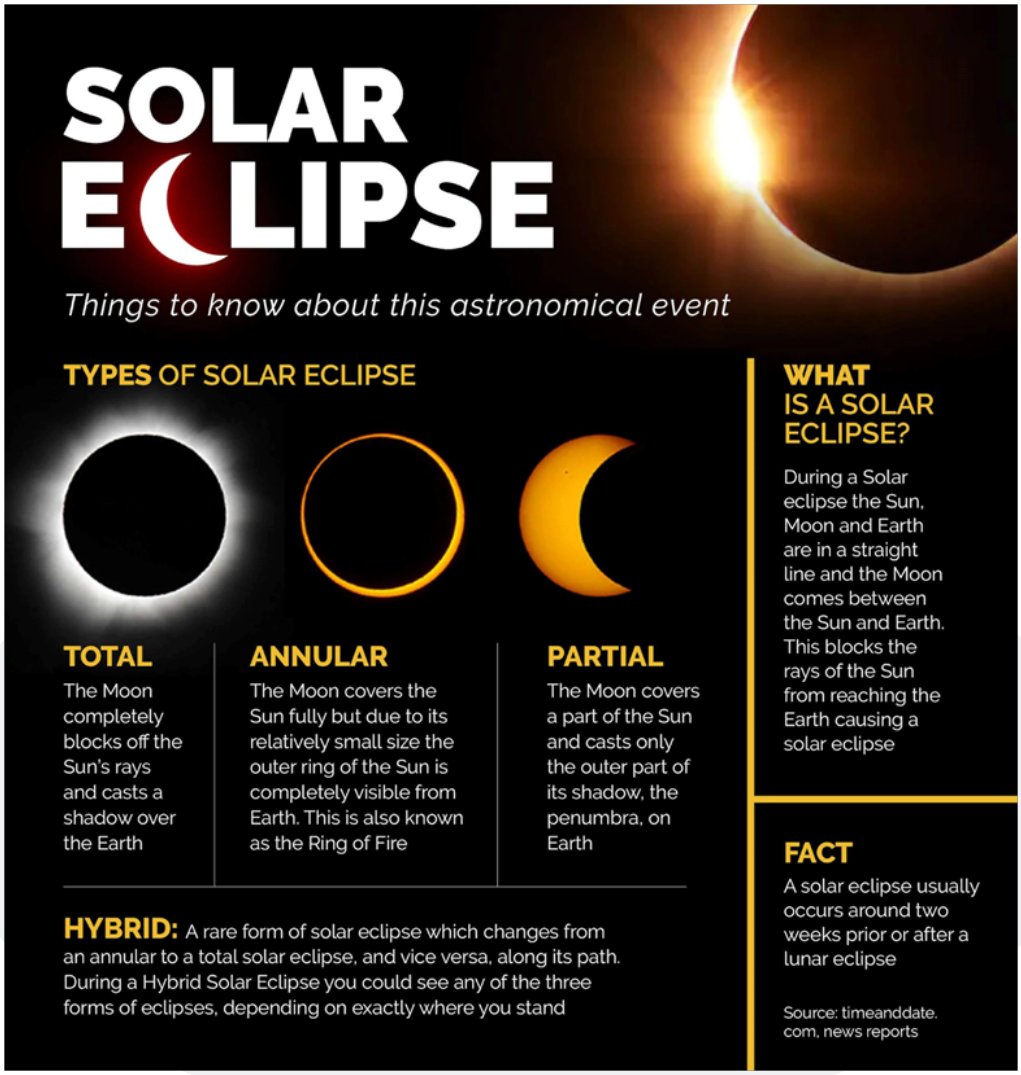

ऑफ-बजट देयताएँ

भारत सरकार ने राजकोषीय पारदर्शिता बढ़ाने हेतु वित्त वर्ष 2022 में ऑफ-बजट उधारी की अपनी प्रथा को समाप्त कर दिया और यह ऐसी शेष ऑफ-बजट देनदारियों के पूर्व-भुगतान करने की योजना बना रही है।

- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) और 15वें वित्त आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के ऑफ-बजट वित्तपोषण पर रोक लगा दी थी और केंद्र से इस पर सफाई देने का आग्रह किया था।

ऑफ-बजट देयताएँ:

- ऑफ-बजट देयताएँ सरकारी संस्थाओं द्वारा पारंपरिक बजट के बाहर सरकारी कार्यक्रमों एवं सब्सिडी के वित्तपोषण हेतु लिये गए ऋणों को संदर्भित करती हैं।
- ये एजेंसियाँ बॉण्ड के माध्यम से धन जुटाती हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करती हैं।
- क्योंकि केंद्र आधिकारिक तौर पर ऋण हेतु उत्तरदायी नहीं है, इसलिये ऋण राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं है। यह देश के राजकोषीय घाटे को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने में मदद करता है।
- वित्त वर्ष 2021 के अंत तक केंद्र के पास लगभग 6.7 ट्रिलियन रुपए ऑफ-बजट देयताएँ थीं।

नोट :

- केंद्र की बकाया बजट देनदारियों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु लगभग 49,000 करोड़ रुपए, विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये 20,164 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 12,300 करोड़ रुपए आदि शामिल हैं।

ऑफ-बजट देयताओं को खत्म करने के लिये सरकार के प्रयास:

- **प्रयास:**
  - भारत सरकार ने वित्त वर्ष 20 22 के बजट में राज्य द्वारा संचालित अभिकरणों के माध्यम से ऑफ-बजट ऋण लेने की अपनी प्रथा को समाप्त करके राजकोषीय पारदर्शिता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया।
  - सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) से 5 ट्रिलियन रुपए या अपनी ऑफ-बजट देनदारियों का 75% से अधिक लिया।
  - हालाँकि 1.7 ट्रिलियन रुपए की शेष ऑफ-बजट देनदारियाँ बॉण्ड धारकों की उच्च-उपज वाले बॉण्डों को छोड़ने की अनिच्छा के कारण समाप्त करने के लिये चुनौतीपूर्ण साबित हो रही हैं।
- **चुनौतियाँ:**
  - बॉण्ड धारक अपने हाई बॉण्ड को छोड़ने और बॉण्ड की शेष अवधि के लिये ब्याज़ आय को समाप्त करने के इच्छुक नहीं हैं।
    - निवेशक चिंतित हैं कि यदि वे प्रीपेमेंट ऑफर स्वीकार करते हैं तो उन्हें निवेश करने के लिये समान आकर्षक कूपन दरों वाले अन्य सुरक्षित और उच्च रेटेड बॉण्ड नहीं मिलेंगे।
  - इसके अतिरिक्त, बॉण्ड धारक आम तौर पर एक प्रीमियम या उच्च ब्याज दर की मांग करते हैं, जो बॉण्ड की अवशिष्ट अवधि में ब्याज आय के नुकसान की भरपाई करने के लिये उनसे वादा किया जाता है, यदि कोई जारीकर्त्ता अग्रिम भुगतान करना चाहता है।
- **ऑफ-बजट देनदारियों के निहितार्थ:**
  - वित्त वर्ष 2011 में सरकार के ऋण-से-जीडीपी को 15 साल में लगभग 61.6 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुँचाया।
  - सरकार के वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही हासिल करने के प्रयासों में बाधा डालना।
  - अन्य सरकारी कार्यक्रमों और सब्सिडी के वित्तपोषण के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचनात्मक ढाँचे के विकास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से पूंजी का उपयोग करना।
  - राज्य द्वारा संचालित एजेंसियों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के संचय में योगदान।

जल निकायों की पहली गणना

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने देश के जल संसाधनों के विषय में महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की।

- यह गणना भारत में जल स्रोतों की एक व्यापक सूची प्रदान करती है, जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताओं तथा अतिक्रमण के विभिन्न स्तरों को उजागर करती है।

जल निकायों की गणना:

- **परिचय:**
  - जल निकायों की गणना वर्ष 2017-18 के लिये छठी लघु सिंचाई संगणना के संयोजन में की गई थी।
  - यह एक जल निकाय को "सिंचाई या अन्य प्रयोजनों हेतु जल के भंडारण के लिये उपयोग किये जाने वाले चारों ओर से चिनाईयुक्त अथवा बिना चिनाई वाले प्राकृतिक या मानव निर्मित इकाइयों के रूप में" परिभाषित करता है।
  - इस गणना का उद्देश्य भारत के जल संसाधनों की एक सूची प्रदान करना है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकाय जैसे तालाब, टैंक, झील तथा बहुत कुछ शामिल हैं, और जल निकायों के अतिक्रमण पर डेटा एकत्र करना है।
- **गणना के प्रमुख निष्कर्ष:**
  - गणना में देश भर में कुल 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे अधिक (7.47 लाख) और सिक्किम सबसे कम (134) है।
  - रिपोर्ट से पता चलता है कि:
    - पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं।
  - पश्चिम बंगाल में जल निकायों के मामले में शीर्ष ज़िला दक्षिण 24 परगना है।
    - आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं।
    - तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं।
    - महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं में अव्वल है।
  - रिपोर्ट में बताया गया है कि 97.1 प्रतिशत जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल 2.9 प्रतिशत हैं।
  - अधिकांश जल निकाय तालाब हैं, इसके बाद टैंक, जलाशय, जल संरक्षण योजनाएँ, लीकेज टैंक, चेक डैम, झीलें और अन्य हैं।

नोट :

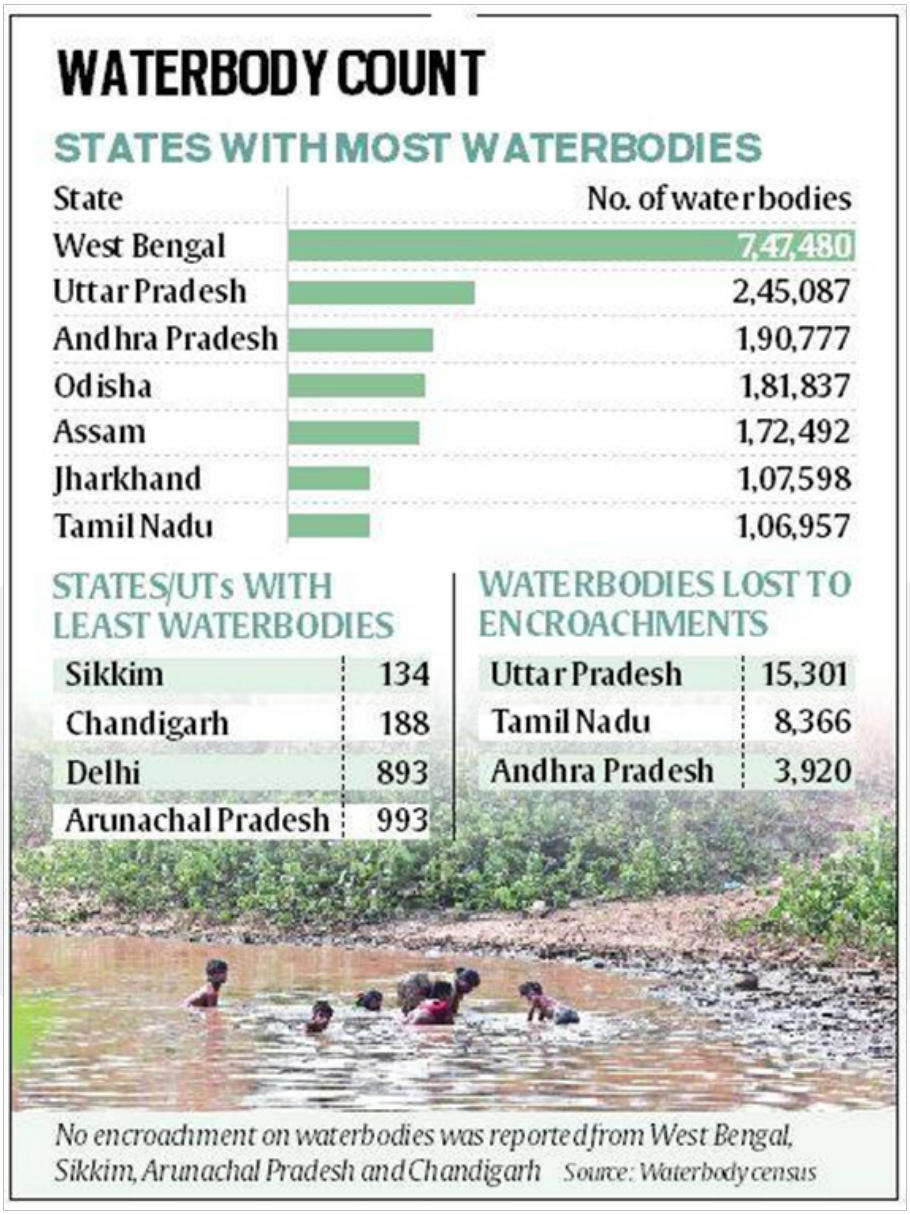

- **जलाशयों का अतिक्रमण:**
  - गणना ने पहली बार जल निकायों के अतिक्रमण पर डेटा एकत्र किया, जिससे पता चला कि सभी गणना किये गए जल निकायों में से 1.6 प्रतिशत पर अतिक्रमण किया गया है, जिसमें 95.4 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और शेष 4.6 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं।
    - अतिक्रमणों का एक महत्त्वपूर्ण प्रतिशत जलाशय के 75% से अधिक क्षेत्र को कवर करता है।
- **महत्त्व:**
  - गणना नीति निर्माताओं को जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिये महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है।
  - यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताओं और अतिक्रमण को रोकने के लिये प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
  - गणना में एकत्र किया गया डेटा भारत के जल संसाधनों के भविष्य के आकलन के लिये आधार रेखा के रूप में काम कर सकता है, जो स्थायी जल प्रबंधन की दिशा में परिवर्तन और प्रगति की निगरानी में मदद करता है।

नोट :

जेनेटिक मार्कर और प्रीटर्म बर्थ

हाल ही में गर्भ-इनी कार्यक्रम (Garbh-Ini program) पर शोध कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों ने समय से पहले जन्म (प्रीटर्म बर्थ) से जुड़े 19 जेनेटिक/आनुवंशिक मार्करों की पहचान की है जो नवजात शिशु मृत्यु (जन्म के बाद पहले 28 दिनों में जीवित नवजात शिशुओं की मृत्यु) और विश्व स्तर पर जटिलताओं का एक प्रमुख कारण है।

- प्रीटर्म बर्थ/अपरिपक्व जन्म से जुड़े आनुवंशिक मार्करों की पहचान उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की भविष्यवाणी करने और उनकी बारीकी से निगरानी करने में मदद कर सकती है, जिससे मातृ और नवजात संबंधी परिणामों में सुधार किया जा सकता है।

प्रीटर्म बर्थ

- **परिचय:**
  - सामान्य गर्भावधि से पहले होने वाले शिशु जन्म, प्रीटर्म बर्थ कहा जाता है, गर्भधारण के 37 सप्ताह पूरे होने से पहले बच्चे के जन्म को संदर्भित करता है। गर्भकालीन आयु के आधार पर अपरिपक्व जन्म की उप-श्रेणियाँ हैं:
    - अत्यधिक अपरिपक्व (28 सप्ताह से कम)
    - बहुत अपरिपक्व (28 से 32 सप्ताह)
    - मध्यम से देर से अपरिपक्व (32 से 37 सप्ताह)।
  - यह एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है, विशेष रूप से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में, और शिशुओं में देरी से मानसिक तथा शारीरिक विकास एवं वयस्कता में बीमारियों के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है।
  - विश्व स्तर पर, प्रत्येक 10 जन्मों में से प्रीटर्म होता है।
    - इसके अलावा, भारत में प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले सभी बच्चों में से लगभग 13% प्रीटर्म होते हैं। विश्व स्तर पर, भारत में प्रीटर्म का प्रतिशत 23.4 है।
- **मृत्यु:**
  - गर्भावस्था के 37 सप्ताह के बाद जन्म लेने वालों की तुलना में समय पूर्व जन्म लेने वाले बच्चों में जन्म के बाद मृत्यु का खतरा दो से चार गुना अधिक होता है।
  - जब ये बच्चे वयस्क हो जाते हैं, तो उन्हें टाइप-2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी बीमारियों का भी अधिक खतरा होता है।

जेनेटिक मार्कर (Genetic Markers):

- **परिचय:**
  - आनुवंशिक संकेतक/जेनेटिक मार्कर, जिन्हें DNA संकेतक या आनुवंशिक प्रकार के रूप में भी जाना जाता है, DNA के विशिष्ट खंड हैं जो विशेष लक्षणों, विशेषताओं या स्थितियों से जुड़े होते हैं।
  - जेनेटिक मार्कर या तो DNA अनुक्रम या DNA अनुक्रम में विशिष्ट भिन्नताएँ हो सकते हैं, जैसे एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता (Single Nucleotide Polymorphisms- SNP), जो आनुवंशिक मार्कर का सबसे सामान्य प्रकार है।
- **महत्त्व:**
  - उनका उपयोग आनुवांशिकी अनुसंधान और नैदानिक अभ्यास में आनुवंशिक विविधताओं की पहचान एवं अध्ययन करने हेतु किया जाता है जो कि बीमारियों, विकारों या अन्य जैविक लक्षणों से जुड़ी हो सकती हैं।
  - ये SNP महत्त्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं जैसे, कि सूजन, एपोप्टोसिस, गर्भाशय ग्रीवा परिपक्वता, टेलोमेयर रख-रखाव, सेलेनोसिस्टीन जैव-संश्लेषण, मायोमेट्रियल संकुचन एवं जन्मजात प्रतिरक्षा को विनियमित करने हेतु जाने जाते हैं।

गर्भ-इनि:

- इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन बर्थ आउटकम्स-डीबीटी इंडिया इनिशिएटिव (गर्भ-इनि) को जैवप्रोद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology- DBT) द्वारा वर्ष 2014 में एक सहयोगी अंत:विषय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था।
- इस कार्यक्रम का नेतृत्व ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (THSTI), NCR बायोटेक क्लस्टर, फरीदाबाद कर रहा है।
- इसका उद्देश्य प्रीटर्म के जैविक और गैर-जैविक जोखिमों को स्पष्ट करना है ताकि महत्त्वपूर्ण ज्ञान-संचालित हस्तक्षेप और प्रौद्योगिकियाँ बनाई जा सकें जिन्हें इस बीमारी के लिये नैदानिक अभ्यास तथा समुदाय में स्थायी रूप से लागू किया जा सके।

स्टारशिप

हाल ही में SpaceX ने मानव रहित परीक्षण मिशन के तहत सुपर हैवी रॉकेट से स्टारशिप क्रूज़ वेसल लॉन्च किया। हालाँकि अपर स्टेज स्टारशिप का लोअर स्टेज सुपर हैवी से अलग नहीं हो पाने के कारण स्टारशिप में विस्फोट हो गया।

- SpaceX एलोन मस्क द्वारा वर्ष 2002 में स्थापित एक निजी कंपनी है।

स्टारशिप प्रोजेक्ट:

- SpaceX का यह अंतरिक्षयान और सुपर हैवी रॉकेट, जिसे संयुक्त रूप से स्टारशिप के रूप में जाना जाता है, पूरी तरह से पुन: प्रयोज्य परिवहन प्रणाली पर बना हुआ है जिसे कर्मी दलों और कार्गो दोनों को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और उससे आगे तक ले जाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

नोट :

- इसमें "एक्स्पेंडेबल मोड" में 250 मीट्रिक टन तक और "पूरी तरह से पुन: प्रयोज्य/रियूज़ेबल" मोड में 150 मीट्रिक टन तक के पेलोड के परिवहन की क्षमता है।

- स्टारशिप सुपर हैवी रैप्टर इंजनों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित है, जिनमें तरल मीथेन (CH4) और तरल ऑक्सीजन (LOX) का उपयोग किया जाता है।
  - कुल 33 रैप्टर इंजन पहले चरण के बूस्टर को शक्ति प्रदान करते हैं।
- पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्टारशिप अंतरिक्षयान में ईंधन भरने के लिये टैंकर वाहनों (अनिवार्य रूप से स्टारशिप अंतरिक्षयान माइनस द विंडो) का उपयोग किया जाता है।
- स्टारशिप के विकास और निर्माण का कार्य स्टारबेस में होता है, यह ऑर्बिटल मिशन के लिये डिज़ाइन किये गए विश्व के पहले वाणिज्यिक स्पेसपोर्ट में से एक है।

Space X के अन्य प्रोजेक्ट्स:

- **फाल्कन 9:**
  - फाल्कन 9 एक पुन: प्रयोज्य, दो चरणीय रॉकेट है जो लोगों और पेलोड को पृथ्वी की कक्षा एवं उससे आगे विश्वसनीय तथा सुरक्षित तरीके ले जाने में सक्षम है।
- **फाल्कन हैवी:**
  - SpaceX का दावा है कि फाल्कन हैवी विश्व के किसी भी राकेट की तुलना में दो गुना शक्तिशाली है।
  - यह तीन फाल्कन 9 नाइन-इंजन कोर से बना है, जिसके 27 मर्लिन इंजन एक साथ मिलकर लिफ्टऑफ के लिये 5 मिलियन पाउंड से अधिक का थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं।
    - मर्लिन इंजन एक रॉकेट ग्रेड केरोसिन (RP-1) और तरल ऑक्सीजन का उपयोग गैस-जनरेटर शक्ति चक्र में रॉकेट प्रणोदक के रूप में करता है।
- **स्टारलिंक और स्टारशील्ड:**
  - स्टारलिंक विश्व भर में हाई-स्पीड, लो-लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करता है।
    - इसकी हाई-स्पीड, लो-लेटेंसी सर्विस पृथ्वी के चारों ओर निचली कक्षा में संचालित अत्यधिक उन्नत उपग्रहों के माध्यम से संभव हो पाई है जो विश्व के सबसे बड़े समूह में से एक है।
  - स्टारशील्ड राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों का समर्थन करने के लिये स्टारलिंक प्रौद्योगिकी और प्रक्षेपण क्षमता का लाभ उठाता है।
    - स्टारशील्ड को सरकारी उपयोग के लिये डिज़ाइन किया गया है, जबकि स्टारलिंक को उपभोक्ता और व्यावसायिक उपयोग के लिये डिज़ाइन किया गया है।

अंतरिक्ष के व्यावसायीकरण में भारत के प्रयास:

- स्काईरूट की विक्रम एस सीरीज और धवन इंजन
- ड्राफ्ट स्पेसकॉम पॉलिसी 2020
- इन-स्पेस
- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)
- भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA)
- एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ACL)

हक्की पिक्की जनजाति समुदाय

कर्नाटक के हक्की पिक्की जनजाति समुदाय के 181 से अधिक सदस्य हिंसा प्रभावित सूडान में फँसे हुए हैं।

हक्की पिक्की जनजाति की विशेषताएँ:

- **परिचय:**
  - हक्की पिक्की एक अर्द्ध-घुमंतू जनजाति है जो परंपरागत रूप से पक्षियों को पकड़ती है और उनका शिकार करती है तथा पश्चिम एवं दक्षिण भारत के वन क्षेत्रों में निवास करती है।
  - यह कर्नाटक की एक अनुसूचित जनजाति है और ऐतिहासिक दृष्टि से राणा प्रताप सिंह के साथ इनका पैतृक संबंध माना जाता है।
- **उत्पत्ति:**
  - हक्की पिक्की जनजाति की उत्पत्ति का स्थान गुजरात और राजस्थान माना जाता है जो आंध्र प्रदेश से होते हुए दक्षिण भारत तक पहुँच गए।
  - इस जनजाति को चार कुलों में बाँटा गया है और कर्नाटक में इनकी आबादी 11,892 है।
    - इस जनजाति के गुजराथीओ (Gujrathioa), कालीवाला (Kaliwala), मेवाड़ा (Mewara) और पनवारा (Panwara) चार वंश हैं।
- **समाज:**
  - इस जनजाति के बीच शादी की सामान्य उम्र महिलाओं के लिये 18 वर्ष और पुरुषों के लिये 22 वर्ष है तथा अंतरावंशीय विवाह को प्राथमिकता दी जाती है।
    - यह समाज मातृसत्तात्मक है और मोनोगैमी आदर्श है।
  - कर्नाटक में हक्की पिक्की हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं और सभी हिंदू त्योहार मनाते हैं।
  - हक्की पिक्की के बीच शिक्षा का स्तर अभी भी कम है।

नोट :

- **आजीविका:**
  - हक्की पिक्की अपनी आजीविका के लिये मुख्य रूप से वनों के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।
  - सख्त वन्यजीव संरक्षण कानूनों के कारण इस जनजाति को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिस कारण शिकार करने के अपने व्यवसाय को छोड़कर उन्होंने स्थानीय मंदिरों में लगने वाले मेलों में हर्बल तेल, मसाले और प्लास्टिक के फूल बेचना शुरू कर दिया।
- **अफ्रीका में प्रवास:**
  - हाल के वर्षों में हक्की पिक्की जनजाति के सदस्य अपने उत्पादों को बेचने हेतु अफ्रीकी देशों की यात्रा करते रहे हैं क्योंकि इस महाद्वीप में आयुर्वेदिक उत्पादों की भारी मांग है।
  - अफ्रीकी देशों के बाज़ारों में बेहतर अवसर उपलब्ध होने के कारण कच्चे संसाधनों जैसे- हिबिस्कस पाउडर, तेल निष्कर्षण, आँवला, आयुर्वेदिक पौधों आदि में निवेश से उच्च रिटर्न प्राप्त होने की संभावना है।

इन्फोग्रफिक: भारत में प्रमुख जनजातियाँ

सूडान में हिंसा का कारण:

- इस देश में हाल ही में दो बलों- सूडान सशस्त्र बल (SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के बीच तनावपूर्ण माहौल के कारण हिंसा देखी गई।
- गैर-सैनिक अधिकारियों को सत्ता सौंपने हेतु सेना के साथ एक राजनीतिक समझौते के रूप में राष्ट्रीय सेना में बलों के विलय के बारे में वार्ता चल रही थी।
  - सेना के भीतर कट्टर गुट शामिल होने के कारण तनाव उत्पन्न हो गया, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया।

नोट :

PSLV C55 तथा TeLEOS-2 उपग्रह

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization- ISRO/इसरो) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle- PSLV) -C55/TeLEOS-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।

PSLV C55/TeLEOS-2 मिशन:

- **परिचय:**
  - यह PSLV की 57वीं उड़ान है और PSLV कोर अलोन कॉन्फिगरेशन (PSLV-CA) का उपयोग करने वाला 16वाँ मिशन है।
  - यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के माध्यम से समर्पित वाणिज्यिक मिशन है, जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में TeLEOS-2 और सह-यात्री उपग्रह के रूप में Lumelite-4, दोनों सिंगापुर से संबंधित हैं।
  - वैज्ञानिकों ने PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-2 (POEM-2) का उपयोग इसके द्वारा किये गए गैर-पृथक पेलोड के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोगों को करने हेतु एक कक्षीय मंच के रूप में किया।
- **TeLEOS-2:**
  - यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (Earth Observation Satellite- EOS) है और रॉकेट द्वारा ले जाया जाने वाला प्राथमिक उपग्रह होगा।
    - वर्ष 2015 में ISRO ने TeLEOS-1 लॉन्च किया, जिसे रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के लिये पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया था। इसरो अब तक सिंगापुर के नौ उपग्रहों का प्रक्षेपण कर चुका है।
  - TeLEOS-2 में एक सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) पेलोड है जो 1m पूर्ण-ध्रुवीयमितीय रिज़ॉल्यूशन (full-polarimetric resolution) पर इमेजिंग में सक्षम है। यह सभी मौसमों में दिन और रात में कवरेज प्रदान करने में सक्षम होगा।
    - SAR एक प्रकार की सक्रिय रडार इमेजिंग तकनीक है जिसमें लक्ष्य क्षेत्र की हाई-रिज़ॉल्यूशन 3D छवि प्राप्त करने के लिये रडार एंटीना की गति का उपयोग किया जाता है।

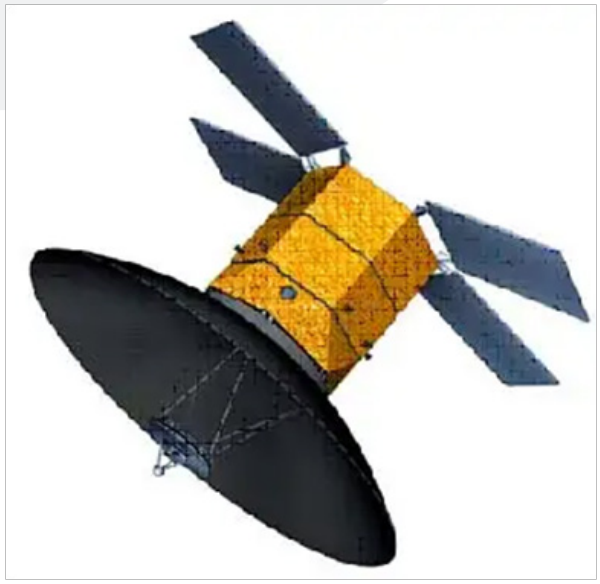

नोट :

- **LUMILITE-4:**
  - यह एक उन्नत 12U उपग्रह है जिसे उच्च-प्रदर्शन अंतरिक्ष-जनित VHF डेटा एक्सचेंज सिस्टम (VDES) के तकनीकी प्रदर्शन के लिये विकसित किया गया है।
    - "12U" क्यूबसैट हेतु एक मानकीकृत कारक आकृति को संदर्भित करता है, जो मॉड्यूलर डिज़ाइन वाले छोटे उपग्रह होते हैं।
    - 12U फॉर्म फैक्टर में क्यूबसैट 24 x 24 x 36 सेमी. का होता है और इसका आयतन 20.7 लीटर होता है।
  - इसका उद्देश्य सिंगापुर की ई-नेविगेशन समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और वैश्विक शिपिंग समुदाय को लाभ पहुँचाना है।
  - यह TeLEOS-2 के साथ भेजा जा रहा सह-यात्री उपग्रह है।

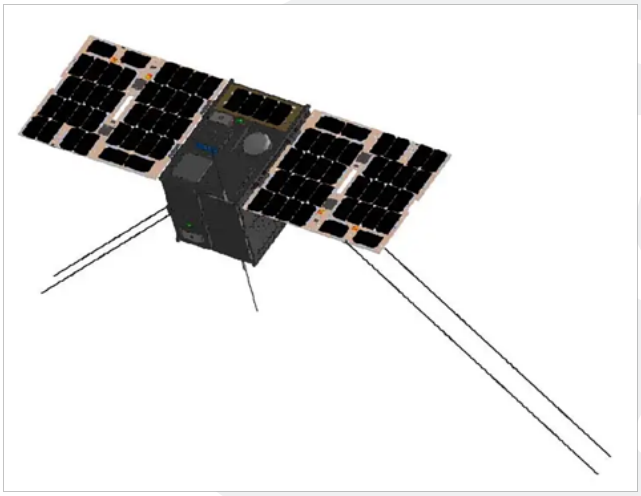

POEM:

- POEM इसरो (ISRO) का एक प्रायोगिक मिशन है जो PSLV प्रक्षेपण यान के चौथे चरण के दौरान कक्षीय मंच के रूप में कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग करता है।
  - PSLV एक चार चरणों वाला रॉकेट है जहाँ पहले तीन चरण के भाग वापस समुद्र में गिर जाते हैं, और अंतिम चरण (PS4) - उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने के बाद अंतरिक्ष कबाड़ के रूप में समाप्त हो जाता है।
- POEM में व्यवहार स्थिरीकरण के लिये एक समर्पित नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल (NGC) प्रणाली है, जो अनुमत सीमा के अंदर किसी भी एयरोस्पेस वाहन के उन्मुखीकरण को नियंत्रित करने के लिये है।
- NGC निर्दिष्ट सटीकता के साथ इसे स्थिर करने के लिये मंच के रूप में कार्य करेगा।

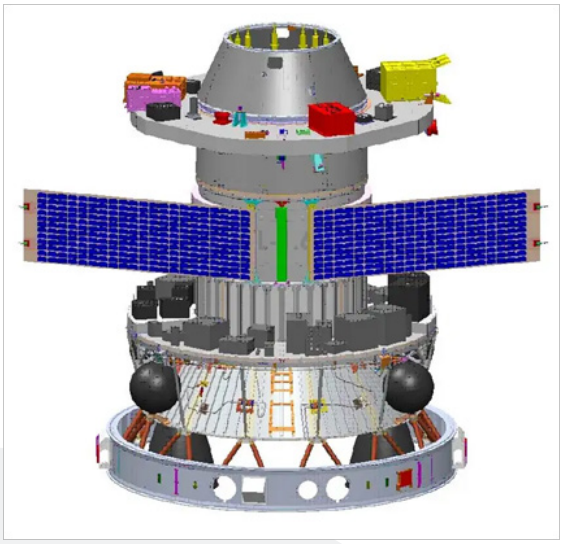

भारत के लड़ाकू विमान

विश्व की सबसे बड़ी वायु सेना में से एक भारतीय वायु सेना (IAF) को अपने बेड़े के आधुनिकीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खरीद में देरी के कारण इसके लड़ाकू स्क्वाड्रनों की कमी हो गई है।

- IAF के एक प्रतिनिधि ने रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया है कि IAF के पास 42 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले केवल 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं।

लड़ाकू स्क्वाड्रन:

- **परिचय:**
  - लड़ाकू स्क्वाड्रन एक सैन्य इकाई है जिसमें लड़ाकू विमान और उन्हें उड़ाने वाले पायलट शामिल होते हैं।
    - यह वायु सेना का एक मूलभूत घटक है और युद्ध क्षेत्र में हवाई संचालन करने के लिये ज़िम्मेदार है।
  - एक विशिष्ट लड़ाकू स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं।
  - ये किसी भी आधुनिक वायु सेना के आवश्यक घटक होते हैं और हवाई श्रेष्ठता और ज़मीनी हमले सहित कई प्रकार के मिशनों के रूप में कार्य करते हैं।
- **कमी का कारण:**
  - खरीद में देरी इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू जेट पुराने हो चुके हैं और उन्हें बदलने की ज़रूरत है।
- **लड़ाकू विमानों की खरीद की स्थिति:**
  - भारत के पास 500 से अधिक लड़ाकू विमान हासिल करने की महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिनमें से अधिकांश भारतीय वायुसेना के लिये हैं।

नोट :

- इनमें से कई जेट अभी भी विकास के विभिन्न चरणों में हैं और उनका निर्माण एवं समय पर डिलीवरी करना महत्त्वपूर्ण हैं।

- IAF ने कुल मिलाकर 272 SU-30 के लिये अनुबंध किया है।
- दुर्घटनाओं में खोए हुए विमानों की प्रतिपूर्ति हेतु 12 अतिरिक्त SU-30MKI विमान और रूस से 21 अतिरिक्त MIG-29 खरीदने का सौदा अभी अटका हुआ है, हालाँकि भारतीय एवं रूसी दोनों वायुसेना अधिकारियों का कहना है कि इसमें केवल देरी हुई है लेकिन यह ट्रैक पर है।

भारत के पास विभिन्न प्रकार के विमान:

- **हल्के लड़ाकू विमान (LCA):**
  - इन्हें पुराने मिग 21 लड़ाकू विमानों को प्रतिस्थापित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अधीन वैमानिकी विकास अभिकरण (Aeronautical Development Agency- ADA) द्वारा विकसित।
  - हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित।
  - अपनी श्रेणी का सबसे हल्का, सबसे छोटा और बिना पूँछ वाला (Tailless) बहुपयोगी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान।
  - हवा-से-हवा, हवा-से-सतह, सटीक निर्देशित हथियारों को वहन करने में सक्षम।
  - हवा-से-हवा में ईंधन भरने की क्षमता, 4000 किलोग्राम की अधिकतम पेलोड क्षमता, 1.8 मैक की अधिकतम गति और 3000 किमी. की रेंज।
- **बहुपयोगी लड़ाकू विमान (MRFA):**
  - हवा-से-हवा में युद्ध, हवा-से-सतह पर हमला और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे विभिन्न मिशनों को करने के लिये अभिकल्पित।
  - IAF सोवियत काल के मिग-21 के पुराने बेड़े को प्रतिस्थापित करने हेतु 114 MRFA की खरीद योजना पर काम कर रहा है।
  - यह खरीद मेक इन इंडिया पहल के तहत की जाएगी।
  - चयनित विक्रेता को भारत में एक उत्पादन लाइन स्थापित कर स्थानीय भागीदारों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करनी होगी।
- **मिग-21:**
  - 1950 के दशक में तत्कालीन USSR द्वारा डिज़ाइन किये गए सुपरसोनिक जेट लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान।
    - इतिहास में अब तक का सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला लड़ाकू विमान, जिसकी 11,000 से अधिक यूनिट्स तैयार की गई हैं और 60 से अधिक देशों द्वारा इनका संचालन किया जा रहा है।
  - IAF ने वर्ष 1963 में अपना पहला मिग-21 हासिल किया और तब से विमान के 874 वेरिएन्ट्स को IAF में शामिल किया है।
  - भारत से जुड़े कई युद्धों और संघर्षों में इसने भाग लिया है। कई दुर्घटनाओं में शामिल होने कारण इसे "फ्लाइंग कॉफिन" उपनाम दिया गया।
  - IAF की योजना वर्ष 2024 तक मिग -21 को चरणबद्ध तरीके से हटाने और इनके स्थान पर अधिक आधुनिक लड़ाकू विमानों को शामिल करने की है।
- **उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA):**
  - IAF और भारतीय नौसेना के लिये 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ, बहुपयोगी लड़ाकू विमान विकसित करने हेतु एक भारतीय कार्यक्रम।
  - हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) तथा अन्य सार्वजनिक एवं निजी भागीदारों के सहयोग से DRDO के अधीन ADA द्वारा इसे अभिकल्पित और विकसित किया गया।
  - इसके स्टील्थ एयरफ्रेम, आंतरिक हथियार बेड़ा, उन्नत सेंसर, डेटा फ्यूज़न, सुपरक्रूज़ क्षमता और स्विंग-रोल प्रदर्शन जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होने की उम्मीद है।
  - इसकी शुरुआत सुखोई Su-30MKI के उत्तराधिकारी के रूप में वर्ष 2008 में हुई।
    - इसकी पहली उड़ान वर्ष 2025 में होने की योजना है और उत्पादन वर्ष 2030 के बाद शुरू होने की आशा की जा रही है।
- **सुखोई Su-30MKI:**
  - दोहरे इंजन और दो सीटों वाला बहुपयोगी लड़ाकू विमान जिसे रूस के सुखोई द्वारा विकसित किया गया है तथा IAF के लिये भारत के HAL को प्राप्त लाइसेंस के तहत बनाया गया है।
  - वर्ष 2002 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और कई संघर्षों एवं अभ्यासों में तैनात किया गया।
- **दोहरे इंजन वाले डेक-आधारित फाइटर (TEDBF):**
  - नौसेना के मिग-29K को प्रतिस्थापित करने के लिये निर्मित।
  - समर्पित वाहक-आधारित संचालन के लिये भारत में पहली दोहरे इंजन वाली विमान परियोजना।
  - मुख्य रूप से स्वदेशी हथियारों से युक्त।
  - अधिकतम गति 1.6 मैक, सर्विस सीलिंग 60,000 फीट, अधिकतम टेकऑफ वज़न 26 टन, अनफोल्डेड विंग।

नोट :

- **राफेल:**
  - यह फ्रेंच जुड़वाँ इंजन और मल्टीरोल लड़ाकू विमान है।
  - भारत ने वर्ष 2016 में 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल जेट खरीदे।
  - हवाई वर्चस्व, अंतर्विरोध, हवाई टोही, ज़मीनी समर्थन, सटीक हमले, जहाज़-रोधी हमले और परमाणु प्रतिरोध मिशन हेतु सुसज्जित।
  - राफेल जेट के हथियारों के पैकेज में Meteor मिसाइल, स्कैल्प क्रूज़ मिसाइल और MICA मिसाइल प्रणाली शामिल हैं।
    - Meteor मिसाइल, दृश्य क्षमता से परे हवा-से-हवा मिसाइल की अगली पीढ़ी है, जिसे हवा-से-हवा में मार करने वाली युद्ध में क्रांति लाने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो 150 किमी. दूर से दुश्मन के विमानों को लक्षित करने में सक्षम है।
    - SCALP क्रूज़ मिसाइलें 300 किमी. दूर के लक्ष्यों को मार सकती हैं, जबकि MICA मिसाइल प्रणाली एक बहुमुखी वायु-से-वायु में मार करने वाली मिसाइल है, जो 100 किमी. दूर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है।
  - इसके संचालन में 30,000 घंटे की उड़ान की क्षमता है।

नोट:

- हालिया पहल में भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत, INS विक्रांत, सितंबर 2022 में कमीशन किया गया था जो वर्तमान में शुरू होने की प्रक्रिया में है।
- हाल ही में भारत के स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान (Light Combat Aircraft- LCA) के नौसैनिक संस्करण ने INS विक्रांत पर अपनी पहली लैंडिंग की।

लघु बचत योजनाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा जारी गणना के अनुसार, पिछली तीन तिमाहियों में कई लघु बचत योजनाओं (Small Savings Instruments- SSI) पर ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद ऐसी कुछ योजनाओं पर प्रतिलाभ अभी भी काफी कम है जो लाभार्थियों को मिलना चाहिये।

लघु बचत योजनाएँ/साधन:

- **परिचय:**
  - लघु बचत साधन व्यक्तियों को विशेष अवधि में अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं।
  - वे भारत में घरेलू बचत का प्रमुख स्रोत हैं।
  - सभी छोटी बचत योजनाओं से संग्रह को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (National Small Savings Fund- NSSF) में जमा किया जाता है।
- **वर्गीकरण:**
  - लघु बचत योजनाओं के वर्ग में 12 साधन शामिल हैं जिन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
    - डाक जमा: इसमें बचत खाता, आवर्ती जमा, अलग-अलग परिपक्वता की सावधि जमा और मासिक आय योजना शामिल है।
    - बचत प्रमाणपत्र: राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाणपत्र (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP)।
    - सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)।
- **लघु बचत योजनाओं की दरें:**
  - लघु बचत योजनाओं की दरों की घोषणा तिमाही आधार पर की जाती है।
  - सैद्धांतिक रूप से यह परिपक्वता के सरकारी प्रतिभूति/G-Sec के प्रतिफल पर आधारित होती है लेकिन कई बार राजनीतिक कारक भी दर परिवर्तन को प्रभावित करते हैं।
  - लघु बचत योजना पर गठित श्यामला गोपीनाथ पैनल (2010) ने इन योजनाओं के लिये बाज़ार से जुड़ी ब्याज दर प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया था।
- **लघु बचत दरों के लिये सूत्र:**
  - इसका उपयोग भारत में विभिन्न लघु उद्योगों के लिये ब्याज दरों की गणना करने हेतु किया जाता है और यह पूर्ववर्ती 4 महीनों के पहले 3 महीनों में G-sec पर औसत तिमाही प्रतिफल पर आधारित होता है।
    - लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वाले बचतकर्त्ताओं को ब्याज दिये जाने संबंधी सीमा तय करने के लिये इस सूत्र का उपयोग किया जाता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण लघु बचत योजनाएँ:

- **सुकन्या समृद्धि खाता योजना:**
  - इस योजना का उद्देश्य भारत में बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना है।
  - माता-पिता अथवा कानूनी अभिभावक 10 वर्ष से कम आयु की दो बालिकाओं के लिये जमा खाता खोल सकते हैं और जुड़वाँ बालिकाओं अथवा तीन बालिकाओं के मामले में यह योजना तीन खाते खोलने की सुविधा प्रदान करती है।

नोट :

- न्यूनतम प्रारंभिक जमा 250 रुपए, अधिकतम वार्षिक सीमा 150,000 रुपए है।
- खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर या खाताधारक के विवाह पर, जो भी पहले हो, अधिकतम 15 वर्षों के लिये जमा किया जा सकता है।

- **वरिष्ठ नागरिक बचत योजना:**
  - देश में वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद आय का नियमित स्रोत प्रदान करना।
  - पात्रता:
    - 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक।
    - 55-60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (Voluntary Retirement Scheme-VRS) या अधिवर्षिता का विकल्प चुना है
    - 50-60 वर्ष की आयु के बीच सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी।
  - पाँच वर्ष की परिपक्वता अवधि जिसे और तीन वर्ष के लिये और बढ़ाया जा सकता है।
  - न्यूनतम जमा 1,000 रुपए, केंद्रीय बजट 2023-24 में अधिकतम जमा सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई।
  - खाता खोलने के एक वर्ष बाद समयपूर्व निकासी की अनुमति है।
  - SCSS में जमा राशि भी धारा 80-सी के तहत कटौती के लिये योग्य है।
  - आयकर अधिनियम।
- **मासिक आय योजना:**
  - 10 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय निवासियों को मासिक निवेश की अनुमति देता है। 1-3 व्यक्ति संयुक्त रूप से खाता रख सकते हैं।
  - इसकी लॉक-इन अवधि 5 वर्ष है, जिसमें एक वर्ष के बाद पेनाल्टी के साथ समय से पहले निकासी की अनुमति है।
  - केंद्रीय बजट 2023-24 में अधिकतम जमा सीमा 9 लाख रुपए (एकल खाते के लिये) और 15 लाख रुपए (संयुक्त खाते के लिये) है।
    - योजना से प्राप्त आय TDS या कर कटौती के अधीन नहीं है।
  - NRI इस योजना में निवेश करने के पात्र नहीं हैं।
  - यह खाता एक डाकघर से दूसरे डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- **सामान्य भविष्य निधि (PPF):**
  - यह योजना व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिये बचत करने हेतु प्रोत्साहित करती है।
  - इसकी अवधि 15 वर्ष है, जिसे परिपक्वता के बाद अतिरिक्त 5 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।
  - सामान्य भविष्य निधि खाते को सक्रिय रखने के लिये आवश्यक न्यूनतम वार्षिक निवेश 500 रुपए है और अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपए प्रति वित्त वर्ष है।
- **किसान विकास पत्र (KVP):**
  - सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (इंडिया पोस्ट द्वारा प्रस्तावित एक SSI) द्वारा शासित।
  - इसे मूल रूप से वर्ष 1988 में लॉन्च किया गया और वर्ष 2014 में फिर से लॉन्च किया गया।
  - यह निवासी भारतीयों और ट्रस्टों के लिये उपलब्ध है।
  - इसकी निवेश अवधि 124 महीने, लेकिन यह निश्चित नहीं है।
  - न्यूनतम निवेश राशि 1,000 रुपए, कोई ऊपरी सीमा नहीं।
  - सरकार द्वारा तिमाही आधार पर ब्याज दर की समीक्षा की जाती है।
- **महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र:**
  - यह महिलाओं या लड़कियों के लिये एकमुश्त नई लघु बचत योजना है।
  - यह मार्च 2025 तक दो वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध है।
  - योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा (7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर) प्रदान की जाती है।
  - आंशिक निकासी का विकल्प।

सुरक्षित शहर परियोजना

सुरक्षित शहर परियोजना को लागू करने के लिये दिल्ली अब पूरी तरह तैयार है, इसका उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है।

सुरक्षित शहर परियोजना:

- सुरक्षित शहर परियोजना निर्भया फंड के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित गृह मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं के लिये एक सुरक्षित और सशक्त वातावरण बनाना है।
- यह परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ और बंगलूरू सहित आठ मेट्रो शहरों में लागू की जा रही है।
  - इस परियोजना के तहत वीडियो एनालिटिक्स, AI, मशीन लर्निंग और फेसियल रिकॉग्निशन (चेहरे की पहचान) जैसी सुविधाओं से युक्त एक कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर के साथ-साथ CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।

नोट :

- परियोजना की लागत केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाती है।

दिल्ली की परियोजना का दायरा:

- **परिचय:**
  - दिल्ली की परियोजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
  - सी-डैक (C-DAC) द्वारा रेलटेल (RailTel) तथा NEC इंडिया को क्रमश: सीसीटीवी कैमरे लगाने और उन्हें फीडर एवं मुख्य सर्वर से जोड़ने के लिये नियुक्त किया गया है।
  - इसके अतिरिक्त मोबाइल डेटा टर्मिनलों, शरीर में पहने जाने वाले कैमरों (Body-Worn Cameras) और अन्य सुविधाओं से लैस 88 प्रखर वैनों को पूरे शहर में तैनात किया जाएगा।
- **परियोजना के माध्यम से पुलिसिंग और सुरक्षा को बढ़ाना:**
  - दिल्ली में सुरक्षित शहर परियोजना एक पहल है जिसका उद्देश्य AI-आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करके शहर में पुलिसिंग और सुरक्षा को बढ़ाना है।
    - परियोजना AI का उपयोग वास्तविक समय में भीड़ का आकलन करने, व्यवहार संबंधी लक्षणों और विसंगतियों का पता लगाने के लिये किया जाएगा।
    - आसन्न अपराध का संकेत देने वाले विचलन के मामले में AI तुरंत पुलिस मुख्यालयों, ज़िला कार्यालयों और पुलिस स्टेशनों में कमांड और कंट्रोल सेंटरों को सूचित करेगा।
    - परियोजना का लक्ष्य पुलिस अधिकारियों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके और उन्हें समय पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाकर अपराध को रोकना है।
  - यह प्रोजेक्ट सभी की सुरक्षा और संरक्षा हेतु सही दिशा में एक कदम है।

मल्टीपल स्क्लेरोसिस

हाल ही में वैज्ञानिकों ने शुद्ध मायेलिन क्षारीय प्रोटीन (MBP) के मोनोलेयर तैयार किये हैं।

- मायेलिन क्षारीय प्रोटीन (MBP) जो तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर लिपटे सुरक्षात्मक मायेलिन शीथ का एक प्रमुख घटक है। यह प्रोटीन मल्टीपल स्केलेरोसिस जैसी बीमारियों के अध्ययन हेतु एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है।

मल्टीपल स्केलेरोसिस:

- **परिचय:**
  - मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis- MS) एक पुरानी ऑटोइम्यून बीमारी है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) को प्रभावित करती है।
    - MS में प्रतिरक्षा प्रणाली मायेलिन शीथ पर हमला करती है और नुकसान पहुँचाती है, एक सुरक्षात्मक आवरण जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका तंतुओं को घेरता है, इसमें लक्षणों की एक शृंखला होती है।
- **लक्षण:**
  - मांसपेशियों में कमज़ोरी और उनका सुन्न होना।
    - पित्ताशय संबंधी समस्या: इस स्थिति में एक व्यक्ति को अपने पित्ताशय को खाली करने में कठिनाई हो सकती है या बार-बार अथवा अचानक ही पेशाब करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
    - आँत संबंधी समस्याएँ, थकान, चक्कर आना और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका तंतु की क्षति।
  - चूँकि ये लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, लोगों को इस विषय में शुरू में पता नहीं चलता और कभी कभी तो इसके बारे में पता चलने में वर्षों लग जाते हैं। साथ ही इसके प्रमुख कारकों के बारे में भी पता लगाना कठिन होता है।
- **कारण:**
  - इस बीमारी का सटीक कारण ज्ञात नहीं है, फिर भी कुछ संभावित कारक इस प्रकार हैं:
    - आनुवंशिक कारक: जीन में संवेदनशीलता कम होना
    - धूम्रपान और तनाव
    - विटामिन डी और बी 12 की कमी

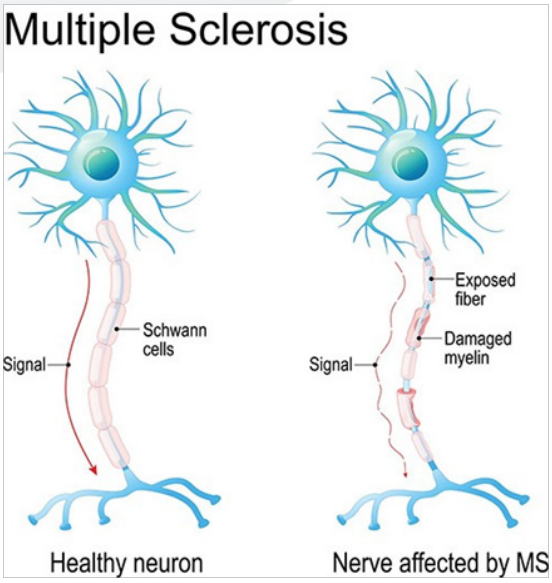

नोट :

शोध के प्रमुख बिंदु:

- **परिवर्तनीय pH स्थितियों के तहत प्रोटीन की प्रकृति को समझने में मदद:**
  - शोधकर्त्ताओं ने जल के ऊपर बनने वाली परत के विभिन्न हिस्सों को देखकर यह समझने की कोशिश की कि अम्लीयता के विभिन्न स्तरों में प्रोटीन कैसे व्यवहार करता है।
  - उन्होंने पाया कि परत की कठोरता विशिष्ट प्रतिरूप से संबंधित थी और जल की सतह पर अधिकार कर लिया गया था।
- **MBP निर्मित परत:**
  - शोधकर्त्ताओं ने लैंगमुइर-ब्लोडेट (LB) (Langmuir-Blodgett) तकनीक का उपयोग करके MBP की एक अति संकुलित परत बनाई है।
    - लैंगमुइर-ब्लोडेट (LB) तकनीक वायु-जल और वायु-ठोस इंटरफेस पर प्रोटीन सहित अणुओं की छोटी परत बनाने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है।
  - इस परत का उपयोग 2D में MBP के विभिन्न गुणों और अन्य प्रोटीनों के साथ कैसे संपर्क करता है, इसका अध्ययन करने के लिये किया जा सकता है।
    - शोधकर्त्ताओं ने यह भी पाया कि परत अन्य प्रोटीनों के क्रिस्टलीकरण के लिये एक नमूने के रूप में कार्य कर सकती है, जो उनकी संरचनाओं का अध्ययन करने में मदद करती है।
  - सामान्यत: यह शोध हमारे शरीर में MBP की भूमिका और यह अन्य अणुओं के साथ कैसे संपर्क करता है, इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central nervous system-CNS):

- **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बना होता है:**
  - मस्तिष्क सूचनाओं का विश्लेषण और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है।
  - रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार का काम करती है।
- CNS खोपड़ी और स्पाइनल कॉलम द्वारा संरक्षित है।
  - तंत्रिका CNS के बुनियादी निर्माण खंड हैं।
  - CNS तंत्रिका के बीच संवाद के लिये न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग करता है।
- CNS के विकारों के परिणामस्वरूप अल्ज़ाइमर, पार्किंसंस और मल्टीपल स्केलेरोसिस जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न हो सकती है।

थिरुनेल्ली मंदिर

हाल ही में कला और सांस्कृतिक विरासत हेतु भारतीय राष्ट्रीय न्यास (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage- INTACH) ने सरकार के समक्ष थिरुनेल्ली, केरल के श्री महाविष्णु मंदिर में स्थित 600 वर्ष पुरानी 'विलक्कुमाडोम (एक उत्तम कोटि की ग्रेनाइट संरचना)' के संरक्षण का प्रस्ताव रखा है।

चिंता का प्रमुख विषय:

- उत्तम ग्रेनाइट से बनी 600 वर्ष पुरानी 'विलक्कुमाडोम संरचना, वायनाड ज़िले के थिरुनेल्ली में श्री महाविष्णु मंदिर में स्थित है।
- मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य ने इसकी विरासत के संरक्षण को लेकर चिंता जताई है।
- 15वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की इस संरचना का एक समृद्ध इतिहास है और नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान इसके प्रमुख तत्त्वों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।
- चुट्टाम्बलम (मंदिर को ढकने वाली आयताकार संरचना) के ढहने तथा 'विलक्कुमाडोम भवन के संभावित ध्वस्त से विरासत का नुकसान हुआ है और इसका मूल्य एवं महत्त्व कम हुआ है जिसे भविष्य में भुला दिया जा सकता है या गलत समझा जा सकता है।
- अधूरी संरचना एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में मौजूद थी लेकिन इसे असंवेदनशील/अनुचित तरीके से फिर से तैयार किया गया है।
  - ऐसा कहा जाता है कि कूर्ग के राजा ने मंदिर के संरक्षक कोट्टायम राजा की अनुमति के बिना काम शुरू किया था। बाद में कोट्टायम राजा ने निर्माण कार्य का आदेश दिया और तबसे संरचना मौजूद है।

थिरुनेल्ली मंदिर:

- **परिचय:**
  - थिरुनेल्ली मंदिर, जिसे अमलका या सिद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, केरल के वायनाड ज़िले में एक विष्णु मंदिर है।
  - इस मंदिर का नाम एक घाटी में एक आँवले के पेड़ पर आराम कर रहे भगवान विष्णु की मूर्ति से पड़ा है, जिसे भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए खोजा था।
- **थिरुनेल्ली मंदिर की वास्तुकला:**
  - थिरुनेल्ली मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक केरल शैली का अनुसरण करती है। मंदिर में एक आंतरिक गर्भगृह है, जिसकी छत की संरचना टाइल से बनी हुई है और इसके चारों ओर एक खुला प्रांगण है।
  - मंदिर के पूर्व प्रवेश द्वार को ग्रेनाइट के दीपस्तंभ से सजाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवार ग्रेनाइट के खंभों से बनी है और यह कक्ष शैली में काटे गए हैं, जो सामान्यत: केरल में नहीं देखे जाते हैं।

नोट :

सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिये प्रयास:

- **वैश्विक:**
  - अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिये अभिसमय, 2005
  - सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन पर अभिसमय, 2006
  - संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत समिति: भारत को वर्ष 2021-25 की अवधि के लिये समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है।
- **भारतीय:**
  - एडॉप्ट ए हेरिटेज कार्यक्रम
  - प्रोजेक्ट मौसम
  - अनुच्छेद 49 (DPSP)
  - AMASR अधिनियम और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA)
  - प्रसाद योजना

ओलिव रिडले कछुओं का सामूहिक नीडन

भारत के ओडिशा राज्य में रुशिकुल्या समुद्र तट पर हाल ही में पिछले कुछ दशकों में ओलिव रिडले समुद्री कछुओं का सबसे बड़ा समूह देखा गया है।

- लाखों छोटे कछुओं को अंडों से निकलकर समुद्री मार्गों से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जाते देखा गया है।

महत्त्व:

- रुशिकुल्या समुद्र तट एक वन्यजीव अभयारण्य नहीं है फिर भी कछुए सामूहिक नीडन (नेस्टिंग) हेतु यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं।
  - सामूहिक नीडन और हैचिंग (अंडों से बच्चों का बाहर निकलना) एक स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तथा अंडे देने हेतु समुद्री कछुओं के लिये अनुकूल वातावरण का संकेतक है।
  - अनेकों ओलिव रिडले कछुओं की सफल हैचिंग उनके संरक्षण की दृष्टि से एक सकारात्मक संकेत है।

ओलिव रिडले कछुए:

- **विषय:**
- ओलिव रिडले कछुए विश्व भर में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और प्रचुर संख्या में मौजूद हैं।
- ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका नाम इनके बाह्य आवरण के ओलिव यानी जैतून रंग के होने से प्रेरित है।
- ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक नीडन (Mass Nesting) अरीबदा (Arribada) के लिये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं जिसमें हज़ारों मादाएँ अंडे देने के लिये एक ही समुद्र तट पर एक साथ आती हैं।

- **पर्यावास:**
  - ये मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म जल में पाए जाते हैं।
  - ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी रुकरी (प्रजनन करने वाले जीवों की एक कॉलोनी) के रूप में जाना जाता है।

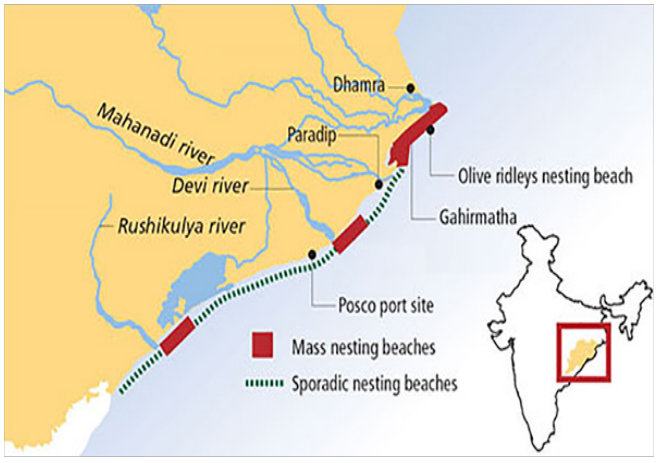

नोट :

- **संरक्षण की स्थिति:**
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- 1
  - आईयूसीएन रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
  - CITES: परिशिष्ट- I
- **ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण हेतु पहल:**
  - ऑपरेशन ओलिविया:
    - प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले भारतीय तटरक्षक बल का "ऑपरेशन ओलिविया" 1980 के दशक के आरंभ में शुरू हुआ था, यह ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन (Breeding) और नीडन (Nesting) के लिये ओडिशा के तट पर एकत्र होते हैं।
  - यह अवैध ट्रैपिंग गतिविधियों को भी रोकता है।
  - टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (TED) का अनिवार्य उपयोग:
    - भारत में इनकी आकस्मिक मौत की घटनाओं को रोकने हेतु ओडिशा सरकार ने ट्रॉल के लिये टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (Turtle Excluder Devices-TED) का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, जालों को विशेष रूप से निकास कवर के साथ बनाया गया है जो जाल में फँसने के दौरान कछुओं को उससे निकलने में सहायता करता है।
  - टैगिंग:
    - प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा के लिये वैज्ञानिक गैर-संक्षारक धातु टैग के साथ लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं को टैग करते हैं। यह उन्हें कछुओं की गतिविधियों को ट्रैक करने एवं उन स्थानों की पहचान करने में मदद करता है जहाँ वे अक्सर जाते हैं।

नोट:

- वर्ष 2006 में स्थापित बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार स्वच्छ जल के कछुओं और अन्य कछुओं के संरक्षण के क्षेत्र में किये गए उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने हेतु दिया जाने वाला प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे कछुआ संरक्षण का "नोबेल पुरस्कार" माना जाता है।
- इसे प्रत्येक वर्ष टर्टल सर्वाइवल एलायंस (TSA), IUCN कच्छप और मीठे पानी के कछुआ विशेषज्ञ समूह (Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group-TFTSG), कछुआ संरक्षण तथा कछुआ संरक्षण कोष द्वारा प्रदान किया जाता है।

ओलिव रिडले कछुओं के समक्ष खतरे:

- मानवीय गतिविधियाँ: तटीय विकास, मत्स्यन और प्रदूषण के साथ-साथ उनके आवास स्थलों का विनाश तथा मत्स्यन के दौरान जाल में फँसना।
- हिंसक पशु: इन कछुओं के अंडों या छोटे कछुओं को कुत्ते, लकड़बग्घा और शिकारी पक्षियों द्वारा शिकार किये जाने का खतरा बना रहता है।
- जलवायु परिवर्तन: तापमान और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण कछुओं के आवास को काफी नुकसान पहुँचता है और हैचिंग में परेशानी होती है।
- प्रकाश प्रदूषण: आस-पास के कस्बों और औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाली कृत्रिम रोशनी अंडे से निकले नवजात कछुओं (Hatchlings) को उनके मार्ग से विचलित कर सकती है जिस कारण कछुओं को समुद्र से दूर जाना पड़ सकता है।

नोट :

रैपिड फायर

कैस्केड फ्रॉग की नई प्रजाति- अमोलोप्स सिजू

ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के शोधकर्त्ताओं ने मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स ज़िले में सिजू गुफा से मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे उन्होंने अमोलॉप्स सिजू नाम दिया है। अमोलॉप्स सिजू रेनिड मेंढकों के सबसे बड़े समूह से संबंधित है, जिसकी 70 से अधिक ज्ञात प्रजातियाँ पूर्वोत्तर एवं उत्तर भारत, नेपाल, भूटान, चीन तथा मलाया प्रायद्वीप में पाई जाती हैं। इस गुफा से मेंढक की एक दुर्लभ नई प्रजाति की खोज की गई है और यह कैस्केड फ्रॉग (अमोलोप्स) की चौथी नई प्रजाति है। उन्हें कास्केड फ्रॉग नाम उनके पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे झरनों या बहती धाराओं में पाए जाने के कारण दिया गया है।

NCLT और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड मामला

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) को अपनी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) को पूरा करने के लिये और 90 दिनों का समय दिया है। NCLT ने जुलाई 2022 में ऋणों को समय पर चुकाने में देरी के कारण FRL के खिलाफ CIRP को शुरू किया था। दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC) की धारा 12(1) के अनुसार, समाधान प्रक्रिया को 330 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिये, जिसमें मुकदमेबाज़ी में व्यतीत समय भी शामिल होता है। मामला शुरू होने के 180 दिनों के भीतर CIRP को पूरा किया जाना चाहिये, लेकिन NCLT 90 दिनों का एकमुश्त अतिरिक्त समय प्रदान कर सकता है। विस्तारित समयावधि और मुकदमेबाज़ी सहित CIRP को पूरा करने के लिये अधिकतम समय 330 दिन होता है। कंपनियों के दिवाला और परिसमापन से संबंधित कानून को लेकर न्यायमूर्ति एराडी समिति की सलाह पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत NCLT की स्थापना की गई थी जो 1 जून, 2016 से लागू हुआ। NCLT एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय देता है। IBC ने दिवाला समाधान से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिये दो न्यायाधिकरणों का सुझाव दिया: ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जो व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा तथा NCLT, जो निगमों एवं सीमित देयता भागीदारी से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा।

जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कॉम्पैक्ट गैलेक्सी की खोज की

बिग बैंग घटना के तुरंत बाद गठित अत्यधिक कॉम्पैक्ट गैलेक्सी की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा नवीनतम खोज प्रारंभिक ब्रह्मांड की हमारी समझ में परिवर्तन (Revolutionizing) ला रही है। आकाशगंगा, जो लगभग 13.3 बिलियन वर्ष पहले अस्तित्त्व में थी, मिल्की वे से लगभग 1,000 गुना छोटी है, लेकिन हमारी वर्तमान आकाशगंगा की तुलना में नए सितारों का निर्माण करती है। यह खोज प्रारंभिक ब्रह्मांड में आकाशगंगा के निर्माण की पारंपरिक समझ को चुनौती देती है, जो यह दर्शाता है कि पहली आकाशगंगा वर्तमान में मौजूद आकाशगंगाओं से बहुत अलग हो सकती है और आकाशगंगा की विशेषताओं के बारे में हमारी सामान्य धारणाएँ प्रारंभिक ब्रह्मांड में लागू नहीं हो सकती हैं। इसके निर्माण के समय भारी तत्त्वों की कमी के कारण आकाशगंगा की रासायनिक संरचना भी वर्तमान आकाशगंगाओं से भिन्न है। "गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग" की घटना ने इस आकाशगंगा का अवलोकन आसान बना दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक ऐसी घटना है जहाँ आकाशगंगाओं का बड़ा समूह एक मज़बूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जो अपने पीछे दूर की आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश को मोड़ता और आवर्धित करता है।

उत्तरामेरुर शिलालेख

प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में उत्तरामेरुर शिलालेख का उल्लेख किया। यह शिलालेख परांतक प्रथम (907-953 ईस्वी) के शासनकाल में गाँव के स्व-शासन के कार्य करने का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इतिहासकार और राजनेता अकसर शिलालेख को भारत के लोकतांत्रिक कार्यशैली के लंबे इतिहास के सबूत के रूप में उद्धृत करते हैं। उत्तरामेरुर, वर्तमान कांचीपुरम ज़िले में स्थित एक छोटा-सा शहर है जो पल्लव और चोल शासन के दौरान बनाए गए अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिये जाना जाता है। परांतक प्रथम के शासनकाल का प्रसिद्ध शिलालेख वैकुंडा पेरुमल मंदिर की दीवारों पर देखा जा सकता है। शिलालेख स्थानीय सभा या ग्राम सभा कैसे कार्य करती थी, सदस्यों का चयन कैसे किया जाता था, उनकी आवश्यक योग्यता और भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ आदि की जानकारी देता है, जिसमें विभिन्न कार्य करने वाली विशेष समितियों का वर्णन मिलता है। यह सभा विशेष रूप से ब्राह्मणों से बनी होती थी और शिलालेख उन परिस्थितियों का विवरण भी प्रदान करता है जिसमें सदस्यों को हटाया जा सकता था। शिलालेख में सभा के भीतर विभिन्न समितियों, उनकी ज़िम्मेदारियों और सीमाओं का भी वर्णन किया गया है। इन समितियों का कार्य 360 दिनों तक चलता था जिसके बाद सदस्यों को सेवानिवृत्त होना पड़ता था। सभा की सदस्यता ज़मींदार ब्राह्मणों के एक छोटे उपवर्ग तक ही सीमित थी और कोई वास्तविक चुनाव की व्यवस्था नहीं थी। सदस्यों को ड्रा के माध्यम से उम्मीदवारों के योग्य समूह से चुना जाता था। हालाँकि शिलालेख को लोकतांत्रिक कार्यशैली के लिये एक मिसाल के रूप में उद्धृत किया जाना चाहिये। यह शिलालेख एक संविधान की तरह है, जिसमें सभा सदस्यों की ज़िम्मेदारियों और उनके अधिकार की सीमाओं दोनों का वर्णन है। यदि कानून का शासन लोकतंत्र का एक

नोट :

अनिवार्य घटक है, तो उत्तरामेरुर शिलालेख सरकार की एक प्रणाली का वर्णन करता है जो इसका पालन करती है।

ब्लास्टोमायकोसिस

ब्लास्टोमायकोसिस एक दुर्लभ कवक संक्रमण है जो ब्लास्टोमायसेस कवक (Blastomyces Fungus) के कारण होता है, यह अमेरिका के मध्य-पश्चिमी, दक्षिण-मध्य एवं दक्षिण-पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। कवक सामान्यत: नम मृदा तथा लकड़ी व सड़ी हुई पत्तियों में मौजूद होता है। यह कवक मिशिगन राज्य, अमेरिका का स्थानिक है। फंगस के बीजाणु, जो साँस के साथ अंदर जाते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं, साथ ही मृदा में असंतुलन होने पर वायु में फैल सकते हैं। ब्लास्टोमायकोसिस के लक्षणों में बुखार, खाँसी, साँस लेने में कठिनाई और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं। यह गंभीर संक्रमण संभावित रूप से त्वचा, हड्डियों तथा मस्तिष्क जैसे अन्य अंगों में फैल रहा है, जबकि रोग के इलाज हेतु एंटीफंगल दवाएँ उपलब्ध हैं, हालाँकि दवा के इस्तेमाल लंबे समय तक करना पड़ सकता है, यह अवधि छह महीने से एक वर्ष के बीच हो सकती है।

सुंदरबन में बाघों की घटती आबादी

सुंदरबन, जो बंगाल टाइगर के कुछ शेष अभयारण्यों में से एक है और जहाँ विश्व में सबसे बड़े मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, अब भारत के शीर्ष बाघ अभयारण्यों में शामिल नहीं है। हाल ही में जारी प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (Management Effectiveness Evaluation- MEE) रिपोर्ट के अनुसार, बाघों की आबादी में वृद्धि के बावजूद वन प्रबंधन के संदर्भ में सुंदरबन को देश के 51 बाघ अभयारण्यों में 31वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। पर्याप्त जनशक्ति की कमी और जलवायु परिवर्तन तथा समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण जलमग्नता जैसी स्थितियों को इस स्थान की सुभेद्यता के लिये प्रमुख चुनौतियों के रूप में चिह्नित किया गया है। हालाँकि अवैध शिकार और बाघ-मानव संघर्ष जैसी बड़ी समस्याओं के समाधान में सुंदरबन का प्रदर्शन अच्छा रहा है। MEE रिपोर्ट के अनुसार, 94.38% के स्कोर के साथ केरल स्थित पेरियार शीर्ष स्थान पर रहा, इसके बाद 93.16% स्कोर के साथ मध्य प्रदेश का सतपुड़ा दूसरे स्थान पर रहा। MEE की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि अवैध पर्यटन की निगरानी के लिये क्षेत्र विकास समितियों को संभागीय आयुक्तों के अधीन कार्य करना चाहिये और भारत तथा बांग्लादेश के सुंदरबन वन क्षेत्रों के बीच प्रबंधन हेतु अधिक समन्वय की आवश्यकता है। सुंदरबन, विशेष रूप से वे वन जो वर्तमान टाइगर रिज़र्व को कवर करते हैं तथा दक्षिण 24 परगना ज़िले पर जलवायु परिवर्तन से बढ़ते प्रभावों को देखते हुए संबद्ध मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने "लो पावर स्माल रेंज FM रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। यह ड्राइव-इन थिएटर एप्लीकेशन हेतु एक नए सेवा प्रदाता की शुरुआत के साथ-साथ कम-शक्ति शॉर्ट-रेंज FM रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों से प्रतिक्रिया और टिप्पणियाँ एकत्र करेगा। इस तरह के प्रसारण को सीमित स्थानों और स्वागत क्षेत्रों, जैसे- अस्पताल रेडियो सेवाओं, मनोरंजन पार्कों, व्यावसायिक परिसरों, बंद समुदायों, छोटे आवासों तथा स्थानीय कार्यक्रमों के लिये लक्षित सेवाओं हेतु ध्वनि प्रसारण का एक प्रभावी तरीका माना जाता है। ट्राई टेलीकॉम सेवाओं को नियंत्रित करता है जिसमें टेलीकॉम सेवाओं के लिये टैरिफ का निर्धारण/संशोधन शामिल है जो पहले केंद्र सरकार में निहित थे।

संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन (CBG)

हाल ही में इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (IFGE) ने संपीड़ित बायोगैस (CBG) पर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने जैव ईंधन के घरेलू उत्पादन के महत्त्व पर प्रकाश डाला। इसे जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने एवं अंतत: शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक महत्त्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा जाता है। CBG उत्पादन कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें प्राकृतिक गैस के आयात में कमी, GHG उत्सर्जन, कृषि अवशेषों को जलाना, किसानों को लाभकारी आय प्रदान करना, रोज़गार सृजन और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिये कृषि क्षेत्र में CBG के उप-उत्पाद, किण्वित जैविक खाद (FOM) को लागू किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2030 में ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है और CBG के तेज़ी से विस्तार से घरेलू संसाधनों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलेगी। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) योजना को सम्मेलन में रेखांकित किया गया

नोट :

जो CBG उत्पादन के लिये फीडस्टॉक के रूप में विभिन्न अपशिष्ट स्रोतों की पड़ताल करती है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक 5,000 वाणिज्यिक CBG संयंत्र स्थापित करना और 15 MMT CBG का उत्पादन करना है। सरकार ट्रिपल बॉटम लाइन (पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था) के सभी कर्त्ताओं की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है तथा हाल ही में घोषित अमृत काल बजट वर्ष 2023 भारत की बायोगैस और महत्त्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को बढ़ावा देगा।

टी मॉस्किटो बग

टी मॉस्किटो बग (TMB) के संक्रमण के कारण भारत में चाय का उत्पादन खतरे में है। टी मॉस्किटो बग (Helopeltis Theivora) एक आम कीट है जो चाय के पौधों के कोमल भागों से रस चूसता है, जिससे फसल को भारी नुकसान होता है। यह पौधों के ऊतकों में अंडे डालकर उन्हें नुकसान भी पहुँचाता है। TMB ने निम्न और उच्च उँचाई वाले दोनों प्रकार के चाय बागानों को प्रभावित किया है। यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया (UPASI) ने कीट के तेज़ी से फैलने के कारण दक्षिण भारत के सभी चाय की खेती वाले ज़िलों में फसल के भारी नुकसान पर चिंता जताई है। भारतीय चाय बोर्ड ने भारतीय चाय को हानिकारक कीटनाशकों से मुक्त करने के लिये पौध संरक्षण कोड (PPC) की अपनी अनुमोदित सूची से कई कीटनाशकों को हटा दिया है। वर्तमान में PPC के तहत दक्षिण भारत में उपयोग के लिये केवल सात कीटनाशक स्वीकृत हैं और चाय उत्पादक इस कीट के प्रभावी नियंत्रण में असमर्थ हैं। UPASI ने भारत में अन्य फसलों के लिये केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIBRC) द्वारा मूल्यांकन एवं अनुमोदित प्रभावी अणुओं का उपयोग करने के लिये सरकार की मंज़ूरी मांगी है ताकि चाय उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव न्यूनतम हो। CIBRC की स्थापना कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1970 में कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 के तहत कीटनाशकों को विनियमित करने के लिये की गई थी। CIB तकनीकी मामलों पर सरकार को सलाह देता है तथा उसे अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं। कीटनाशक आयातकों और निर्माताओं को पंजीकरण समिति में पंजीकरण कराना होता है।

G20 स्वास्थ्य कार्य समूह: डिजिटल स्वास्थ्य और नवाचार का लाभ उठाना

भारत की अध्यक्षता में G20 की दूसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में डिजिटल स्वास्थ्य और नवाचार का लाभ उठाने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिये नागरिक केंद्रित स्वास्थ्य वितरण पारिस्थितिकी तंत्र पर एक महत्त्वपूर्ण चर्चा हुई। भारत में आयुष मंत्रालय ने कुशल, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मॉडल स्थापित करने के लिये पारंपरिक चिकित्सा को प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उन्होंने "आयुष ग्रिड" नामक एक व्यापक आईटी आधार पेश किया है, जो आयुष क्षेत्र में बदलाव लाने के लिये एक सुरक्षित और इंटरऑपरेबल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा। आयुष ग्रिड चार स्तरों पर संचालित होता है, जो सभी हितधारकों के बीच सहज डिजिटल जुड़ाव सुनिश्चित करता है और मेडिकल रिकॉर्ड बनाए रखने, सूचना का आदान-प्रदान तथा स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न तौर-तरीकों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन में डिजिटल उपकरणों के उपयोग के महत्त्व पर प्रकाश डालता है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि भारत में WHO के पारंपरिक चिकित्सा के लिये वैश्विक केंद्र का कार्य आगामी पारंपरिक चिकित्सा में डेटा विश्लेषण और प्रौद्योगिकी पर काम करना है।

रिपोर्ट किये गए अमेरिकी तेल एवं गैस क्षेत्रों से 70% अधिक मीथेन का उत्सर्जन

द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार, अमेरिकी तेल और गैस क्षेत्रों में मीथेन उत्सर्जन वर्ष 2010-2019 से अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (Environmental Protection Agency- EPA) द्वारा रिपोर्ट किये गए आधिकारिक आँकड़ों की तुलना में 70% अधिक था। अध्ययन का अनुमान है कि इस अवधि के दौरान वार्षिक 14.8 टेरा-ग्राम मीथेन उत्सर्जित की गई है। शोधकर्त्ताओं ने पाया कि EPA, 'सुपर-एमिटर' जैसे उपकरण जो खराब परिचालन प्रथाओं या खराबी के कारण बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन करते है, हेतु ज़िम्मेदार नहीं है। मीथेन प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है और जीवाश्म ईंधन अन्वेषण का उपोत्पाद है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 20 वर्ष की अवधि में ऊष्मा को रोकने में यह 86 गुना अधिक कुशल है। यह आर्द्रभूमि, कृषि (पशुधन, चावल), अपशिष्ट (लैंडफिल, अपशिष्ट जल) एवं जीवाश्म ईंधन खनन (कोयला, तेल, गैस) सहित कई स्रोतों से उत्सर्जित होता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि तेल तथा गैस के संचालन से 70% से अधिक उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि वर्ष 2017-2019 तक तेल तथा गैस के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद मीथेन की तीव्रता में कमी आई है। हालाँकि इस गिरावट को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि तेल एवं गैस क्षेत्र परिपक्व और तेल कुएँ कम उत्पादक हो जाते हैं।

इंडिया स्टील 2023

केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा वाणिज्य विभाग, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा FICCI (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) के सहयोग से इस्पात उद्योग पर एक सम्मेलन तथा प्रदर्शनी इंडिया स्टील 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, मांग गतिशीलता, हरित इस्पात उत्पादन तथा उत्पादकता एवं दक्षता बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी समाधानों

नोट :

जैसे विषयों को कवर किया जाएगा। इंडिया स्टील 2023 आकर्षक सत्रों की एक वर्गीकृत श्रृंखला प्रस्तुत करेगा जिसमें ''सक्षम लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का संवर्द्धन", ''भारतीय इस्पात उद्योग के लिये मांग गतिशीलता", ''हरित इस्पात के माध्यम से स्थिरता लक्ष्य: चुनौतियाँ और भावी परिदृश्य", ''अनुकूल नीति संरचना तथा भारतीय इस्पात के प्रमुख समर्थक" और "उत्पादकता एवं दक्षता बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी समाधानों" जैसे विषयों को कवर किया जाएगा। कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते भारत वैश्विक इस्पात उद्योग में एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता है। वित्त वर्ष 2021-2022 में देश ने 120 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भारत के इस्पात भंडार का 80% से अधिक हिस्सा है। देश के कुछ महत्त्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो हैं। भारत वर्ष 2021 में 106.23 मिलियन टन की खपत के साथ इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चीन विश्व स्तर पर सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता है, जिसके बाद भारत का स्थान आता है।

भारत के तटीय शहरों में समुद्री कचरे से निपटने के लिये गठबंधन

दिल्ली स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (Centre for Science and Environment-CSE) ने पूरे भारत में समुद्री अपशिष्ट के प्रदूषण से निपटने हेतु तटीय शहरों का एक गठबंधन शुरू किया है। गठबंधन का उद्देश्य समुद्री कूड़े के प्रदूषण के गंभीर सीमा-पार के मुद्दे का समाधान करना है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचाने के लिये ज़िम्मेदार है। लगभग 80% समुद्री कचरा भूमि-आधारित ठोस अपशिष्ट के कुप्रबंधन से आता है जो विभिन्न भूमि-से-समुद्र मार्गों के माध्यम से समुद्र तक पहुँचता है। गठबंधन प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में समाप्त होने वाले सभी अपशिष्ट का 90% हिस्सा है। भारत लगभग 460 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन करता है, जिसमें से लगभग 8 मिलियन टन (2.26%) समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में रिसाव हो जाता है। CSE के अनुसार, दक्षिण एशियाई समुद्र विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, हर दिन उनमें टनों प्लास्टिक कचरे का रिसाव होता है, जो प्रतिवर्ष 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे के लिये ज़िम्मेदार है। नौ राज्यों और 66 तटीय ज़िलों में भारत की 7,517 किलोमीटर की तटरेखा लगभग 250 मिलियन लोगों और समृद्ध जैवविविधता का आवास है। CSE ने एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध जैसी नीतियों को लागू करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और समुद्री अपशिष्ट के प्रदूषण में योगदान देने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिये निर्माता की ज़िम्मेदारी को सख्ती से बढ़ाया।

भारत में दूध की कीमतें और उत्पादन

भारत में वर्ष 2021 से दूध की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है और विभिन्न ब्रांडों के दूध के दामों में कई बार बढ़ोतरी देखी गई है, भारत में एक लीटर दूध की औसत कीमत अप्रैल 2023 में 57 रुपए तक पहुँच गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। लखनऊ और गुवाहाटी में दूध की कीमतें सबसे अधिक हैं, जबकि बंगलूरू और चेन्नई जैसे दक्षिणी शहरों में दूध की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं। दूध की कीमतों में उच्च मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण खुदरा मुद्रास्फीति में हुई वृद्धि को माना जा सकता है। भारत में दुग्ध उत्पादन में कमी आने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें COVID-19 महामारी के दौरान मांग में कमी, मवेशियों और भैंसों को प्रभावित करने वाली गाँठदार त्वचा की बीमारी का प्रकोप आदि हैं जिसके परिणामस्वरूप दूध की पैदावार कम हो रही है तथा चारे की उच्च कीमतें इसके उत्पादन की लागत में वृद्धि कर रही हैं। भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, हाल के वर्षों में इसमें कमी आई है, वित्त वर्ष 2018 में इसकी विकास दर 6.6% थी। अगर मौजूदा परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है तो इससे निपटने के लिये दुग्ध उत्पादों के आयात की संभावना को देखते हुए सरकार मक्खन और घी के आयात सहित अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है।

माँ कामाख्या कॉरिडोर

भारत के प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि माँ कामाख्या कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ धाम (उत्तर प्रदेश के वाराणसी) और श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर (उज्जैन, मध्य प्रदेश) की तरह ही एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान बन जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम और श्री महाकाल महालोक ने कई लोगों के आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाया है और पर्यटन में वृद्धि के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद की है। माँ कामाख्या कॉरिडोर एक प्रस्तावित बुनियादी ढाँचा परियोजना है जिसका उद्देश्य गुवाहाटी, असम, भारत में कामाख्या मंदिर तीर्थस्थल का नवीनीकरण और विकास करना है। इच्छा की देवी को समर्पित माँ कामाख्या मंदिर, जिसे कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित है। धरती पर मौजूद 51 शक्तिपीठों में माँ कामाख्या देवालय को सबसे पुराना और सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यह तांत्रिक शक्तिवाद पंथ का केंद्र है, जिसका भारत में महत्त्वपूर्ण अनुसरण किया जाता है।

साथी पोर्टल

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण (Union Agriculture and Farmers Welfare- MoA & FW) मंत्री ने बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने हेतु साथी/SATHI (बीज ट्रेसबिलिटी, प्रमाणीकरण और समग्र सूची) पोर्टल एवं मोबाइल एप लॉन्च किया है। यह प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics

नोट :

Centre- NIC) द्वारा MoA तथा FW के सहयोग से 'उत्तम बीज - समृद्ध किसान' की थीम के साथ विकसित की गई है। SATHI पोर्टल कृषि क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने हेतु महत्त्वपूर्ण कदम है, साथ ही जब ज़मीनी स्तर पर इसका उपयोग किया जाएगा तो यह कृषि में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। यह पोर्टल गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली सुनिश्चित करेगा, बीज उत्पादन श्रृंखला में बीज के स्रोत की पहचान करेगा एवं QR कोड के माध्यम से बीजों का पता लगाएगा। इस प्रणाली में बीज श्रृंखला के सात कार्यक्षेत्र शामिल होंगे - अनुसंधान संगठन, बीज प्रमाणन, बीज लाइसेंसिंग, बीज सूची, किसान बिक्री हेतु डीलर, किसान पंजीकरण व बीज DBT। वैध प्रमाणीकरण वाले बीज ही वैध लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा केंद्रीय रूप से पंजीकृत किसानों को बेचे जा सकते हैं, जिन्हें सीधे अपने पूर्व-सत्यापित बैंक खातों में DBT के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

फूड स्ट्रीट पहल

भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA) के साथ साझेदारी में देश भर के 100 ज़िलों में 100 फूड स्ट्रीट के विकास का प्रस्ताव रखा है। इस पहल का उद्देश्य खाद्य उद्योग में सुरक्षित एवं स्वस्थ तरीकों को बढ़ावा देना, खाद्य जनित बीमारियों को कम करना तथा समग्र स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार करना है। पहल को खाद्य व्यवसायों हेतु सर्वोत्तम तरीकों को प्रदर्शित करने के लिये एक पायलट योजना के रूप में लागू किया जाएगा। यह पहल न केवल "ईट राईट अभियान" एवं खाद्य सुरक्षा का समर्थन करेगी बल्कि स्थानीय खाद्य व्यवसायों की विश्वसनीयता भी बढ़ाएगी। पहल के लाभों में रोज़गार सृजन, पर्यटन क्षमता में सुधार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना शामिल है। पहल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission- NHM) के माध्यम से MoHUA तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) से तकनीकी सहायता के साथ लागू किया जाएगा। FSSAI के दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक ब्रांडिंग के अधीन 60:40 या 90:10 के अनुपात में आपूर्ति की गई NHM के तहत सहायता के साथ राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को एक करोड़ रुपए प्रति फूड स्ट्रीट/ज़िला की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

उपराष्ट्रपति ने सिविल सेवाओं में सहकारी संघवाद का आह्वान किया

16वें सिविल सेवा दिवस (CVD) के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में सिविल सेवकों की एक सभा को संबोधित किया। इस दिन स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री, सरदार वल्लभभाई पटेल ने वर्ष 1947 में मेटकॉफ हाउस, दिल्ली में प्रशासनिक परिवीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को 'स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया' के रूप में संदर्भित किया। इस 16वें सिविल सेवा दिवस (CVD) में, राष्ट्र के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में सिविल सेवकों द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया गया। संघ और राज्यों में प्रशासन में एकरूपता की सुविधा के लिये सिविल सेवकों का आह्वान किया गया ताकि संघवाद, सहकारी संघवाद में विकसित हो सके। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी पर प्रकाश डाला गया, जो भविष्य के लिये तैयार सिविल सेवकों को न्यू इंडिया के विज़न से जोड़कर आकार दे रहा है। त्वरित सेवा वितरण और नागरिक-केंद्रित शासन के लिये सिविल सेवकों के नेतृत्त्व के पूरक में प्रौद्योगिकी के महत्त्व को मान्यता दी गई है। उपराष्ट्रपति ने 'नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार सीरीज़' पर एक ई-बुक का अनावरण किया और 'भारत में गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस- अवार्डेड इनिशिएटिव्स' पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

MEF नेताओं ने जलवायु कार्यवाही और पहल पर चर्चा की

हाल ही में, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच की आभासी बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति ने की और इसमें विश्व भर की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्षों और मंत्रियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिये जलवायु कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और पर्यावरण के लिये जीवन शैली LiFE के लिये भारतीय प्रधानमंत्री के आह्वान का उल्लेख किया। सभी MEF नेताओं ने जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ी चुनौतियों से एक माना और जलवायु कार्यवाही को बढ़ाने के लिये संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर आवाज़ उठाई। भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री ने वैश्विक औसत के एक-तिहाई प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के साथ जलवायु परिवर्तन का सामना करने में भारत के नेतृत्व पर महत्त्व दिया। विभिन्न क्षेत्रों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये भारत की पहल, जलवायु वित्त के लिये समर्थन और जलवायु परिवर्तन का सामना करने की दिशा में व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन में LiFE के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। बैठक में गरीबी में कमी और SDGs सहित वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिये बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) की वित्तीय क्षमता को मज़बूत करने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई।

हीट इंडेक्स

हीट इंडेक्स में वायु के तापमान और आर्द्रता दोनों को ध्यान में रखा जाता है, लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली गर्मी का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। दिल्ली में अप्रैल 2022 में हीट इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुँच गया, जो 44oC से 49oC के बीच था। दिल्ली में रिकॉर्ड किये

नोट :

गए हीट इंडेक्स के आँकड़े यूएस नेशनल वेदर सर्विस वर्गीकरण "खतरे" की श्रेणी में हैं, जो निरंतर गतिविधि के मामले में हीट क्रैम्प्स (Heat Cramps), हीट एक्जाशन (Heat Exhaustion) और संभावित हीट स्ट्रोक (Heat Stroke) की संभावना को इंगित करता है। झुग्गी आबादी की सघनता, सुविधाओं तक पहुँच की कमी,आवास की खराब स्थिति और स्वास्थ्य देखभाल तथा स्वास्थ्य बीमा की अनुपलब्धता, दिल्ली में गर्मी से संबंधित जोखिमों को बढ़ा सकती है। वायु के तापमान और सापेक्ष आर्द्रता और हीट इंडेक्स के बीच सीधा संबंध है।

खाद्य सुरक्षा हेतु अंतरिक्ष बीज

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) तथा खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) जलवायु-सहिष्णु फसलों को विकसित करने हेतु अनुसंधान में तीव्रता ला रहे हैं। बीजों की दो किस्में- एराबिडोप्सिस (गोभी परिवार का एक पौधा) और ज्वार (ज्वार, चोलम, या जोन्ना) वर्ष 2022 में अंतरिक्ष में भेजे गए थे ताकि उन्हें कठोर परिवेश में उपजाकर जलवायु-सहिष्णु बनाया जा सके। इसे मार्च 2023 में पृथ्वी पर वापस लाया गया। वैज्ञानिक स्थिति-स्थापक फसलों के विकास की संभावनाओं की जाँच करेंगे जो जलवायु संकट के बीच पर्याप्त भोजन प्रदान करने में मदद कर सकती हैं। वे अत्यधिक आवश्यक फसलों के प्राकृतिक अनुवांशिक अनुकूलन में तेज़ी आने पर ब्रह्मांडीय विकिरण (अंतरिक्ष में उत्पादित उच्च ऊर्जा वाले कणों, एक्स-रे और गामा किरणों से युक्त) के प्रभावों की भी जाँच करेंगे। विकिरणों का बढ़ता स्तर आनुवंशिक परिवर्तन उत्पन्न करता है जो उन्हें अधिक तापमान, शुष्क मिट्टी, बीमारियों और समुद्र के बढ़ते स्तर का सामना करने में मदद करेगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, यह अनुसंधान महत्त्वपूर्ण है क्योंकि बढ़ते तापमान और मौसम की अनियमितता ने वर्ष 1961 के बाद से वैश्विक खाद्य उत्पादन में लगभग 13 प्रतिशत की कमी की है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसानों के लिये पैदावार को बनाए रखना मुश्किल बना रही है। आवश्यक अनाज की बढ़ती लागत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक अस्थिरता इसे बढ़ा रही है।

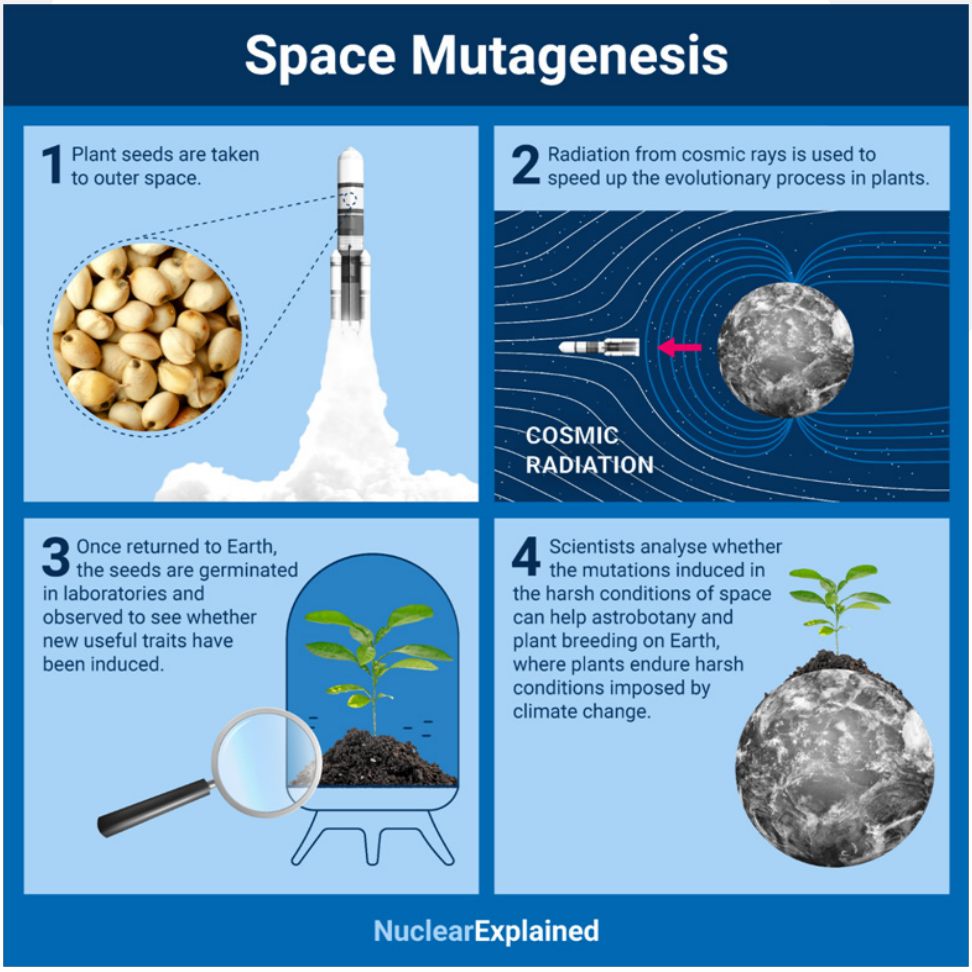

नोट :

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद

हाल ही में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद Ladakh Autonomous Hill Development Council (LAHDC), लेह ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें दलाई लामा की "छवि खराब करने" की कोशिश करने वाले मीडिया घरानों और व्यक्तियों के लेह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। दलाई लामा तिब्बती लोगों द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग अथवा "येलो हैट" संप्रदाय के प्रमुख आध्यात्मिक व्यक्तित्त्व के लिये दिया गया एक सम्मान है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के शास्त्रीय संप्रदायों में सबसे नवीन है। LAHDC एक स्वायत्त ज़िला परिषद है जो लद्दाख के लेह ज़िले को प्रशासित करती है। इस परिषद का गठन वर्ष 1995 के लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम के तहत किया गया था।

ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स

हुरुन द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स (Global Unicorn Index) 2023 के अनुसार, स्विगी, ड्रीम11 और बायजू'एस (BYJU'S) भारत के शीर्ष यूनिकॉर्न हैं। एक यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाज़ार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। यह अन्य उत्पादों/सेवाओं के अलावा रचनात्मक समाधान और नए व्यापार मॉडल पेश करने के लिये समर्पित नई संस्थाओं की उपस्थिति को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और चीन के बाद भारत यूनिकॉर्न की संख्या के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना हुआ है। हालाँकि हुरुन ग्लोबल 500 कंपनियों में भारत पाँचवें स्थान पर है, जो विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान गैर-राज्य-नियंत्रित व्यवसायों की सूची है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बाहर स्थापित भारतीय यूनिकॉर्न्स की संख्या भारत के भीतर स्थित यूनिकॉर्न्स की संख्या से अधिक है। भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न हैं। रिपोर्ट से यह भी ज्ञात हुआ कि भारत रैंक की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है, जो 2000 के दशक में स्थापित स्टार्टअप हैं और जिनकी कीमत 500 मिलियन डॉलर (अभी तक सूचीबद्ध नहीं) से अधिक है, जो तीन वर्ष के भीतर यूनिकॉर्न बनने की संभावना है।

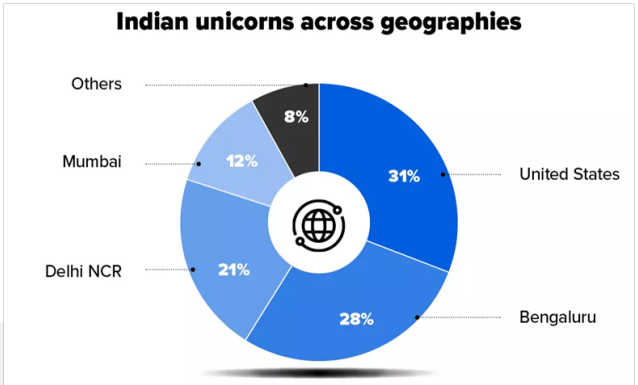

INIOCHOS-23 अभ्यास

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force- IAF) 24 अप्रैल से 4 मई तक हेलेनिक वायु सेना (ग्रीस) द्वारा आयोजित बहु-राष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS-23 में भाग लेगी। फ्राँस द्वारा प्रायोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन के अलावा IAF अमेरिका के साथ कोप इंडिया अभ्यास में भाग ले रहा है। IAF INIOCHOS-23 अभ्यास में चार Su-30 MKI और दो C-17 विमानों के साथ भाग लेगा। अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तालमेल और अंतर-क्षमता को बढ़ाना है।

ब्लैक सी ग्रेन डील

ग्रुप ऑफ सेवन (G7) के कृषि मंत्रियों ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव (BSGI) डील के विस्तार और पूर्ण कार्यान्वयन हेतु एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसके तहत यूक्रेन को अपने ब्लैक सी बंदरगाहों से 27 मिलियन टन से अधिक अनाज निर्यात करने की अनुमति प्राप्त होती है। यह डील जुलाई 2022 में संयुक्त राष्ट्र और तुर्किये की मध्यस्थता में गई थी लेकिन रूस (जिसने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था) ने अपनी अनाज और उर्वरक निर्यात की सुविधा को लेकर संकेत दिया कि वह 18 मई, 2023 से आगे इस डील को जारी रखने की अनुमति नहीं देगा। G7 मंत्रियों ने इस संदर्भ में रूस द्वारा समस्या पैदा करने के तरीके को अस्वीकार किया है। इन सभी ने यूक्रेन के पक्ष में रहने और उन लोगों की मदद करने पर बल दिया है जो रूस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से सबसे अधिक प्रभावित हैं। G7 सदस्यों ने यूक्रेन में शांति बहाली और पुनर्निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने पर बल दिया है जिसमें कृषि भूमि से संबंधित बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण में सहायता देना शामिल है।

बसव जयंती

प्रधानमंत्री ने बसव जयंती पर जगद्गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह 12वीं शताब्दी के दौरान शैव धर्म भक्ति आंदोलन में

नोट :

दार्शनिक, राजनेता, समाज सुधारक और संत के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है। बसवेश्वर को उनकी शिक्षाओं जिसमें लैंगिक समानता, सामाजिक सुधार, सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन, अंधविश्वास और अनावश्यक अनुष्ठानों के खिलाफ जागरूकता आदि शामिल हैं, के लिये जाना जाता है। कर्नाटक राज्य में लिंगायतों द्वारा वैशाख महीने के दौरान शुक्ल पक्ष या शुक्ल पक्ष की तृतीया को बसवेश्वर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बसवेश्वर ने इष्टलिंग हार पहनने की प्रथा आरंभ की जो भगवान शिव का प्रतीक है और इसे सभी लिंगायतों द्वारा पहना जाता है। बसव द्वारा स्थापित अनुभव मंतपा ने सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखी।

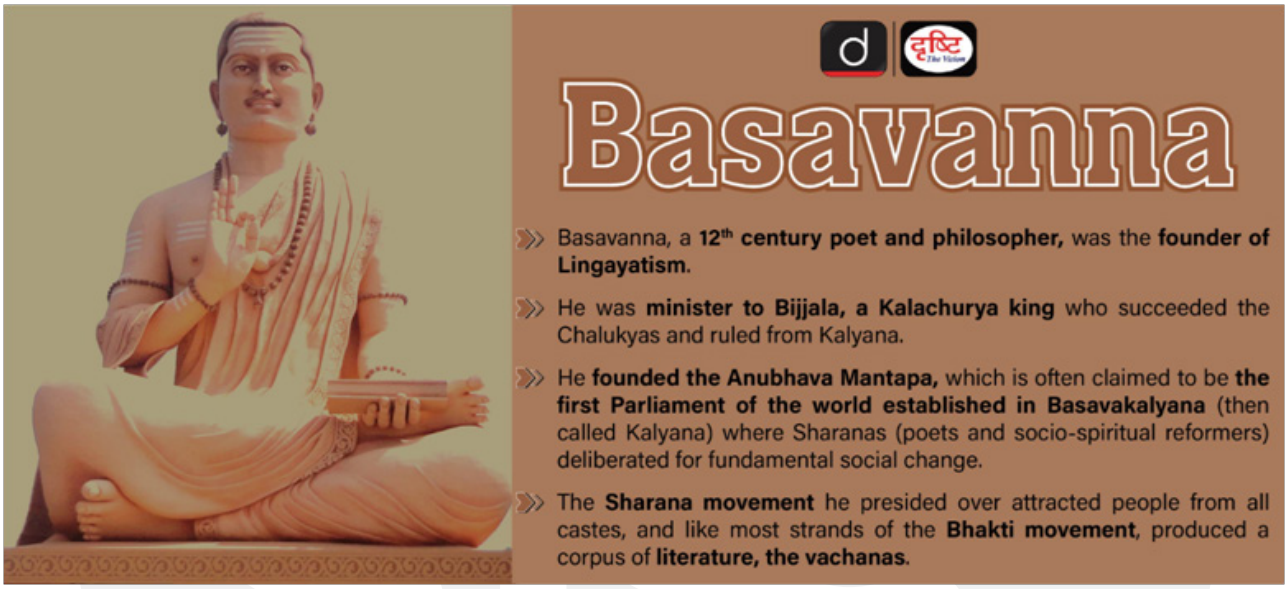

अर्थ डे

अर्थ डे पृथ्वी ग्रह और इसके पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वार्षिक आयोजन है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2009 में 22 अप्रैल को 'अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अर्थ डे 2023 की थीम "हमारे ग्रह में निवेश करना (Invest in our planet)" है, जो व्यवसायों, निवेशकों, वित्तीय बाज़ारों एवं सरकारों से स्वस्थ तथा अधिक न्यायसंगत वैश्विक प्रणाली के निर्माण का नेतृत्त्व करने का आह्वान करती है। निजी क्षेत्र हरित नवाचार व प्रथाओं को बढ़ावा देने हेतु अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है, जबकि सरकार नागरिकों, व्यवसायों और संस्थानों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है। नागरिक भी व्यक्तिगत तौर पर पर्यावरण के अनुकूल व्यवसायों का समर्थन कर तथा पर्यावरण को प्राथमिकता देने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करके बदलाव कर सकते हैं। अर्थ डे पहली बार वर्ष 1970 में स्मॉग, प्रदूषित नदियों और तेल रिसाव जैसे मुद्दों के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण की प्रतिक्रिया के रूप में मनाया गया था। वर्तमान में अर्थ डे विश्व स्तर पर EARTHDAY.ORG द्वारा समन्वित है, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसे पहले अर्थ डे नेटवर्क के रूप में जाना जाता था। इसका उद्देश्य लोगों एवं ग्रह हेतु परिवर्तनकारी प्रयास करके दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन का निर्माण करना है। वर्ष 2016 में पृथ्वी दिवस पर महत्त्वपूर्ण पेरिस समझौते, जिसका उद्देश्य वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करना है, पर हस्ताक्षर किये गए थे, यह हमारे ग्रह हेतु सार्थक परिवर्तन लाने में इस दिन के महत्त्व को प्रदर्शित करता है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

73वें संवैधानिक संशोधन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यह वर्ष 1993 में उसी दिन लागू हुआ था जब पंचायतों को भारत में स्थानीय स्वशासन के तीसरे स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। हालाँकि राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही पंचायतों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में मान्यता दे दी थी, 73वें और 74वें संशोधनों ने इसे एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। महिलाओं के प्रतिनिधित्त्व में वृद्धि करने में पंचायती राज अधिक सफल रहा है, स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिये कुल सीटों का एक-तिहाई आरक्षित है और कुछ राज्य स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करते हैं। स्थानीय स्तर पर महिलाओं के इस बढ़े हुए प्रतिनिधित्त्व के विभिन्न नीतिगत परिणाम सामने आए हैं, इसके अंतर्गत कई स्थानों पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के लिये समुदाय आधारित कल्याण और वित्तीय स्वतंत्रता हेतु खर्च में वृद्धि शामिल है। विभिन्न राज्यों में स्थानीय सरकारी निकायों को दी जाने वाली वित्तीय स्वायत्तता

नोट :

के स्तर में काफी भिन्नता है। उदाहरण के लिये स्वायत्तता को सर्वोत्तम रूप से लागू करने वाले दो राज्य केरल और महाराष्ट्र हैं, जबकि दो सबसे कम सफल राज्य ओडिशा और असम हैं।

समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) और भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट से समुद्र आधारित अंत: वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला उड़ान परीक्षण किया। परीक्षण का उद्देश्य शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल खतरे का सामना एवं उसे बेअसर करना था, जो भारत को नौसेना बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (Ballistic Missile Defence- BMD) क्षमता वाले देशों में शामिल करेगा। इससे पहले DRDO ने विरोधियों से बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों को बेअसर करने की क्षमता वाली भूमि आधारित BMD प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। इस सफल परीक्षण के साथ भारत ने अत्यधिक जटिल नेटवर्क-केंद्रित एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम विकसित करने में आत्मनिर्भरता हासिल की है, जो भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह सफल परीक्षण स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है।

राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली

28 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने भूमि अभिलेखों के सुरक्षित विवरण रखने के लिये राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (National Generic Document Registration System- NGDRS) को कार्यान्वित कर लिया है। भूमि संसाधन विभाग (Department of Land Resources- DoLR) का मानना है कि इन राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में ई-पंजीकरण को प्रमुखता दी जा रही है या फिर राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने उपयोगकर्त्ता इंटरफेस/API के माध्यम से NGDRS के राष्ट्रीय पोर्टल पर अपना डेटा साझा करना शुरू कर दिया है। साथ ही विशिष्ट भूमि खंड पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Number- ULPIN) अथवा भू-आधार को 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अंगीकृत किया गया तथा 7 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इसको प्रायोगिक परीक्षण के तौर पर लागू किया गया है। कुछ राज्य स्वामित्व पोर्टल में ULPIN का भी उपयोग कर रहे हैं। भू संसाधन विभाग भारत सरकार द्वारा शत- प्रतिशत वित्तपोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना के रूप में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernisation Programme- DILRMP) को सुचारु रूप से लागू कर रहा है।

किसान उत्पादक कंपनियाँ

भारत की प्रमुख निजी कंपनियों में से एक ITC लिमिटेड ने 78 किसान-उत्पादक कंपनियों (FPCs) के गठन में मदद करके एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है, जिसे किसान उत्पादक संगठन के रूप में भी जाना जाता है।

FPC एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व और संचालन किसानों के पास है। यह इन किसानों को उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों को एक साथ और समूह के रूप में बेचने में मदद करती है, जिससे उनके उत्पादों को बेहतर मूल्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। किसान उपकरण और आपूर्ति जैसी वस्तुओं पर साथ मिलकर काम करके भी पैसा बचा सकते हैं तथा अपनी खेती के तरीकों को बेहतर बनाने के लिये ज्ञान एवं विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं। यह उन्हें अपने दम पर बड़े, अधिक सुव्यवस्थित व्यवसायों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के बजाय एक समूह के रूप में अधिक कुशल और लाभदायक स्थिति प्राप्त करने की अनुमति देता है। FPC के गठन में मदद करने के लिये ITC ने क्लस्टर-आधारित व्यवसाय संगठन (CBBO) के रूप में कार्य किया। FPC को हैंड-होल्डिंग सहायता प्रदान करने और वर्ष 2024 तक 10,000 FPO बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये केंद्रीय बजट 2019-20 में एक अवधारणा पेश की गई। केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, CBBO की घोषणा के बाद FPC के गठन में भारी वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2018 के लगभग 5,000 से बढ़कर वर्ष 2023 में 16,000 से अधिक हो गई हैं। हाल के विश्लेषण से पता चलता है कि CBBO के रूप में कार्य करने वाली बड़ी कंपनियों द्वारा गठित FPC अकसर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने या किसान-केंद्रित कार्य करने में असमर्थ होती है, जो उनके निर्माण के उद्देश्य को विफल करता है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि CBBO मार्जिन के लिये FPC को कम कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप FPC अपने CBBO द्वारा उत्पादित या विपणन किये गए सामानों के लिये कैप्टिव बाज़ार बना सकता है। इसके अतिरिक्त किसानों का तर्क है कि FPC की मदद करने में CBBO का वास्तविक उद्देश्य केवल सस्ता और कच्चा माल प्राप्त करना है। उनका मानना है कि FPC का मकसद किसानों की मदद करना था, न कि बड़ी कंपनियों को ज्यादा पैसा दिलाना।

मूल संरचना के सिद्धांत के 50 वर्ष

मूल संरचना के सिद्धांत को इस वर्ष 50 वर्ष हो गए और इसे भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। मूल संरचना का सिद्धांत एक संवैधानिक सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसे 1973 के केशवानंद भारती मामले में संवैधानिक पीठ द्वारा स्थापित किया गया था। खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में तब तक संशोधन कर सकती है जब तक कि वह संविधान की बुनियादी संरचना या आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं करता। जबकि न्यायालय ने 'मूल संरचना' शब्द को परिभाषित नहीं किया, इसने

नोट :

कई सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया जो इसका हिस्सा हैं। मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या संविधान की सर्वोच्चता, कानून के शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य आदि को शामिल करने के लिये की गई है। मूल संरचना के सिद्धांत का महत्त्व राजनीतिक शक्ति को सीमित करने, न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया और शक्ति का बुद्धिमानी से प्रयोग करने तथा अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। न्यायिक स्वतंत्रता कानून के शासन के सार के लिये महत्त्वपूर्ण है एवं संविधान की अखंडता को बनाए रखने के लिये संवैधानिक परंपराओं और प्रथाओं हेतु सम्मान महत्त्वपूर्ण है। एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में मूल संरचना के सिद्धांत के अनुप्रयोग को देखा जा सकता है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के माध्यम से भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, इन सरकारों को धर्मनिरपेक्षता के लिये खतरा बताया।

मंगल ग्रह के कोर और संभावित आवास को लेकर अंतर्दृष्टि

एक नए अध्ययन से पता चला है कि मंगल ग्रह का कोर पहले की तुलना में छोटा और सघन है, जिसकी त्रिज्या 1,780-1,810 किलोमीटर के बीच होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्त्ताओं की टीम ने नासा के इनसाइट मार्स लैंडर के भूकंपीय डेटा का इस्तेमाल किया, ताकि मंगल ग्रह के अंदरूनी हिस्सों में विभिन्न सामग्रियों से गुज़रने वाली भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण किया जा सके। उन्हें कोर के तरल अवस्था में होने के संकेत मिले हैं जो सल्फर एवं ऑक्सीजन सहित हल्के तत्त्वों के साथ अधिकतर लोहे से बना है तथा इसके वज़न का पाँचवाँ हिस्सा है। अध्ययन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि कोर के भौतिक गुण पृथ्वी और मंगल ग्रह के गठन के एक बेहतर मॉडल के विषय में जानकारी दे सकते हैं। ग्रहीय कोर महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि यह कभी-कभी ग्रह-व्यापी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, जो मंगल ग्रह का कोर नहीं करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके बाहरी तरल कोर में उत्पन्न होता है और यह ग्रह को सौर हवाओं से बचाता है जिससे यह जल को पृथ्वी पर बनाए रखता है। हालाँकि मंगल ग्रह के कोर इस सुरक्षा कवच को उत्पन्न नहीं करती है जिससे ग्रह की सतह की स्थिति जीवन के लिये प्रतिकूल हो जाती है। चूँकि ऐसा माना जाता है कि अतीत में मंगल ग्रह के पास चुंबकीय क्षेत्र था और एक समय यह रहने योग्य था जिससे पता चलता है कि ग्रह के आंतरिक भाग ने इसकी वर्तमान स्थिति के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही इनसाइट मिशन को समाप्त कर दिया गया है, फिर भी शोधकर्त्ता लाल ग्रह की संरचना और गुणों को बेहतर ढंग से समझने के लिये एकत्रित डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं।

रामानुजाचार्य:

हाल ही में प्रधानमंत्री ने रामानुजाचार्य को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में वर्ष 1017 में जन्मे रामानुजाचार्य को वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने समानता तथा सामाजिक न्याय का समर्थन करते हुए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया एवं उनके उपदेशों ने अनेक भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। रामानुजाचार्य वेदांत के विशिष्टाद्वैतवाद की उप-शाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं। विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन की एक अद्वैतवादी परंपरा है। उन्होंने नवरत्नों के नाम से प्रसिद्ध नौ शास्त्रों की रचना की और वैदिक शास्त्रों पर कई भाष्यों की रचना की। रामानुज के सबसे महत्त्वपूर्ण लेखन में 'वेदांत सूत्र' पर उनकी टिप्पणी (श्री भाष्य या 'सच्ची टिप्पणी') तथा भगवद्-गीता पर उनकी टिप्पणी (गीताभास्य या 'गीता पर टिप्पणी') शामिल है। उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुँचाया जो इससे वंचित थे। उनका सबसे बड़ा योगदान 'वसुधैव कुटुम्बकम' यानी 'सारा ब्रह्मांड एक परिवार है', की अवधारणा का प्रचार करना था। रामानुजाचार्य ने सामाज के हाशिये पर स्थित लोगों को गले लगाया और उनकी इस स्थिति के कारणों की निंदा की तथा शाही अदालतों (Royal Courts) से उनके साथ समान व्यवहार करने को कहा। रामानुजाचार्य ने सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, शैक्षिक और आर्थिक भेदभाव से लाखों लोगों को इस मूलभूत विश्वास के साथ मुक्त किया कि राष्ट्रीयता, लिंग, जाति, पंथ से पहले हर मनुष्य समान है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उनके कार्य के कारण हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 213 फीट ऊँची मूर्ति को "स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी" के रूप में जाना जाता है।

नोट :

जगद्गुरु आदि शंकराचार्य

हाल ही में प्रधानमंत्री ने जगद्गुरु आदि शंकराचार्य को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जगद्गुरु आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी ईस्वी में केरल में हुआ था, भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित दार्शनिकों में से एक थे। उन्हें दर्शन के अद्वैत वेदांत सम्प्रदाय का संस्थापक माना जाता है, जो संपूर्ण अस्तित्त्व की परम एकता पर ज़ोर देता है। शंकराचार्य को हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने तथा इसकी दार्शनिक व आध्यात्मिक नींव को पुनर्स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। वह एक महान लेखक थे, जिन्होंने वेदों, उपनिषदों और अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रंथों पर टीकाएँ लिखीं। उनके सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में ब्रह्म सूत्र (भाष्य), भजगोविंद स्तोत्र, निर्वाण शतकम एवं प्रकरण ग्रंथ शामिल हैं। शंकराचार्य एक समाज सुधारक भी थे तथा उन्होंने जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने व सामाजिक समानता को बढ़ावा देने हेतु काम किया।

भारत का पहला वाटर मेट्रो

प्रधानमंत्री ने हाल ही में केरल में कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया है, यह अपनी तरह की पहली मेट्रो प्रणाली है। यह मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ एकीकृत एक सार्वजनिक नाव सेवा है। यह परियोजना कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और एक जर्मन वित्तपोषित एजेंसी के सहयोग से प्रदान की गई वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य केरल में दस द्वीपीय समुदायों को मुख्य भूमि से जोड़ना है, इससे यात्रा समय में कमी लाने के साथ ही परिवहन को अधिक लागत प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोच्चि वाटर मेट्रो एक आधुनिक नौका परिवहन परियोजना है जिसमें ग्रेटर कोच्चि में 16 मार्गों पर चलने वाली कई नावें शामिल हैं। अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों और उन्नत तकनीक से लैस इन नौकाओं की सहायता से आवागमन को सुगम और अधिक कुशल सुनिश्चित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। कोच्चि वाटर मेट्रो में नावें बैटरी संचालित हैं और प्रत्येक रूट से होकर गुज़रने में केवल 10 से 20 मिनट का समय लेती हैं।

जल प्रबंधन पर भारत-हंगरी संयुक्त कार्य समूह

जल प्रबंधन सहयोग के लिये भारत-हंगरी संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई जहाँ दोनों देशों ने जल क्षेत्र में चुनौतियों और पहलों पर चर्चा की। भूजल के अति-दोहन के मुद्दे और भारत में उचित जल प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। सहयोग के लिये प्राथमिकता स्तर पर छह क्षेत्रों की पहचान की गई जिसमें चरम घटनाओं का प्रबंधन, भूजल की खोज एवं प्रबंधन और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना शामिल है। भविष्य में सहयोग को लेकर दिशा-निर्देश हेतु तीन वर्ष की कार्ययोजना पर हस्ताक्षर किये गए। हंगरी और भारत ने जल प्रबंधन में अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मज़बूत करने के लिये समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं। दोनों देश एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, जल तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन और जल संबंधी शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास में सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन योजना की सफलता को दिखाने के लिये हंगरी के विशेषज्ञों के लिये एक फील्ड विज़िट का आयोजन किया गया था।

नोट :

वन अर्थ वन हेल्थ - एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया 2023 मीट

प्रधानमंत्री ने 'वन अर्थ वन हेल्थ - एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया 2023' मीट के छठे संस्करण का उद्घाटन किया तथा न केवल अपने नागरिकों हेतु बल्कि पूरे विश्व के लिये स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाने के लिये भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों हेतु एक एकीकृत, समावेशी एवं संस्थागत वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर चर्चा की गई तथा भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें तनाव एवं जीवन-शैली संबंधी कई बीमारियों का उपचार शामिल है। दो दिवसीय सम्मेलन में कई देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के अन्य हितधारकों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य मूल्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिये वैश्विक सहयोग एवं साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस आयोजन का उद्देश्य मूल्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य सेवा कार्यबल के निर्यातक के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करना तथा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा एवं देखभाल हेतु भारत को एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना

प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना द्वारा एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर उसकी प्रशंसा की है। इस परियोजना में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग (Horizontal Directional Drilling- HDD) विधि का उपयोग करके 24 इंच व्यास वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, इस पाइपलाइन ने एशिया में सबसे लंबी रिवर क्रॉसिंग हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन होने के साथ विश्व में दूसरी सबसे लंबी पाइपलाइन का रिकॉर्ड बनाया है। पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को स्वच्छ और किफायती ऊर्जा प्रदान करना है, साथ ही यह देश के गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा राष्ट्रीय गैस ग्रिड विकसित करने के सरकार के दृष्टिकोण का हिस्सा है।

ज़ीरो शैडो डे

बंगलूरू में 25 अप्रैल, 2023 को दोपहर 12 बजकर 17 मिनट पर एक विचित्र घटना हुई जिसे ज़ीरो शैडो डे का नाम दिया गया है, इसमें सबसे खास बात यह रही कि इस समय इमारतों और वृक्षों की लंबवत परछाई नहीं बनी। ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि इस समय सूर्य ठीक ऊपर होता है जिस कारण कोई भी परछाई नहीं बन पाती है। यह घटना प्रतिवर्ष दो बार पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच हर बिंदु पर होती है। बंगलुरू में अगला ज़ीरो शैडो डे 18 अगस्त को है। कर्क और मकर रेखाओं के बीच के इन क्षेत्रों के अतिरिक्त यह घटना कही और देखने को नहीं मिलती। यह घटना इसलिये होती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे सतह पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे एक b सबसोलर बिंदु का स्थान बदलता रहता है और पृथ्वी की धुरी के झुकाव के ही कारण मौसम में बदलाव होता है। ज़ीरो शैडो डे एक महत्त्वपूर्ण घटना है क्योंकि यह पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को मापने में मदद करता है।

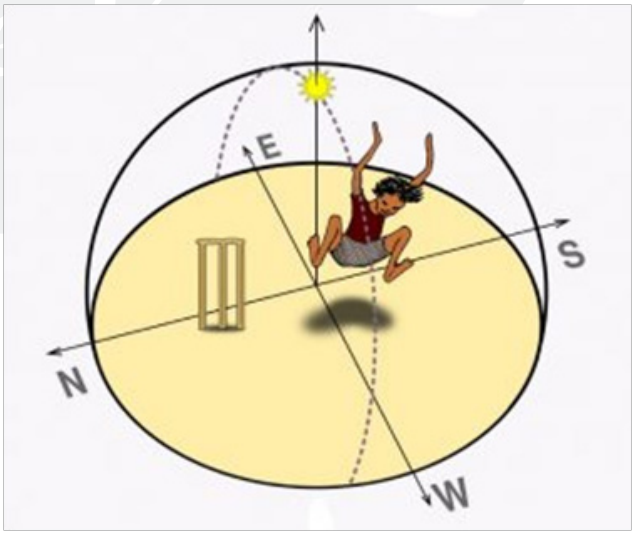

पुष्करालु महोत्सव

वाराणसी में 12 दिवसीय पुष्करालु महोत्सव मनाया जा रहा है। पुष्करालु पर्व को गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है। त्योहार को पुष्करालु (तेलुगू भाषा में), पुष्करा या पुष्कर के नाम से जाना जाता है।

नोट :

यह एक ऐसा पर्व है जो प्रत्येक 12 वर्ष में ग्रहों के गोचर के विशेष संयोग के कारण आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक नदी एक राशि से जुड़ी होती है और त्योहार की शुरुआत तब होती है जब बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। पुष्करालु को सबसे पवित्र अवधियों में से एक माना जाता है जब भक्त डुबकी लगाने के लिये विभिन्न पवित्र नदियों में जाते हैं। भारत में बहने वाली बारह सबसे महत्त्वपूर्ण नदियाँ गंगा, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, पुष्कर, तुंगभद्रा, सिंधी और प्राणहिता हैं।

मासिक आर्थिक समीक्षा

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था के जोखिमों की समीक्षा करते समय यह सिफारिश की गई थी कि भू-राजनीतिक विकास, वैश्विक वित्तीय स्थिरता और अल नीनो के कारण सूखे की स्थिति जैसे संभावित जोखिमों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो कृषि उत्पादन को कम करते हैं तथा कीमतों को बढ़ाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उच्च मुद्रास्फीति एवं वित्तीय तंगी (Financial Tightening) 2025 तक आर्थिक विकास पर भार डालेगी। IMF के अनुसार, वैश्विक विकास 2022 के 3.4% से घटकर वर्ष 2023 में 2.8% हो जाएगा। हालाँकि भारत की मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल बाज़ार से प्रभावित हो सकती है। कच्चे तेल के बाज़ार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, क्योंकि ओपेक+ देशों ने मई 2023 से उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में पहले ही उछाल आ चुका है। इसके अलावा दूध और गेहूँ की सीमित आपूर्ति से भी मुद्रास्फीति की गति पर असर पड़ने की उम्मीद है। गाँठदार त्वचा रोग (LSD) से दूध उत्पादन प्रभावित हुआ है।

SUPREME पहल

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट (SUPREME) पहल शुरू की है। यह सरकार द्वारा शुरू किया गया अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जो मौजूदा विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं (Analytical Instrumentation Facilities- AIF) की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने हेतु मरम्मत, उन्नयन, रख-रखाव, रेट्रोफिटिंग या अतिरिक्त संलग्नक प्राप्त करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में ऐसी सुविधाओं के लिये SUPREME पहल के तहत धन हेतु आवेदन किया जा सकता है। AIF वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं तथा उद्योगों के अन्य उपयोगकर्त्ताओं को परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरणों की सुविधा प्रदान करते हैं ताकि वे अनुसंधान एवं विकास कार्य का मापन करने में सक्षम हो सकें।

मक्कलाई थेडी मेयर

चेन्नई की मेयर ने घोषणा की है कि वह 'मक्कलाई थेडी मेयर' नामक एक नई पहल शुरू करेगी। यह योजना चेन्नई में 15 क्षेत्रों में नागरिक मुद्दों को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल तरीके से संबोधित करने के लिये अभिकल्पित की गई है, जिसमें महापौर प्रति 15 दिनों में निवासियों से याचिकाएँ प्राप्त करने के लिये प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करता है। पहली बैठक रोयापुरम में आयोजित की जाएगी और इस क्षेत्र के सभी वार्डों के निवासियों को इस बात के प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे सड़कों, स्ट्रीटलाइट्स, शौचालय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर, पेशेवर कर, कचरा सफाई, अतिक्रमण, पार्क एवं खेल के मैदान से संबंधित अपनी समस्याओं के बारे में बताएँ।

Y20 प्री-समिट का उद्घाटन सत्र

Y20 प्री-समिट का उद्घाटन सत्र लेह में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन लेह-लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया। सत्र में सेहत और स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम में कमी लाने तथा लोकतंत्र और शासन में युवा जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सत्र का विषय 'यूथ-लेड रेसिलिएंट रिकवरी' था, इस कार्यक्रम में G20 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस सत्र में सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटने में युवाओं की भूमिका पर ज़ोर दिया गया। इस कार्यक्रम में लद्दाख की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं तथा प्राकृतिक सुंदरता को भी प्रदर्शित किया गया। स्वयं सहायता समूह द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा जिसमें लद्दाखी महिलाएँ शामिल रहीं, ने लद्दाख की बागवानी विरासत के एक हिस्से के रूप में पश्मीना ऊन, काष्ठ नक्काशी पर प्रकाश डाला। G20 के लिये Y20 आधिकारिक युवा जुड़ाव समूह है, जो वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने और नीतिगत समाधानों की सिफारिश करने के लिये विश्व भर के युवा नेताओं को एक मंच पर लाता है। वैश्विक युवा नेतृत्त्व और साझेदारी पर ध्यान देने के साथ भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है।

फाइनल Y20 समिट के लिये भारत के राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चर्चाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा।

नोट :